

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्रधान कार्यालय
तीसरी मंज़िल, परिश्रम भवन
बशीरबाग, हैदराबाद 500 004
फोन : +91-40-23381100
फैक्स : +91-40-66823334

दिल्ली कार्यालय
पहली मंज़िल, जीवन तारा
संसद मार्ग
नई दिल्ली – 110 001
फोन : +91-11-23747648
फैक्स : +91-11-23747650

वेबसाइट: www.irdaindia.org;
ई-मेल: irda@irda.gov.in

जे. हरि नारायण
अध्यक्ष
J. Hari Narayan
Chairman



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
**INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY**

पारगमन पत्र

सचिव,
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय,
नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली 110 001

10 दिसंबर, 2008

श्रीमान,

हम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 के उपबन्धों के अनुसार, 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2 खंड उपखण्ड (ii) में दिनांक 14 जून, 2002 को अधिसूचित बी.वि.वि.प्रा. (वार्षिक रिपोर्ट-विवरणियों, विवरणों और अन्य विशिष्टियों का प्रस्तुत किया जाना) विनियम, 2000 में विहित प्रारूप में भेज रहे हैं।

भवदीय
जे. हरि नारायण
(जे. हरिनारायण)

Letter of Transmittal

December 10, 2008

To
The Secretary
Department of Financial Services
Ministry of Finance
3rd Floor, Jeevandeep Building
Parliament Street
New Delhi – 110 001

Sir,

In accordance with the provisions of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, we are sending herewith a copy of the Annual Report of the Authority for the financial year ended 31st March, 2008 in the format prescribed in the IRDA (Annual Report – Furnishing of returns, statements and other particulars) Rules, 2000, notified on 14th June, 2000 in Part II of Section 3, Sub Section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary.

Yours faithfully,

(J. Hari Narayan)

विषय सूची

मिशन वक्तव्य

आईआरडीए की टीम

समीक्षा

1

2008-09 की प्रथम अर्द्ध वर्ष में प्रदर्शन

3

नीतियाँ एवं कार्यक्रम

अ) सामान्य आर्थिक वातावरण	5
ब) बीमा बाजार का मूल्यांकन	9
i) विश्व बीमा परिदृश्य	11
ii) भारतीय बीमा उद्योग	13
— जीवन बीमा	13
— गैर-जीवन बीमा	24
स) अनुसंधान तथा विकास विभाग	34
द) समीक्षा	35
(i) पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा	35
(ii) बीमाकर्ताओं की ऋणशोधन क्षमता का संधारण	35
(iii) पुनर्बीमा की निगरानी	36
(iv) बीमाकर्ताओं के निवेशों की निगरानी	40
(v) स्वास्थ्य बीमा	43
(vi) ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र में व्यवसाय	47
(vii) वित्तीय प्रतिवेदन तथा बीमांकक मानक	49
I) वित्तीय प्रतिवेदन	49
II) (अ) नियुक्त बीमांकक प्रणाली	50
(ब) बीमांकन के मानक	50
(viii) फसल बीमा	50
(ix) सूक्ष्म-बीमा	51
(x) प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश, आदेश तथा विनियम	50
(xi) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	54

भाग II

कार्यप्रणाली और परिचालन की समीक्षा

(i) बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों के विनियम	55
(ii) बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध मध्यस्थ	55
- बीमा अभिकर्ता	55
- कॉर्पोरेट अभिकर्ता	55
- बीमा दलाल	56
- सर्वेक्षक तथा हानि निर्धारक	59

(iii) अभियोग, अपील तथा कोर्ट घोषणा	60
(iv) बीमा में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	60
(v) सार्वजनिक शिकायत	62
(vi) बीमा संघ तथा बीमा परिषद्	65
(vii) लोकपालों की कार्यपद्धति	66
(viii) समितियाँ	67
(ix) प्राधिकरण द्वारा निष्पादित परामर्शी कार्यों की समीक्षा	68

भाग III

प्राधिकरण के वैधानिक कार्य

ए.	आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना, तथा इस प्रकार जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को नवीकृत, संशोधित, वापस लेना, निलंबन अथवा निरस्तीकरण।	69
बी.	पॉलिसी निरूपित करने, पॉलिसीधारकों का नामांकन, बीमा योग्य हित, बीमा दावे का निपटान, पॉलिसी का अभ्यर्पण मूल्य और बीमा संविदा के अन्य नियम तथा शर्तों के संबंध में पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा।	70
सी.	मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थों या अभिकर्ताओं के लिए उपर्युक्त योग्यताएँ, आचरण संहिता तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण निर्दिष्ट करना।	71
डी.	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए आचरण संहिता निर्दिष्ट करना।	71
ई.	बीमा व्यवसाय में कार्यक्षमता को बढ़ावा देना।	71
एफ.	बीमे और पुनःबीमा व्यवसाय के साथ जुड़े व्यावसायिक संगठनों को बढ़ावा देना तथा उनका विनियमन करना।	72
जी.	अधिनियम 66 के प्रयोजनों के लिए शुल्क तथा अन्य दरें वसूलना।	72
एच.	बीमा व्यवसाय से जुड़े बीमाकर्ताओं, मध्यस्थों, बीमा मध्यस्थों तथा अन्य संगठनों के ऑडिट सहित उनसे जानकारी बुलवाना, निरीक्षण एवं जांच तथा अन्वेषण।	72
आई.	साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दरों, हितों, नियम तथा शर्तों का नियंत्रण तथा विनियमन जो बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) की धारा 64 यू के अन्तर्गत दर परामर्श समिति के द्वारा नियंत्रित तथा विनियमित नहीं है।	73
जे.	प्रारूप और तरीका निर्दिष्ट करना जिसके अनुसार लेखा पुस्तकों को संधारित किया जाना है तथा लेख विवरण बीमाकर्ताओं तथा अन्य बीमा मध्यस्थों के द्वारा प्रस्तुत किये जाएंगे।	73
के.	बीमा कंपनियों द्वारा कोषों के निवेश का विनियमन।	73
एल.	ऋणशोधन क्षमता के अन्तर के संधारण का विनियमन।	73
एम.	बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों के बीच विवादों का निर्णय करना।	74
एन.	प्राशुल्क सलाहकार समिति की कार्यपद्धति का पर्यवेक्षण।	74
ओ.	वित्तीय योजनाओं के लिए अनुच्छेद 'एफ' में सन्दर्भित व्यावसायिक संगठनों की प्रोन्नति और विनियमन के लिए बीमादारा की प्रीमियम आय का प्रतिशत निर्दिष्ट करना।	74
पी.	विशेष रूप से जीवन बीमा व्यापार और सामान्य बीमा व्यापार के प्रतिशत को करना जिसे बीमा करने वालों ने क्षेत्रीय और सामाजिक लिए लिया है।	74
क्यू.	अन्य ऐसे अधिकारों का प्रयोग जो निर्धारित किए गए हो।	75

भाग IV संगठनात्मक मामले

i. संगठन	77
ii. प्राधिकरण की बैठकें	77
iii. मानवीय संसाधन	77
iv. राजभाषा को प्रोत्साहन	77
v. आईआरडीए में सूचना प्रौद्योगिकी का स्तर	78
vi. लेखा	78
vii. आईएसओ 2000 पंजीयन	78
viii. आईआरडीए जर्नल	79
ix. आभार	79

बॉक्स मद

1	जीवन बीमा व्यापार में प्रवाह – इकाई सम्बद्ध बीमा योजना	15
2	जीवन बीमा पॉलिसियों में चूक	22
3	स्वास्थ्य बीमा : पहल	24

पाठ तालिकाएँ

1	मुख्य बाजार सूचक	9
2	भारत में पंजीकृत बीमाकर्ता	10
3	31 मार्च, 2008 तक जीवन बीमा कार्यालय	10
4	31 मार्च, 2008 तक जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का वितरण	10
5	प्रदत्त पूंजी : जीवन बीमाकर्ता	13
6	जारी की गई नई पालिसियाँ : जीवन बीमाकर्ता	14
7	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा बीमित प्रीमियम	18
8	जीवन बीमा की बाजार हिस्सेदारी	18
9	जीवन बीमाकर्ताओं के कमीशन व्यय	20
10	कमीशन व्यय अनुपात	21
11	जीवन बीमाकर्ताओं के संचालन व्यय	21
12	संचालन व्यय अनुपात	21
13	प्रदत्त लाभांश : जीवन बीमाकर्ता	23
14	वैयक्तिक मृत्यु दावे	23
15	समूह मृत्यु दावे	24
16	प्रदत्त पूंजी : गैर-जीवन बीमाकर्ता एवं पुनःबीमाकर्ता	24
17	जारी की गई पालिसियाँ : गैर-जीवन बीमाकर्ता	27
18	गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा बीमित प्रीमियम (भारत में)	27

19	भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय	28
20	गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा-क्षेत्र वार बीमांकित (भारत के भीतर) प्रीमियम	28
21	कुल प्रीमियम से भारत से बाहर की प्रीमियम का अनुपात	29
22	भारत से बाहर व्यवसाय से प्राप्त शुद्ध प्रत्यक्ष प्रीमियम : गैर-जीवन बीमाकर्ता	29
23	बीमांकन हानियाँ : गैर-जीवन बीमाकर्ता	30
24	परिचालन व्यय : गैर-जीवन बीमाकर्ता	30
25	कमीशन व्यय	31
26	निवेशित आय	31
27	गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के कुल व्ययित दावे	31
28	व्ययित दावा अनुपात	32
29	भुगतान किया गया लाभांश : गैर-जीवन बीमाकर्ता	33
30	भारतीय व्यवसाय पर कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में शुद्ध प्रतिधारित प्रीमियम (जीआईसी को छोड़कर)	36
31	भारतीय में शुद्ध प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में भारत में और बाहर किया गया पुनःबीमा (जीआईसी को छोड़कर)	37
32	भारतीय व्यवसाय पर भारत से बाहर पुनःबीमा का समर्पण (जीआईसी को छोड़कर)	38
33	भारतीय बाजार में सदस्य कंपनियों का हिस्सा आतंकवाद पूल	39
34	आतंकवाद जोखिम बीमा के लिए प्रीमियम की दरें	39
35	आतंकवाद जोखिम बीमा के लिए सुरक्षा सीमा	40
36	बीमाकर्ताओं के निवेश	41
36.	(I) कुल निवेश : लेखपत्र वार	41
36.	(II) जीवन बीमाकर्ता के निवेश : निधि वार	42
37	कुल निवेश : निधिवार	42
38	गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश : निधिवार	48
39	टीपीए (अधोसंरचना) 2007-08	48
40	तृतीय पक्ष प्रशासक - दावों संबंधी आंकड़ें	51
41	2007-08 के लिए सूक्ष्म-बीमा निवेश के अन्तर्गत नवीन व्यवसाय	52
42	सूक्ष्म-बीमा अभिकर्ता - जीवन बीमाकर्ता	52
43	सूक्ष्म-बीमा निवेश-2007-08 के अन्तर्गत समूह मृत्यु दावे	52
44	सूक्ष्म-बीमा निवेश-2007-08 के अन्तर्गत वैयक्तिक मृत्यु दावे	55
45	जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक अभिकर्ताओं के विवरण - 2007-08	55
46	जीवन बीमाकर्ताओं के निगमित अभिकर्ताओं के विवरण - 2007-08	57
47	2007-08 के लिए माध्यमानुसार जीवन बीमाकर्ताओं की नवीन व्यवसाय प्रीमियम (वैयक्तिक तथा समूह)	58
48	2007-08 के लिए माध्यमानुसार जीवन बीमाकर्ताओं की वैयक्तिक नवीन व्यवसाय प्रीमियम	59
49	2007-08 के लिए माध्यमानुसार जीवन बीमाकर्ताओं की नवीन समूह व्यवसाय प्रीमियम	62
50	विलंबित शिकायतें- जीवन बीमाकर्ता	63
51	2007-08 के दौरान शिकायतें - जीवन बीमाकर्ता	64
52	शिकायतों की स्थिति - गैर जीवन बीमाकर्ता	64
52	(I) शिकायतों की स्थिति - गैर जीवन बीमाकर्ता (अर्द्ध वर्ष, समाप्त सितंबर 2008)	67
53	लोकपाल द्वारा निष्पादित शिकायतें 2007-08	

विवरणों की सूची

1	घरेलु क्षेत्र की वित्तीय बचत (शुद्ध)	83
2	बीमा निवेश की वैश्विक तुलना	84
3	बीमा घनत्व की वैश्विक तुलना	86
4	पॉलिसीधारक खाता - समस्त जीवन बीमाकर्ता	88
5	अंशधारक खाता - सभी जीवन बीमाकर्ता	90
6	तुलन पत्र: समस्त जीवन बीमाकर्ता	92

7	भारतीय जीवन बीमा निगम : पूंजीगत विमोचन तथा वार्षिक तय व्यवसाय (गैर-प्रतिभागी) – पॉलीसीधारक खाता	94
8	भारतीय जीवन बीमा निगम : पूंजीगत विमोचन तथा वार्षिक तय व्यवसाय (गैर-प्रतिभागी) – अंशधारक खाता	95
9	भारतीय जीवन बीमा निगम : पूंजीगत विमोचन तथा वार्षिक तय व्यवसाय (गैर-प्रतिभागी) – तुलन पत्र	96
10	पॉलीसीधारक खाता : सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ता	97
11	अंशधारक खाता : सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ता	99
12	तुलन पत्र : सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ता	100
13	पॉलीसीधारक खाता : सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ता	101
14	अंशधारक खाता : निजी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ता	106
15	तुलन पत्र : निजी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ता	107
16	पॉलीसीधारक खाता : स्वास्थ्य बीमाकर्ता	108
17	अंशधारक खाता : स्वास्थ्य बीमाकर्ता	109
18	तुलन पत्र : स्वास्थ्य बीमाकर्ता	110
19	साधारण बीमा निगम – पॉलीसीधारक खाता	111
20	साधारण बीमा निगम – अंशधारक खाता	112
21	साधारण बीमा निगम – तुलन पत्र	113
22	पॉलीसीधारक खाता : निर्यात साख्य प्रतिभूति निगम मर्यादित	114
23	अंशधारक खाता : निर्यात साख्य प्रतिभूति निगम मर्यादित	115
24	तुलन पत्र: निर्यात साख्य प्रतिभूति निगम मर्यादित	116
25	पॉलीसीधारक खाता : कृषि बीमा निगम मर्यादित	117
26	अंशधारक खाता : कृषि बीमा निगम मर्यादित	118
27	तुलन पत्र : कृषि बीमा निगम मर्यादित	119
28	गैर-जीवन भारतीय बाजार का कुल धारण शक्ति	120
29	भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष प्रीमियम आय	121
30	कुल प्रीमियम आय (अर्जित)	122
31	सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीमांकन अनुभव तथा लाभ	123
32	निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीमांकन अनुभव तथा लाभ	124
33	उपगत दावा अनुपात : सार्वजनिक क्षेत्र	125
34	उपगत दावा अनुपात – निजी क्षेत्र	126
35	बीमा कंपनियों की साम्य अंश पूंजी	127
36	बीमाकर्ताओं तथा विभिन्न मध्यस्थों के लिए शुल्क ढांचा	128
37	जीवन बीमाकर्ताओं के निवेशों की कोष-वार प्रणाली	129
38	गैर जीवन बीमा निवेश	133
39	शिकायतों की स्थिति – जीवन बीमाकर्ता (2007-08)	134
40	शिकायतों की स्थिति – गैर जीवन बीमाकर्ता (2007-08)	135
41	शिकायतों की स्थिति – गैर जीवन बीमाकर्ता (सितंबर, 2008 को समाप्त छः माही)	136
42	तृतीय पक्ष प्रशासक – दावों के आंकड़े – 2007-08	137
43	विभिन्न केन्द्रों पर लोकपालों का कार्य प्रदर्शन : 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए शिकायतों का निराकरण : जीवन बीमा	138

44	विभिन्न केन्द्रों पर लोकपालों का कार्य प्रदर्शन : 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए शिकायतों का निराकरण : गैर जीवन बीमा	139
45	विभिन्न केन्द्रों पर लोकपालों का कार्य प्रदर्शन : 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए शिकायतों का निराकरण : संयुक्त रूप से जीवन बीमा तथा गैर जीवन बीमा	140
46	प्रथम वर्ष (एकल प्रीमियम सहित) जीवन बीमा प्रीमियम	141
47	कुल जीवन बीमा प्रीमियम	142
48	गैर जीवन बीमा की शुद्ध प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत तथा इससे बाहर)	143
49	वैयक्तिक व्यवसाय (भारत में) – प्रभावशील व्यवसाय (पॉलिसियों की संख्या)	144
50	वैयक्तिक व्यवसाय (भारत में) – प्रभावशील व्यवसाय (बीमित राशि)	145
51	भारत में जीवन बीमाकर्ताओं के ऋणशोधन क्षमता अनुपात	146
52	गैर जीवन बीमाकर्ताओं के ऋणशोधन क्षमता अनुपात	147
53	वैयक्तिक व्यवसाय (भारत में) – गैर-लिंक्ड व्यवसाय के मामले में जब्त/चूकी हुई पॉलिसियों के विवरण	148
54	2007-08 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का वैयक्तिक नवीन व्यवसाय प्रदर्शन – माध्यमानुसार	149
55	2007-08 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का समूह नवीन व्यवसाय प्रदर्शन – माध्यमानुसार	150
56	2007-08 के लिए वैयक्तिक अभिकर्ताओं का राज्य-वार वितरण- बीमाकर्तावार	151
57	जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक अभिकर्ताओं के विवरण – 2007-08	152
58	वैयक्तिक मृत्यु दावे – 2007-08	153
59	31 मार्च, 2008 को जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या	154
60	31 मार्च, 2008 को जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का वितरण	155
61	31 मार्च, 2008 को कार्यालयों का भौगोलिक वितरण	156
62	राज्यवार वैयक्तिक नवीन बीमित व्यवसाय 2007-08	157
63	शिकायतें – जीवन बीमा	159
64	समूह मृत्यु दावे – 2007-08	160
65	जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म-बीमा उत्पादों की सूची	161

संलग्नकों की सूची

I	भारत में व्यवसायरत बीमा कंपनियाँ	163
II	आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत निर्मित विनियम	165
III	(अ) जीवन बीमाकर्ताओं के नियुक्त बीमांकक	166
	(ब) गैर जीवन बीमाकर्ताओं के नियुक्त बीमांकक	167
IV	(अ) भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमित जीवनियों की मृत्यु दर – एलआईसी 94-96 अधिकतम	168
	(ब) भारतीय जीवन बीमा निगम में वार्षिक ग्राहकों की मृत्यु दर – एलआईसी ए (96-98) अधिकतम	169
V	वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान मुक्त जीवन बीमा उत्पाद	170
VI	वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान बीमा कंपनियों द्वारा फाईल तथा प्रयोज्य प्रक्रियाओं के अन्तर्गत फाइल किए गए गैर-जीवन उत्पाद	174
VII	जीआईसी से प्राप्त अनिवार्य सुपुर्दगी	178
VIII	पंजीकृत ब्रोकर (राज्य-वार विवरण)	179
IX	प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/अधिसूचनाएं	180
X	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के वार्षिक विवरण	187
XI	बीमाकर्ताओं, मध्यस्थों तथा लोकपाल के पते	205

मिशन वक्तव्य

- ✓ पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा तथा निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना;
- ✓ आम आदमी को लाभ देने हेतु और अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन निधियों को तीव्रता से बढ़ाने के लिए बीमा उद्योग की तीव्र एवं क्रमबद्ध वृद्धि (वार्षिक एवं वार्षिक भुगतान सहित);
- ✓ विनियमित लोगों की एकाग्रता, वित्तीय स्थायित्व, सही संव्यवहार एवं योग्यता को स्थापित, प्रोत्साहित, निगरानी एवं लागू करना;
- ✓ वास्तविक दावों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करना और बीमा धोखाधड़ियों और अन्य कदाचारों से बचना तथा निवारण तंत्र को प्रभावी शिकायत तंत्र के रूप में स्थापित करना;
- ✓ बीमा के साथ संव्यवहार करने वाले वित्तीय बाजारों में सही पारदर्शिता एवं क्रमबद्ध व्यवहार प्रोत्साहित करने एवं बाजार के व्यवसायियों में वित्तीय स्थिरता लागू करने में एक विश्वसनीय प्रबंधन जानकारी प्रणाली का निर्माण करना;
- ✓ उस स्थिति में कार्यवाई करना जहाँ ऐसे मानक अपर्याप्त या अप्रभावी ढंग से लागू किये गये हों;
- ✓ उद्योग के दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए पर्याप्त स्व-विनियमन लाना जो कि विवेकपूर्ण विनियमों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे।

आईआरडीए टीम वर्ष 2007-08

अध्यक्ष

सी. एस. राव (14 मई, 2008 तक)

जे. हरि नारायण (12 जून, 2008 से)

सदस्य

सी. आर. मुरलीधरन
के. के. श्रीनिवासन

जी. प्रभाकर
डॉ. आर. कन्नन

अंशकालिक सदस्य

श्री विजय महाजन (7 अक्टूबर, 2005 से)

श्री वेद जैन (6 फरवरी, 2008 से)

श्री प्रदीप कुमार

(27 नवम्बर, 2007 से 8 अप्रैल, 2008 तक)

श्री सुनील तलाटी (5 फरवरी, 2007 से 5 फरवरी 2008 तक)

श्रीमति ईला आर भट्ट (27 फरवरी, 2007 से)

सुश्री सुषमा नाथ (9 अप्रैल, 2008 से)

डा. संजीव मिश्रा

(2 मार्च, 2007 से 26 नवम्बर, 2007 तक)

महानिदेशक (अनुसंधान एवं विकास)

डा. डी.वी.एस. शास्त्री

कार्यकारी निदेशक

प्रबोध चंदर

वी. वेदकुमारी

के. सुब्रह्मण्यम

सलाहकार और विशेष अधिकारी

कुन्नेल प्रेम

अधिकारी का नाम श्री/श्रीमति

ए. केशव राव
ए. कश्णन
ए. आर. नित्यानंदम
ए. राम सुधीर
ए. वी. राव
अनिल कुमार अरोड़ा
बी. पदमजा
बी. अरुणा
बी. राघवन
बी. सोमेशवर राव
बी. एस. वैकटेश
डी. पी. जोशी
डी. श्रीनिवास मूर्ति
डी.वी.एस. रमेश
दीपक खन्ना
दीपक कुमार गायकवाड़
एन.के.एल.एन चक्रवर्ती
जी.आर. सूर्य कुमार
हरि
जे. अनिता
ज्योति भगत
कमल चौला
कांति श्री
के.जी.पी.एल रामा देवी
लक्ष्मी पिल्लई
एम.एल. सौजन्या
महेश अग्रवाल
ममता सुरी
मंजु अरोड़ा
मतंगी सरिता
एम.बी.वी.एन मूर्ति
मुकेश शर्मा
निमिशा श्रीवास्तव
पी. मजूमदार
प्रभात कुमार मायती
आर. सी. शर्मा
आर. कुमार
आर. संगीता

आर. उमा महेश्वरी
राज कुमार शर्मा
राकेश बजाज
रणदीप सिंह जगपाल
रश्मि जगदीप अभिचन्दानी
एस. कार्तिकय शर्मा
एस.एन. जयासिम्हन
एस.पी. चक्रवर्ती
संजय कुमार वर्मा
संजीव कुमार जैन
शरदूल सुरेश अदमाने
शशि पाल
शिक्षा साहा
श्याम सुंदर महाकुट
सुदीप्ता भट्टाचार्य
सुनीता एल.वी.एस.
सुरेश माथुर
सुरेश नायर
सूसन इट्टिराह
सुशपाल
टी.एस. नायक

अनुबन्ध पर

यू. जवाहरलाल

अधिकारी

प्रतिनियुक्ति पर

अरुप चटर्जी

जे. मीना कुमारी

के.के. चौधरी

सोनिया सिंह

परिदृश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था ने विश्व अर्थव्यवस्था में कई अनिश्चितताओं के अनुभव के बावजूद मजबूत वृद्धि को जारी रखा। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद विकास उद्योग से उत्पन्न हो रहा है और 2007-08 के दौरान सेवा क्षेत्र में थोड़ी गिरावट आई है। जबकि भारत में कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार से न केवल कुछ कृषि वस्तुओं पर मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित किया गया, बल्कि अर्थव्यवस्था में विकास की गति का समर्थन भी दिया गया। बचत में जारी गति की वृद्धि और निवेश दरें और निरंतर उत्पादन वृद्धि 2007-08 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की गति को समर्थन दे रहे थे। 2007-08 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की 9 प्रतिशत की ऊंचाई 2006-07 में दर्ज की गई 9.6 प्रतिशत से कम थी। सेवा क्षेत्र दोहरे अंक के स्तर पर निरंतर बढ़ता रहा। उद्योग क्षेत्र में मंदी का औद्योगिक उत्पाद के सूचकांक में भी प्रतिबिंबित हुआ था। 2007-08 के दौरान औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक का विकास 8.5 प्रतिशत था (जो तुलनात्मक रूप से 2006-07 के दौरान 11.5 प्रतिशत देखा गया था)।

वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बजट ने वर्ष 2005-06 में 34.3 प्रतिशत से वर्ष 2006-07 में 34.8 प्रतिशत की बढ़त के साथ निजी निगमित क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की बचत में वृद्धि से मुख्य रूप से योगदान किया। अर्थव्यवस्था के स्तर पर सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर में वर्ष 2005-06 में 35.5 प्रतिशत से वर्ष 2006-07 में 35.9 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। परिवारों की बचत प्राथमिकता वर्ष 2006-07 की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक राशियों से थोड़ी बदल गई थी। वर्ष 2007-08 के लिए घरेलू वित्तीय बचत पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2007-08 में परिवारों की कुल सकल वित्तीय बचत का 17.5 प्रतिशत बीमा राशि द्वारा गठित किया गया है। यह कुल घरेलू बचत में बीमा राशि के हिस्से में वृद्धि के परिणामस्वरूप है। म्युचुअल फंड में भी इसी तरह की वृद्धि देखी गई थी। बीमा क्षेत्र की ओर प्राथमिकताओं में उपरोक्त विस्थापन का मुख्य कारण घरों द्वारा बीमा कंपनियों के यूनिट लिंक बीमा उत्पादों (यूलिप) में निवेश करना था क्योंकि यूलिप के हिस्से के रिटर्न शेयर बाजार के व्यवहार पर निर्भर हैं। ऐसा ही एक अवलोकन म्युचुअल फंड में निवेश के बारे में किया जा सकता है। वर्ष 2007-08 के दौरान ऐसा नोट किया जा सकता है कि, बीएसई सेंसेक्स असामान्य रूप से उच्च स्तर दिखा चुका है और सभी क्षेत्रों के सूचकांक में लाभ थे। वर्ष 2007-08 के दौरान दोनों केन्द्रीय और राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ, इसके बावजूद वहाँ

ऊँची ब्याज भुगतान, सब्सिडी और अतिरिक्त बजटीय देनदारियों के खाते पर उच्च अधिक बहाव थे। वर्ष 2007-08 के दौरान निर्यात और आयात की गति बढ़ाना भारत के विविध विदेशी व्यापार को व्यक्त कर रहा है।

वर्ष 2007-08 में एक निरंतर आधार पर पूंजी प्रवाह ध्यानपूर्वक देखने योग्य थे और भुगतानों के शेष में अश्यों पर शुद्ध बचतें व्यापार घाटे के एक महत्वपूर्ण हिस्से की कमी को पूरा करने में मग्न थे। सरल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत के रूप में चालू खाते का घाटा 2007-08 में 1.5 प्रतिशत की तुलना में

वर्ष 2006-07 में देखे गए 1.1 प्रतिशत से बढ़कर था।

प्रमुख कृषि उत्पादों पर आपूर्ति पक्ष दबाव, अंतराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों का जारी होना, मांग का लगातार दबाव मुद्रास्फीति की दर को मार्च 2007-08 के अंत में मापे गए 5.6 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2008 के 7.7 प्रतिशत के उच्च स्तर की ओर थोक मूल्य सूचकांक में गति से मापने की तरह बढ़ा चुकी है। तथापि, औसत के आधार पर, यह वर्ष 2006-07 में 5.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान 4.7 प्रतिशत से कम था। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि भी पहले वर्ष के 6.7 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2008 में 7.9 प्रतिशत पर उच्च था। औसत के आधार पर, यह वर्ष 2006-07 में 6.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान, 6.2 प्रतिशत था।

वर्ष 2007-08 के दौरान फैला रही कई पॉलिसियों और आर्थिक बाजारों, पूंजी बाजार और बॉन्ड बाजारों के विषय में संबंधित नियामकों द्वारा लिए गए थे। सरकार ने अपनी ओर से वैधानिक ढांचे में परिवर्तन की अनुमति देकर इस प्रक्रिया में मदद की है। आर्थिक बाजारों में पॉलिसियों का उत्तरदायित्व अपनी संपत्ति के एक विवेकपूर्ण और लाभदायक तरीके में बीमा कंपनियों की प्रबन्ध करने में मदद करेगा। बीमा कंपनियों को अब बातचीत के जरिए लेन देन प्रणाली के उपयोग करने की अनुमति है – संघटक की अनुषंगी सामान्य खाता मार्ग का उपयोग करके क्रम मिलाना। यह अपने अतिरिक्त धन पार्किंग के लिए बातचीत लेनदेन प्रणाली में हिस्सा ले रही बीमा कंपनियों की मदद करेगी। सेबी ने म्युचुअल फंड को अधिक पारदर्शी और निवेशकों के अनुकूल संचालनों के बचे रहने में कई नेतृत्वों का उत्तरदायित्व किया है। सेबी व्युत्पन्न खंड में लेनदेन के विरुद्ध अतिरिक्त राशि के लिए दूसरे दर्जे की तरह एएए श्रेणी की विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों को प्रदान करने के लिए एफआईआई का आदेश देता है। निजी निर्गमन के ऋण बाजार को विकसित करने

के लिए भी कई उपाय शुरू किए गए थे। वर्ष 2007.08 की केन्द्रीय बजट बॉन्ड मुद्रा और विनिमय व्यापारिक मुद्रा की शुरुआत सहित व्युत्पन्न बाजार के विकास और ब्याज दर सुविधाएँ और उचित निगरानी के साथ पारदर्शी क्रेडिट व्युत्पन्न बाजार को विकास करते हुए मापने के लिए घोषणा कर चुकी है। सरकारी प्रतिभूतियों की विनियमावली 2007 दिनांक 1 दिसम्बर 2007 से लागू हो गई है। विभिन्न नियामकों द्वारा किए गए सभी उपर्युक्त उपायों से अपने धन को लाभदायक तरीके में लगाने को बीमा कंपनियों के लिए अवसर खुल जाएंगे। जबकि, उन्हें कुछ जटिल विदेशी वित्तीय साधनों के साथ निपटने में अपने कौशल में सुधार करना पड़ सकता है।

सीएसओ ने 2008-09 की पहली तिमाही के दौरान, कृषि उद्योग और सेवाओं को क्रमशः 3.0 प्रतिशत, 5.2 प्रतिशत और 10.2 प्रतिशत के वास्तविक सरल घरेलू उत्पाद की विकास दर पर स्थापित किया है। तदनुसार, अर्थव्यवस्था में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का विकास पिछले वर्ष की पहली तिमाही में दर्ज 9.2 प्रतिशत की तुलना में पहली तिमाही के लिए 7.9 प्रतिशत हुआ। मुद्रास्फीति, वर्ष-दर-वर्ष पर आधारित थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) में भिन्न रूपों द्वारा मापने पर, मार्च 2008 के अंत तक 7.8 प्रतिशत से 4 अक्टूबर 2008 पर 11.4 प्रतिशत तक बढ़ी थी और एक वर्ष पहले 3.2 प्रतिशत बढ़ी थी। एक बे-जोड़ स्तर पर, प्राथमिक वस्तुओं और निर्मित उत्पादों की कीमतों में पहले वर्ष के 5.0 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत की तुलना के साथ, क्रमशः 12.7 प्रतिशत और 9.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित, वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर एक पहले वर्ष के 7.3 प्रतिशत से अगस्त 2008 में 9.0 प्रतिशत तक एक तेज गति को दर्शाया है।

ब्याज दरें (जमा और ऋण देने की दरें दोनों) 2008-09 की पहली दो तिमाहियों के दौरान महत्वपूर्ण तौर पर बढ़ी है। उसी अवधि के दौरान विभिन्न परिपक्वताओं के लिए बैंकों द्वारा जमा दरों में 50-175 आधार अंक की वृद्धि और सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों के बेंचमार्क मूल्य में 125-150 आधार अंक की वृद्धि के लिए पेशकश की गई।

केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों की उत्पादित औसत आय 8.12 प्रतिशत की तुलना में 8.81 प्रतिशत पर उच्च थी। एकवर्षीय शेष परिपक्वता के साथ सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त की। मार्च 2008 के अंत पर 7.49 प्रतिशत से 9.25 प्रतिशत के उच्च स्तर पर वृद्धि हुई। अप्रैल से अगस्त 2008 के दौरान कॉल बाजार, बाजार की प्रतिष्ठा (एलएएफ से बाहर) और दूसरे दर्जे के तौर पर उधार लेने और उधार देने की बाध्यता नकदी निधि अनुपात में क्रमिक रूप से बढ़ने पर कसावट वाली तरलता के फलस्वरूप खाते पर परिदृश्य में कठोरता आ जाती है। जमा करने के प्रमाण पत्र का

भारित औसत बट्टा दर में मार्च 2008 के अंत में 10.00 प्रतिशत से सितम्बर 2008 के अंत तक 11.56 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

इस उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, लेकिन वैश्विक आघातों के लिए उनके लचीलेपन के बारे में अनिश्चितताओं में वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात मात्रा में कमी हुई है। जबकि इक्विटी बाजार उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उनके साथ अग्रानुक्रम में तेजी से गिर पड़ते हैं, तथा बॉन्ड की व्यापकता बढ़ती है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली विश्व के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों के बीच की शानदार विफलताओं की रेखा में अत्यधिक जोखिम से बचने के द्वारा पकड़ बनाए रखती है।

शेयर बाजार में उछाल के साथ, जबकि निवेशक जोखिम उठाने के लिए इच्छुक हो रहे हैं और यूलिप के लिए चयन द्वारा निवेश जोखिमों को सहन करने के लिए तैयार हैं, दुनिया भर में वित्तीय संकट और शेयर बाजार में घुलने के साथ, निवेशकों की भावनाओं को दूसरी ओर मोड़ सकता है और कई अपने अधिशेषों को जोखिम लेने की तुलना में सुरक्षित और पारंपरिक वित्तीय साधनों में निवेश करना चाहेंगे। जैसे प्राथमिकता को यूलिप और जीवन बीमा कंपनियों से दूर हटाया जाएगा, उन्हें अच्छे प्रोत्साहन के साथ परंपरागत उत्पादों को डिजाइन करना पड़ सकता है। इस तरह, निकट भविष्य में जीवन बीमा कारोबार में वृद्धि को उतना मजबूत नहीं किया जा सकता है जितनी कि वह अब तक थी। इसके अलावा, जिस तरह बीमा कंपनियाँ अपनी शोधन क्षमता के साथ बारीकी से निगरानी करती हैं उन्हें विनियामक आवश्यकता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पूंजी को लगाना ही पड़ता है। वित्तीय बाजारों में वर्तमान स्थिति के तहत, पूंजी बाजारों से धन जुटाना मुश्किल है और प्रवर्तकों के लिए मंदी शेयर बाजार में अपने निवेश को प्राप्त करना और भी मुश्किल साबित हो सकता है।

हाल ही में, बीमा कंपनियाँ शाखा के विस्तार पर आक्रामक होती चली गई हैं और इन्होंने तकनीकी जनशक्ति को जोड़ा है। उनके साथ सम्बन्धित रहने से लागत उच्च होती है और कंपनियों के लिए उच्च लागत और कम भुगतानों के साथ जारी रहना मुश्किल साबित हो सकता है। आर्थिक विकास में धीमा होने के साथ, निजी व्यय योग्य आय बचत और निवेश के प्रभावित करते रहने पर कम हो जाएगी। उद्योग में नीचे और निजी निगमित क्षेत्र में कम निवेश कम परिसंपत्ति गठन को बढ़ावा देता है। यह कम माल व्यापार के साथ एक साथ गैर जीवन बीमा बाजार को प्रभावित करता है। शेयर बाजार में मंदी के साथ, गैर जीवन बीमा कंपनियों के लिए निवेश आय लाभ को प्रभावित करते हुए भी नीचे आ

जाएगी, क्योंकि निवेश आय अब तक कंपनियों के बीमालेखन घाटों की कमी को पूरा कर चुकी हैं।

2008-09 की पहली तिमाही में प्रदर्शन

(i) जीवन बीमा:

बीमा कंपनियों ने पिछले वर्ष के तुलनात्मक 12511.80 करोड़ रुपए से 14.45 प्रतिशत की वृद्धि के साथ चालू वित्त वर्ष में पहली तिमाही के दौरान 14320.20 करोड़ रुपए का प्रीमियम बीमा किया है। किए गए कुल प्रीमियम बीमा में, एलआईसी ने 7524.56 करोड़ रुपए के लिए अपनी योग्यता का परिचय दिया और निजी कंपनियों ने 6795.64 करोड़ रुपए के लिए अपनी योग्यता का परिचय दिया। पिछले वर्ष में इसी अवधि पर एलआईसी द्वारा कराए गए प्रीमियम में 12.31 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि निजी कंपनियों में इसकी 72.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उद्योग के स्तर पर लिखी गई बीमा की संख्या में 7.78 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि एलआईसी द्वारा किए गए बीमा की संख्या में 23.36 प्रतिशत की गिरावट आई है, निजी कंपनियों के मामले में उनकी 44.00 प्रतिशत से वृद्धि की गई है। किए गए कुल प्रीमियम बीमा में, व्यक्तिगत प्रीमियम ने 10995.90 करोड़ रुपए के लिए अपनी योग्यता का परिचय दिया और समूह व्यापार ने 3324.30 करोड़ रुपए के लिए अपनी योग्यता का परिचय दिया। एलआईसी के संबंध में, व्यक्तिगत व्यापार 5275.71 करोड़ रुपए था और समूह व्यापार 2248.85 करोड़ रुपए था। निजी कंपनियों के मामले में, वे क्रमशः 5720.19 करोड़ रुपए और 1075.45 करोड़ रुपए थे। एलआईसी की बाजार में हिस्सेदारी कुल प्रीमियम संग्रह में 52.55 प्रतिशत थी और हस्ताक्षर की गई बीमा की संख्या में 63.88 प्रतिशत थी, पिछले वर्ष में सूचना के अनुसार क्रमशः 68.58 प्रतिशत और 76.87 प्रतिशत से कम थी। समूह योजना के अंतर्गत 56.13 लाख जीवन सुरक्षित थे जो पिछली अवधि में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्ज कर रही है। समूह योजना के अंतर्गत कुल जीवन की सुरक्षा में, एलआईसी ने 38.96 लाख के लिए अपनी योग्यता का परिचय दिया और निजी कंपनियों ने 12.77 लाख के लिए। जीवन बीमा कंपनियों ने सामाजिक क्षेत्र में 17.10 करोड़ रुपए के प्रीमियम के साथ 12.50 लाख जीवन को सुरक्षित किया और ग्रामीण क्षेत्र में 1275.78 करोड़ रुपए के प्रीमियम के साथ 13.53 लाख बीमों पर हस्ताक्षर किए।

(ii) गैर जीवन बीमा कंपनियाँ

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान, गैर जीवन बीमा कंपनियों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि में 7448.74 करोड़ रुपए का बीमा करने पर 17.85 प्रतिशत की वृद्धि की दर्ज कर रहे 8778.18 करोड़ रुपए के प्रीमियम किए हैं। निजी गैर जीवन बीमा कंपनियों ने पिछले वर्ष की इसी

तिमाही में 2892.89 करोड़ रुपए का बीमा करने की तुलना में 3541.78 करोड़ रुपए का प्रीमियम बीमा करते हुए 22.43 प्रतिशत की उच्च वृद्धि को देखा है। सरकारी गैर जीवन बीमा कंपनियों ने 2007-08 की पहली तिमाही में 14.94 प्रतिशत से उच्च, 5236.40 करोड़ रुपए का प्रीमियम बीमा किया। सार्वजनिक और निजी बीमा कंपनियों के बाजार में शेयर क्रमशः 59.65 और 40.35 प्रतिशत थे। ईसीजीसी ने 86.98 प्रतिशत की एक महत्वपूर्ण वृद्धि में परिणामस्वरूप पिछले वर्ष में 88.09 करोड़ रुपए की तुलना में 164.70 करोड़ रुपए का ऋण बीमा किया।

खंडवार, गैर जीवन बीमा कंपनियों ने आग, समुद्र, मोटर, स्वास्थ्य और विविध क्षेत्रों में क्रमशः 1208.15 करोड़ रुपए, 572.99 करोड़ रुपए, 3624.23 करोड़ रुपए, 1772.57 करोड़ रुपए और 1600.24 करोड़ रुपए के प्रीमियम बीमा किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 2007-08 के इसी तिमाही पर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में (49.67 प्रतिशत) सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। आग के क्षेत्र में इसी अवधि पर (-13.80 प्रतिशत) ऋणात्मक वृद्धि को देखा गया है।

पॉलिसियों की संख्या के संदर्भ में, आग और समुद्र ने एक वर्ष की अवधि पर (क्रमशः -5.14 प्रतिशत और -4.37 प्रतिशत) ऋणात्मक वृद्धि दर को दर्ज किया है। मोटर क्षेत्र में, सार्वजनिक गैर जीवन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम में बीमा कराई हुई पॉलिसियों की कम संख्या जारी करने के बावजूद (23.09 प्रतिशत) सकारात्मक वृद्धि दर को देखा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मोटर क्षेत्र में प्रीमियम बीमा 3624.23 करोड़ रुपए था, जो कुल बीमा में 41.29 प्रतिशत का योगदान कर रहा है। कुल मोटर प्रीमियम में सार्वजनिक और निजी जीवन बीमा कंपनियों द्वारा योगदान क्रमशः 2151.19 करोड़ रुपए (59.36 प्रतिशत) और 1473.04 करोड़ रुपए (40.64 प्रतिशत) था।

स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रीमियम संग्रह चालू वर्ष की पहली तिमाही में 1772.57 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कुल बीमा में 20.19 प्रतिशत का योगदान कर रहा है। इस तिमाही में जारी, पॉलिसियों की संख्या, पॉलिसियों की कुल संख्या में काम किए गए अनुपात के रूप में 12.20 प्रतिशत है। मोटर क्षेत्र की तरह रहे स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी गैर जीवन बीमा कंपनियों के शेयर, जो चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में क्रमशः 58.72 प्रतिशत (सार्वजनिक) और 41.28 प्रतिशत (निजी) स्थापित किया। पॉलिसियां जारी करने की संख्या के मामले में स्वास्थ्य क्षेत्र ने 12.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि 20 प्रतिशत के साथ सार्वजनिक गैर जीवन बीमा कंपनियों में तीव्रतर थी।

भाग I पॉलिसीयाँ एवं कार्यक्रम

अ. सामान्य आर्थिक वातावरण

भारत का बृहत् आर्थिक निष्पादन 2007-08 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के मान से 9 प्रतिशत के स्तर पर था। यह वृद्धि 2006-07 में 9.6 प्रतिशत तथा 2005-06 में 9.4 प्रतिशत से अधिक मानी गई। इस उच्च वृद्धि के साथ, 2003-2008 की अवधि के दौरान औसत वास्तविक जीन्डीणी वृद्धि 8.8 प्रतिशत आंकलित की गई, जो कि पिछले पांच वर्षों में 5.4 प्रतिशत के मुकाबले कहीं अधिक है। सेवा क्षेत्र दोहरे अंक स्तर की ओर निरंतर बढ़ रहा है, जो 2007-08 में 10.7 प्रतिशत है। जीन्डीणी वृद्धि 2006-07 में दर्ज की गई 3.8 प्रतिशत की अपेक्षा 2007-08 में 'कृषि क्षेत्र' से प्रारम्भ होकर 4.5 प्रतिशत पर थी। कृषि क्षेत्र की यह गति 2007-08 में 230.7 मिलीयन टन के रिकार्ड स्तर पर बढ़े हुए अनाज उत्पादन से देखी जा सकती है, जो 2006-07 में दर्ज किए गए 217.3 मिलीयन टन के मुकाबले अधिक है। 'औद्योगिक क्षेत्र' से हो रही वास्तविक जीन्डीणी वृद्धि, 2006-07 में आंकलित की गई 10.6 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में कम अर्थात् 8.1 प्रतिशत थी। यह गिरावट मुख्य तौर पर निर्माण कार्यों में 2006-07 में 12 प्रतिशत की वृद्धि से 2007-08 में 8.8 प्रतिशत की कमी के कारण हुई। जबकि 'विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति' क्षेत्र में सीमांत वृद्धि रही है, 'खनन तथा उत्खनन' क्षेत्र में कमी देखी गई। औद्योगिक क्षेत्र से हो रही जीन्डीणी में यह गिरावट औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) के सूचकांक के चलन में भी प्रतिबिम्बित हुई। आईआईपी के संदर्भ में, यह औद्योगिक वृद्धि, 2006-07 में 11.5 प्रतिशत से 2007-08 के दौरान 8.5 प्रतिशत तक संतुलित रही। निर्माण क्षेत्र ने कुल आईआईपी में 79.4 प्रतिशत के भार के साथ, 2007-08 में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की, जो 2006-07 में 12.5 प्रतिशत के मुकाबले काफी कम है। उपभोग-आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में, यह गिरावट समस्त क्षेत्रों में देखी गई। उपभोक्ता साधनों में और भी अधिक, जिसमें 2006-07 में 9.2 प्रतिशत के मुकाबले 2007-08 में 1 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

आधारभूत क्षेत्र जिसने 2006-07 के दौरान जोर पकड़ा था, 2007-08 के दौरान महत्वपूर्ण रूप से नीचे गिर गया। इस क्षेत्र ने, आईआईपी में 26.7 प्रतिशत के भार के साथ, 2006-07 के दौरान 9.3 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। आधारभूत क्षेत्र के कोयले को छोड़कर समस्त खण्डों ने 2007-08 में निम्नस्तीय वृद्धि दर्ज की। व्यावहारिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के अलावा भारत की औद्योगिक वृद्धि तथा निर्यात में बृहत् तथा लघु उपक्रमों (एमएसई)

की महत्वपूर्ण भूमिका जारी है। हाल ही के वर्षों में, एमएसई क्षेत्र ने समग्र औद्योगिक वृद्धि की तुलना में सुचारु रूप से उच्चतर वृद्धि दर्ज की है। एमएसई क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था में जोड़े गए सकल औद्योगिक मूल्यांकन में लगभग 40 प्रतिशत योगदान दिया है तथा कुल निर्मित निर्यातों के 47 प्रतिशत का लेखा-जोखा किया है।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किए गए पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार, सेवा क्षेत्र के लिए उत्पन्न वास्तविक जीडीपी वृद्धि 'वित्तीय, बीमा, वास्तविक संपदा एवं व्यापार क्षेत्र' तथा 'निर्माण' उप-क्षेत्र में गिरावट के कारण 2006-07 में 11.2 प्रतिशत से 2007-08 में 10.7 प्रतिशत तक संतुलित रही। वित्तीय, बीमा, वास्तविक संपदा तथा व्यापार सेवा' ने 2006-07 में 13.9 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। तथापि, वास्तविक जीन्डीणी में क्षेत्रों का अंश सीमांत रूप से 2006-07 में 14.3 प्रतिशत से 2007-08 में 14.7 प्रतिशत बढ़ा है। उप-क्षेत्रों से उत्पन्न हुए सकल घरेलू उत्पाद पर किया नवीनतम अनुमान 2006-07 के लिए उपलब्ध है। अनुमान के अनुसार, बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्रों ने 2005-06 में 6.12 प्रतिशत के मुकाबले 2006-07 में वास्तविक जीन्डीणी का 6.68 प्रतिशत एकषित किया है। इस उप-क्षेत्र ने 2006-07 में 19.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। जहाँ 'बैंकिंग' क्षेत्र ने 17 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई है, बीमा क्षेत्र ने 2005-06 से अधिक 2006-07 में 34.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। वास्तविक जीन्डीणी में बीमा क्षेत्र का अंश 2005-06 में 0.9 प्रतिशत से 2006-07 में 1.1 प्रतिशत बढ़ा।

बचत एवं पूंजी निर्माण

सीएसओ ने 2007-08 के लिए आर्थिक स्तर तथा क्षेत्रीय स्तर पर भी जीडीपी के लिए अनुमान जारी किए हैं। किन्तु बचत एवं पूंजी निर्माण के अनुमान एक वर्ष के विलंब से उपलब्ध हैं, जैसे सीएसओ द्वारा जारी नवीनतम अनुमान 2006-07 से संबंधित है। तथापि, घरेलू क्षेत्र की सकल वित्तीय बचत, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अनुमानित किया है, 2007-08 के लिए उपलब्ध है। यह समीक्षा 2006-07 के लिए बचत एवं पूंजी निर्माण तथा 2007-08 के लिए वित्तीय परिसम्पत्ति से संबंधित है।

निजी निगम क्षेत्र की बचतों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बचतों में वृद्धि के परिमाणस्वरूप चालू बाजार मूल्य पर जीडीपी के एक प्रतिशत के रूप में, सकल घरेलु बचत 2005-06 में 34.3 प्रतिशत से 2006-07 में 34.8 प्रतिशत बढ़ी है। जहाँ घरेलु क्षेत्र के लिए भौतिक परिसम्पत्ति के रूप में 12.5 प्रतिशत पर बचत दर में कोई परिवर्तन नहीं है, वहीं वित्तीय बचत के रूप में 2005-06 में 11.8 प्रतिशत से 2006-07 में 11.3 प्रतिशत की एक सीमांत कमी देखी गई है। इस तरह से घरेलु बचत दर 2005-06 में 24.2 प्रतिशत से 2006-07 में 23.7 प्रतिशत कम हुई है। निजी निगम क्षेत्र की बचत दर 2001-02 में 3.4 प्रतिशत से 2005-06 में 7.5 प्रतिशत तथा 2006-07 में इससे अधिक 7.8 प्रतिशत तक बढ़ी थी। गैर-विभागीय साथ ही साथ विभागीय उपक्रमों की उच्चतर बचतों के कारण, सार्वजनिक क्षेत्र की बचत 2005-06 में जीण्डीणीप के 2.6 प्रतिशत से और बेहतर होकर 2006-07 में 3.2 प्रतिशत हुई। जहाँ आर्थिक स्तर पर सकल घरेलु बचत 2006-07 में 5 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई, वहीं सकल घरेलु पूंजी निर्माण दर 2005-06 में 35.4 प्रतिशत से 2006-07 में 35.9 प्रतिशत 4 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई। शुद्ध पूंजी अंतर्वाह 2005-06 में 1.2 प्रतिशत से 2006-07 में 1.1 प्रतिशत की सीमांत कमी दर्ज की गई।

आरबीआई द्वारा जारी घरेलु वित्तीय बचतों के प्रारम्भिक अनुमानों ने बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में घरेलु अधिमान प्रतिबिम्बित करते हुए 2006-07 की तुलना में 2007-08 में घरेलु बचतों के प्रतिरूप में एक परिवर्तन दिखाया है। जीण्डीणीप की एक प्रतिशतता के रूप में, जहाँ 2007-08 में अंशों में मुद्रा एवं निवेशों के रूप में बचतें बढ़ी, बैंक जमाओं के रूप में बचतों में कमी आई। घरेलु क्षेत्र की सकल वित्तीय बचतों में मुद्रा के रूप में 11 प्रतिशत, जमाओं के रूप में 56.5 प्रतिशत सम्मिलित है। घरेलु बचतों में बीमा निधि का अंश बीमा के लिए घरेलु आवश्यकता तथा घरेलु क्षेत्र के विभिन्न भागों में प्रचलित नवीन उत्पादों की उपलब्धता को प्रतिबिम्बित करते हुए 2006-07 में 14.9 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 17.5 प्रतिशत हुआ है। जीवन बीमा निधि के रूप में बचत 2006-07 में 14.4 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 16.9 प्रतिशत हुई है, जो 2007-08 में यूलिप की सफलता के कारण हो सकती है। डाक बीमा में 2006-07 में 0.3 प्रतिशत से 2007-08 में सीमांत वृद्धि हुई है। म्युच्युअल फंड में निवेश में भी इसी प्रकार की वृद्धि देखी गई। उनका अंश 2006-07 में 5.2 प्रतिशत से 2007-08 में 7.7 प्रतिशत बढ़ा।

मूल्य अवस्थिति

मुद्रास्फीति 2007-08 के दौरान कई देशों में, मुख्य तौर पर उच्चतर खाद्य एवं ईंधन कीमतों के साथ-साथ मजबूत मांग परिस्थिति के कारण

स्थिर रही। उच्चस्तर तक पहुंची तेल की कीमतों में वृद्धि ने मुद्रास्फीति जोखिम तथा मांग-आपूर्ति असंतुलन पर चिंता उत्पन्न की है। इन परिस्थितियों ने भारत में भी मुद्रास्फीति स्तर पर प्रभाव डाला है। जैसा कि समग्र कीमत सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के चलन ने आंकलित किया है, मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले 5.9 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2008 अंत तक 7.7 प्रतिशत हो गई। प्राथमिक वस्तु समूह में खाद्य तथा अखाद्य दोनों ने 2007-08 के दौरान कुछ पदार्थों के निचले घरेलु उत्पादन के साथ-साथ स्थिर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को प्रतिबिम्बित करते हुए मुद्रास्फीति पर ऊपर की ओर दबाव बनाया। चावल और गेहूं की घरेलु उपलब्धता को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न आपूर्तिकारक उपायों में बढ़ी हुई मुद्रास्फीति का समावेश है। खाद्य पदार्थों में, चावल, गेहूं तथा दूध की कीमतें एक वर्ष पहले क्रमशः 5.7 प्रतिशत, 7.3 प्रतिशत तथा 8.4 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में वर्ष-दर-वर्ष पर क्रमशः 9.1 प्रतिशत, 5.1 प्रतिशत तथा 8.7 प्रतिशत बढ़ी है। अखाद्य प्राथमिक पदार्थों में, तेल बीज तथा कच्ची रूई की कीमतें पिछले एक वर्ष में क्रमशः 31.6 प्रतिशत तथा 21.9 प्रतिशत की वृद्धि से ऊपर क्रमशः 20.3 प्रतिशत तथा 14.0 प्रतिशत बढ़ी हैं। कुल मिलाकर, प्राथमिक पदार्थ की मुद्रास्फीति, वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर पिछले वर्ष 10.7 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2008 के अंत तक 9.7 प्रतिशत थी।

ईंधन समूह मुद्रास्फीति, जो जून-नवम्बर 2007 के दौरान ऋणात्मक थी, आधार प्रभाव के साथ-साथ नवम्बर 2006 तथा फरवरी 2008 में पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में कमी प्रतिबिम्बित कर रही थी, मध्य नवम्बर 2007 में धनात्मक होकर पिछले वर्ष के 1.0 प्रतिशत के मुकाबले 29 मार्च, 2008 में 6.8 प्रतिशत पर पहुंची। नवम्बर 2007 की शुरुआत में ईंधन समूह मुद्रास्फीति में हुई वृद्धि का कारण गैर-संचालित पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार वृद्धि के साथ-साथ पेट्रोल एवं डीजल की घरेलु कीमतों में बढ़ा संशोधन रहा। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल (भारतीय पीपी) की कीमतें फरवरी 2007 में 56.6 अमरिकी डॉलर प्रति बैरल से तकरीबन 75 प्रतिशत अधिक हो कर मार्च 2008 में 99.3 अमरिकी डॉलर प्रति बैरल हुई।

2007-08 के दौरान कुल मुद्रास्फीति का प्रमुख प्रेरक निर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति था। निर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले 6.1 प्रतिशत के मुकाबले मार्च 2008 के अंत में बढ़कर 7.3 प्रतिशत हो गई। प्राथमिक पदार्थों पर 28.2 प्रतिशत तथा ईंधन समूह पर 18.9 प्रतिशत के अनुसरण द्वारा 63.8 प्रतिशत के भार के साथ, निर्मित उत्पादों ने 29 मार्च, 2008 तक कुल मुद्रास्फीति में 52.8 प्रतिशत का योगदान दिया।

एक औसत आधार पर (52 सप्ताहों का औसत), थोक कीमत मुद्रास्फीति 2006-07 में 5.4 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में कम होकर 4.7 प्रतिशत थी। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत मुद्रास्फीति जनवरी 2008 तक डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति से अधिक थी। खाद्य पदार्थों में वृद्धि के साथ, कुछ हद तक यह अंतर कम हुआ। औद्योगिक कामगारों के लिए मार्च 2008 हेतु सीपीआई मुद्रास्फीति 7.9 प्रतिशत रही, जो मार्च 2007 में 6.7 प्रतिशत देखी गई थी। औसत आधार पर (12 महीनों का औसत) 2006-07 में 6.7 प्रतिशत के मुकाबले 2007-08 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति 6.2 आंकलित की गई।

घरेलु वित्तीय बाजार

वैश्विक वित्तीय बाजार, तरलता मांग में प्रवाह के कारण अशांत रहा जिसका कारण यूएस सब-प्राइम बंधक बाजार में हलचल थी। तथापि, भारत में इक्विटी बाजारों तथा मुद्रा बाजार में संक्षिप्त अवधि को छोड़कर वित्तीय बाजार अपेक्षाकृत अप्रभावित रहे। आरबीआई द्वारा किए गए पॉलिसीगत हस्तक्षेपों ने बाजारों को पुनः सामान्य करने में मदद की।

मुद्रा बाजार

पूंजी प्रवाह में तरलता तथा रिजर्व बैंक के साथ केन्द्र सरकार के नकदी शेष में बड़े परिवर्तनों के कारण तरलता की सामयिक अवधि को छोड़कर, मुद्रा बाजार 2007-08 में कुल मिलाकर व्यवस्थित रहा। आरबीआई द्वारा तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत किए गए पॉलिसीगत हस्तक्षेप से मुद्रा बाजार कुछ हद तक मजबूत हुआ तथा बाद में इस पॉलिसी के वापस लिए जाने से कॉल/सूचना दर को रेपो तथा प्रतिवर्ती रेपो दरों की सीमा में रहने की मदद मिली। कुल मिलाकर एक वर्ष बाद, कॉल दर का औसत 6.07 प्रतिशत रहा, जो 2006-07 की अपेक्षा 115 आधार अंक कम रहा। मुद्रा बाजार के सहवर्ती खण्ड में ब्याज दर - बाजार रेपो (एलएएफ से बाहर) तथा सहवर्ती उधार एवं उधारदाता आबंटन (सीबीएलओ) - कॉल दरों के साथ आगे-पीछे होता रहा। सहवर्ती बाजार 2007-08 के दौरान कुल राशि का 80 प्रतिशत रहते हुए अब भारत में मुद्रा बाजार का प्रधान खण्ड बन गया है। 2007-08 के दौरान, सीबीएलओ में ब्याज दरें 5.20 प्रतिशत, बाजार रेपो में 5.50 प्रतिशत तथा कॉल/सूचना मुद्रा बाजार में 6.07 प्रतिशत के औसत पर रहीं। एक वर्ष पहले तक उपरोक्त खण्डों के लिए ब्याज दरें क्रमशः 6.24 प्रतिशत, 6.34 प्रतिशत तथा 7.22 प्रतिशत थीं। उपरोक्त तीनों मुद्रा बाजार खण्डों की भारित औसत दर एक वर्ष पहले 6.57 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान 5.48 प्रतिशत आंकलित की गई। मुद्रा बाजार के अन्य खण्डों में, जमा प्रमाणकों (सीडी) के लिए भारित औसत छूट मार्च

2007 के अंत में 10.75 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2008 के अंत तक 10 प्रतिशत थी। वाणिज्यिक कागज बाजार में, भारित औसत छूट 31 मार्च, 2007 को 11.33 प्रतिशत तथा अक्टूबर 2007 के अंत तक 7.65 प्रतिशत से कम हो गई तथा 31 मार्च 2008 को 10.38 प्रतिशत पहुंच गई।

विदेशी विनिमय बाजार

भारतीय रुपए ने 2007-08 के दौरान 39.26 से 43.15 रुपए प्रति डॉलर की श्रेणी में सामान्यतः दोतरफा गति दर्शाई। वर्ष के शुरुआत में, घरेलु मुद्रा बाजार में कड़ी तरलता स्थितियों तथा बैंकों द्वारा अमरिकी डॉलर की बिक्री ने रुपए को इसका स्तर मार्च 2007 के अंत में 43.60 रुपए प्रति डॉलर से 29 मार्च 2007 तक 40.46 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंचा दिया। विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) बहिर्गमन, भारतीय इक्विटी बाजार में मंदी की स्थितियों तथा यूएस में उप-प्रधान बंधक संकट पर चिंता के परिणामस्वरूप भारतीय रुपया कम होकर अगस्त 2007 के प्रथम छमाही में 41.58 रुपए प्रति डॉलर हो गया। रुपए की विनिमय दर तत्पश्चात अधिक पूंजी बहिर्गमन, यूएस फेड द्वारा ब्याज दर में कटौती तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरिकी डॉलर की कमजोरी के कारण बढ़ी। अक्टूबर 2007 से जनवरी 2008 के दौरान रुपया 39.26 रुपए से 39.84 रुपए प्रति डॉलर की श्रेणी में पहुंच गया। फरवरी 2008 के आरंभ में, एफआईआई बहिर्गमन (कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों एवं तेल कंपनियों द्वारा डॉलर की भारी मांग) के कारण रुपया गिरना प्रारम्भ हो गया तथा मार्च 2008 के अंत तक यह 39.99 रुपए प्रति डॉलर था। मार्च 2007 के अंत तथा मार्च 2008 के अंत के बीच अमरिकी डॉलर की तुलना में रुपए की विनिमय दर 9.0 प्रतिशत बढ़ी।

इसी अवधि में, पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपया 7.6 प्रतिशत बढ़ा, जबकि यूरो की तुलना में यह 7.8 प्रतिशत तथा जापानी येन की तुलना में यह 7.6 प्रतिशत कम हुआ। नकद विदेशी विनिमय बाजार की पस्थितियों तथा घरेलु मुद्रा बाजारों में सामान्यतः सुखद तरल पस्थितियों ने 2007-08 के दौरान अमरिकी डॉलर पर अग्र प्रिमियम को कम रखा। वर्ष के दौरान पूंजी बहिर्गमन चालू लेखा घाटे की अपेक्षा महत्वपूर्ण रूप से अधिक रहा। 2007-08 के दौरान मुद्रा परिसम्पत्ति, स्वर्ण, एसडीआर तथा आईएमएफ के पास आंशिक निधि को सम्मिलित करते हुए भारत की विदेशी विनिमय निधि मार्च 2007 के अंत तक 199.2 बिलियन अमरिकी डॉलर की तुलना में मार्च 2008 के अंत तक 309.7 बिलियन अमरिकी डॉलर बढ़ी।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

2007-08 की प्रथम तिमाही के दौरान सरकारी प्रतिभूति बाजार में मुनाफा, वैश्विक झुकाव को प्रतिबिम्बित करते हुए तथा आरबीआई की कुछ पॉलिसीगत कार्रवाइयों के कारण भी कुछ हद तक बढ़ा। 11 जून, 2007 को 10 वर्षीय प्रतिभूति पर मुनाफा 8.32 प्रतिशत की भीतरी-वर्ष ऊंचाई पर पहुंच गया। तत्पश्चात सरल तरल परिस्थितियों से मुनाफा कम हुआ। अगस्त-दिसम्बर 2007 के दौरान तथा उसके बाद मुनाफा काफी श्रेणीबद्ध था। 10-वर्षीय मुनाफा, 2007-08 के दौरान 7.42-8.32 की श्रेणी में पहुंच गया। 31 मार्च, 2008 को, मुनाफा 7.93 प्रतिशत था, जो मार्च 2007 के अंत की तुलना में 4 आधार अंक कम था। 1-वर्षीय तथा 10-वर्षीय मुनाफों के बीच विस्तार मार्च 2007 के अंत में 42 आधार अंक से मार्च 2008 के अंत तक 45 आधार अंक था। लंबे अंत तक, 10-वर्षीय तथा 30-वर्षीय के बीच विस्तार मार्च 2007 के अंत तक 37 आधार अंक से मार्च 2008 के अंत तक 47 आधार अंक बढ़ा। 5-वर्षीय एएए-श्रेणित निगम बाण्डों का मुनाफा विस्तार 5-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर मार्च 2007 के अंत में 142 आधार अंक से मार्च 2008 के अंत में 161 आधार अंक बढ़ गया।

प्राथमिक बाजार

सार्वजनिक निर्गमों के द्वारा प्राथमिक बाजार से बढ़े संसाधन पिछले वर्ष से 158.5 प्रतिशत की ऊंची बढ़त रिकार्ड करते हुए 2006-07 के दौरान 32382 करोड़ से 2007-08 के दौरान 83707 करोड़ रुपए बढ़े। चूंकि बहुत से निर्गम 119 पर अपरिवर्तित रहे, सार्वजनिक निर्गमों का औसत आकार 2006-07 में 272 करोड़ रुपए से 2007-08 में 703 करोड़ रुपए बढ़ा। तीन ऋण निर्गमों को छोड़कर, 2007-08 के दौरान समस्त सार्वजनिक निर्गम इक्विटी के रूप में थे। 119 निर्गमों में से, 82 निर्गम आंशिक सार्वजनिक भेंट (आईपीओ) थे, जो कुल संसाधन संग्रहण के 47.7 प्रतिशत का आकलन थे। निजी स्थापन के द्वारा संसाधनों का संग्रहण 2006-07 में 145894 करोड़ रुपए पर 2007-08 के दौरान 45.7 प्रतिशत से 212568 करोड़ रुपए बढ़ा। भारतीय निगमों ने भी 2007-08 के दौरान अमेरिकन जमा प्राप्तियों (एडीआर) तथा वैश्विक जमा प्राप्तिायों से संसाधनों 26,556 करोड़ रुपए बढ़ाया। 2006-07 के दौरान यह संसाधन संग्रहण 17005 करोड़ रुपए था।

म्युच्युअल फंडों द्वारा संग्रहित शुद्ध संसाधन पिछले वर्ष में 93985 करोड़ रुपए से 2007-08 में 63.6 प्रतिशत से 1,53,802 करोड़ रुपए बढ़ा। म्युच्युअल फंडों द्वारा प्रबंधित शुद्ध परिसम्पत्तियाँ भी मार्च 2007 में 326292 करोड़ रुपए पर मार्च 2008 में महत्वपूर्ण रूप से 54.82 प्रतिशत से 505152 करोड़ रुपए बढ़ा। 2007-08 के दौरान म्युच्युअल फंडों द्वारा

निधियों के शुद्ध संग्रहण का लगभग 67.5 प्रतिशत, आय/ऋण बाजार-अभिमुखी योजनाओं के तहत था। वृद्धि-अभिमुखी योजनाओं ने 2007-08 के दौरान शुद्ध संसाधन संग्रहण के केवल 30.5 प्रतिशत का आकलन किया।

माध्यमिक बाजार

घरेलु स्टॉक बाजार में 2007-08 के दौरान लाभ सभी क्षेत्रों में फैल गया। अधिकतर क्षेत्रीय सूचकांकों ने मार्च 2007 के अंत तथा 8 जनवरी, 2008 के बीच अत्यधिक लाभ दर्ज किया किन्तु उसके बाद अत्यधिक नुकसान सहा। बीएसई संवेदी सूचकांक 8 जनवरी, 2008 को 20873 की सबसे अधिक ऊंचाई पर था। तदुपरांत घरेलु स्टॉक बाजार, यूएस में उप-प्रधान ऋण संकट के कठोर प्रभाव तथा इसके अन्य देशों के विभिन्न बाजार खण्डों में फैलने की चिन्ता के अत्यधिक तरलता का गवाह बना। आरंभिक सार्वजनिक भेंट (आईपीओ), एफआईआई द्वारा दीर्घकालीन पूंजी लाभ की भारी बिकवाली, कर में 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की वृद्धि, घरेलु मुद्रास्फीति दर में वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि तथा यूएस बाजार में एडीआर की कीमतों में कमी के परिणामस्वरूप माध्यमिक बाजार में बाजार संवेदना तरलता दबाव से प्रभावित हुई। बीएसई संवेदी सूचकांक मार्च 2007 के अंत पर 19 प्रतिशत का लाभ दर्ज करते हुए 31 मार्च,

2008 को 15644 पर बंद हुआ। बीएसई की बाजार पूंजी मार्च 2008 के अंत तक तीव्रता से 44.9 प्रतिशत से 5138015 करोड़ रुपए बढ़ी। जीण्डीण्पी अनुपात की बाजार पूंजी मार्च 2008 के अंत में 109.5 प्रतिशत गिर जाने से पहले, मार्च 2007 के अंत में 85.5 प्रतिशत से ऊपर 8 जनवरी, 2008 तक 156.7 प्रतिशत बढ़ी। बीएसई और एनएसई का 2007-08 के दौरान रोकड़ खण्ड में संयुक्त व्यवसाय 2006-07 की अपेक्षा 76.8 प्रतिशत अधिक था।

बाहरी क्षेत्र

माल व्यापार घाटा, मध्य 1990 तथा 2003-04 के बीच जीण्डीण्पी के 3-4 प्रतिशत के आसपास उतार-चढ़ाव के बाद अत्यधिक गैर-तैलीय आयातों, स्पष्टतः पूंजी माल तथा ऊंची कच्चे तेल कीमतों के कारण तीव्रता से 2006-07 में जीण्डीण्पी का 6.9 प्रतिशत, 2007-08 में जीण्डीण्पी का 7.7 प्रतिशत बढ़ा। तथापि 2007-08 के दौरान अदृश्य आधिक्य में समर्थित वृद्धि ने माल व्यापार घाटे की बढ़ोत्तरी के प्रभाव को सहारा देना जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप चालू लेखा घाटा, जीण्डीण्पी के समानुपात के रूप में 2007-08 में 105 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष

1.1 प्रतिशत की अपेक्षा अधिक था। अनुकूल घरेलू वित्तीय तथा आर्थिक परिस्थितियों, पूंजी खाते के और अधिक परिमोचन ने भारत की बढ़ती गति को बनाए रखा जिसके परिणामस्वरूप भारत में 2007-08 के दौरान पूंजी अन्तर्वाह का प्रवाह रहा। 108 बिलियन यूएस डॉलर पर शुद्ध पूंजी प्रवाह (अन्तर्वाह ऋण बहिर्गमन) ने 2007-08 में जीडीपी का 9.2 प्रतिशत रखा तथा यह 2006-07 की अपेक्षा 2.4 गुना अधिक था। भारत, चीन के बाद दूसरा सबसे स्वीकारात्मक एफडीआई गन्तव्य के रूप में उभरा। 2006-07 में 8.5 बिलियन डॉलर की तुलना में 2007-08 में शुद्ध एफडीआई प्रवाह की राशि 15.5 बिलियन यूएस डॉलर रही। अधिकतर एफडीआई प्रवाह इक्विटी के रूप में था जबकि पत्राधान प्रवाह में एफडीआई द्वारा किए गए निवेश सम्मिलित हैं। भारत ने 2006-07 के दौरान 1.8 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 2007-08 के दौरान 2.1 बिलियन यूएस डॉलर की बाहरी सहायता (शुद्ध) प्राप्त की। भारत ने अन्य देशों को अनुदान एवं ऋण के रूप में 451 मिलियन यूएस डॉलर का योगदान दिया, जिसमें भूटान, नेपाल और बांग्लादेश सबसे बड़े लाभार्थी हैं।

प्रथम तिमाही समीक्षा

2008 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी जारी है जो मुख्य रूप से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि के कारण है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, वैश्विक जीएडीपी 2007 में आशा है। यद्यपि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि प्रक्रिया में अभी तक कोई प्रभाव नहीं हुआ है, वैश्विक वित्तीय बाजार विक्रोम विकासशील देशों की वित्तीय प्रणाली तथा आर्थिक गतिविधि में असरकारक हो सकता है। भारत में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि अप्रैल-जून 2008 के दौरान कम होकर 5.2 प्रतिशत थी, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 10.3 प्रतिशत रिकार्ड की गई थी। यह मुख्य तौर पर निर्माण वृद्धि में एक वर्ष पहले 11.1 प्रतिशत से चालू वर्ष में 5.6 प्रतिशत की कमी के कारण थी। विद्युत क्षेत्र में वृद्धि एक वर्ष पहले 8.3 प्रतिशत की तुलना में 2 प्रतिशत थी। उपभोग-आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में, यह कमी सभी क्षेत्रों में देखी गई। पूंजी माल क्षेत्र ने अप्रैल-जून 2007 के दौरान 19.1 प्रतिशत से अप्रैल-जून 2008 के दौरान 6.5 प्रतिशत की सबसे कम वृद्धि रिकार्ड की। अप्रैल-जून 2008 के दौरान, सत अधोसंरचना उद्योग की वृद्धि एक वर्ष पहले 6.3 प्रतिशत की तुलना में 3.5 रखी गई। चालू वित्त वर्ष में 9 अगस्त, 2008 को कुल मुद्रास्फीति, संचालित पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को बढ़ाने हेतु समीक्षा, आधार धातु तथा प्राथमिक पदार्थों की कीमतों में आंतराधिक किन्तु तीव्र वृद्धि को प्रतिबिम्बित करते हुए 12.6 प्रतिशत पर स्थिर रही।

भारतीय वित्तीय बाजार अगस्त 2008 तक कुल मिलाकर व्यवस्थित रहा। मुद्रा बाजार में ऊतार-चढ़ाव की संक्षिप्त अवधियाँ देखी गईं। रात्रिकालीन मुद्रा बाजार के सहवर्ती खण्ड में ब्याज दरें कॉल दरों से कम रही। विदेशी विनिमय बाजार में भारतीय रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले कम हुआ। सरकारी प्रतिभूति बाजारों में मुनाफा घटा। भारतीय इक्विटी बाजार ऊंचे ऊतार-चढ़ाव के चलते संशोधन का गवाह बना। 2007-08 की प्रथम तिमाही में वाणिज्यिक निर्यात बढ़ा जबकि आयात में संतुलन देखा गया। पूंजी प्रवाह अस्थिर रहा तथा मुख्य तौर पर एफडीआई द्वारा किए गए बहिर्गमन के कारण 2008-09 के दौरान शुद्ध पूंजी अन्तर्वाह 2007-08 की सादृश्य अवधि की अपेक्षा कम रहा। 15 अगस्त, 2008 को, विदेशी विनिमय निधि मार्च 2008 के स्तर तक 13.5 बिलियन यूएस डॉलर से कम हुई। सभी तथ्यों पर विचार करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण, वैश्विक जोखिम के तहत घरेलू जोखिमों को बतलाते हुए संयोगिक है। औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि संतुलित रही तथा खाद्य पदार्थों की कीमतें पूरी तरह से कृषि उत्पादों पर निर्भर करती हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग, भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के जोखिम के साथ विकास के संतुलन की गवाह बनने की संभावना है।

ब. बीमा बाजार का मूल्यांकन

तालिका 1

मुख्य बाजार सूचक

भारत में जीवन एवं गैर-जीवन बाजार (कुल प्रीमियम)	2,29,175 करोड़ रुपए
वैश्विक बीमा बाजार	54.375 बिलियन यूएस डॉलर
कुल मुद्रास्फीति समायोजित वृद्धिभारत में प्रीमियम प्रीमियम में वृद्धि (विश्व)	4061 बिलियन यूएस डॉलर
2007-08 में अपलिखित नये व्यवसायियों के लिए भौगोलिक नियंत्रण	13.0 प्रतिशत(2006-07 में 35.0 प्रतिशत)
इक्विटी प्रतिबंध	जीवन : 5.4 प्रतिशत
पंजीयन प्रतिबंध	गैर जीवन : 0.7 प्रतिशत
स्रोत : स्विस री	कुछ नहीं
	विदेशी प्रवर्तक इक्विटी का
	26 प्रतिशत तक रख सकते हैं
	मिश्रित पंजीयन उपलब्ध नहीं
	'2006-07 में 40.334
	बिलियन यूएस डॉलर.

स्रोत : स्विस री

'2006-07 में 40.334 बिलियन यूएस डॉलर.

मार्च 2008 के अंत तक, भारत में अठारह जीवन बीमा कंपनियाँ कार्य कर रही थीं। तदुपरांत, ऐगॉन रेलिगैर जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड तथा डीएलएफ प्रामेरिका जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड को प्राधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र दिया गया। इन दोनों नई कंपनियों के साथ भारत में जीवन बीमा कंपनियों की कुल संख्या 21 तक पहुंच गई।

तालिका 2

भारत में पंजीकृत बीमाकर्ता

व्यापार का प्रकार	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
जीवन बीमा	1	20	21
साधारण बीमा	6	14	20
पुनर्बीमा	1	0	01
कुल	8	34	42

विशिष्ट बीमा कंपनियों - ईसीजीसी तथा एआईसी सहित

दो व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा कंपनियाँ - स्टार स्वास्थ्य एवं सहबद्ध बीमा कंपनी तथा अपोलो डीकेवी स्वास्थ्य बीमा कंपनी सहित

तालिका 3

31 मार्च, 2008 तक जीवन बीमा कार्यालय

बीमाकर्ता	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
निजी बीमाकर्ता	13	116	254	416	804	1645	3072	6391
एलआईसी	2186	2190	2191	2196	2197	2220	2301	2522
उद्योग कुल	2199	2306	2445	2612	3001	3865	5373	8913

नोट: 1) एक विशेष प्रपत्र के द्वारा जीवन बीमाकर्ताओं से एकत्रित आंकड़ें

2) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 वी सी के तहत परिभाषित कार्यालय

महत्वपूर्ण रूप से, अर्ध-शहरी तथा लघु स्थानों में निजी जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या 2007-08 में सम्मिलित होकर उच्चतम स्तर तक 140 प्रतिशत से अधिक 1908 से 4592 तक बढ़ी।

तालिका 4

31 मार्च, 2008 तक जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का वितरण

बीमाकर्ता	महानगर	शहरी	अर्धशहरी	अन्य	कुल
निजी	628	1169	2690	1902	6391
एलआईसी	311	468	848	895	2522
उद्योग कुल	939	1637	3540	2797	8913

नोट: 1) एक विशेष प्रपत्र के द्वारा जीवन बीमाकर्ताओं से एकत्रित आंकड़ें।

2) वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए स्थानों के एचआरए वर्गीकरण पर आधारित।

महानगर: दिल्ली, मुंबई, चैन्नई, कोलकाता, हैदराबाद तथा बेंगलोर।

शहरी: एचआरए वर्गीकरण के ए, बी-1, बी-2 वर्गीकृत शहर।

अर्धशहरी: एचआरए वर्गीकरण के सी वर्गीकृत शहर।

अन्य : एचआरए वर्गीकरण में सूचीबद्ध नहीं किए गए स्थान।

1) विश्व बीमा परिदृश्य

2007 में बृहत् आर्थिक वातावरण पूरे विश्व में खाद्य पदार्थों एवं ऊर्जा की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि से प्रेरित सीमांत धीमी आर्थिक वृद्धि तथा बढ़ती मुद्रास्फीति से प्रभावित रहा। मुख्य ब्याज दरों में विचलन रहा, किन्तु वे सामान्यतः कम रहीं। यद्यपि 2007 के अंत तक वे मजबूत थे, स्टॉक बाजार 2008 के आरंभ में गिर गए। इस तरह से पिछड़ने पर पूरे विश्व में बीमा प्रीमियम की राशि 2006 में 3723 बिलियन यूएस डॉलर की अपेक्षा 2007 में 4061 यूएस डॉलर आंकी गई। कुल प्रीमियम में से, जीवन बीमा प्रीमियम की राशि 2393 यूएस डॉलर आंकी गई तथा शेष राशि साधारण बीमा व्यापार द्वारा 1668 यूएस डॉलर आंकी गई। इस स्तर पर, कुल वैश्विक प्रीमियम 2006 में 5.0 प्रतिशत की तुलना में 2007 में सही मायनों में 3.3 प्रतिशत से बढ़ी।

जीवन बीमा प्रीमियम में वृद्धि लगभग 5.4 प्रतिशत थी। जहाँ औद्योगिक देशों में प्रीमियम 4.7 प्रतिशत बढ़ी, वहीं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में यह 13.1 प्रतिशत बढ़ी। औद्योगिक देशों में जीवन बीमा व्यापार का निरंतर विस्तार पेंशन तथा वार्षिकी उत्पादों के द्वारा हुआ, जो वृद्ध जनसंख्या तथा राज्य सामाजिक सुरक्षा लाभों में कमी से प्रेरित था। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के मामले में, मजबूत आर्थिक विकास, अपेक्षाकृत युवा जनसंख्या तथा बढ़ते हुए मध्यम वर्ग ने अत्यधिक बीमा बिक्री में अपना योगदान दिया। उभरते हुए बाजारों में, 2006 में 21.1 प्रतिशत के मुकाबले 2007 के दौरान जीवन बीमा में वृद्धि 13.1 प्रतिशत थी। जीवन बीमा व्यापार का लाभ अनेक देशों में बढ़ना जारी रहा क्योंकि कम ब्याज दर वातावरण दिखाने के लिए लागत में कटौती की गई, गारन्टीड ब्याज दरें घटा दी गई तथा लाभ हिस्सेदारी समायोजित कर ली गई थी।

वैश्विक गैर-जीवन व्यापार 2006 में 1.5 प्रतिशत के मुकाबले 2007 में 0.7 प्रतिशत बढ़ा। गैर-जीवन व्यापार में वैश्विक वृद्धि निष्पादन औद्योगिक देशों तथा उभरते हुए बाजारों में अलग-अलग रहा। जहाँ औद्योगिक देशों ने 0.3 प्रतिशत की एक नकारात्मक वृद्धि दिखाई, वहीं उभरते हुए बाजारों ने कुछ क्षेत्रों जैसे मोटर, तृतीय पक्ष दायित्व तथा स्वास्थ्य में मजबूत आर्थिक विकास तथा सुरक्षा-राशि की अनिवार्यता शुरू किए जाने के कारण गैर-जीवन बीमा व्यापार में 10.2 प्रतिशत की एक मुखर वृद्धि दिखाई पड़ी।

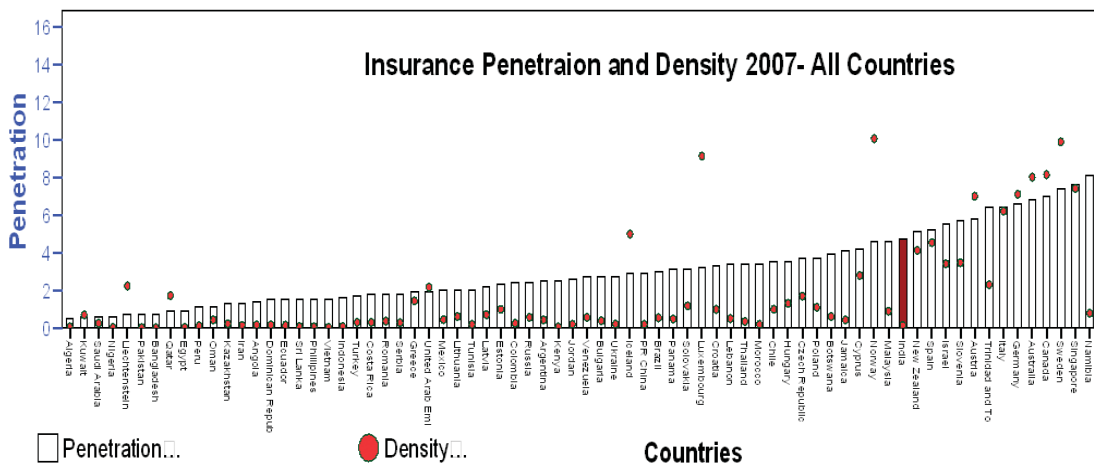
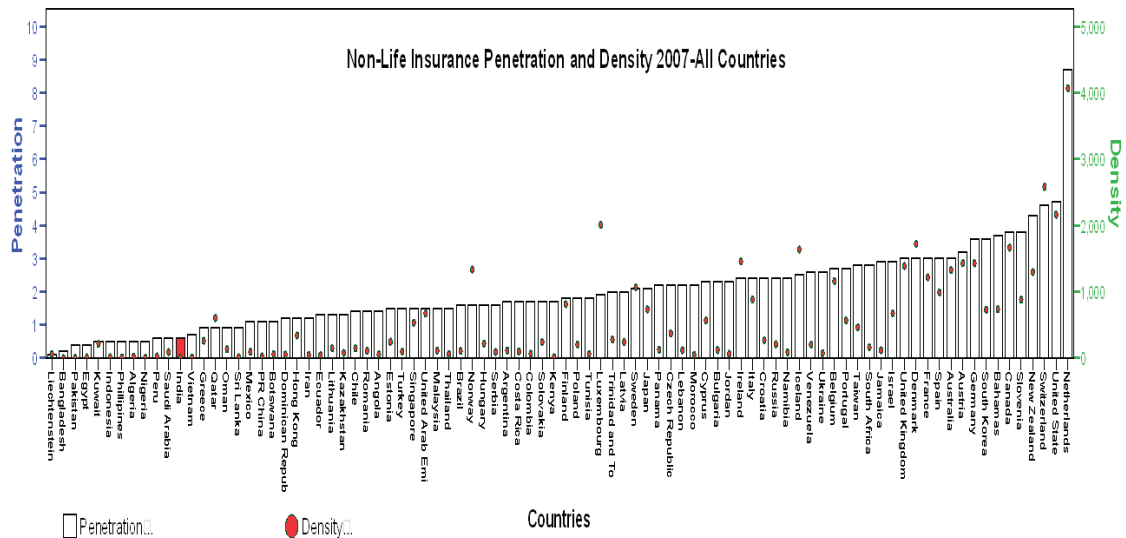
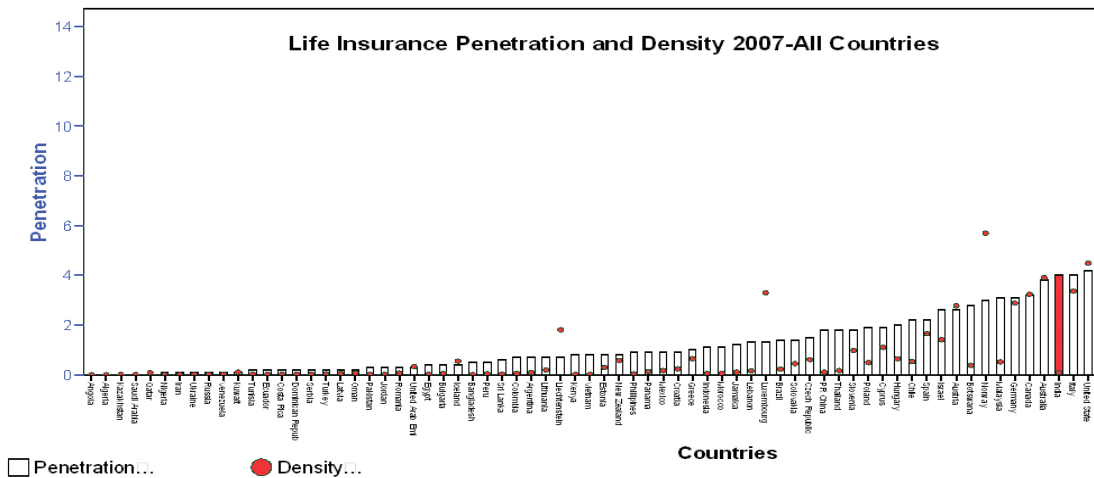
भारत और चीन ने दोनों जीवन तथा गैर-जीवन व्यापार में मजबूत निष्पादन दर्ज किया। चीन ने अपने जीवन-बीमा प्रीमियम

में 19 प्रतिशत तथा गैर-जीवन बीमा प्रीमियम में 20 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। मजबूत आर्थिक विकास, घरेलू प्रयोज्य आय में परिणामस्वरूप वृद्धि, अनावरित बाजारों में बीमा कंपनियों का प्रवेश, तथा अनिवार्य मोटर तृतीय-पक्ष दायित्व की शुरुआत, चीन के बीमा उद्योग के मजबूत निष्पादन हेतु ये सभी प्रमुख योगदान देने वाले कारक हैं।

भारत में जीवन बीमा व्यापार यूएस डॉलर के संदर्भ में 14.2 प्रतिशत बढ़ा, जिसमें गैर-जीवन बीमा व्यापार 5.6 प्रतिशत से बढ़ा। नए उत्पादों का आगमन तथा वितरण की प्रक्रियाओं तथा अनावरित बाजारों में निजी बीमा कंपनियों का प्रवेश, ये सभी प्रमुख योगदान देने वाले कारक हैं। तथापि, शुल्क में कमी तथा परिणामस्वरूप प्रीमियम दरों में कटौती के कारण गैर-जीवन व्यापार में बीमा कंपनियों का लाभ प्रभावित हुआ।

2008 के लिए वैश्विक दृष्टिकोण जीवन तथा गैर-जीवन बीमा व्यापार दोनों के लिए अशुभ रहा। जहाँ पूंजी एवं स्टॉक बाजार में अनिश्चितता के संचलन की संभावना है, इकाई-सम्बद्ध जीवन बीमा उत्पादों की मांग में कमी, आर्थिक गतिविधियों में शिथिलता से गैर-जीवन बाजार में प्रीमियम वृद्धि में कमी की आशा है। अतः शिथिल बाजार में दिए गैर-जीवन बीमा के लिए 2008 एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहेगा। दरों पर निहित दबाव तथा आर्थिक गतिविधियों में कमी से, गैर-जीवन बाजार में शीर्ष पर प्रीमियम वृद्धि स्थिर रहने की आशा है। औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में, प्रीमियमों में कमी आने की आशा है, जबकि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के धीमे रहने की आशा है। अपलिखित परिणामों (लाभ/हानि) के और बिगड़ने की आशा है। मुद्रास्फीति में एक मजबूत बढ़त का दायित्व बीमा के तकनीकी निधि तथा अन्य लंबे-परिणामों वाले व्यापार पर कठोर, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

मध्य अवधि में जीवन बीमा के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक रहा। चूंकि आर्थिक वातावरण तथा पूंजी बाजार मध्य अवधि में स्थिर रहने की आशा है, जीवन बीमा द्वारा अपने मजबूत निष्पादन को उसकी पुनर्वस्था में लाने की आशा है। औद्योगिक देशों में, पेंशन तथा वार्षिकी की बिक्री हेतु वृद्धावस्था प्रावधानों को जारी रखने की आवश्यकता है। बहुत से उभरते हुए बाजारों में, प्रमुख बाजार विस्तार की संभावना, जो उच्च प्रयोज्य आय तथा अपेक्षाकृत युवा जनसंख्या के साथ आगे-पीछे हो रही है, आने वाले वर्षों में बचत तथा सुरक्षा उत्पादों दोनों की बिक्री के प्रेरक रहेंगे।



11) भारतीय बीमा उद्योग

भारत जैसे देश जिसमें एक बड़ी जनसंख्या तथा असीमित संभावना है बीमा एक बड़ा अवसर है। बड़ी जनसंख्या तथा असीमित बाजार के साथ, बीमा भारत में एक बड़ा अवसर है। जीवन बीमा व्यापार (प्रथम वर्ष की प्रीमियम के मान से) ने 2007-08 में 23.88 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है (2006-07 में 94.96 प्रतिशत थी)। साधारण बीमा व्यापार (सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम) ने 2007-08 में 11.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है (2006-07 में 3.52 प्रतिशत थी)। इसके परिणामस्वरूप देश में बीमा प्रवेश बढ़ रहा है। बीमा प्रवेश अथवा प्रीमियम राशि जीडीपी के एक समानुपात के रूप में, 2007 के लिए जीवन बीमा हेतु 4.00 प्रतिशत तथा गैर-जीवन बीमा के लिए 0.60 प्रतिशत रहा। प्रवेश का स्तर, स्पष्ट रूप से जीवन बीमा में, आय स्तर में वृद्धि के रूप में अग्रसर है। भारत, इसके बड़े मध्यम वर्ग परिवार के साथ बीमा उद्योग के लिए वृद्धि संभावना प्रदर्शित कर चुका है। कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बाजार की संतृप्ति ने भारतीय बाजार को वैश्विक बीमा प्रधानों के लिए और अधिक आकर्षक बना दिया है। भारत में बीमा बाजार जीवन तथा गैर-जीवन खण्डों में, बड़ी संख्या में वैश्विक बीमाकर्ताओं के प्रवेश को मिलाते हुए एक गतिशील परिवर्तन का गवाह बना है।

अधिकतर निजी बीमा कंपनियों की वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त विदेशी कंपनियों से साथ संयुक्त भागीदारी है। पिछले आठ वर्षों में, उपभोक्ता जागरूकता बढ़ी है। प्रतिस्पर्धा ने और अधिक नए उत्पाद तथा उत्तम ग्राहक सेवा दी है। इससे अर्थव्यवस्था पर इस क्षेत्र में आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में एक सकारात्मक प्रभाव हुआ है।

1) जीवन बीमा

मार्च 2008 के अंत तक जीवन बीमाकर्ताओं की कुल पूंजी 12296.42 करोड़ रुपए थी। 2007-08 के दौरान वर्तमान निजी बीमाकर्ताओं द्वारा जो अतिरिक्त पूंजी लाई गई वह 3787.01 करोड़ रुपए थी तथा दो नए प्रवेशकर्ताओं द्वारा लाई गई इक्विटी राशि 385 करोड़ रुपए थी जिससे 2007-08 में निजी बीमाकर्ताओं द्वारा लाई गई अतिरिक्त पूंजी का कुल योग 4172.01 करोड़ रुपए हो गया। इसमें घरेलू तथा विदेशी संयुक्त भागीदारों ने क्रमशः 3160.12 करोड़ रुपए तथा 1011.88 करोड़ रुपए और जोड़े।

तालिका 5

प्रदत्त पूंजी : जीवन बीमाकर्ता

(रुपए करोड़ में)

बीमाकर्ता	31 मार्च 2007	2007-08 के दौरान वृद्धि	31 मार्च, 2008
एलआईसी	5.00	0.00	5.00
निजी क्षेत्र	8119.41	4172.01	12291.42
कुल	8124.41	4172.01	12296.42

एलआईसी के मामले में जिसकी पूंजी 5 करोड़ रुपए थी, पूंजी की कोई संयोजन नहीं रहा।

उत्पादों में नवीनता

बीमा उद्योग में वृद्धि बीमाकर्ताओं द्वारा उत्पादों में नवीनता, अनेक वितरण माध्यमों जिन्हें प्रचार माध्यमों से जोड़ दिया गया तथा प्रवर्तक अभियानों के द्वारा प्रेरित रही। नवीनता न केवल उत्पादों से जुड़े लाभों के रूप में सामने आई, बल्कि वित्तीय सेवा के अंदर तथा बाहर के क्षेत्र दोनों बहुत से बाजार संयोजन के द्वारा सुपुर्दगी तंत्र से भी आए। इन सभी प्रयासों ने जीवन बीमा को ग्राहक के बहुत करीब लाकर इसे और अधिक प्रासंगिक बना दिया। बीमा कंपनियाँ बीमा सुरक्षा द्वारा जीवन के रक्षा के संदेश के साथ तेजी से अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का सीमांकन कर रही हैं। बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण बाजारों को उद्देश्य बनाते हुए विशेष उत्पादों का भी परिचय कराया है।

यूलिप उत्पादों की संरचना कई संभावनाओं को संबोधित तथा अभिभूत करती है जिन्हें पूर्व में ग्राहक अपना चुके हों जैसे तरलता, लचीलापन तथा पारदर्शिता। यूलिप संगठित उत्पाद हैं जो पॉलिसीधारक को विकल्प देते हैं। प्राधिकारी न्यूनतम सुनिश्चित राशि का उल्लेख, प्रीमियम भुगतान के लिए न्यूनतम अवधि का उल्लेख तथा कई अन्य आवश्यकताओं एनएवी की गणना को शामिल करते हुए इकाई सम्बद्ध उत्पादों के लिए दिशा-निर्देश बनाते हैं। यूलिप दिशा-निर्देशों के साथ, लगने वाले शुल्क तथा संबंधित जोखिम में और अधिक पारदर्शिता आ जाती है। निधिवार शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य (एनएवी) तथा पत्राधान नियतन नियमित आधार पर बताए जाते हैं।

बढ़ी हुई इस प्रतिस्पर्धा का सबसे महत्वपूर्ण असर पूर्ण सुरक्षा योजनाओं की दरों में कमी के रूप में हुआ। पिछले सात वर्षों में, दरों की समीक्षा कर उन्हें कम किया गया, तथा यह इस क्षेत्र के आरंभ होने के पहले की व्याप्त दरों के मुकाबले काफी कम है।

जीवन बीमा बाजार की प्रतिस्पर्धा पॉलिसीधारकों के लिए लाभकारी बन गई है। साथ ही साथ, बामा उद्योग अपनी अपलिखित तथा जोखिम प्रबंधन योग्यताओं को विकसित कर सुधार रहा है। अवधि 1 दरों में कमी पॉलिसी में सुनिश्चित की जाने वाली राशि का स्तर बढ़ाने में सहायक हुई है। सुरक्षा के इस उच्च स्तर यह अर्थ है कि ग्राहक जोखिम को कम करने की आवश्यकता के प्रति अधिक अभिज्ञ है। तथापि, विकसित देशों तथा अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सुनिश्चित की गई राशि के स्तर देने के साथ, बीमाकृत व्यक्तियों के बीच भी अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता को जोड़ने की अभी और गुंजाइश है।

जीवन बीमा कंपनियाँ भी संरचित रिटायरमेंट योजना हेतु बड़ी आवश्यकता को पहचानने में तत्पर रही हैं तथा उन्होंने इस खण्ड को बनाने में दीर्घकालिक फंड प्रबंधन हेतु अपनी योग्यताएँ दिखाई है। पेंशन को एक आवश्यकता के रूप में पहचान मिली है तथा यह देश में विकास तथा यह जीवन बीमाकर्ता के पत्राधान के महत्वपूर्ण भाग को बनाने के लिए एक अवसर प्रदान करती है। अभी हाल ही में, निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने दीर्घकालिक मृत्यु-संख्या तथा रूग्णता में उनकी योग्यताओं के साथ वार्षिकी को प्रस्तुत किया है।

समूह बीमा व्यापार में भी वृद्धि प्रभावशाली रही है। अधिवर्षिता तथा उपदान व्यापार भी पेशेवर फंड-प्रबंधन की मजबूती से बढ़ा है तथा मूल्य-वर्धित सेवा का परपोषी है। नवीनीकरण हेतु इतने अवसर देते हुए, भारत में जीवन बीमा क्षेत्र से भविष्य में नई प्रीमियम की विकास गति को बनाए रखने की आशा है।

नई पॉलिसियाँ

इस उद्योग द्वारा 2006-07 के दौरान 461.52 लाख के मुकाबले 2007-08 में 10.23 प्रतिशत की वृद्धि दिखाते हुए खरीदी गई नई पॉलिसियों की संख्या 508.74 लाख थी। जहाँ निजी बीमाकर्ताओं ने 67.40 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की, (पिछले वर्ष 104.64 प्रतिशत), वहीं एलआईसी ने 2006-07 में 21.01 प्रतिशत के मुकाबले 1.61 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दिखाई।

तालिका 6

जारी की गई नई पॉलिसियाँ : जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	2006-07	2007-08
एलआईसी	38229292	37612599
	:21%01द	:1%61द
निजी क्षेत्र	7922274	13261558
	:104%64द	:67%40द
कुल	46151566	50874157

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें वृद्धि दर दिखाते हैं (प्रतिशत में)।

निजी बीमाकर्ताओं तथा एलआईसी की बाजार हिस्सेदारी, बेची गई पॉलिसियों की संख्या के मान से, 2006-07 में क्रमशः 17.17 प्रतिशत तथा 82.83 प्रतिशत के मुकाबले क्रमशः 26.07 प्रतिशत तथा 73.93 प्रतिशत थी।

प्रीमियम

जीवन बीमा उद्योग ने पिछले वित्तीय वर्ष में 156075.85 करोड़ रुपए के मुकाबले 2007-08 के दौरान 29.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 201351.41 करोड़ रुपए प्रीमियम की आय रिकार्ड की। 2007-08 में नियमित प्रीमियम, एकल प्रीमियम तथा नवीनीकरण प्रीमियम क्रमशः 54888.16 करोड़ रुपए (27.26 प्रतिशत), 38824.36 करोड़ रुपए (19.28 प्रतिशत) तथा 107638.89 करोड़ रुपए (53.46 प्रतिशत) थी। यदि याद करें कि 2000-01 में, जब इस उद्योग की शुरुआत हुई थी, जीवन बीमा प्रीमियम 34,898.48 करोड़ रुपए थी जिसमें नियमित प्रीमियम के 6966.95 करोड़ रुपए (19.96 प्रतिशत), एकल प्रीमियम के 2740.45 करोड़ रुपए (7.86 प्रतिशत) तथा नवीनीकरण प्रीमियम के 25191.07 करोड़ रुपए (72.18 प्रतिशत) शामिल थे।

पहले वर्ष की प्रीमियम राशि (एकल प्रीमियम तथा नियमित प्रीमियम को मिला कर) 2006-07 में 75649.21 करोड़ रुपए के मुकाबले 2007-08 में 93712.52 करोड़ रुपए आंकी गई जिसने 2006-07 में 94.96 प्रतिशत के मुकाबले 2007-08 में 23.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 2006-07 की अधिक वृद्धि पर 2007-08 में पहले वर्ष की प्रीमियम वृद्धि यूनिट लिंकड उत्पादों की लगातार लोकप्रियता के कारण रही। यह देखा गया कि एलआईसी ने 2006-07 से अपने बाजार कौशल को यूनिट लिंकड उत्पादों के समर्थन स्थानांतरित कर दिया यद्यपि एलआईसी का प्रदर्शन 2007-08 में कम हुआ है। जहाँ उद्योग स्तर पर, एलआईसी द्वारा बीमित प्रीमियम में कमी के चलते एक वृद्धि रही है, वहीं 2006-07 के मुकाबले 2007-08 में वृद्धि स्तर कम हुआ है। एलआईसी ने एक प्रीमियम वैयक्तिक पॉलिसियों में 24.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है तथा गैर-एकल प्रीमियम वैयक्तिक पॉलिसियों में 6.48 प्रतिशत की कमी हुई है। एलआईसी ने समूह एकल प्रीमियम में 9.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। इनके मुकाबले, निजी बीमा कंपनियों ने वैयक्तिक एकल तथा गैर-एकल पॉलिसियों में क्रमशः 39.45 प्रतिशत तथा 69.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। निजी बीमाकर्ताओं द्वारा समूह एकल तथा गैर-एकल खण्डों में बीमित पॉलिसियों की संख्या में वृद्धि क्रमशः 54 तथा 1 प्रतिशत दर्ज की गई। 2007-08 में पहले वर्ष की प्रीमियम तथा नवीनीकरण प्रीमियम के हिस्सों का कुल प्रीमियम में स्थानांतरण होना देखा गया। 2007-08 में नवीनीकरण प्रीमियम की राशि कुल बीमित प्रीमियम की 53.46 प्रतिशत आंकलित की गई, जो 2006-07 में 51.53 प्रतिशत के मुकाबले कुछ अधिक है।

जीवन बीमा व्यापार में प्रवाह – यूनिट लिंकड योजनाएँ

यह बहुत पुरानी बात नहीं है जब किसी सम्भाव्य घटना तथा वित्तीय उद्देश्य हेतु बचत करने के लिए किसी व्यक्ति का बीमा हेतु अच्छे पुराने एंडोमेंट योजना को चुना जाता था। पारम्परिक एंडोमेंट पॉलिसियाँ अपनी निधि पूंजी की सुरक्षा बतौर मुख्य रूप से स्थाई ब्याज, सरकारी प्रतिभूतियों ता अन्य सुरक्षित निवेशों में लगा रही थीं। इस तरह से परम्परागत जोर हमेशा से मुनाफे की अपेक्षा पूंजी की सुरक्षा पर रहा। तथापि, समूचे विश्व में मुद्रास्फीति का प्रवाह दिखने से यह महसूस किया गया कि जीवन बीमा के द्वारा बचत अनाकर्षित होती जा रही थी तथा पालिसीधारकों की आकांक्षा के अनुरूप नहीं हो पा रही थी।

पालिसीधारकों ने यह पाया कि परिपक्वता के समय सुनिश्चित की गई राशि का मूल्य रूपए के मूल्य में कमी के कारण सही मायनों में घट जाता है। निवेशक जीवन बीमा के तहत दी जाने वाली पूंजी की सुरक्षा से संतुष्ट नहीं थे तथा उन्होंने अपने निवेश पर वापसी की ऊंची दर तथा पूंजी बढ़ाने हेतु अपनी इच्छा दिखाई। इसलिए, बीमा कंपनियों के लिए यह आवश्यक हो गया कि एक तरीके के बारे में विचार किए जाए जिसके द्वारा पालिसीधारकों की अपेक्षाओं को संतुष्ट किया जा सके। इसका उद्देश्य बीमा करार के द्वारा उन्हें मुद्रास्फीति के प्रति एक सुरक्षा प्रदान करने का था। सुरक्षित रिटर्न एंडोमेंट में कमी तथा बीमा क्षेत्र के आरंभ से घरेलु बीमा परिदृश्य में यूलिप का आगमन हुआ। आज, भारतीय जीवन बीमा बाजार यूनिट लिंकड योजना के कारण बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।

यूलिप तथा इसकी विशेषताएँ

यूनिट लिंकड प्लान (यूलिप) ऐसी योजनाएँ हैं जो निवेश तथा बीमा दोनों के लाभों को सम्मिलित करती हैं। वे निवेशकों को उनकी प्रीमियम के एक भाग को विभिन्न निवेश पत्राधान में लगाने का एक विकल्प देती हैं तथा उनके द्वारा चुनी गई निधि के निष्पादन के आधार पर उसका लाभ देती हैं। यूलिप को एक सही समय पर लांच किया गया था जब स्टॉक बाजार थोड़ा गिर गया था। बाजार-सम्बद्ध होने से, वे स्टॉक बाजार में दीर्घकालिक उत्थान के मुख्य लाभार्थी हैं।

यूलिप ने उनके द्वारा दी जाने वाली आकर्षक विशेषताओं के कारण उच्च स्वीकार्यता पाई है।

1. लचीलापन
 1. सुनिश्चित राशि को चुनने हेतु लचीलापन।
 2. प्रीमियम राशि को चुनने हेतु लचीलापन।
 3. योजना प्रारंभ होने के पश्चात भी प्रीमियम की राशि परिवर्तित कर सकते हैं (टॉप अप सुविधा)।
 4. निधियों के परिवर्तन के द्वारा परिसम्पत्ति नियतन हेतु लचीलापन।
2. पारदर्शिता
 1. योजना एवं शुद्ध राशि में बदलाव की जानकारी ग्राहक को दी जाती है।
 2. दैनिक आधार पर किसी व्यक्ति के निवेश निष्पादन को जानने की सुविधा।
3. तरलता
 1. कुछ वर्ष बाद रुपया निकालने का विकल्प (संकट के समय आराम की आवश्यकता)।
 2. न्यूनतम अवधि में कमी।
 3. आंशिक/सुव्यवस्थित आहरण की अनुमति।
4. निधि विकल्प
 1. निधि का विकल्प (इक्विटी, ऋण, रोकड़ अथवा सबका सम्मिलन की श्रेणी में से)।
 2. ऐच्छिक परिसम्पत्ति नियतन के आधार पर निधि मिश्र चुनने का विकल्प।

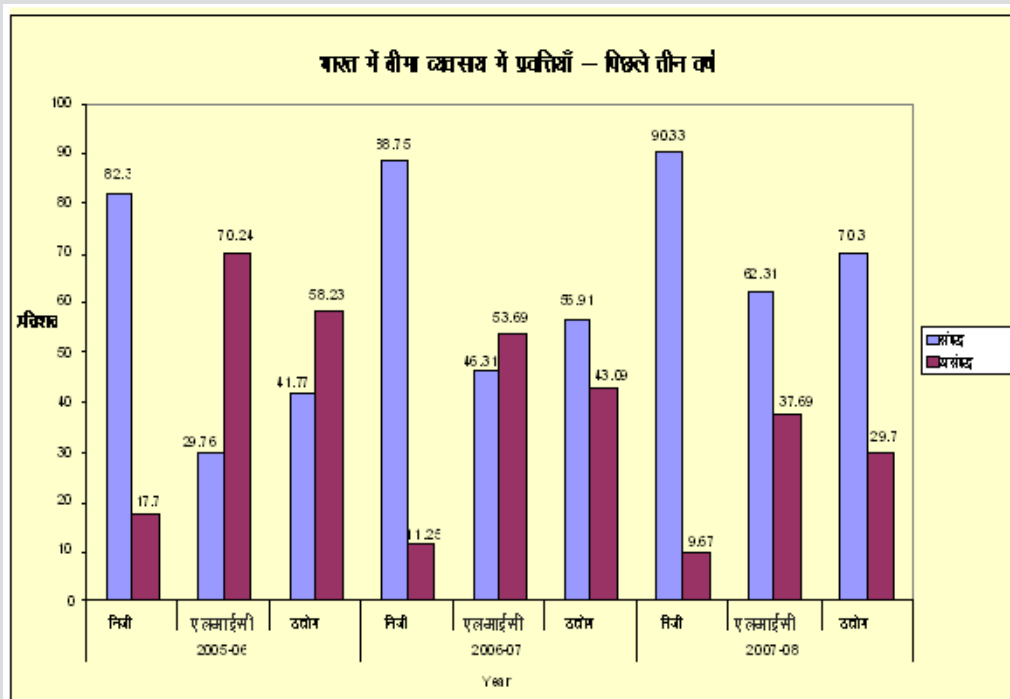
पराम्परागत रूप से, एंडोमेंट योजनाएँ सरकारी प्रतिभूतियों, निगम बांडों तथा मुद्रा बाजार में निवेश की गई। तथापि यूलिप अनेक विकल्प रखता है। वे कहीं भी जैसे स्टॉक, सरकारी प्रतिभूतियों, निगम बांडों तथा मुद्रा बाजार दस्तावेज में निवेश करते हैं। इस प्रकार, यूलिप में कई विकल्प होते हैं जिसमें इक्विटी निवेश रखे जाते हैं। यूलिप में जो सामान्य प्रकार के फण्ड उपलब्ध हैं, वे बॉन्ड फंड, प्रोटेक्टर फंड, सुरक्षित फंड, बेलेंसड फंड, ग्रोथ फंड, इंडेक्स कोष तथा वृद्धकारक कोष हैं। किसी व्यक्ति की जोखिम आकांक्षा पर निर्भर करते हुए वह व्यक्ति कोष का चयन कर सकता है। तथापि निवेश जोखिम निवेशकर्ता द्वारा वहन किए जाते हैं।

बीमा कंपनियों के लिए नियमित आधार पर विभिन्न यूलिप में एनएवी की घोषणा करना आवश्यक होता है। एनएवी की गतिविधि 1 पॉलिसीधारक को उसके निवेश के निष्पादन का मूल्यांकन करने में सहायक होती है तथा तदनुसार वह परिवर्तन, आहरण तथा टॉप-अप के रूप में हस्तक्षेप करता है।

बीमा क्षेत्र का आरंभ होने के बाद, यूनिट लिंकड बीमा पॉलिसियाँ (यूलिप्स) को बड़े स्तर पर लोकप्रियता मिली है। पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण करने से इकाई सम्बद्ध व्यापार की वृद्धि बानगी ज्ञात होती है।

जीवन बीमा व्यवसाय में प्रवृत्तियाँ – यूनिट लिंकड बीमा योजनाएँ

	यूनिट लिंकड व्यापार (प्रतिशत)			असम्बद्ध व्यापार (प्रतिशत)		
	2005.06	2006.07	2007.08	2005.06	2006.07	2007.08
निजी	82.30	88.75	90.33	17.70	11.25	9.67
एलआईसी	29.76	46.31	62.31	70.24	53.69	37.69
उद्योग	41.77	56.91	70.30	58.23	43.09	29.70



जैसा कि व्यापार आँकड़ों तथा उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, यह यूनिट लिंकड व्यापार ही है, जो पिछले 2-3 वर्षों से प्रीमियम के विकास का प्रेरक है। जहाँ निजी बीमाकर्ताओं ने इस खण्ड में बढ़त बनाई है, वहीं एलआईसी ने भी पिछले तीन वर्षों में यूलिप की बिक्री में मजबूती दिखाई है। यूलिप की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद भी यह एक तथ्य है कि पॉलिसीधारक वितरकों द्वारा दी गई सलाह पर ही अत्यधिक भरोसा करते हैं। पॉलिसियों की जटिल संरचना के कारण उन्हें उत्पादों की विशेषताओं की अधिक जानकारी नहीं हो पाती है तथा अभिकर्ताओं द्वारा गुमराह किए जाने की संभावना अधिक होती है। ग्राहकों का हित सुरक्षित करने हेतु, आईआरडीए ने निम्नलिखित पहल की है:

- 2005 में व्यापक यूलिप दिशा-निर्देशों का प्रकाशन जिसमें न्यूनतम जोखिम कवर, तीन वर्षीय लॉक-इन, सरल भाषा का उपयोग, उचित प्रकटन, एनएवी का मूल्यांकन करने की मानक पद्धति।
- बीमाकर्ताओं को जीवन बीमा परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार रिटर्न प्रक्षेपण।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करना, आईआरडीए ने बीमाकर्ताओं को निर्देश दिए हैं वे प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पालिसी के लिए अलग से उन सभी प्रभारों जिन्हें पॉलिसीधारक को निवेश हेतु उपलब्ध राशि के साथ वहन करना होता है, की सूची लगाए।
- आईआरडीए ने यह भी वर्णन किया है कि पॉलिसीधारक को एक प्रलेख पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसमें यह लिखा होगा कि उन्होंने बिक्री के पहले पॉलिसी की सभी शर्तों को समझ लिया है।
- ग्राहक यदि पॉलिसी की शर्तों से संतुष्ट नहीं है, तो वह 15 दिवसीय मुत लॉक अवधि का उपयोग कर सकता है।
- यूनिट लिंकड उत्पादों में से जटिलता हो हटाने हेतु आईआरडीए ने बीमाकर्ताओं को यह सलाह दी है कि वे कुछ बीमाकिक निधि युलिप के पहलुओं को बनाए।

वैश्विक स्तर पर, यूनिट लिंकड उत्पादों को ग्राहकों को लचीलेपन तथा निवेश विकल्प तथा कंपनियों को पूंजी कार्यकुशलता प्रदान करने को दृष्टिगत रखकर आकर्षण के रूप में देखा गया है। 2001 में बाजार ढहने के बाद, ग्राहकों ने यूनिट लिंकड उत्पादों में और अधिक सुरक्षा एवं गारंटी देखना शुरू किया। यूनिट लिंकड उत्पादों में गारंटी जोड़ना यूरोप, उत्तरी अमेरिका एवं जापान में आम बात है। यूनिट लिंकड बाजार यद्यपि एशिया में नया है, तथापि वह कोरिया, ताईवान तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया जैसे देशों में तेजी से बढ़ रहा है। परिवर्तनशील वार्षिकी उत्पाद इन बाजारों में धीमी गति से उभर रहे हैं तथा ग्राहकों के दृष्टिकोण से वे अतिआकर्षक हैं, विशेषकर जब जब वे पेंशन बचत पर गारंटी प्रदान करते हों।

भारत में, यूनिट लिंकड प्लान (यूलिप) तथा म्युच्युअल फंडों की उपयुक्तता पर लंबे समय से चल रहा विवाद निवेशकों की आवश्यकताओं को भली-भांति समझकर उचित तरीके से निपटाया जा सकता है। म्युच्युअल फंड मध्यम अवधि उत्पादों के लिए अनिवार्य रूप से कम है। यूलिप्स को, इसके विपरीत, दीर्घावधि उत्पादों के रूप में पहचान मिली है जिसमें जीवन सुरक्षा का एक तत्व भी है। यह समझना प्रासंगिक है कि भारतीय परिवारों का पूंजी बाजारों की ओर प्रभाव सीमित है। एक निवेशक के लिए उसके वित्तीय लक्ष्य तथा निवेश का क्षेत्र समझना महत्वपूर्ण है जिससे कि वह एक सूचनाबद्ध निवेश निर्णय ले सकता है।

तालिका 7

जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा बीमित प्रीमियम

(रुपए करोड़ में)

बीमाकर्ता	2006-07	2007-08
	नियमित प्रीमियम	
एलआईसी	29886-35 (117.70)	26222-00 (-12.26)
निजी क्षेत्र	15474-83 (105.59)	28666-15 (85.24)
कुल	45361-17 (113.40)	54888-16 (21.00)
	एकल प्रीमियम	
एलआईसी	26337-22 (78.10)	33774-56 (28.24)
निजी क्षेत्र	3950-82 (44.04)	5049-80 (27.82)
कुल	30288-04 (72.60)	38824-36 (28.18)
	पहले वर्ष की प्रीमियम	
एलआईसी	56223-56 (97.17)	59996-57 (6.71)
निजी क्षेत्र	19425-65 (89.08)	33715-95 (73.56)
कुल	75649-21 (94.96)	93712-52 (23.88)
	नवीनीकरण प्रीमियम	
एलआईसी	71599-28 (14.97)	89793-42 (25.41)
निजी क्षेत्र	8827-36 (83.37)	17845-47 (102.16)
कुल	80426-64 (19.87)	107638-89 (33.83)
	कुल प्रीमियम	
एलआईसी	127822-84 (40.79)	149789-99 (17.19)
निजी क्षेत्र	28253-01 (87.31)	51561-42 (82.50)
कुल	156075-86 (47.38)	201351-41 (29.01)

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वृद्धि दिखाते हैं (प्रतिशत में)

जीवन बीमा बाजार का आकार अर्थव्यवस्था में वृद्धि की मजबूती तथा प्रति व्यक्ति आय में सहगामी वृद्धि के कारण बढ़ गया। इसके परिणामस्वरूप 2007-08 में एलआईसी (17.19 प्रतिशत) तथा निजी बीमाकर्ताओं (82.50 प्रतिशत) दोनों की कुल प्रीमियम में अनुकूल वृद्धि रही। निजी बीमाकर्ताओं ने उनकी बाजार हिस्सेदारी वर्ष के दौरान संग्रहित की गई कुल प्रीमियम में से 2006-07 में 18.10 प्रतिशत से 2007-08 में 25.61 प्रतिशत बढ़ाई।

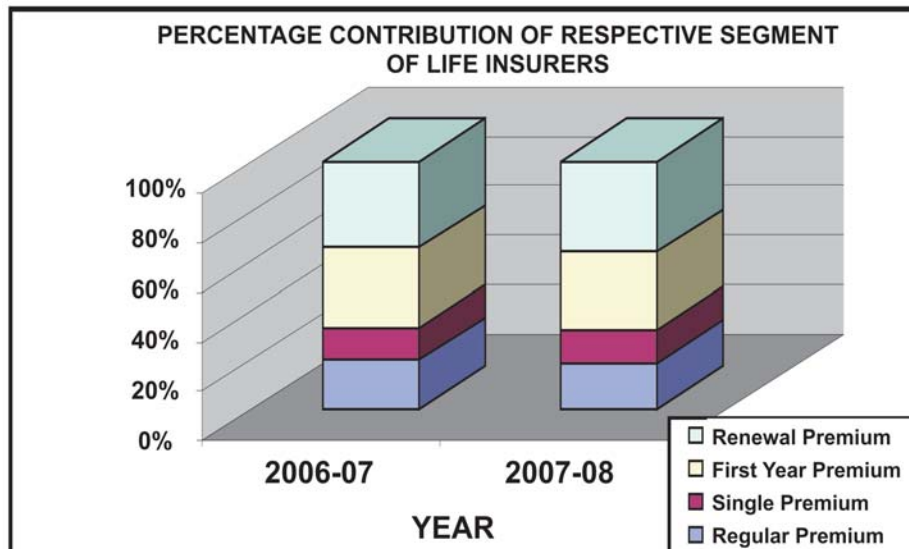
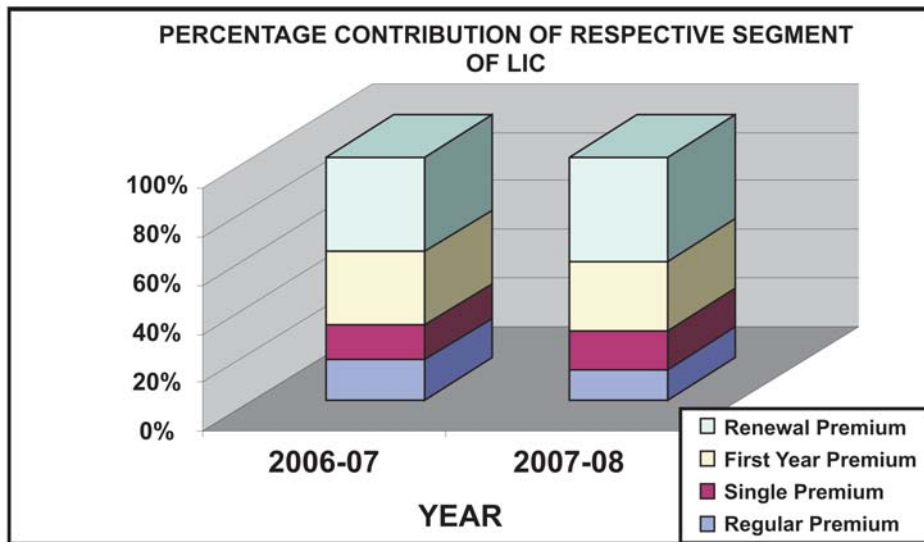
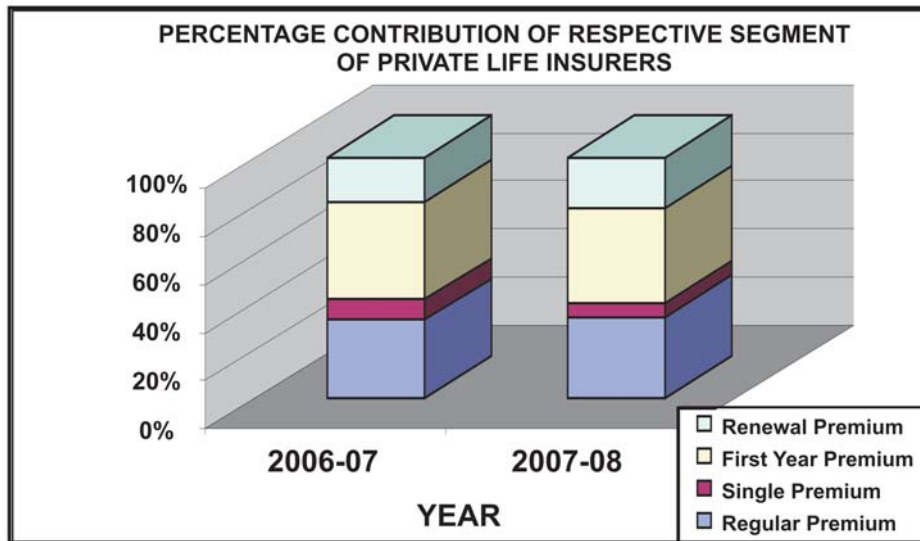
2007-08 के दौरान पहले वर्ष की बीमित प्रीमियम का पृथक्करण संकेत देता है कि बीमित प्रीमियम में से जीवन, वार्षिकी, पेंशन तथा स्वास्थ्य ने पिछले वर्ष क्रमशः 67.40, 2.62, 29.94 तथा 0.04 प्रतिशत के मुकाबले क्रमशः 59.54, 2.75, 37.61 तथा 0.10 प्रतिशत योगदान दिया। पेंशन उत्पादों के समर्थन में स्थानांतरण लगातार तीसरे वर्ष भी दिखाई देता है।

नवीनीकरण प्रीमियम में वृद्धि बीमाकर्ताओं द्वारा बीमित व्यापार की गुणवत्ता का एक अच्छा मापक है। इससे दृढ़ता समानुपात में वृद्धि का पता चलता है तथा यह बीमाकर्ताओं को व्यापार करने के लिए कुल लागत में कमी करने में समर्थ बनाती है। जीवन बीमा उद्योग द्वारा बीमित नवीनीकरण प्रीमियम 2006-07 में 19.87 प्रतिशत के मुकाबले 2007-08 के दौरान 33.83 प्रतिशत बढ़ी। समीक्षागत वर्ष के दौरान निजी बीमाकर्ताओं और एलआईसी ने क्रमशः 102.16 प्रतिशत तथा 25.41 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की।

तालिका 8

जीवन बीमा की बाजार हिस्सेदारी (प्रतिशत)

बीमाकर्ता	2006-07	2007-08
	नियमित प्रीमियम	
एलआईसी	65.89	47.77
निजी क्षेत्र	34.11	52.23
कुल	100.00	100.00
	एकल प्रीमियम	
एलआईसी	86.96	86.99
निजी क्षेत्र	13.04	13.01
कुल	100.00	100.00
	पहले वर्ष की प्रीमियम	
एलआईसी	74.32	64.02
निजी क्षेत्र	25.68	35.98
कुल	100.00	100.00
	नवीनीकरण प्रीमियम	
एलआईसी	89.02	83.42
निजी क्षेत्र	10.98	16.58
कुल	100.00	100.00
	कुल प्रीमियम	
एलआईसी	81.90	74.39
निजी क्षेत्र	18.10	25.61
कुल	100.00	100.00



पहले वर्ष की प्रीमियम का सम्बद्ध एवं गैर-सम्बद्ध घटक में पृथक्करण (बीमित प्रीमियम के मासिक आंकड़ों पर आधारित) से सम्बद्ध उत्पादों की ओर समेकन का पता चलता है, जिसमें 2006-07 में 42911.86 करोड़ रुपए के मुकाबले 2007-08 में बीमित प्रीमियम 70059.52 करोड़ रुपए है, जिसकी 63.26 प्रतिशत की वृद्धि है। गैर-सम्बद्ध प्रीमियम 2006-07 में 32494.66 करोड़ रुपए के मुकाबले 22929.19 करोड़ रुपए थी, अर्थात् इसमें 29.44 प्रतिशत की एक ऋणात्मक वृद्धि थी। सम्बद्ध तथा गैर-सम्बद्ध व्यापार 2006-07 में क्रमशः 56.91 तथा 43.09 प्रतिशत के मुकाबले

2007-08 में कुल व्यापार का क्रमशः 75.34 तथा 24.66 प्रतिशत आंकलित किया गया। 2007-08 की प्रथम छमाही में देश में सम्बद्ध उत्पादों हेतु समर्थन के प्रति निरंतर परिवर्तन स्टॉक बाजार के सतत सकारात्मक निष्पादन के साथ सम्पाती किया गया। एलआईसी के मामले में, पहले वर्ष की प्रीमियम का 65.84 प्रतिशत सम्बद्ध उत्पादों से था जबकि गैर-सम्बद्ध उत्पादों ने 34.16 प्रतिशत (2006-07 में क्रमशः 46.31 तथा 53.69 प्रतिशत) का योगदान दिया। निजी बीमाकर्ताओं के मामले में, ये अनुपात 2006-07 में क्रमशः 87.34 तथा 12.66 प्रतिशत के मुकाबले 2007-08 में 91.97 तथा 8.03 प्रतिशत थे। यूनिट लिंक्ड उत्पादों ने पिछले चार वर्षों में ग्राहकों की इन उत्पादों के प्रति रुचि दिखाई है तथा जीवन बीमाकर्ताओं ने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पहचाना है तथा वे यूलिप उत्पादों की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

जीवन बीमाकर्ताओं के व्यय

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 बी यह उल्लेख करती है कि कोई भी बीमाकर्ता भारत में संचालित किए जाने वाले जीवन बीमा व्यापार में प्रबंधन के व्यय निर्धारित सीमा से अधिक खर्च नहीं करेगा। प्रबंधन के व्यय में सभी प्रकार के कमीशनों का भुगतान तथा संचालन व्यय शामिल है। बीमा नियम, 1939 आगे निर्धारित सीमा के निर्धारण का उल्लेख करते हैं। जीवन बीमाकर्ताओं के लिए प्रमुख व्यय शीर्ष, मध्यस्थों को किया गया कमीशन का भुगतान है। 16.25 प्रतिशत (2006-07 में 16.59 प्रतिशत) के उद्योग औसत के मुकाबले, एलआईसी ने पहले वर्ष की प्रीमियम के कमीशन (एकल प्रीमियम को छोड़कर) पर 17.01 प्रतिशत (2006-07 में 16.03 प्रतिशत) का व्यय अनुपात खर्च किया। निजी बीमाकर्ताओं के लिए यह अनुपात 15.56 प्रतिशत (2006-07 में 17.68 प्रतिशत) आंकलित किया गया। एलआईसी द्वारा एकल प्रीमियम हेतु भुगतान किया गया कमीशन, उद्योग औसत के 1.43 प्रतिशत के मुकाबले 1.49 प्रतिशत था। निजी बीमाकर्ताओं के लिए सादृश्य अनुपात का औसत 1.0 प्रतिशत था। जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा 2006-07 (तालिका 9) में 12258.99 करोड़ रुपए के

मुकाबले 2007-08 में भुगतान किए गए कुल कमीशन 14704.30 करोड़ रुपए आंकी गई। यह देखा गया कि जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा नए व्यापार की उपलब्धता हेतु भुगतान किया गया कमीशन इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हुए पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा।

निजी बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय 2006-07 में स्थिर रहे। 2007-08 में, छः कम्पनियाँ भारती एक्सा, अविवा, आईएलजी वैश्य, रिलायंस तथा नए प्रवेशकर्ताओं – यूचर जनरली, तथा आईडीबीआई फोर्टीस निर्धारित सीमा को पार कर गए। 18 कंपनियों में से जिन्होंने 2007-08 के दौरान व्यापार बीमित किया, 12 कंपनियों ने प्रबंधन के व्ययों की सीमा का पालन किया। तथापि, भारती एक्सा जिसने 2006-07 में व्यापार प्रारंभ किया वर्ष 2007-08 में निर्धारित सीमा को पार कर गई। यूचर जनरली, आईडीबीआई फोर्टीस तथा भारती एक्सा के मामले में, आधिक्य जीवन बीमा उद्योग के मानदण्डों की सीमा के अंदर था। एलआईसी के मामले में, प्रबंधन का व्यय, अनुमति सीमाओं के अंदर रहना जारी रहा।

तालिका 9

जीवन बीमाकर्ताओं के कमीशन व्यय

(रुपए करोड़ में)

बीमाकर्ता	2006-07	2007-08
	नियमित	
एलआईसी	4789.74	4459.48
निजी क्षेत्र	2735.70	4460.49
कुल	7525.43	8919.97
	एकल प्रीमियम	
एलआईसी	414.05	504.33
निजी क्षेत्र	42.51	50.65
कुल	456.57	554.98
	प्रथम वर्ष	
एलआईसी	5203.79	4963.81
निजी क्षेत्र	2778.21	4511.15
कुल	7982.00	9474.95
	नवीनीकरण	
एलआईसी	3969.79	4650.89
निजी क्षेत्र	307.19	578.46
कुल	4276.99	5229.35
	कुल	
एलआईसी	9173.58	9614.69
निजी क्षेत्र	3085.40	5089.61
कुल	12258.99	14704.30

निजी बीमाकर्ताओं के प्रमुख व्यय शीर्षों में कर्मचारियों पर किए जाने वाले व्यय 39.08 प्रतिशत (2006-07 में 37.93 प्रतिशत), विज्ञापन तथा प्रचार पर 8.92 प्रतिशत (2006-07 में 8.89 प्रतिशत), प्रशिक्षण व्यय (अभिकर्ताओं के प्रशिक्षण तथा परिसंवाद को मिलाकर) पर 5.96 प्रतिशत (2006-07 में 6.92 प्रतिशत) हैं। कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा कल्याण परिलाभों की राशि एलआईसी के संचालन व्ययों का पिछले वर्ष 57.49 प्रतिशत के मुकाबले 2007-08 में 60.75 प्रतिशत आंकी गई।

तालिका 10
कमीशन व्यय अनुपात

		(प्रतिशत में)
बीमाकर्ता	2006-07	2007-08
नियमित		
एलआईसी	16.03	17.01
निजी क्षेत्र	17.68	15.56
कुल	16.59	16.25
एकल प्रीमियम		
एलआईसी	1.57	1.49
निजी क्षेत्र	1.08	1.00
कुल	1.51	1.43
प्रथम वर्ष		
एलआईसी	9.26	8.27
निजी क्षेत्र	14.30	13.38
कुल	10.55	10.11
नवीनीकरण		
एलआईसी	5.54	5.18
निजी क्षेत्र	3.48	3.24
कुल	5.32	4.86
कुल		
एलआईसी	7.18	6.42
निजी क्षेत्र	10.92	9.87
कुल	7.85	7.30

नोट: कमीशन व्यय अनुपात कमीशन व्यय तथा जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा बीमित प्रीमियम के बीच का अनुपात है।

चूंकि निजी बीमाकर्ताओं की संगठनात्मक संरचना एलआईसी की तुलना में कमजोर है उनका औसत 2006-07 में 48.11 प्रतिशत के मुकाबले 47.93 प्रतिशत आंका गया। एलआईसी के विज्ञापन एवं प्रचार व्यय कुल संचालन व्ययों के 2.44 (2006-07 में 3.03 प्रतिशत) प्रतिशत आंके गए। एलआईसी के प्रशिक्षण व्यय कुल संचालन व्ययों के 1.73 प्रतिशत (2006-07 में 1.93 प्रतिशत) आंके गए।

तालिका 11
जीवन बीमाकर्ताओं के संचालन व्यय

		(रुपए करोड़ में)
बीमाकर्ता	2006-07	2007-08
एलआईसी	7085.84	8309.32
निजी क्षेत्र	6500.01	12032.46
कुल	13585.85	20341.78

निजी बीमाकर्ताओं के सकल बीमित प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में संचालन व्यय 23.34 प्रतिशत आंके गए, जो 2006-07 में करीब-करीब समान ही थे। एलआईसी के मामले में, संचालन व्ययों ने 2007-08 में 2006-07 के समान ही सकल बीमित प्रीमियम का 5.55 प्रतिशत योगदान दिया।

तालिका 12
जीवन बीमाकर्ताओं के संचालन व्यय

		(रुपए करोड़ में)
बीमाकर्ता	2006-07	2007-08
एलआईसी	5.54	5.55
निजी क्षेत्र	23.01	23.34
कुल	8.70	10.10

नोट: संचालन व्यय अनुपात संचालन व्यय तथा जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा बीमित प्रीमियम के बीच का अनुपात है।

जीवन बीमा कंपनियों का औसत 2006-07 में 8.70 प्रतिशत के मुकाबले 2007-08 में 10.10 प्रतिशत आंका गया। तथापि, यह मानकर कि कंपनी का विस्तार हो रहा है तथा कंपनी ने उसके कार्यालय नेटवर्क को बढ़ाने की अनुमति मांगी है, यह आशा की जा सकती है कि चालू वर्ष 2008-09 में खर्चों की अधिकता रहेगी, यह विशेषकर इस उद्योग में नए प्रवेशकर्ताओं को प्रभावित करेगा।

प्रदत्त लाभ

जीवन उद्योग ने सकल बीमित प्रीमियम का 30.68 प्रतिशत (2006-07 में 35.73 प्रतिशत) बनाते हुए 2007-08 में 61780.02 करोड़ रुपए (2006-07 में 55765.35 करोड़ रुपए) के सकल लाभों का भुगतान किया। निजी बीमाकर्ताओं द्वारा बीमित प्रीमियम का 10.11 प्रतिशत (2006-07 में 8.73 प्रतिशत) बनाते हुए भुगतान किए गए लाभों में 5212.24

करोड़ रुपए (2006-07 में 2466.94 करोड़ रुपए) पर 111.28 प्रतिशत की बढ़त देखी गई। जीवन उद्योग ने बीमित प्रीमियम का 37.76 प्रतिशत बनाते हुए 2007-08 में 56567.78 करोड़ रुपए के लाभों का भुगतान किया (कुल बीमित

प्रीमियम का 41.70 प्रतिशत बनाते हुए 2006-07 में 53298.41 करोड़ रुपए)। निजी बीमाकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए पुनर्बीमा के शुद्ध लाभ 61687.77 करोड़ रुपए (2006-07 में 55715.01 करोड़ रुपए) थे। समर्पण/आहरण की मद में भुगतान किए गए लाभों में एक महत्वपूर्ण रही, जो 2006-07 में 17690.32 करोड़ रुपए के मुकाबले 21677.25 करोड़ रुपए आंकी गई। यूलिप उत्पादों के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि निर्धारित करने के साथ, बीमित प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में समर्पण, भविष्य में नीचे आने की संभावना है।

निवेश आय

चूंकि जीवन बीमाकर्ताओं के संचालन स्थिर रहते हैं, उनके निवेश आधार दृढ़ होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप निवेश आय उनकी कुल आय का एक बड़ा अनुपात बन रही है। एलआईसी के मामले में, पूंजी लाभों को मिलाकर निवेश आय 2007-08 में 56595.06 करोड़ रुपए थी जो कि 2006-07 में 46784.71 करोड़ रुपए की तुलना में अधिक थी। कुल आय के प्रतिशत के रूप में, यह कम होकर 2006-07 में 36.60 प्रतिशत से 2007-08 में 37.78 प्रतिशत बढ़ गई। निजी बीमाकर्ताओं की निवेश आय, पूंजी लाभों को मिलाकर, 2006-07 में 2478.48 करोड़ रुपए के मुकाबले 2007-08 में 6602.62 करोड़ रुपए थी। निजी बीमाकर्ताओं की कुल आय में निवेश आय की हिस्सेदारी 2007-08 में बढ़कर 23.37 प्रतिशत (2006-07 में 4.81 प्रतिशत) हो गई। कंपनियों ने अपने निवेशों पर मुनाफे में भी एक बढ़त दर्ज की है। यह उद्योग अभी भी स्थिरता की प्रक्रिया में है तथा अतिरिक्त शेयर पूंजी के बावजूद, इसे समेकन स्तर तक पहुंचने में समय लगेगा।

जीवन बीमाकर्ताओं के लाभ

जीवन बीमा उद्योग पूंजी तीव्र है, तथा बीमाकर्ताओं को प्रीमियम आय में वृद्धि पाने हेतु नियमित अंतराल में अपनी पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है। प्रथम वर्ष में देय कमीशन की ऊंची दर, संचालन को स्थापित करने के व्यय, ऐजेंसी बल को विकसित करने में प्रशिक्षण की लागत, अपने उत्पादों के लिए अच्छे बाजार का निर्माण, स्थायित्व के संतुलित स्तर को प्राप्त करना, पॉलिसी उत्तरदायित्वों को प्रदान करना, तथा ऋण देने की सीमा बनाए रखने के कारण बीमाकर्ताओं के लिए उनके संचालन के प्रारंभिक सात से दस वर्षों में लाभ कमाना कठिन होता है। 2007-08 में, निजी क्षेत्र की कंपनियों में से चार ने शुद्ध लाभ दर्ज किया। एसबीआई जीवन बीमा कंपनी ऐसी पहली कंपनी थी, जिसने 2005-06 में 2.02 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया। इसने 2006-07 में 3.83 करोड़ रुपए का उच्चशुद्ध लाभ तथा इसे 34.38 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ स्तर तक और बढ़ा लिया। इस कंपनी ने अपने भारतीय हिस्सेदार भारतीय स्टेट बैंक के बड़े नेटवर्क के कारण संचालन की मद में लागत कम होने के कारण भी शीघ्र सफलता दर्ज की। तथापि, बीमाकर्ता के राजस्व खाते में अभी भी घाटा दर्ज होना जारी है। तथापि, कुछ खण्डों जैसे गैर-सहभागी व्यक्ति, रिटायरमेंट से अलग समूह तथा वार्षिकी ने 2007-08 में आधिक्य अर्जित किया। श्रीराम लाईफ, जिसने फरवरी, 2006 में कार्य करना आरंभ किया, ने भी इसके संचालन के लगातार तीसरे वर्ष भी शुद्ध लाभ दर्ज किया। तथापि, इसने 2006-07 में 9.50 करोड़ रुपए के मुकाबले 2007-08 में 5.58 करोड़ रुपए का कम शुद्ध दर्ज किया। कुल 184.16 करोड़ रुपए की बीमित प्रीमियम के साथ, कंपनी का संचालन अभी भी महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ना शेष है। 2007-08 में, मेटलाईफ ने 2006-07 में 11.96 करोड़ रुपए के मुकाबले कमशः 21.25 करोड़ रुपए तथा 3.34 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया। इस कंपनी ने राजस्व खाते में 488 करोड़ रुपए का घाटा सहते हुए लाभ दर्ज किया। सहारा लाईफ ने 2006-07 में 51.44 लाख रुपए की शुद्ध हानि के मुकाबले 2007-08 में 3.34 करोड़ रुपए का पहला शुद्ध लाभ दर्ज किया। इस कंपनी ने गैर-सहभागी व्यक्ति टर्म तथा पेंशन खण्ड में आधिक्य दर्ज किया, यद्यपि यह केवल छोटे स्तर पर था।

सभी निजी बीमा कंपनियों ने 2007-08 में अपने-अपने राजस्व खातों में घाटा दर्ज किया। इनमें से कुछ कंपनियों ने 2006-07 में अपने व्यापार के कुछ खण्डों में आधिक्य दर्ज किया। राजस्व खातों में घाटे ने अंशधारियों द्वारा (श्रीराम लाईफ को छोड़कर) और पूंजी लगाने की आवश्यकता प्रकट की।

2007-08 के दौरान बीमाकर्ताओं ने पॉलिसीधारकों के खाते (राजस्व खाते) में घाटा दर्ज करने के बावजूद भी बोनस की घोषणा करना जारी रखा। यह ध्यान देने योग्य है कि 2003-04

में, बाजार में अपनी कंपनी की साख को बनाए रखने के लिए बोनस घोषण करने हेतु नए बीमाकर्ताओं की आवश्यकता को पहचानते हुए, वास्तविक आधिक्य की अनु-उपलब्धता के बावजूद भी प्राधिकरण ने बोनस की घोषणा करने की अनुमति इस शर्त पर दी कि वे प्राधिकरण द्वारा लागू की गई शर्तों का अनुपालन करें। यह छूट अब संचालन की शुरुआत से सात वर्ष की अवधि तक बढ़ा दी गई है।

अंशधारियों को वापसी

मैटलाईफ को छोड़कर, सभी बीमाकर्ताओं ने पॉलिसीधारकों के खाते में घाटे को कम करने हेतु अंशधारियों के खाते से पॉलिसीधारकों के खाते में फंड स्थानांतरित किया ताकि पॉलिसीधारक के खाते में घाटे के मामले में बोनस की घोषणा करने हेतु प्राधिकरण की शर्तों का पालन हो सके।

तालिका 13

प्रदत्त लाभांश : जीवन बीमाकर्ता
(रुपए करोड़ में)

बीमाकर्ता	2006-07	2007-08
एलआईसी	757.81	829.59
निजी क्षेत्र	—	—
कुल	757.81	829.59

एलआईसी ने 2007-08 में पॉलिसीधारकों के खाते (राजस्व खाते) में आधिक्य दर्ज करना जारी रखा। उपरोक्त खाते में आधिक्य, अंतरिम बोनस हेतु समायोजित किया गया तथा 2006-07 में 757.81 करोड़ रुपए के मुकाबले पॉलिसीधारकों को बोनस का नियतन

829.59 करोड़ रुपए था। एलआईसी ने भारत सरकार के खाते में एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए 829.59 करोड़ रुपए (2006-07 में 757.81 करोड़ रुपए) स्थानांतरित किए।

अवरोधन अनुपात

एलआईसी पराम्परागत रूप में अपने व्यापार के लघु भाग का पुनर्बीमा करता है। 2007-08 के दौरान, 87.95 करोड़ रुपए (2006-07 में 41.67 करोड़ रुपए) पुनर्बीमा प्रीमियम के रूप में दिए गए। इसी तरह से, निजी बीमाकर्ताओं के मामले में, समूह बीमा के साथ पुनर्बीमा अर्पण का प्रमुख भाग बनाते हुए व्यापार का एक लघु भाग पुनर्बीमित किया गया। निजी बीमाकर्ताओं ने भी पुनर्बीमा प्रीमियम के रूप में 231.23 करोड़ रुपए (2006-07 में 160.05 करोड़ रुपए) दिए। यह ध्यान देने योग्य है कि यूनिट लिंक्ड बीमा उत्पादों के निवेश खण्ड से संबंधित जोखिम पॉलिसीधारकों द्वारा वहन किया जाना जारी है तथा 2007-08 में इस उद्योग द्वारा नई बीमित प्रीमियम व्यापार का महत्वपूर्ण भाग, यूनिट लिंक्ड उत्पादों से था। पुनर्बीमा के मानकों में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है क्योंकि यूनिट लिंक्ड उत्पादों के लिए आईआरडीए ने जोखिम कवर का न्यूनतम स्तर तय किया है। (विवरण-4)

मृत्यु दावों का विश्लेषण

वैयक्तिक पॉलिसियाँ

जीवन बीमा क्षेत्र ने वैयक्तिक पॉलिसियों पर 4235.00 करोड़ रुपए के कुल भुगतान के साथ 5.53 लाख दावे निपटाए। अस्वीकार किए गए दावों की संख्या 9027 थी, जो 152.66 करोड़ रुपए के थे। लंबित दावों की संख्या 14548 थी, जो 206.66 करोड़ रुपए के थे। लंबित दावों में से, 1684 एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है तथा 2454 दावे 6 माह से अधिक किंतु एक वर्ष से कम समय से लंबित हैं। उनकी जानकारी विवरण 58 में उपलब्ध है।

तालिका 14

वैयक्तिक मृत्यु दावे

संख्याएँ पॉलिसियों के प्रतिशत में

जीवन बीमाकर्ता	कुल दावे	भुगतान किए गए दावे	निरस्त दावे	पुनर्लिखित दावे	वर्ष के अन्त में विलंबित दावे	विलंबित दावों का अवधि-वार विवरण (जीवन)	< 3 माह	3 - < 6 माह	6 - < 1 वर्ष	> 1 वर्ष
निजी क्षेत्र का योग	100.00	78.93	10.17	0.01	10.88	64.84	16.71	8.94	9.51	
एलआईसी*	100.00	96.71	1.13	0.06	2.10	43.76	25.20	18.93	12.11	
उद्योग का योग	100.00	95.86	1.56	0.06	2.52	48.10	23.45	16.87	11.58	

* वित्तीय वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन में, जुटिपूर्वक एलआईसी के कुल वैयक्तिक मृत्यु दावों के आकड़ों के अतिरिक्त विदेशी कार्यालय के व्यवसाय दावे भी सम्मिलित थे। धातु वित्तीय वर्ष में, वैयक्तिक मृत्यु दावों से संबंधित आकड़े वही हैं जो एलआईसी के भारतीय प्रचालन में उभरे हैं।

एलआईसी के दावों के निपटान का अनुपात निजी बीमाकर्ताओं के दावों के निपटान के मुकाबले में बेहतर था। जहां एलआईसी ने उनको सूचित 96.71 प्रतिशत दावों का निपटान किया, निजी बीमाकर्ताओं ने 78.93 प्रतिशत दावों का निपटान किया। एलआईसी द्वारा अस्वीकार किए गए दावों का प्रतिशत 1.13 प्रतिशत था जो निजी बीमाकर्ताओं के 10.17 प्रतिशत के मुकाबले काफी कम था।

समूह पॉलिसियाँ

वर्ष के दौरान सूचित किए गए 162837 दावों में से कुल 159333 समूह दावे निपटाए गए। वर्ष के दौरान अस्वीकार किए गए समूह दावों की संख्या 1241 थी, जो सूचित किए गए दावों का 0.76 प्रतिशत थी।

तालिका 15 सामूहिक मृत्यु दावे

जीवन बीमाकर्ता	कुल दावे	भुगतान किए गए दावे	निरस्त दावेपुनर्लिखित दावे	वर्ष के अन्त में विलंबित दावे	संख्याएँ पॉलिसियो के प्रतिशत में विलंबित दावों का अवधि-वार विवरण (जीवन)				
					< 3 माह	3 - < 6 माह	6 - < 1 वर्ष	> 1 वर्ष	
निजी क्षेत्र का योग	100.00	84.43	5.75	0.16	9.66	41.83	18.91	14.41	24.85
एलआईसी	100.00	99.88	0.01	-	0.11	8.70	62.11	22.98	6.21
उद्योग का योग	100.00	97.85	0.76	0.02	1.37	39.43	22.03	15.03	23.51

निजी बीमाकर्ताओं ने कुल देय दावों में से 84.43 प्रतिशत दावे निपटाए जबकि 2007-08 के अंत में 9.66 प्रतिशत दावे लंबित रहे।

तालिका 16 प्रदत्त पूंजी : गैर-जीवन बीमा एवं पुनर्बीमा (रुपए करोड़ में)

11) गैर-जीवन बीमा

31 मार्च, 2008 तक कुल 18 साधारण बीमा कंपनियाँ हैं जिन्हें देश में गैर-जीवन बीमा व्यापार करने के लिए पंजीकरण दिया गया। इनमें से 6 सार्वजनिक क्षेत्र की तथा शेष निजी क्षेत्र की कंपनियाँ हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में से, दो विशिष्ट बीमा कंपनियाँ हैं, एक साख बीमा के लिए (ईसीजीसी) तथा दूसरी कृषि (एआईसी)। 12 निजी क्षेत्र की कंपनियों में से, तीन कंपनियों को 2007-08 के दौरान लायसेंस प्रदान किया गया जिसमें से एक अकेली स्वास्थ्य बीमा कंपनी है। दो विशिष्ट बीमा कंपनियों की कार्यक्षमता की वार्षिक रिपोर्ट में अलग-अलग समीक्षा की गई। अतः इस भाग में विश्लेषण 4 सार्वजनिक क्षेत्र की तथा 10 निजी बीमा कंपनियों तक सीमित है। दो एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के व्यवसाय को एक पृथक उप-खण्ड में प्रस्तुत किया गया है।

प्रदत्त पूंजी

साधारण बीमाकर्ताओं की 31 मार्च, 2007 तक कुल प्रदत्त पूंजी 3485 करोड़ रुपए थी। 2007-08 के दौरान, साधारण बीमाकर्ताओं ने अपनी पूंजी में 604.98 करोड़ रुपए जोड़े। निजी बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूंजी में वर्ष के दौरान पूंजी अंशदान द्वारा वृद्धि 504.98 करोड़ रुपए थी (2006-07 में 121.86 करोड़ रुपए)।

बीमाकर्ता	31 मार्च, 2007 को	2007-08 के दौरान जोड़	31 मार्च, 2008 को
गैर-जीवन			
सार्वजनिक क्षेत्र	550.00	0	550.00
निजी क्षेत्र	1400.87	401.13	1802.00
विशिष्ट संस्थान			
ईसीजीसी	800.00	100.00	900.00
एलआईसी	200.00	0	200.00
स्टार हेल्थ	105.00	3.60	108.60
अपोलो डीकेवी		100.55	100.55
पुनर्बीमाकर्ता			
जीआईसी	430.00	0	430.00
कुल	3485.87	605.28	4091.15

इस योग में स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा लाई गई इक्विटी पूंजी तथा दो नए बीमाकर्ता जिन्हें 2007-08 में पंजीयन दिया गया (घरेलु प्रवर्तक 376.26 करोड़ रुपए तथा संयुक्त भागीदारी 128.72 करोड़ रुपए) भी शामिल है। विशिष्ट बीमाकर्ता ईसीजी ने उनकी पूंजी में वर्ष के दौरान 100 करोड़ रुपए जोड़े हैं। पीएसयू बीमाकर्ताओं ने चालू वर्ष में पूंजी नहीं जोड़ी है।

जीवन बीमा पॉलिसियों में चूक

चूक को पॉलिसीधारक द्वारा पालिसी करार की शर्तों में उसके द्वारा की गई वचनबद्धता का उल्लंघन करते हुए, जीवन बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान प्रीमियम के भुगतान में रुकावट के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। इसका परिणाम प्रायः पॉलिसी पर जोखिम कवर की समाप्ति होती है। प्रथम कुछ वर्षों में किसी एक पॉलिसी के चूकने के मामले में, भुगतान की गई सभी अथवा अधिकतर प्रीमियम बीमाकर्ता द्वारा जब्त कर ली जाती है तथा पॉलिसीधारक उसके द्वारा पालिसी की मद में भुगतान की गई सभी प्रीमियम को खो देता है।

यह दृश्य, जीवन बीमा क्षेत्र में करार की अलग-अलग समयावधि में एक बड़ी संख्या पॉलिसियों के चूकने से एक बड़ी व्यथा के रूप में उभरा है। यह तथ्य कि 2006-07 में करीब 86 लाख गैर-सम्बद्ध (नॉन-लिंकड) पॉलिसियाँ चूकता हो गईं जिसने इस विषय की गंभीरता को प्रतिबिम्बित कर दिया।

चूक को प्रथम वर्ष चूक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, इस आधार पर कि चाहे पालिसी अपने प्रथम वर्ष में ही चूकता हो गई अथवा जब प्रथम वर्ष की प्रीमियम का पूर्ण भुगतान कर दिया गया हो।

जब एक पालिसीधारक गलत सलाह, सूचना अथवा समझ के कारण पालिसी खरीदता है तथा बाद में यह महसूस करता है कि उस पालिसी की विशेषताएँ उसकी आवश्यकताओं में मुताबिक नहीं हैं, तब वह फ्री-लॉक प्रावधानों के तहत पालिसी वापस कर सकता है। यदि वह पालिसी बॉन्ड की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर फ्री-लॉक विकल्प संपादित करने में असमर्थ रहता है, तब उसके पास पालिसी की समाप्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है। इस बात की भी संभावना है कि कई पालिसीधारकों को आईआरडीए विनियमन, 2002 की धारा 6(2) (पालिसीधारकों के हितों का बचाव) के तहत फ्री-लॉक प्रावधानों के आरंभ की जानकारी नहीं होती है, जिसके परिणामस्वरूप वे पॉलिसियों को चूकता कर देते हैं। पालिसी के प्रथम कुछ वर्षों में अधिकतर चूक गलत विक्रय – या तो इरादतन या कुछ और, तथा दबाव के तहत विक्रय के कारण होती हैं – जैसे बैंक द्वारा ऋण मंजूर किए जाने पर तथा बीमा विक्रेता द्वारा पालिसीधारक के लिए किसी अन्य प्रकृति का समर्थन, अथवा किसी रिश्तेदार या मित्र को आभार के तहत।

उपरोक्त के अतिरिक्त, पॉलिसियों के लेप्स होने की प्रकृति नवीनीकरण प्रीमियम भुगतानों हेतु फॉलो-अप के साथ-साथ प्रीमियम के भुगतान में सुविधा से प्रभावित होती है।

अधिक विक्रय साथ-ही-साथ पालिसीधारक के धन में कमी से उसे पालिसी को वहन करने परेशानी होती है तथा इससे पॉलिसियों के समर्पण तथा चूक की संभावना बढ़ती है।

ऐजेंसी की समाप्ति जो कि उद्योग में बहुत ही प्रबल है, के कारण लाखों पॉलिसियाँ 'अनाथ' हो जाती हैं। अनाथ पॉलिसियों को उपलब्धकर्ता ऐजेंट द्वारा फॉलो-अप/सर्विसिंग समर्थन की कमी के कारण नजरअंदाज कर दिया जाता है तथा इससे वे एक बड़ी संख्या में लेप्स हो जाती हैं। इसलिए बीमा अधिनियम, 1938 ने धारा 40(2ए) के द्वारा उपलब्धकर्ता ऐजेंट से अलग एक ऐजेंट द्वारा चिकित्सा परीक्षण के आधार पर पुनःजीवित की गई अनाथ पॉलिसियों पर भी कमीशन के भुगतान का प्रावधान बनाया है।

मल्टी-चैनल वितरण के युग में, यह देखा गया है कि कुछ नए चैनलों ने उनको बेचने का सामर्थ्य दिखाया है जबकि वे पर्याप्त सर्विसिंग अधोसंरचना द्वारा समर्थित नहीं होती हैं। इससे चूक अनुपात पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए बीमाकर्ताओं को चूक के स्तर पर माध्यमानुसार ध्यान देने की आवश्यकता होती है जिससे कि वे उसे रोक सकें।

दीर्घावधि करार के संदर्भ में स्थिरता/अटलता भी लेप्सेशन के लिए एक और प्रमुख कारण है। पालिसीधारक के धन में कमी ने, वित्तीय आवश्यकताओं अथवा योजनाओं अथवा वांछित मिक्स कॉल निवेश में समीक्षा प्रावधानों में बदलाव हेतु पालिसी शर्तों की शर्तों में परिवर्तन किया, जिसकी अनुपस्थिति के कारण पालिसीधारक पालिसी समर्पण अथवा लेप्स की ओर अग्रसर होता है।

लेप्सेशन इस उद्योग में शेरधारियों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। एक पालिसीधारक, जो सुरक्षा तथा दीर्घावधि निवेश में लाभों की आशा से इस करार में प्रवेश करता है, न केवल इससे वंचित हो जाता है बल्कि लेप्स हुई पालिसी पर प्रीमियम की किस्तों के रूप में भुगतान की गई अपनी मेहनत की कमाई को गंवा देता है।

एक बीमाकर्ता के लिए लेप्सेशन राजस्व के संसाधनों में सुराख का सबसे प्रमुख कारण है। बीमाकर्ता के रोकड़ अंतर्गमन की परियोजना अपेक्षित प्रीमियम राजस्व के मूर्तरूप ने लेने के कारण बिगड़ जाती है, जिससे फलस्वरूप व्यय एवं लाभ अनुपात प्रभावित होता है। इसके कारण संबंधित बीमाकर्ता तथा साथ ही पूरे उद्योग की प्रतिष्ठा/विश्वसनीयता बड़े स्तर पर प्रभावित होती है।

चूक के परिणामस्वरूप ऐजेंटों ने भी उनकी नवीनीकरण कमीशन की आय में एक कमी महसूस की है तथा अपने ग्राहकों की प्रतिष्ठा भी खोई है, जिससे उनका भविष्य का व्यापार क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होता है।

अतः लेप्सेशन के प्रति गंभीरता तथा इसे सभी संबंधितों द्वारा इसकी अत्यावश्यकता के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। इस उद्योग को और अधिक लचीले उत्पादों, अधिक सुविधाजनक एवं ऑटोमेटिक प्रीमियम भुगतान की प्रक्रिया बनाने की आवश्यकता है। विक्रय तंत्र को पॉलिसियों के विक्रय हेतु बाध्यता, कम लाभ वाली तथा स्वयं के द्वारा अपनाई गई तकनीकों की अपेक्षा पॉलिसियों की गुणवत्ता, उसके तरीके तथा उसकी वहन करने योग्य कीमत पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। स्थिर तथा प्रशिक्षित ऐजेंसी बल का विकास जिसकी परिलब्धियाँ, प्रोत्साहन राशि तथा साख को पॉलिसियों को लेप्सेशन से बचाने हेतु आपस में जोड़े जाने की आवश्यकता है जो उनमें अनुशासित तथा त्वरित विक्रय की आदत डालने में सहायता करेगी। बीमाकर्ता को फॉलो-अप तंत्र भी विकसित करने की आवश्यकता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके प्रीमियमों के भुगतान के बारे में अग्रिम रूप से सूचित किया जा सके तथा लेप्स पॉलिसियों के बारे में पालिसीधारकों के साथ समय से बातचीत की जा सके।

जारी पॉलिसियाँ

साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा 2006-07 में 466.64 लाख के मुकाबले 2007-08 में 22.69 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए जारी की गई कुल पॉलिसियों की संख्या 572.50 लाख थी। जारी की गई कुल पॉलिसियों में से, 32.67 प्रतिशत निजी बीमाकर्ताओं द्वारा तथा 67.33 प्रतिशत सार्वजनिक बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई। जहां सार्वजनिक बीमाकर्ताओं द्वारा जारी पॉलिसियों की संख्या में वृद्धि 13.47 प्रतिशत थी, वहीं निजी बीमाकर्ताओं की सादृश्य वृद्धि 47.36 प्रतिशत थी। सार्वजनिक बीमाकर्ताओं में से न्यू इण्डिया ने 5.05 प्रतिशत तथा युनाईटेड इण्डिया ने 48.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। नेशनल इश्योरेंस तथा ओरिएंटल इश्योरेंस द्वारा बीमित पॉलिसियों की संख्या में कमी रही।

तालिका 17

जारी की गई पॉलिसियाँ : गैर-जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	2006-07	2007-08
सार्वजनिक क्षेत्र	33972092	38547040
	(-19.48)	(13.47)
निजी क्षेत्र	12692053	18703219
	(41.85)	(47.36)
कुल	46664145	57250259

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष पर वृद्धि दिखाते हुए (प्रतिशत में)।

निजी बीमाकर्ताओं द्वारा बीमित पॉलिसियों की संख्या 2006-07 में 41.85 प्रतिशत के मुकाबले 47.36 प्रतिशत से बढ़ी। चोलामंडलम एमएस ने सबसे अधिक 224.30 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की तथा रिलायंस जनरल ने 2007-08 के दौरान 150.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

प्रीमियम

साधारण बीमा कंपनियों ने 2006-07 में 24905.47 करोड़ रुपए के मुकाबले 2007-08 में 11.72 प्रतिशत की वृद्धि दर दिखाते हुए 27823.74 करोड़ रुपए की कुल प्रीमियम बीमित की। सार्वजनिक क्षेत्र की चारों कंपनियों ने 2006-07 में 16258.90 करोड़ रुपए के मुकाबले 2007-08 में 3.52 की वृद्धि दर्ज करते हुए 16831.84 करोड़ रुपए की प्रीमियम बीमित की। सार्वजनिक बीमाकर्ताओं की तुलनात्मक कम वृद्धि दर को उनके ऊंचे आधार के मान से देखे जाने की आवश्यकता है।

तालिका 18

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा बीमित प्रीमियम (भारत में) (रुपए करोड़ में)

बीमाकर्ता	2006-07	2007-08
सार्वजनिक क्षेत्र	16258.90	16831.84
	(8.41)	(3.52)
निजी क्षेत्र	8646.57	10991.89
	(61.24)	(27.12)
कुल	24905.47	27823.74
	(22.33)	(11.72)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में वृद्धि दिखाते हैं।

27.12 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए 2006-07 में रु. 8646.57 करोड़ के विरुद्ध निजी क्षेत्र के 10 बीमाकर्ताओं द्वारा 2007-08 में बीमांकित प्रीमियम रु. 10991.89 थी। साधारण बीमा उद्योग ने वर्ष 2007-08 के दौरान प्रीमियम में रु. 2918.27 करोड़ जोड़े, जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने रु. 572.94 करोड़ और निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने 2345.32 करोड़ जोड़े। ओरिएंटल को छोड़ कर सार्वजनिक क्षेत्र की सभी कंपनियों ने प्रीमियम में वृद्धि दर्ज की। न्यू इण्डिया ने रु. 259.72 करोड़ की अधिकतम प्रीमियम जोड़ी, जिसके बाद यूनाईटेड इण्डिया और नेशनल इश्योरेंस ने क्रमशः रु. 240.79 करोड़ और रु. 192.81 करोड़ जोड़े। ओरिएंटल इश्योरेंस ने इसकी प्रीमियम में गिरावट दिखाते हुए रु. 120.38 करोड़ की प्रीमियम जोड़ी। समस्त निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2007-08 के दौरान प्रीमियम में वृद्धि दर्ज की। रिलायंस ने रु. 1034.19 करोड़ की प्रीमियम जोड़ते हुए पूर्व वर्ष से रु. 113.36 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। बजाज अलायंस ने रु. 593.58 करोड़ जोड़े जिसके बाद आईसीआईसीआई लॉबार्ड ने अपने पूर्व प्रीमियम स्तरों में रु. 318.05 करोड़ जोड़े।

पिछले वर्षों से निजी बीमाकर्ता अपने बाजार के हिस्से में वृद्धि कर रहे हैं। 2007-08 में, निजी बीमाकर्ताओं का बाजार का हिस्सा 39.51 प्रतिशत था जो 2006-07 में 34.72 प्रतिशत से अधिक था। परिणामस्वरूप, सार्वजनिक बीमाकर्ताओं के बाजार हिस्से में पूर्व वर्ष के 65.28 प्रतिशत से 60.49 प्रतिशत तक गिरावट आई। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के बाजार हिस्से में गिरावट आने के बावजूद पिछले वर्षों में साधारण बीमा बाजार के विस्तार प्रदर्शित करते हुए उनके द्वारा बीमांकित प्रीमियम की राशि बढ़ी है (तालिका)। व्यवसाय के परिमाण में हुई इस वृद्धि को 2007-08 की पृष्ठभूमि में देखे जाने की जरूरत है जो साधारण बीमा की

पूर्ण डी-टेरिफिंग का पहला पूर्ण वर्ष था।

सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के बीच, 2007-08 में न्यू इण्डिया का बाजार में सबसे बड़ा 18.97 प्रतिशत का हिस्सा था, जो इसके पिछले वर्ष के बाजार हिस्से 20.14 प्रतिशत से कम था। ओरिएंटल इश्योरेंस, नेशनल इश्योरेंस और

यूनाईटेड इण्डिया इश्योरेंस के बाजार हिस्से पूर्व वर्ष के 15.77 प्रतिशत, 15.32 प्रतिशत तथा 14.05 प्रतिशत के विरुद्ध क्रमशः 13.69 प्रतिशत, 14.40 प्रतिशत तथा 13.44 प्रतिशत रहे।

तालिका 19

भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय

कंपनी	प्रीमियम (रुपए करोड़ में)		बाजार शेयर (प्रतिशत में)	
	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
नेशनल	3814.42	4007.23	15.32	14.40
न्यू इण्डिया	5017.2	5276.92	20.14	18.97
ओरिएंटल	3928.52	3808.14	15.77	13.69
यूनाईटेड	3498.77	3739.56	14.05	13.44
सार्वजनिक	16258.9	16831.85	65.28	60.49
रॉयल सुंदरम	598.2	694.41	2.40	2.50
रिलायंस	912.23	1946.42	3.66	7.00
इको टोकियो	1144.47	1128.15	4.60	4.05
टाटा एआईजी	710.55	782.64	2.85	2.81
आईसीआईसीआई लॉबार्ड	2989.07	3307.12	12.00	11.89
बजाज अलायंज	1786.34	2379.92	7.17	8.55
चोलामंडलम	311.73	522.34	1.25	1.88
एचडीएफसी चम्ब	194	220.6	0.78	0.79
यूचर जनरली	—	9.81	—	0.04
यूनिवर्सल सोम्पो	—	0.48	—	0.00
निजी	8646.6	10992	34.72	39.51
कुल	24905	27824	100.00	100.00

निजी बीमाकर्ताओं के बीच, आईसीआईसीआई लॉबार्ड का बाजार हिस्सा 11.89 अधिकतम रहा जिसके बाद बजाज अलायंज का 8.55 प्रतिशत था। रिलायंस ने अपने बाजार हिस्से में 2006-07 के 3.66 से 2007-08 में 7.00 की स्थायी वृद्धि दर्ज की। यूचर जनरली जिसने 2007-08 में व्यवसाय प्रारंभ किया था, 0.04 प्रतिशत का नगण्य बाजार हिस्सा सूचित किया है।

साधारण बीमा व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों ने सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए प्रीमियम में वृद्धि में सहयोग दिया है। 2007-08 में अधिकतम अंशदान मोटर क्षेत्र से आया जिसने कुल प्रीमियम का 45.59 प्रतिशत भाग संघटित किया जो 2006-07 के 42.95 प्रतिशत से अधिक था। अग्नि क्षेत्र ने 2007-08 में कुल बीमांकित प्रीमियम का 12.43 प्रतिशत भाग संघटित किया जो पिछले वर्ष (16.69 प्रतिशत) से कम रहा।

तालिका 20

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा - क्षेत्र वार बीमांकित (भारत के भीतर) प्रीमियम

(रुपए करोड़ में)

क्षेत्र	2006-07	2007-08
अग्नि	4132 (16.59)	3459 (12.43)
मरिन	1628 (6.54)	1799 (6.47)
मोटर	10697 (42.95)	12685 (45.59)
स्वास्थ्य	3319 (13.29)	4894 (17.59)
अन्य	5129 (20.63)	4986 (17.92)
योग	24905	27823

नोट : कोष्ठक में दी गई संख्याएँ कुल योग में क्षेत्र का हिस्सा (प्रतिशत में) दर्शाती हैं।

स्वास्थ्य में एकत्र प्रीमियम इसके 2006-07 के स्तर से बढ़ी है। 2006-07 में 13.33 प्रतिशत के विरुद्ध 2007-08 में स्वास्थ्य प्रीमियम का कुल प्रीमियम का 17.59 प्रतिशत अंशदान रहा। 2006-07 में 56.28 प्रतिशत के विरुद्ध मोटर और स्वास्थ्य निवेश सूचियाँ मिलकर कुल प्रीमियम का 63.18 प्रतिशत रही। 2007-08

में मरिन क्षेत्र का 6.47 प्रतिशत का सबसे कम अंशदान रहा।

भारत के बाहर बीमांकित प्रीमियम

सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ता, भारत के बाहर भी प्रीमियम बीमांकित कर रहे हैं। हांलाकि देश के बाहर उनके द्वारा बीमांकित प्रीमियम 2006-07 में 1024.54 करोड़ से 2007-08 में रु. 981.36 करोड़ होकर कम रही और 4.22 की ऋणात्मक प्रगति दर्ज की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं द्वारा बीमांकित कुल प्रीमियम के रूप में गणना करने पर, भारत से बाहर बीमांकित प्रीमियम व्यवसाय का 5.51 प्रतिशत रही। (2006-07 में 5.93)

न्यू इण्डिया अपनी शाखाओं, एजेंसियों, सहयोगी कंपनियों और अनुषंगियों के माध्यम से 27 देशों में व्यवसाय संचालन कर रही है। कंपनी द्वारा भारत से बाहर बीमांकित प्रीमियम, 2007-08 में कंपनी द्वारा बीमांकित कुल प्रीमियम का 14.22 प्रतिशत (2006-07 में 15.49 प्रतिशत) रही। ओरिएंटल का विदेशी व्यवसाय में छोटा सा हिस्सा 2.36 प्रतिशत (2006-07 में 2.29 प्रतिशत) रहा। नेशनल इश्योरेंस के मामले में, भारत के बाहर का व्यवसाय 0.37 प्रतिशत (पूर्व वर्ष में 0.33 प्रतिशत) रहा।

तालिका 21

कुल प्रीमियम से भारत से बाहर की प्रीमियम का अनुपात

	(प्रतिशत)	
बीमाकर्ता	2006.07	2007.08
नेशनल	0.33	0.37
न्यू इण्डिया	15.49	14.22
ओरिएंटल	2.29	2.36
यूनाइटेड	0.00	0.00

2007-08 में भारत से बाहर बीमांकित रु. 981.36 करोड़ की कुल प्रीमियम में नेशनल ने रु. 14.74 करोड़ (2006-07 में रु. 12.70 करोड़) और न्यू इण्डिया ने रु. 874.55 करोड़ (2006-07 में रु. 919.58 करोड़) की प्रीमियम बीमांकित की।

तालिका 22

भारत से बाहर व्यवसाय से प्राप्त शुद्ध प्रत्यक्ष प्रीमियम : गैर-जीवन बीमाकर्ता

	(रुपए करोड़ में)	
बीमाकर्ता	2006.07	2007-08
नेशनल	12.70 (0.24)	14.74 (16.05)
न्यू इण्डिया	919.58 (4.02)	874.55 (-4.90)
ओरिएंटल	92.26 (11.61)	92.07 (-0.20)
यूनाइटेड	-	-
योग	1024.54	981.36

नोट : कोष्ठक में दी गई संख्याएँ पूर्व वर्ष से होने वाली वृद्धि दर्शाती हैं।

ओरिएंटल इश्योरेंस ने 2006-07 की रु. 92.26 करोड़ के विरुद्ध 2007-08 में रु. 92.07 करोड़ की प्रीमियम बीमांकित की। यूनाइटेड इण्डिया ने 2003-04 में भारत से बाहर व्यवसाय बन्द कर दिये। (तालिका 22)

बीमालेखन अनुभव

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं द्वारा वहन की गई बीमांकित हानि पूर्व वर्ष की रु. 2557.54 करोड़ से बढ़कर रु. 3899.49 करोड़ हो गई। 2006-07 के रु. 2451.12 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2007-08 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने रु. 3300.59 करोड़ की बीमांकित हानि वहन की। कुल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में, बीमांकन हानियाँ 2006-07 में 18.83 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 23.81 प्रतिशत हो गई। निजी बीमा कंपनियों में यह अनुपात 2.19 और 28.55 प्रतिशत के बीच रहा। 2006-07 में यह अनुपात 1.43 से 12.53 प्रतिशत के बीच था। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए, कुल प्रीमियम से बीमांकन हानियों का अनुपात 17.55 और 3.58 प्रतिशत के बीच (2006-07 में 14.38 और 30.80 प्रतिशत) रहा। सभी चार सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं में बीमांकन हानियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गयी, जो चिन्ता का विषय है। नेशनल इश्योरेंस की बीमांकित हानियाँ 30.54 (2006-07 में 19.73) रही, इसके बाद 17.55 (14.38) पर न्यू इण्डिया, यूनाइटेड इण्डिया इश्योरेंस 31.58 (30.80) और ओरिएंटल इश्योरेंस की 23.67 (19.40) रही। यह

उल्लेख किया जा सकता है कि नेशनल इश्योरेंस की बीमाकित हानियाँ जो

2006-07 में 546.17 करोड़ थी, करीब करीब दुगुनी होकर 2007-08 में 921.90 करोड़ हो गई। (तालिका 28)। न्यू इण्डिया ने अग्नि क्षेत्र में बीमाकित लाभ सूचित किया, ओरिएंटल और नेशनल ने 2006-07 में अग्नि क्षेत्र में लाभ के विरुद्ध सभी तीनों क्षेत्र, अग्नि, मरिन तथा विधि क्षेत्रों में बीमाकित हानियाँ सूचित की, यूनाइटेड इण्डिया ने भी वर्ष 2006-07 में तीनों क्षेत्रों में बीमाकित हानियाँ दर्ज की। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं में से नवीन प्रवेशकर्ता यूचर जनरली और यूनिवर्सल सोम्पो को छोड़ कर, 2007-08 में सभी ने अग्नि क्षेत्र में लाभ सूचित किया। मरिन और विविध क्षेत्रों में सभी निजी बीमाकर्ताओं ने 2007-08 में हानि सूचित की। पूर्व वर्ष में केवल रॉयल सुन्दरम ने मरिन क्षेत्र में रु. 1.17 करोड़ का लाभ सूचित किया।

तालिका 23

बीमांकन हानियाँ : गैर-जीवन बीमाकर्ता

	(रुपए करोड़ में)	
बीमाकर्ता	2006-07	2007-08
सार्वजनिक क्षेत्र	2451.12	3300.59
निजी क्षेत्र	106.42	598.90
योग	2557.54	3899.49

निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने भी बीमांकन हानियों में 2006-07 में रु. 106.42 से 2007-08 में रु. 598.90 करोड़ की वृद्धि दर्ज की है। इन हानियों ने 2006-07 में 2.28 प्रतिशत के विरुद्ध 2007-08 में कुल बीमांकित प्रीमियम का 8.37 प्रतिशत भाग संघटित किया है। वस्तुतः सभी कंपनियों ने वर्ष 2007-08 के दौरान बीमांकित हानियों में वृद्धि दर्ज की है।

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के व्यय

चौदह गैर-जीवन बीमाकर्ताओं में (विशिष्ट कंपनियों ईसीजीसी, एआईसी और हैल्थ इश्योरेंस कंपनियों को छोड़कर), वर्ष 2006-07 में पांच के विरुद्ध, वर्ष 2007-08 के लिए पांच बीमाकर्ताओं के व्यय नियम 17ई के साथ धारा 40 सी में निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत थे। तीन निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं (आईसीआईसीआई लॉबार्ड, इको-टोकियो और बजाज अलायंज) ने 2006-07 में प्रबंधन व्यय की सीमाओं का सतत अनुपालन किया। यूनिवर्सल सोम्पो जिसने 2007-08 में व्यवसाय प्रारंभ किया, ने अधिनियम के

अन्तर्गत निर्धारित सीमाओं और नियमों का अनुपालन किया। निजी क्षेत्र के विद्यमान बीमाकर्ताओं, रॉयल सुन्दरम, टाटा एआईजी, चोलामण्डलम, एचडीएफसी और रिलायंस जनरल

2007-08 में निर्धारित अनुपालन नहीं कर सके। यूचर जनरली, जिसने 2007-08 में व्यवसाय प्रारंभ किया था, अपने प्रथम वर्ष के संचालन के दौरान अनुपालन नहीं कर सकी। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं में, 2007-08 के दौरान जहां न्यू इण्डिया ने नियम 17ई के अनुसार प्रबंधन व्यय का अनुपालन किया, वहीं नेशनल इश्योरेंस, ओरिएंटल इश्योरेंस और यूनाइटेड इण्डिया द्वारा अनुपालन नहीं किया गया।

तालिका 24

परिचालन व्यय : गैर-जीवन बीमाकर्ता

	(रुपए करोड़ में)	
बीमाकर्ता	2006-07	2007-08
सार्वजनिक क्षेत्र	3606.74	3652.96
निजी क्षेत्र	1700.15	2482.30
योग	5306.89	6135.27

नोट : सार्वजनिक क्षेत्र में ईसीजीसी, एआईसी और जीआईसी शामिल नहीं है।

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का परिचालन व्यय बढ़ कर 2007-08 में रु. 6135.27 करोड़ हो गया (2006-07 में रु. 5306.89 करोड़) और 15.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने रु. 3652.96 करोड़ और निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने रु. 2482.31 करोड़ के परिचालन व्यय वहन किए। शुद्ध बीमांकित प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के लिए परिचालन व्यय 20.51 प्रतिशत थे जबकि निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के 22.44 प्रतिशत। वर्ष 2006-07 के लिए अनुवर्ती अनुपात क्रमशः 20.87 तथा 19.66 प्रतिशत थे।

कर्मचारी वेतन और कल्याण लाभ के अन्तर्गत होने वाले व्यय ने सार्वजनिक बीमाकर्ताओं के कुल परिचालन व्यय के एक उल्लेखनीय भाग का संघटन किया। जबकि, नेशनल इश्योरेंस के लिए यह अनुपात, सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ताओं में अधिकतम 78.77 था, यूनाइटेड इण्डिया, ओरिएंटल इश्योरेंस और न्यू इण्डिया के लिए यह क्रमशः 78.06, 68.67 और 67.81 प्रतिशत था। इसके विरुद्ध, निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के मामले में कर्मचारी लागत के लिए होने वाले व्यय परिचालन व्यय के 20.09 और 53.85 प्रतिशत के बीच रहे। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं

के लिए प्रमुख व्यय विधिक और विशेषज्ञ शुल्क (9.30 प्रतिशत), कार्यालय व्यय (7.48 प्रतिशत) और विज्ञापन तथा प्रचार (3.94 प्रतिशत) रहे।

तालिका 25 कमीशन व्यय

विभाग	निजी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र	
	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
अग्नि	63.84	80.97	223.80	199.54
मरिन	29.59	37.40	84.37	118.15
मोटर	268.70	235.00	568.22	503.33
स्वास्थ्य	104.85	133.79	249.34	359.18
अन्य	119.01	150.24	364.02	339.33
योग	585.98	637.39	1489.74	1519.54

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए प्रबंधन व्यय के प्रतिशत के रूप में कमीशन क्रमशः 53.52 तथा 29.68 प्रतिशत (2006-07 में क्रमशः 56.41 तथा 53.42 प्रतिशत) रहा। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए बीमांकित शुद्ध प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में कमीशन व्यय क्रमशः 6.39 तथा 7.59 प्रतिशत (2006-07 में क्रमशः 7.17 तथा 11.04 प्रतिशत) रहा।

आय का निवेश

2007-08 के दौरान गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने बढ़ती हुई निवेशसूची के आधार पर उच्च निवेश आय सूचित की। निवेशित आय पर लाभ निवेशों के विक्रय, प्रतिभूतियों की विमूक्ति तथा धारित प्रतिभूतियों पर ब्याज/लाभांश से प्राप्त हुआ। ओरिएंटल इश्योरेंस तथा एचडीएफसी एर्गो के अतिरिक्त, जिन्होंने 2007-08 में ऋणात्मक प्रगति सूचित की, शेष सभी बीमाकर्ताओं ने शुद्ध निवेश आय में वृद्धि सूचित की।

तालिका 26 निवेशित आय

बीमाकर्ता	2006-07	2007-08
सार्वजनिक क्षेत्र	5784.23 (3.09)	6247.51 (8.01)
निजी क्षेत्र	415.04 (54.02)	742.05 (78.79)
योग	6199.27	6989.56

नोट : कोष्ठक में दर्शाये गई संख्याएँ संबंधित क्षेत्र में वृद्धि की दर (प्रतिशत में) दर्शाती है।

साधारण बीमाकर्ताओं की शुद्ध निवेशित आय, 2006-07 में रु. 6199.27 करोड़ के विरुद्ध 2007-08 में रु. 6989.56 करोड़ होकर पूर्व वर्ष की तुलना में 12.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की निवेश आय 2006-07 की रु. 5784.23 करोड़ से बढ़कर रु. 6247.51 करोड़ (पूर्व वर्ष से 8.01 प्रतिशत अधिक) हो गई। ओरिएंटल इश्योरेंस को छोड़कर, जिसने निवेश आय में 1.46 प्रतिशत की गिरावट सूचित की है, सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त बीमाकर्ताओं ने निवेश आय में वृद्धि सूचित की है। सभी निजी बीमाकर्ताओं ने निवेश आय में वृद्धि सूचित की है और उनकी कुल निवेश आय 2006-07 में रु. 415.04 करोड़ से बढ़कर 2007-08 में रु. 742.05 करोड़ हो गई और 78.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। (2006-07 में 54.02 प्रतिशत) (तालिका 34 तथा 35)।

व्ययित दावों के अनुपात

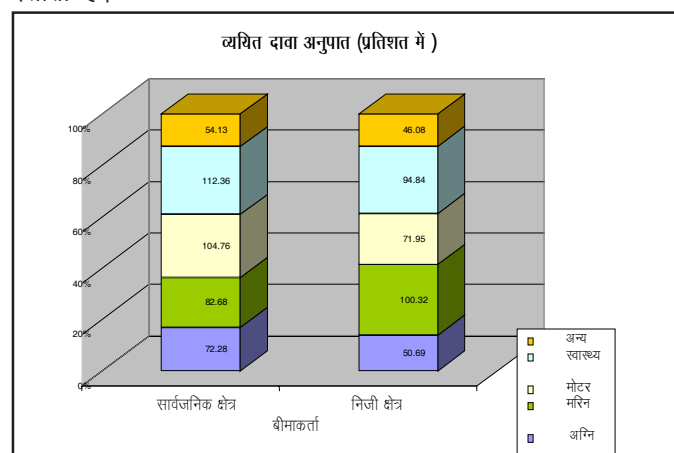
गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के कुल व्ययित दावे 2007-08 में रु. 16370.36 करोड़ (2006-07 में रु. 13041.64 करोड़) रहे और पूर्व वर्ष के विरुद्ध 25.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के कुल व्ययित दावे 2006-07 में रु. 10538.75 करोड़ की तुलना में बढ़ कर रु. 12124.81 करोड़ रहे। (15.05 प्रतिशत की वृद्धि)

तालिका 27

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के कुल व्ययित दावे

बीमाकर्ता	2006-07	2007-08
सार्वजनिक क्षेत्र	10538.75 (-0.29)	12124.81 (15.05)
निजी क्षेत्र	2502.89 (61.66)	4245.55 (69.63)
योग	13041.64 (7.62)	16370.36 (25.52)

नोट : कोष्ठक में दी गई संख्याएँ पूर्व वर्ष के विरुद्ध वृद्धि दर (प्रतिशत में) दर्शाती है।



कुल प्रीमियम के अनुपात के रूप में, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के कुल व्ययित दावे पूर्व वर्ष के 85.22 प्रतिशत से अधिक 90.43 प्रतिशत थे। सार्वजनिक क्षेत्र की सभी चार कंपनियों में यह अनुपात 94.05 प्रतिशत और 86.62 प्रतिशत के बीच रहा। इस अनुपात में वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के चारों बीमाकर्ताओं में देखने को मिली, जिसमें नेशनल इश्योरेंस

(7.54 प्रतिशत अंक) और न्यू इण्डिया (6.48 प्रतिशत अंक) के मामले में अनुपात में अधिक वृद्धि हुई। न्यू इण्डिया के व्ययित दावा अनुपात में 2006-07 के 80.34 से 86.82 तक वृद्धि हुई, युनाइटेड इण्डिया में 90.26 से 92.75, नेशनल में 86.51 से 94.05 और ओरिएंटल इश्योरेंस में 87.66 से 90.47 प्रतिशत वृद्धि हुई। (तालिका 30 तथा 31)

तालिका 28

व्ययित दावा अनुपात

क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र		(प्रतिशत में)	
	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	योग	योग
अग्नि	60.81	72.28	43.92	50.69	58.52	68.69
मरिन	80.5	82.68	112.57	100.32	86.52	86.68
मोटर	92.25	104.76	64.28	71.95	84.69	92.31
स्वास्थ्य	157.79	112.36	103.42	94.84	141.02	107.00
अन्य	53.93	54.13	47.11	46.08	52.85	52.51
योग	85.22	90.43	68.02	72.21	81.27	84.88

निजी बीमाकर्ताओं के मामले में, निवल व्यय के दावे 2006-07 में 2502.89 करोड़ से बढ़ कर रु. 4245.55 करोड़ हो गए। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए निवल व्यय का दावा अनुपात 72.21 (2006-07 में 68.02) था। सभी निजी बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष के आंकड़ों के विरुद्ध उच्च स्तर के व्यय वाले दावा अनुपात सूचित किए। जैसा कि पहले दर्शाया गया है, दो बीमाकर्ताओं ने अपना संचालन 2007-08 में ही प्रारंभ किया। प्रशुल्क मुक्ति के बाद, अग्नि क्षेत्र ने 2007-08 में उद्योग में 68.69 प्रतिशत (2006-07 में 58.52 प्रतिशत) का ऊँचा व्यय दावा अनुपात दर्शाया है। इसी प्रकार, मोटर क्षेत्र ने 92.31 प्रतिशत (84.69) का ऊँचा अनुपात सूचित किया। एक ओर मरिन क्षेत्र ज्यादा या कम 86.68 प्रतिशत (86.52) पर रहा, वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र ने व्यय किए गए दावों के अनुपात में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज कराते हुए 2006-07 में दर्ज 141.02 की तुलना में इसे 107 प्रतिशत बताया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के मामले में, व्यय किए गये दावों का अनुपात स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिकतम 112.36 प्रतिशत (2006-07 में 157.79) रहा, इसके बाद मोटर और मरिन क्षेत्र में क्रमशः 104.76 और 82.68 प्रतिशत (2006-07 में 92.25 और 80.50) रहा। 2007-08 में, यूनाइटेड इण्डिया का स्वास्थ्य क्षेत्र में 133.36 प्रतिशत का सर्वोच्च शुद्ध व्यय दावा अनुपात रहा जबकि यूनाइटेड इण्डिया के मामले में, सर्वोच्च दावा अनुपात मरिन क्षेत्र में 95.83 प्रतिशत था, अग्नि क्षेत्र में ओरिएंटल का 95.67 प्रतिशत का सर्वोच्च व्यय दावा अनुपात था जिसके बाद नेशनल इश्योरेंस का 83.96 प्रतिशत। निजी क्षेत्र के मामले में, व्यय दावा अनुपात मरिन व्यवसाय में अधिकतम 100.32 (112.57) था, जिसके बाद स्वास्थ्य

क्षेत्र में 94.84 प्रतिशत (103.42) और मोटर क्षेत्र 71.95 प्रतिशत (64.28) रहा। 2007-08 में, निजी बीमाकर्ताओं के बीच, रिलायंस और इको-टोकियो का शुद्ध व्यय दावा अनुपात क्रमशः 69.54 प्रतिशत (74.62) और 66.40 प्रतिशत (47.29) अग्नि क्षेत्र में रहा। मरिन क्षेत्र में अधिकतम दावा अनुपात आईसीआईसीआई लॉबार्ड का 175.93 प्रतिशत (94.46) रहा, जिसके बाद रियालंस 117.76 प्रतिशत (93.63) रहा। स्वास्थ्य क्षेत्र में, एचडीएफसी चब्स का अधिकतम व्यय दावा अनुपात 142.46 प्रतिशत (87.10) रहा और इसके बाद इको टोकियो का 121.14 प्रतिशत (152.89) रहा।

शुद्ध लाभ

बीमांकन हानियों के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने उच्च निवेश आय के कारण लाभ सूचित किया है। सार्वजनिक और निजी, दोनों ही क्षेत्र के बीमाकर्ताओं द्वारा 2006-07 के अर्जित कुल शुद्ध लाभ रु. 3137.10 करोड़ में 2007-08 के दौरान 2249.31 करोड़ तक, 28.30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। उच्च दर पर बीमांकन हानियों के चलते, गैर-जीवन बीमाकर्ता लाभ और हानि खाते (अंशधारकों के खाते में) में लाभ दर्शाने के लिए निवेश आय पर निर्भर रहे। सार्वजनिक और निजी, प्रत्येक क्षेत्र में एक बीमाकर्ता, बनाम ओरिएंटल इश्योरेंस और एचडीएफसी को छोड़कर, समस्त बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष में निवेश आय में वृद्धि सूचित की है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की 2007-08 में संचित निवेश आय क्रमशः रु. 6247.51 करोड़ और रु. 742.05 करोड़ (2006-07 में रु. 5784.23 करोड़ तथा रु. 415.04 करोड़) रही।

2007-08 में, न्यू इण्डिया ने रु. 141.03 करोड़ के करों के पश्चात् रु. 1401.13 का शुद्ध लाभ सूचित किया, यूनाइटेड इण्डिया ने 631.32 करोड़, नेशनल ने 163.43 करोड़ और ओरिएंटल ने 9.30 करोड़। ओरिएंटल के मामले में, कम लाभ बढ़े हुए व्यय दावा अनुपात के कारण रहा। दूसरे, कंपनी ने एस-15 को लागू किए जाने के कारण प्रबन्धन पर भारी व्यय दर्शाया है जिसने लाभप्रदता को प्रभावित किया है। 2007-08 के दौरान छः निजी बीमाकर्ताओं ने लाभ सूचित किया। दो बीमाकर्ता, जिन्होंने 2006-07 में लाभ सूचित नहीं किया है, 2007-08 में हानि सूचित की है। रिलायंस ने 2000-01 में कार्य प्रारंभ करने के बाद से पहली बार शुद्ध हानि सूचित की है और एचडीएफसी, जिसने 2006-07 और 2005-06 में लाभ सूचित किया था, 2007-08 में रु. 17 करोड़ की हानि सूचित की है। दो गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने, जिन्होंने 2007-08 में कार्य प्रारंभ किया, रु. 17.09 करोड़ और रु. 0.30 करोड़ की हानि सूचित की है। 2006-07 में आठ बीमाकर्ताओं द्वारा अर्जित रु. 229.74 करोड़ के सूचित लाभ के विरुद्ध इन छः निजी बीमा कंपनियों का शुद्ध लाभ रु. 243.78 करोड़ रहा। अन्य चार निजी बीमाकर्ताओं की शुद्ध हानि रु. 199.95 करोड़ थी।

अंशधारकों को प्रतिफल

सार्वजनिक क्षेत्र की चार बीमा कंपनियों ने 2006-07 में रु. 581.39 करोड़ के विरुद्ध 2007-08 में राजकोष में लाभांश के रूप में रु. 449.49 करोड़ का अंशदान किया। घटा लाभांश भुगतान प्रमुख तौर पर ओरिएंटल और नेशनल द्वारा सूचित घटे हुए शुद्ध लाभ के कारण था जिसका नतीजा 2007-08 में ओरिएंटल के रु. 0.75 प्रति अंश और नेशनल के रु. 3.26 प्रति अंश के घटे हुए लाभांश की घोषणा के रूप में प्राप्त हुआ। जबकि न्यू इण्डिया ने भुगतान किए जाने वाले लाभांश में आंशिक कमी की वहीं यूनाइटेड इण्डिया ने रु. 12.63 प्रति अंश की सिफारिश की। (तालिका)

तालिका 29

भुगतान किया गया लाभांश:

	(रुपए करोड़ में)	
बीमाकर्ता	2006-07	2007-08
	गैर-जीवन	
सार्वजनिक क्षेत्र	581.39	449.49
निजी क्षेत्र	52.64	59.12
विशिष्ट संस्थान		
ईसीजीसी	125.00	178.57
एआईसी	—	20.00
	पुनर्बीमाकर्ता	
जीआईसी	309.60	197.80
योग	1068.63	904.98

निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के बीच, 2007-08 में आईसीआईसीआई लॉबार्ड लाभांश घोषित करने वाला प्रमुख बीमाकर्ता रहा। कंपनी ने प्रति अंश रु. 5.91 के लाभांश की सिफारिश की। हांलाकि इको-टोकियो ने 2005-06 तथा 2006-07 में लाभांश की घोषणा की थी परन्तु 2007-08 में इसने लाभांश की घोषणा नहीं की।

स्टार हैल्थ तथा एलाइड इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

स्टार हैल्थ, विशिष्ट रूप से स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना तथा यात्रा बीमा क्षेत्र में साधारण बीमा व्यवसाय के बीमांकन के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाली पहली कंपनी थी। 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष में, कंपनी जिसने 2006-07 में व्यवसाय प्रारंभ किया था, पिछले वर्ष की रु. 22.51 करोड़ की प्रीमियम से कोई सात गुना कुल रु. 168.19 की शुद्ध प्रत्यक्ष प्रीमियम बीमांकित किया। बीमाकर्ता ने रु. 5.65 करोड़ (2006-07 में रु. 11.56 करोड़) की बीमांकित हानि सूचित की। निवेश आय से पूर्ति करते हुए, बीमाकर्ता ने 2006-07 की रु. 2.59 करोड़ की शुद्ध हानि के विरुद्ध रु. 1.28 करोड़ का शुद्ध लाभ सूचित किया।

अपोलो डीकेवी हैल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

अपोलो डीकेवी, विशिष्ट रूप से स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना तथा यात्रा बीमा क्षेत्र में साधारण बीमा व्यवसाय के बीमांकन के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाली दूसरी कंपनी है। बीमाकर्ता को 2007-08 में पंजीयन जारी किया गया और कंपनी पांच महीने से संचालन में है। 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष में, बीमाकर्ता ने रु. 2.96 करोड़ की कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम बीमांकित की है। बीमाकर्ता ने वर्ष के लिए रु. 31.97 करोड़ की हानि बीमांकित की और रु. 28.34 करोड़ का शुद्ध लाभ वहन किया।

साधारण बीमा निगम

जीआईसी, घरेलु पुनर्बीमा बाजार का एकमात्र बीमाकर्ता है जो भारत में प्रत्यक्ष साधारण बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा प्रदान कर रहा है। निगम का पुनर्बीमा कार्यक्रम देश में प्रतिधारिता के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, जोखिम के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा घरेलु बाजार के भीतर पर्याप्त क्षमता विकसित करने के लिए तैयार किया गया है। प्रमुख घरेलु कंपनियों के सन्धि कार्यक्रमों तथा वैकल्पिक कार्यक्रमों तथा तयशुदा सीमाओं के अधीन जीआईसी को घरेलु बीमाकर्ताओं के द्वारा जारी प्रत्येक पॉलिसी पर 15 प्रतिशत वैधानिक अध्यर्पण प्राप्त होता है। इसके पूर्व 2006-07 में वैधानिक अध्यर्पण 20 प्रतिशत था। जीआईसी, तृतीय पक्ष मोटर पूल के प्रबंधक भी है।

2006-07 में 7404.17 करोड़ की तुलना में, 2007-08 में जीआईसी की बीमांकित कुल प्रीमियम रु. 9315.55 करोड़ रही। 2006-07 में 5263.80 करोड़ की तुलना में 37.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

करते हुए 2007-08 के दौरान कुल अर्जित प्रीमियम रु. 7228.96 करोड़ थी। यहां पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि 2006-07 के चार तिमाही के विरुद्ध 2007-08 के पांच तिमाही में कंपनी की आर्थिक स्थिति, जो बीमाकर्ता की लेखा पॉलिसी में परिवर्तन के कारण आवश्यक थी। 2007-08 में घरेलू व्यवसाय के बीमांकन परिणामों ने रु. 927 करोड़ (2006-07 में रु. 116.40 करोड़) की हानि दर्शायी। 2006-07 के लिए रु. 1849 करोड़ के विरुद्ध 2007-08 में निवेशों से प्राप्त आय रु. 2031 करोड़ थी। पूर्व वर्ष के 1789.46 के विरुद्ध समीक्षाधीन वर्ष में कर पूर्व लाभ रु. 1067.30 करोड़ रहा और 2006-07 में रु. 1531.34 करोड़ के विरुद्ध कर पश्चात् लाभ रु. 992.78 करोड़ रहा। पुनर्बीमाकर्ता के लाभ-हानि खाते को प्रभावित करते हुए सभी क्षेत्रों के समग्र कुल व्यय दावे जो 2006-07 में 3622.72 करोड़ थे, बढ़ कर 6011.50 करोड़ हो गए।

2007-08 में कुल लाभ में 35.17 प्रतिशत की गिरावट को देखते हुए, निगम ने 2007-08 में प्रति अंश रु.9.60 के लाभांश की सिफारिश की है। (2006-07 में रु. 7.20 प्रति अंश)

भारत में समस्त साधारण बीमाकर्ताओं के लिए व्यावसायिक मोटर तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय के समग्र संधारण के लिए आईआरडीए ने भारतीय मोटर तृतीय पक्ष बीमा समूह की स्थापना के निर्देश दिए। यह व्यवस्था 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी हुई। बहुपक्षीय पुनर्बीमा व्यवस्था में जीआईसी का हिस्सा वैधानिक अध्यापण के अंश के समान 15 प्रतिशत रहेगा। सामूहिक व्यवसाय के शेष को अन्य सभी सदस्य बीमाकर्ताओं के द्वारा साझा किया जाएगा। जीआईसी इस समूह का प्रशासक है और इसे सामूहिक व्यवसाय की कुल प्रीमियम सेवा कर सहित 2.5 प्रतिशत के शुल्क का भुगतान किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त मानवशक्ति, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के साथ एक स्वतंत्र मोटर समूह स्थापित किया है।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार अधिनियम की धारा 101बी के अन्तर्गत गठित पुनर्बीमा परामर्श समिति के परामर्श तथा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से प्राधिकारण ने निर्दिष्ट किया है कि भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के साथ पुनर्बीमित की जाने वाली प्रत्येक पॉलिसी पर बीमा धन या पीएमएल पर बिना किसी सीमाओं के बीमा धन का अध्यापण प्रतिशत, 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च, 2008 के दौरान संलग्न बीमों पर 15 रहेगा तथा 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2008 के दौरान 10 रहेगा। अनिवार्य अध्यापण की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेगी।

पुनर्बीमा कमीशन और लाभ कमीशनों के सहित जीआईसी द्वारा प्राप्त अनिवार्य अध्यापण परिशिष्ट में दिया गया है।

स. अनुसंधान तथा विकास विभाग

अनुसंधान तथा विकास विभाग ने मोटर व्यवसाय संबंधी सारणियाँ तैयार करने हेतु व्यापारिक स्तर के आंकड़ों को एकत्र करने के लिए टीएसी को मार्गदर्शन प्रदान किया है। विभिन्न समग्र स्तरों पर आंकड़ों का शुद्धीकरण किया गया और सारणियाँ तैयार की गईं ताकि प्राधिकारियों को सन्दर्भ मानकों के आंकलन और बीमाकर्ताओं को डीटेरीफाइड विधि से तकनीकी पर आधारित मूल्यों के आंकलन में मदद मिल सके। इसके बाद, समग्र तालिकाओं को आईआरडीए और टीएसी की वेबसाइट्स पर डाला गया। मोटर पर समग्र तालिकाओं के साथ, टीपीए से संकलित आंकड़ों के आधार पर स्वास्थ्य बीमा संबंधी तालिकाएँ भी तैयार की गईं और आईआरडीए और टीएसी की वेबसाइट्स पर डाली गईं। यह स्वीकार करते हुए कि वर्तमान आंकड़ों के प्रारूप डीटेरीफ विधि से विश्लेषण के लिए सहायक नहीं है, आंकड़ों के प्रारूप को बीमाकर्ताओं के परामर्श से संशोधित किया गया। साधारण बीमा व्यवसाय के अन्य प्रकारों जैसे अग्नि, इंजीनियरींग आदि पर जानकारी एकत्र करने के लिए बीमाकर्ताओं, आईटी विशेषज्ञों और बीमांककों के एक समूह के परामर्श में आंकड़ों के प्रारूपों को अन्तिम रूप दिया गया। संशोधित प्रारूपों को आईआरडीए/टीसीए की वेबसाइट पर डाला गया है। आशा है कि कंपनियाँ आंकड़ों को इन प्रारूपों के अनुसार प्रस्तुत करेंगी।

भारत सरकार के समन्वय में अनुसंधान तथा विकास विभाग सर्विस प्राइस इन्डेक्स नंबर तैयार करने पर एक राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित कर रहा है। इस सेमीनार का प्रयोजन है सेवाओं की झोली में बीमा व्यवसाय के समावेश की उपयोगिता को समझाना ताकि मूल्यों की गति पर नजर रखी जा सके। इस सेमीनार ने अर्थव्यवस्था में सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर सामान्य एवं सेवा क्षेत्र, खास तौर पर बीमा क्षेत्र की ओर बीमाकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। इस दिशा में, उद्योग मंत्रालय को सर्विस प्राइस इन्डेक्स नंबरों के संकलन के लिए वांछित प्रारूप में सूचनाओं के प्रदाय के लिए विभाग बीमा कंपनियों के समन्वय में कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, उनके आंकड़ों की जरूरत के संबंध में विभाग आईआरडीए के दूसरे विभागों के साथ सम्पर्क में है। सीआईआई/आईआरडीए द्वारा गठित स्वास्थ्य बीमा आंकड़ों के मानकों पर सीआईआई कार्यरत समूहों के साथ अनुसंधान तथा विकास विभाग ने सक्रिय तौर पर सहभागिता की है। समूह की रिपोर्ट सीआईआई को प्रस्तुत की गई थी। विभाग, मानक उपचार मार्गदर्शिका तैयार करने के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार को सहयोग कर रहा है।

समीक्षा

पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण

आईआरडीए का प्रमुख उद्देश्य है पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण। नियमों के माध्यम से प्राधिकरण बीमाकर्ताओं को यह अधिकार देते हैं कि वे उनकी शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावकारी कदम उठावें। इसके साथ ही, प्राधिकरण ने जीवन और गैर जीवन बीमा के लिए अलग अलग शिकायत प्रकोष्ठ गठित किए हैं। हाल ही के समय में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के संबंध में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निराकरण के लिए आईआरडीए में एक अलग प्रकोष्ठ गठित किया गया है। पॉलिसीधारकों से प्राप्त विशिष्ट शिकायतों को प्राप्त करने और बीमाकर्ताओं के साथ उनका समाधान करवाने के अतिरिक्त ज्वलन्त मुद्दों को चिन्हित करने के लिए प्राधिकरण सक्रिय है और यदि आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षण भी आयोजित करते हैं। प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं को यह परामर्श भी दिया है कि वे पॉलिसीधारकों को पॉलिसी दस्तावेजों में ही शिकायत समाधान प्रणाली की जानकारी उपलब्ध करावें।

बीमाकर्ताओं की ऋणशोधन क्षमता का संधारण

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64 वीए के अन्तर्गत प्रत्येक बीमाकर्ता को एक आवश्यक ऋणशोधन क्षमता धारण करना आवश्यक है। प्रत्येक बीमाकर्ता, अपनी परिसंपत्तियों के मोल से अतिरिक्त, अपने दायित्वों की राशि से अधिक राशि संधारित करेगा जो आईआरडीए द्वारा निर्धारित राशि से कम नहीं होगी और जिसे आवश्यक ऋणशोधन मार्जिन के रूप में सन्दर्भित किया गया है। आवश्यक ऋणशोधन मार्जिन की गणना विधि के विवरण आईआरडीए (परिसंपत्ति, दायित्व और बीमाकर्ताओं की ऋणशोधन क्षमता) नियम, 2000 में विस्तार से दिये गए हैं।

जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में, आवश्यक ऋण शोधन मार्जिन रु. 50 करोड़ तक है (पुनर्बीमाकर्ताओं के मामले में रु. 100 करोड़) या वह राशि जो अधिनियम/नियम में दिए गए सूत्र पर आधारित हो। साधारण बीमाकर्ताओं के मामले में, आवश्यक ऋणशोधन मार्जिन निम्नलिखित राशियों तक अधिकतम होगी।

1^१ पचास करोड़ रुपए (पुनर्बीमाकर्ता के मामले में एक सौ करोड़ रुपए), या

2^१ शुद्ध प्रीमियम आय की 20 प्रतिशत राशि के समतुल्य, या

3^१ शुद्ध व्यय किए गए दावों के तीस प्रतिशत के बराबर राशि, बशर्ते शुद्ध प्रीमियम की गणना में पुनर्बीमा के लिए जमाराशि और व्यय किए गए शुद्ध दावों की वास्तविक राशि, परन्तु नियमों के द्वारा आंकलित प्रतिशत पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

आईआरडीए ने सभी बीमाकर्ताओं के लिए 1.5 का एक कार्यकारी ऋणशोधन मार्जिन अनुपात (वांछित ऋणशोधन मार्जिन से वास्तविक ऋणशोधन क्षमता का अनुपात) निर्धारित कर रखा है। 2007-08 के दौरान, आईआरडीए ने सभी बीमाकर्ताओं के लिए ऋणशोधन स्थिति के बारे में त्रैमासिक प्रतिवेदन जारी किया है। तदनुसार, अब समस्त बीमाकर्ताओं को 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को उनकी ऋणशोधन स्थिति के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

एक महत्वपूर्ण घटक जो बीमा चातुर्य पर प्रभाव डालता है वह है ऋणशोधन मार्जिन के अन्तर्गत पूंजी की आवश्यकता। शुद्ध आवधिक प्रोडक्ट्स प्रदान करते हैं साधारण जीवन सुरक्षा और यह माना जाता है कि कंपनियाँ ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन कर सकती हैं जो जनसमुदाय के विभिन्न हिस्सों में जाकर उनकी बीमा संबंधी जरूरतों को पूरा करते हुए बीमा चातुर्य को बढ़ावा दे सकती हैं। इस उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में, प्राधिकरण ने शेष प्रोडक्ट्स के मामले में फेक्टर लोडिंग को परिवर्तित किए बिना शुद्ध आवधिक प्रोडक्ट्स के मामले में, जीवन बीमाकर्ताओं को पूंजी की आवश्यकता में कमी लाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। आशा है कि शुद्ध आवधिक प्रोडक्ट्स के लिए ऋणशोधन के निचले स्तर जीवन बीमाकर्ताओं को वैयक्तिक प्रोडक्ट्स और समूह प्रोडक्ट्स, दोनों के ही अन्तर्गत महत्वपूर्ण राहत देंगे। यह बीमाकर्ताओं को पर्याप्त रूप से लंबी अवधियों और वहन करने योग्य दरों पर और अधिक शुद्ध आवधिक प्रोडक्ट्स प्रस्तुत करने में भी मदद करेंगे।

चूंकि बीमा कंपनियों के द्वारा संग्रहित कुल प्रीमियम में लिंकड प्रोडक्ट्स का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में निवेश का जोखिम निवेशक वहन कर रहे हैं, इसलिए यह जरूरी है कि संभावित/पॉलिसीधारकों को अधिक जानकारी दी जाए ताकि वे सुझबूझ भरे निर्णय ले सकें। इस संबंध में, प्राधिकरण ने जीवन बीमाकर्ताओं को यूलिप प्रोडक्ट्स की पॉलिसी विवरण में अधिक पारदर्शी रहने के लिए कहा है और बीमाकर्ताओं को यह आदेश दिये हैं कि वे प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के लिए प्राधिकरण को गारंटेड और बिना गारंटी वाले लाभों के विवरण प्रस्तुत करें। इस प्रयोजन से एक प्रारूप भी प्रस्तुत किया गया है और प्राधिकरण ने निर्देश दिए हैं कि जब संभावित/पॉलिसीधारक एक यूलिप पॉलिसी लेना प्रस्तावित करता/करती है तब ही उसे प्रस्ताव प्रपत्र में दोनों पर हस्ताक्षर करना चाहिए। इससे पॉलिसीधारक को पॉलिसी की शर्तों/लाभों को जानने का लाभ होगा और अभिकर्ताओं

द्वारा असामान्य निवेश लाभ बताकर गलत तरीके से बेचने में भी कमी आएगी।

जीवन बीमाकर्ता

समस्त 18 जीवन बीमाकर्ताओं ने, जिन्होंने 2007-08 में बीमा कार्य हेतु प्रीमियम प्राप्त की है, 1.5 के ऋणशोधन अनुपात की शर्त पूरी कर ली है। एलआयसी का ऋणशोधन अनुपात 1.52 है जो सभी बीमाकर्ताओं का न्यूनतम है। दो नवीन स्थापित बीमा कंपनियां, यूचर जनरली इण्डिया लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लि. और आईडीबीआई फोर्टीस लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ऋणशोधन अनुपात क्रमशः 2.94 और 3.45 है। जबकि 11 जीवन बीमाकर्ता, जिन्होंने पिछले वर्षों की अपेक्षा 2007-08 के दौरान अपने ऋणशोधन अनुपात में सुधार किया है, वहीं 5 बीमाकर्ताओं के मामले में इस अनुपात में गिरावट आयी है। इनमें से, अवीवा लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के ऋणशोधन अनुपात में 2006-07 से 2007-08 के बीच 6.31 से 2.27 तक गिरावट आयी है। (विवरण 49)

गैर जीवन बीमाकर्ता

सभी चार सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ताओं ने 1.5 के ऋणशोधन अनुपात की शर्त पूरी कर ली है। विशेषज्ञ इंश्योरेंस कंपनियों के बीच ईसीजीसी ने, जो साख व्यवसाय की बीमा कर रही है, 31 मार्च 2007 के 11.41 के विरुद्ध 18.41 के ऋणशोधन अनुपात की सूचना दी है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने 31 मार्च, 2007 के 2.05 के विरुद्ध 31 मार्च, 2008 को 3.27 का ऋणशोधन अनुपात सूचित किया है। एकमात्र स्वास्थ्य बीमा कंपनी, मे.

अपोलो डीकवी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को छोड़कर सभी गैर जीवन बीमा निजी बीमाकर्ताओं ने निर्धारित ऋणशोधन अनुपात अर्जित कर लिया है। इस कंपनी का ऋणशोधन अनुपात 31 मार्च, 2008 को 1.39 था। फिर भी, कंपनी ने बाद में इस ऋणशोधन अनुपात में सुधार लाने के लिए रु. 61 करोड़ की पूंजी फूँकी है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी का ऋणशोधन अनुपात 31 अगस्त, 2008 को स्टार हेल्थ के न्यूनतम अनुपात 1.5 से अधिक हो गया जो दूसरी एकमात्र स्वास्थ्य बीमा कंपनी है और जिसका ऋणशोधन अनुपात 31 मार्च, 2008 को 1.97 था।

पुनर्बीमाकर्ता

राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता, साधारण बीमा निगम ने 31 मार्च, 2007 के 4.10 के विरुद्ध 31 मार्च, 2008 को 3.36 का ऋणशोधन अनुपात सूचित किया है।

पुनर्बीमा की निगरानी

आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(1) और 14(2) उपधारा (एफ) और इसके साथ ही बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 एफ, 101ए, 101बी और 101 सी प्राधिकरण को पुनर्बीमा का अधिकार देती है। प्राधिकरण ने पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा में मूलभूत नियमों को ध्यान में रखते हुए नियम तैयार किए गए हैं। बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के अन्तर्गत, भारतीय साधारण बीमा निगम को "भारतीय पुनर्बीमाकर्ता" के रूप में नामांकित किया है जिससे इसे 2008-09 में समस्त प्रत्यक्ष साधारण बीमाकर्ताओं से 10 प्रतिशत अध्यर्पण की अनिवार्य पात्रता मिल गई है। पुनर्बीमाकर्ता परामर्श समिति के परामर्श से सीमाओं को कम किया गया है।

तालिका 30

भारतीय व्यवसाय पर कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में शुद्ध प्रतिधारित प्रीमियम (जीआईसी को छोड़कर)

(प्रतिशत)

हिस्से	2006 - 2007			2007 - 2008		
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
अग्नि	63.39	21.92	48.19	64.55	31.84	52.36
मरिन जहाज	72.62	43.74	63.13	75.62	46.92	65.51
अन्य मरिन संबंधी	13.99	4.69	11.48	15.10	6.13	13.22
मोटर	80.19	76.13	79	76.05	83.79	79.09
इन्जीनियरींग	75.26	22.65	52.70	69.49	23.36	49.83
विमानन	16.09	2.09	14.17	7.68	6.60	7.47
अन्य विविध	78.22	58.69	72.52	88.22	63.17	78.21
कुल	72.90	53.05	66.73	74.68	64.33	70.70

प्रत्येक बीमाकर्ता को व्यवसाय संचालन और ऋणशोधन क्षमता बनाए रखने के लिए एक व्यापक और सक्षम पुनर्बीमा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। प्राधिकरण चाहते हैं कि प्रत्येक बीमाकर्ता का पुनर्बीमा कार्यक्रम इसके निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। नियमों में यह प्रावधान भी है कि प्रत्येक बीमाकर्ता को बीमा वर्ष के लिए वर्ष प्रारंभ होने के कम से कम 45 दिन पूर्व प्राधिकरण के समक्ष अपना पुनर्बीमा कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त बीमाकर्ता को वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 30 दिन के भीतर पुनर्बीमा व्यवस्थाओं से संबद्ध समझौते की परिधियाँ या कवर नोट्स प्राधिकरण के पास प्रस्तुत करना आवश्यक है। ये उपाय एक बीमाकर्ता के लिए पर्याप्त और प्रभावी पुनर्बीमा व्यवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसकी ऋणशोधन क्षमता का आंकलन "कुल पुनर्बीमा" के आधार पर किया जाता है।

तालिका 31

भारतीय में शुद्ध प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में भारत में और बाहर किया गया पुनर्बीमा (जीआईसी को छोड़कर)
(प्रतिशत)

अनुभाग	2006 – 2007		2007 – 2008	
	भारत में किया गया	भारत से बाहर किया	भारत में किया गया	भारत से बाहर किया
अग्नि	39.64	15.75	34.89	18.58
मरिन जहाज	25.40	12.05	23.79	10.95
अन्य समुद्र संबंधी	53.88	37.66	31.53	60.93
मोटर	20.92	0.27	32.93	0.36
विमानन	48.92	39.85	40.21	53.76
इन्जीनियरींग	37.33	14.31	40.22	15.10
विविध	22.62	5.42	21.15	5.40
योग	27.20	7.34	29.58	7.75

नियमों के तहत जरूरी है कि प्रत्येक बीमाकर्ता अपनी वित्तीय सामर्थ्य और व्यवसाय के परिमाण के अनुरूप अधिकतम संभव प्रतिधारणा संधारित करे। पुनर्बीमा कार्यक्रम के संचालन के मार्गदर्शी सिद्धान्त इस प्रकार है:

1 देश के भीतर अधिकतम प्रतिधारण,

2 पर्याप्त क्षमता का विकास

3 व्यय होने वाले पुनर्बीमा मूल्य के लिए सर्वोत्तम संभव सुरक्षा को सुरक्षित करना, तथा

4 व्यवसाय के प्रशासन का सरलीकरण

तालिका 32

भारतीय व्यवसाय पर भारत से बाहर पुनर्बीमा का समर्पण (जीआईसी को छोड़कर)

(करोड़ रुपए)

अनुभाग	2006 – 07		2007 – 08	
	समर्पित प्रीमियम	कुल समर्पित लाभ	समर्पित प्रीमियम	कुल समर्पित लाभ
अग्नि	636.83	101.13	651.81	78.94
मरिन जहाज	101.40	42.12	107.57	3.34
अन्य समुद्र संबंधी	255.84	130.95	468.68	53.77
मोटर	26.50	19.02	42.18	-38.18
विमानन	174.85	156.36	166.84	39.86
इन्जीनियरींग	177.90	72.37	208.48	76.66
विविध	321.96	90.63	458.98	213.57
योग	1695.28	612.59	2104.57	428.06

नियमों की यह मांग भी है कि भारतीय बीमाकर्ता सभी बीमाकर्ताओं के परामर्श से पुनर्बीमा अतिशेषों के लिए घरेलु समूह गठित करें।

तालिका 33

भारतीय बाजार में सदस्य कंपनियों का हिस्सा आतंकवाद समूह

बीमाकर्ता	2007-08		2008-09	
	जोखिम क्षमतावार (करोड़ रुपए)	अनुभाग (%)	जोखिम क्षमतावार (करोड़ रुपए)	अनुभाग (%)
जीआईसी	120.60	20.10	150.75	20.10
नेशनल	92.10	15.35	88.89	11.85
न्यू इण्डिया	120.60	20.10	150.75	20.10
ओरिएंटल	69.60	11.60	87.00	11.60
यूनाइटेड इण्डिया	77.16	12.86	96.45	12.86
बजाज अलायंज	6.78	1.13	33.69	4.49
चोलामण्डलम	9.66	1.61	12.00	1.60
यूचर जनरली	—	—	5.00	0.67
शास. बीमा कोष, गुजरात	9.66	1.61	9.66	1.29
एचडीएफसी	2.52	0.42	2.50	0.33
आईसीआईसीआई लॉन्गार्ड	48.00	8.00	60.00	8.00
इको-टोकियो	18.00	3.00	22.50	3.00
रिलायंस	9.66	1.61	12.08	1.61
रॉयल सुन्दरम	6.00	1.00	6.00	0.80
टाटा-एआईजी	9.66	1.61	12.08	1.61
यूनिवर्सल सोम्पो	—	—	0.66	0.09
योग	600.00	100.00	750.00	100.00

2007-08 के दौरान, समूह की कुल समर्पित प्रीमियम थी रु. 153.81 करोड़ और भुगतान किए गए दावे थे रु. 1.05 करोड़। पिछले वर्ष में भुगतान किए गए रु. 1.31 करोड़ के दावों के साथ समूह की प्रीमियम थी रु. 163.50 करोड़। समूह के अच्छे प्रदर्शन के

मददेनजर, समूह द्वारा प्रस्तुत क्षमता को 1 अप्रैल, 2008 से रु. 750 करोड़ प्रति जोखिम/स्थान तक बढ़ा दिया गया। समूह के सदस्य भी आतंकवाद प्रीमियम दरों में 1 अप्रैल, 2008 से कटौति संबंधी संशोधन के लिए सहमत हो गए।

तालिका 34

आतंकवाद जोखिम बीमा के लिए प्रीमियम की दरें
(1 अप्रैल, 2008 से लागू)

प्रति स्थान कुल बीमित राशि (सामग्री क्षतिपूर्ति + मुनाफे की हानि)	जोखिम श्रेणी	संशोधित दर' (प्रति सहस्र वर्ष)
1 500 करोड़ रुपए तक	औद्योगिक जोखिम	0.22
	गैर-औद्योगिक जोखिम	0.13
	आवासीय जोखिम	0.08
2 500 करोड़ रुपए से अधिक और रु. 2000 करोड़ रुपए तक	प्रथम रु. 500 करोड़ – निम्न अनुसार उपरोक्त (1) धन शेष जमा बीमा राशि पर रु	
	औद्योगिक जोखिम	0.17
	गैर-औद्योगिक जोखिम	0.10
3 2000 करोड़ रुपए से ऊपर	प्रथम रु. 2000 करोड़ – निम्न अनुसार उपरोक्त (1) धन शेष जमा बीमित राशि पर रु	
	औद्योगिक जोखिम	0.13
	गैर-औद्योगिक जोखिम	0.08

* दरें पूर्ण बीमा राशि पर ली जाना है (एमडी+एलओपी)

तालिका 35

आतंकवाद जोखिम बीमा के लिए सुरक्षा सीमा
(1 अप्रैल, 2008 से लागू)

कुल बीमा धन (एमडी+एलओपी)	समग्र (एमडी+एलओपी) दायित्व पूंजी प्रति स्थान/परिसर
रु. 750 करोड़ से अधिक नहीं	कुल बीमित राशि
रु. 750 करोड़ से अधिक	रु. 750 करोड़

पुनर्बीमा परामर्श समिति

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पुनर्बीमा परामर्श समिति के परामर्श से प्रत्येक बीमाकर्ता भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के साथ प्रत्येक साधारण बीमा पॉलिसी पर बीमा राशि के ऐसे प्रतिशत की बीमित राशि का बीमा करेगा जो प्राधिकरण के द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी, जिसे अनिवार्य अर्पण या वैधानिक अर्पण के रूप में भी जाना जाता है।

इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण अधिसूचना के द्वारा अ) भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के साथ पुनर्बीमित किए जाने वाली प्रत्येक पॉलिसी पर बीमित राशि का प्रतिशत निर्दिष्ट कर सकती है और बीमा की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग प्रतिशत प्रतिशत निर्दिष्ट किए जा सकते हैं बशर्त इस प्रकार निर्दिष्ट कोई भी प्रतिशत इस प्रकार की पॉलिसी पर बीमित राशि के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, और ब) वह अनुपात भी निर्दिष्ट कर सकती है जिसमें भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के बीच कथित प्रतिशत का आवंटन किया जाएगा।

पुनर्बीमा परामर्श समिति ने फरवरी, 2007 में सम्पन्न अपनी पिछली बैठक में प्राधिकरण को सिफारिश की कि अनिवार्य अभ्यर्पण को विद्यमान 20 प्रतिशत दर को वर्ष 2007-08 के लिए 15 प्रतिशत तक और वर्ष 2008-09 के लिए 10 प्रतिशत तक कम कर दिया जाए। प्राधिकरण ने यह सिफारिश मंजूर कर ली और अगले दो वर्षों के लिए संशोधित अनिवार्य अभ्यर्पण की दरें जारी कर दी। वर्ष 2007-08 हेतु देश के लिए समग्र हिस्सेवार प्रतिधारिता विवरण 28 में प्रस्तुत है। प्राधिकरण ने यह भी निर्णीत किया कि वर्ष 2008-09 के लिए वैधानिक अभ्यर्पण हेतु कमीशन

और मुनाफे की शर्तों पर बीमाकर्ता और भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के बीच आपसी चर्चा द्वारा सहमति दी जाए।

बीमाकर्ताओं के निवेशों की निगरानी

(क) बीमा क्षेत्र के निवेश

बीमाकर्ताओं द्वारा जीवन और गैर-जीवन दोनों पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए किए गए निवेश, अलग अलग निम्न तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 36

बीमाकर्ताओं के निवेश

(करोड़ रुपए)

बीमाकर्ता	जीवन		गैर -जीवन		कुल	
	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
सार्वजनिक क्षेत्र	559201	674475	44171	47216	603372	721691
		(20.61)		(6.9)		(19.61)
निजी क्षेत्र	44979	87566	6212	9064	51191	96630
		(94.68)		(45.91)		(88.75)
कुल।	604180	762041	50383	56280	654563	818321
		(26.13)		(11.70)		(25.02)

एलआईसी के निवेश में 20.61 प्रतिशत (इसके विशाल आधार की दृष्टि से) की वृद्धि हुई और, निजी बीमाकर्ताओं के मामले में, वृद्धि 94.72 प्रतिशत थी। सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमा कंपनियों के निवेशों में होने वाली वृद्धि 6.9 प्रतिशत थी और निजी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के लिये यह 45.91 प्रतिशत थी। 31 मार्च, 2008 को, बीमा उद्योग द्वारा किए गए कुल निवेश पिछले वर्ष के रु. 654563 के विरुद्ध रु. 818321 तक बढ़ गए। एक ओर जीवन बीमाकर्ताओं के निवेशों में 26.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ये रु. 762041 तक बढ़ गए जबकि गैर जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में यह वृद्धि 11.70 प्रतिशत होकर रु. 56280. करोड़ तक हो गई।

(ख) जीवन बीमाकर्ता

2007-08 के दौरान परंपरागत उत्पादों से एकत्र प्रीमियम से हुए वृहद स्वरूप के निवेश 2006-07 में उसी स्वरूप में बने रहे। फिर भी, आधारभूत और सामाजिक क्षेत्र में किए जाने वाले निवेशों में 13 से 10.91 प्रतिशत तक की गिरावट आयी।

तालिका 36 (I)

कुल निवेश : लेखपत्र वार

(करोड़ रुपए)

परंपरागत उत्पादों से निवेश	2005-06		2006-07		2007-08	
	राशि	योग से प्रतिशत	राशि	योग से प्रतिशत	राशि	योग से प्रतिशत
1 केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ समेत अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	296377.00	64.25	335187.00	62.40	381101.00	60.62
1अ. इसमें से केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ	238089.00	51.62	275099.00	51.22	297533.00	47.33
2 अधोसंरचना तथा सामाजिक क्षेत्र	49638.50	10.76	69837.00	13.00	68600.00	10.91
3 नवेश, निवेश मापदण्ड पर निर्भर जिसमें अनुमोदित	115247.00	24.99	132106.00	24.59	178957.00	28.47
3अ. इसमें से अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त	26698.60	5.79	30049.00	5.59	36149.00	5.75
क योग (1+2+3)	461263.00	100.00	537130.00	100.00	628659.00	100.00
यूलिप निधियाँ						
4 अनुमोदित निवेश	23401.00	90.39	57587.24	85.89	111511.00	83.60
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त	2487.12	9.61	9462.56	14.11	21871.00	16.40
ख योग (4+5)	25888.10	100.00	67049.80	100.00	133382.00	100.00
कुल योग (क+ख)	487151.10		604179.80		762041.00	

(ग) निवेशों का निधिवार स्वरूप के निवेशों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण झुकाव आया है। इसे आगे यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष से यूनिट लिंकड निधियों तालिका 35 में विश्लेषित किया गया है।

तालिका 36 (II)

जीवन बीमाकर्ता के निवेश रु निधि वार

(करोड़ रुपए)

बीमाकर्ता	जीवन-निधि		पेंशन तथा सामान्य वार्षिकी निधि		समूह पेंशन तथा वार्षिकी निधि को छोड़कर समूह		यूनिट लिंकड निधि		समस्त निधियों का योग	
	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
एलआईसी निजी क्षेत्र	453440.06	526105.00	35062.29	40200.00	34445.98	40191.00	36252.24	67978.00	559200.56	674475.00
योग	12115.24	18645.00	2001.28	3274.00	65.16	244.00	30797.56	65404.00	44979.24	87567.00
	465555.30	544750.00	37063.57	43474.00	34511.13	40435.00	67049.80	133382.00	604179.80	762041.00
	(77.06)	(71.49)	(6.13)	(5.70)	(5.71)	(5.31)	(11.1)	(17.50)		

टिप्पणी : 1) आंकड़ें आईआरडीए को प्रस्तुत अस्थायी प्रतिवेदनों पर आधारित हैं।

2) कोष्ठक में दिये गए आंकड़े संबंधित योग के प्रतिशत हैं।

(घ) यूनिट लिंकड तथा परंपरागत व्यवसाय के निवेशों की वृद्धि वर्ष दर वर्ष आधार पर, पिछले 4 वर्षों के दौरान परंपरागत कोषों के विरुद्ध निवेशों में यूलिप निधियों के प्रतिशत में वृद्धि (तालिका 32) का प्रतिशत यह दर्शाता है कि यूनिट लिंकड व्यवसाय में

निवेश वृद्धि 2003-04 में प्रारंभ हुई। तब तक के कुल निवेश सिर्फ परंपरागत, समूह और वार्षिकी व्यवसायों में ही होते थे।

तालिका 37

कुल निवेश : निधिवार

(करोड़ रुपए)

कोष	2005-06		2006-07		2007-08	
	योग	% वृद्धि	योग	% वृद्धि	योग	% वृद्धि
जीवन	397188.66	8.46	465555.3	17.21	544750	17.01
पेंशन तथा साधारण वार्षिकी	37264.29	209.92	37063.57	-0.54	43474	17.30
समूह	26809.63	-37.19	34511.14	28.73	40435	17.17
परंपरागत (क)	461262.59	181.19	537130.01	+45.40	628659	+51.48
परंपरागत (क)	25888.14	243.92	67049.8	159.00	133382	98.93
कुल निवेश	25888.14	243.92	67049.80	159.00	133382	98.93
TOTAL INVESTMENTS	487150.73		604179.81		762041	

2005-06 में यूनिट लिंकड निवेशों के संचयी शेष रु. 25888 करोड़ सूचित किए गए थे जो 2006-07 में रु. 67049 तक बढ़ गए और इसके बाद 2007-08 में रु. 133382 हो गए। एक वृद्धिशील आधार पर, जबकि पिछले 2 वर्षों के दौरान निवेशों की वृद्धि परंपरागत उत्पादों के संबंध में एक स्थायी प्रवृत्ति दर्शा रही है, यूनिट लिंकड व्यवसाय के संबंध में होने वाले निवेशों में सीधे-सीधी वृद्धि हुई है।

गैर - जीवन बीमाकर्ता

31 मार्च, 2008 को गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के कुल निवेशों में से, रु. 20187 करोड़ केन्द्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में, रु. 7660 करोड़ अधोसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में और रु. 24543 करोड़ का निवेश जोखिम मानकों पर आधारित था। 31 मार्च, 2007 को निवेशों के आकार क्रमशः रु. 18867 करोड़, रु. 6102 करोड़, रु. 21672 करोड़ थे।

तालिका 38

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश : निधिवार

(करोड़ रुपए)

निवेशों की शैली	2005-06		2006-07		2007-08	
	योग	निधि का %	योग	निधि का %	योग	निधि का %
1 सरकारी प्रतिभूतियों सहित अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	16740	40	18866	37	20187	35.87
1क इनमें से सरकारी प्रतिभूतियाँ	11670	28	13231	26	14054	24.97
2 आवासीय तथा अग्निशामक उपकरण	3107	7	3742	7	3891	6.91
3 अधोसंरचना तथा सामाजिक क्षेत्र	4980	12	6102	12	7660	13.61
4 जोखिम मानकों पर आधारित निवेश (ओटीएआई सहित)	17492	41	21671	43	24543	43.61
4 क अनुमोदित निवेशों से अलग	4078	10	3884	8	4342	7.71
योग	42319	100	50382	100	56281	100

नोट : एआईसी ऑफ इण्डिया को शामिल नहीं किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियों ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में (उनके कुल निवेश का 35.79 प्रतिशत) रु. 16903 करोड़, रु. 5843 करोड़ (उनके कुल निवेश का 12.37 प्रतिशत) आधारभूत और सामाजिक क्षेत्र में और (कुल निवेशों का 45.18 प्रतिशत) रु. 21335 करोड़ जोखिम मानकों के अनुरूप का निवेश किया जबकि पिछले वर्ष इनके द्वारा इन मदों में किए गए निवेश क्रमशः 16606 करोड़ (37.59 प्रतिशत), रु. 5051 करोड़ (11.43 प्रतिशत) और रु. 19323 करोड़ (43.74 प्रतिशत) थे। उपरोक्त क्षेत्रों में निजी बीमाकर्ताओं के द्वारा 31 मार्च, 2007 को किए गए निवेश रु. 2260 करोड़ (36.39 प्रतिशत), रु. 1052 करोड़ (16.93 प्रतिशत) और रु. 2349 करोड़ (37.81 प्रतिशत) के विरुद्ध किए निवेश रहे क्रमशः रु. 3283 करोड़ (36.22 प्रतिशत), रु. 1816 करोड़ (20.03 प्रतिशत) और रु. 3208 करोड़ (35.39 प्रतिशत)।

स्वास्थ्य बीमा

वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

स्वास्थ्य बीमा के प्रति बढ़ती जागरूकता, स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती कीमतें, और हाल ही में साधारण बीमा उद्योग की दरों में कटौति (जिससे स्वास्थ्य बीमा और अन्य व्यक्तिगत प्रकार के व्यवसायों की ओर बीमा कंपनियों के प्रयास और प्रभाव बढ़े हैं) पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य बीमा के प्रमुख वाहक बन गए हैं।

हाल ही के वर्षों में भारत में स्वास्थ्य बीमा गैर-जीवन बीमा उद्योग में सबसे अधिक बढ़ता हुआ क्षेत्र बन गया है, और 2007-08 के दौरान रु. 5100 करोड़ की प्रीमियम के साथ इसमें 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए यह एक बढ़ते हुए महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में भी उभरा है, और अनेक प्रमुख जीवन बीमा कंपनियों के पास अब स्वास्थ्य बीमा उत्पाद उपलब्ध हैं, और इनमें से उत्कृष्ट उत्पाद पिछले 6 माह ही में प्रस्तुत किए गए हैं। पिछले 6 वर्षों के दौरान, स्वास्थ्य बीमा उत्पादों से प्राप्त प्रीमियम वर्ष 2001-02 में रु. 675 करोड़ से बढ़ कर 2007-08 में रु. 5100 करोड़ हो गई है। 2005-06 से तुलना करने पर, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 2005-06 के कोई रु. 2200 करोड़ के स्तर में 2007-08 तक 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पिछले वर्षों में स्वास्थ्य बीमा के अन्तर्गत सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या में भी स्थायी रूप से वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य बीमा में इन वृहद संभावनाओं पर विचार करते हुए इस क्षेत्र में होने वाली कोई भी वृद्धि छोटी ही प्रतीत होती है। स्वास्थ्य सुरक्षा की अनुपस्थिति में, कम आय वाले व्यक्तियों के मामले में अस्पताल में भर्ती होने के आर्थिक प्रभाव काफी तीव्र हो सकते हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि क्योंकि स्वास्थ्य सुरक्षा की अनुपस्थिति से आर्थिक हानि

होती है, इसलिये देश में बढ़ती गरीबी का यह एक प्रमुख कारण हो सकता है। अनेक राज्यों ने हाल ही में गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के सहयोग से अपने असुरक्षित समूहों को ऐसी स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय जरूरतों में सहायता के लिए बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। कुछ प्रमुख योजनाएँ हैं आन्ध्रप्रदेश में राजीव आरोग्यश्री योजना और केन्द्र के सहयोग से देश भर के अनेक राज्यों में प्रारंभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाय)। ऐसी योजनाओं ने देश में स्वास्थ्य बीमा के कुछ स्वरूपों से सुरक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि की है।

स्वास्थ्य बीमा पर आईआरडीए के पहल

स्वास्थ्य बीमा के लिए इसकी विकासात्मक भूमिका में आईआरडीए अनेक पूर्व-सक्रिय प्रयास कर रहा है। प्राधिकरण ने 2003 में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यकारी समूह की स्थापना की है जो स्वास्थ्य बीमा उद्योग के विभिन्न अंशधारकों के लिए मिलजुल कर कार्य करने और क्षेत्र में संबद्ध मुद्दों पर समाधान सुझाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके बाद, स्वास्थ्य बीमा के लिए सटीक और ससमय आंकड़ों के महत्व को समझते हुए, एक उप समूह ने स्वास्थ्य बीमा पर मानकीकरण की जरूरत पर ध्यान दिया, और एक मानक आंकड़ा प्रस्तुतिकरण प्रारूप तैयार किया है। इस प्रणाली को लागू कर दिया गया है और करीब 4 वर्षों से मुम्बई में टैरिफ परामर्श समिति में प्रभावशील है जहां बीमित व्यक्तियों और दावों पर विचारणीय आंकड़े एकत्रित और विश्लेषित किए गए हैं। आंकड़ा संग्रह और विश्लेषण की प्रक्रिया और कारगर बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। 2006-07 के लिए, संग्रहण इकाई ने 16.3 लाख बीमित लोगों, 3.8 लाख पॉलिसियों और 1 लाख दावों पर आंकड़े एकत्रित किए और इन आंकड़ों की गुणवत्ता में निरन्तर सुधार आ रहा है।

2004 में, आईआरडीए ने विशेष रूप से एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के पंजीयन क्षेत्र में ध्यान देने और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों में नवीनता लाने के लिए सुझाव देने के लिए उप समितियाँ भी नियुक्त की। इन उप-समितियों की सिफारिशों ने इन क्षेत्रों में प्रगति के द्वार खोले हैं। उद्योग दो एकल आधार वाली कंपनियों, मे. स्टार हेल्थ एण्ड एलाईड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा मे. अपोलो डीकेवी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रवेश का साक्षी बना है। ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीन और प्रगतिशील उत्पादों को तैयार किया जाकर उपलब्ध करा दिया गया है। ।

स्वास्थ्य बीमा : पहल

अक्टूबर 2007 में, भारतीय उद्योग संघ ने अपना प्रथम स्वास्थ्य बीमा सम्मेलन आयोजित किया, और सम्मेलन में प्रकट किए गए विचारों से यह स्पष्ट हो गया कि स्वास्थ्य बीमे के क्षेत्र में ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर औद्योगिक इकाईयों, नियंत्रक और सरकार द्वारा बहुत अधिक विचार विमर्श, प्रयास और कार्यवाही की जरूरत है। स्वास्थ्य बीमा के आंकड़ों, सेवा प्रदाता और भुगतानकर्ता मानकों तथा स्वास्थ्य बीमा जागरूकता तथा संवाद से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से कार्य करने के लिए इन चार कार्यकारी समूह के गठन में आईआरडीए ने सीआईआई को सक्रिय सहयोग दिया। इन समूहों में आईआरडीए और सीआईआई के प्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य बीमा अर्थ-व्यवस्था के बीमाकर्ता, प्रदाता, टीपीए, बीमांककों, आईटी कंपनियाँ, अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियाँ और अन्य अंशधारक थे, और समूहों के मध्य तथा इन समूहों से बाहर अन्य अंशधारकों के साथ, अनेक महीनों के विचार विमर्श के बाद मुम्बई में मई, 2008 में आयोजित एक सम्मेलन में उनकी प्रमुख सिफारिशों को प्रस्तुत किया।

स्वास्थ्य बीमा आंकड़ा संग्रह का विकास और अंशधारकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए, कारगर व्यवस्था सुझाने के उद्देश्य से आंकड़ा मानकीकरण समूह का गठन किया गया था। समूह के परामर्श का समावेश यह था कि आईआरडीए के पास उपलब्ध विद्यमान आंकड़े पर्याप्त गुणवत्ता के हैं और आंकड़ों के विस्तारित विश्लेषण के उपयुक्त हैं और गंभीर व्यवसाय चातुर्य को बढ़ाते हुए अधिकतर व्यवसायिक निर्णयों में आगे विकास हेतु एक वैज्ञानिक औचित्य प्रदान करते हुए प्रगति में सहायक हैं। समूह ने सुझाव दिया कि संग्रह के लिए प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का विशेषज्ञों के एक समूह के मार्गदर्शन में नियमित रूप से विश्लेषण होना चाहिए। इसने यह भी सुझाव दिया कि इस विस्तृत विश्लेषण के परिणाम को आईआरडीए सार्वजनिक रूप से जाहिर कर सकता है। आंकड़ा संग्रह प्रणाली का विस्तार स्वास्थ्य उत्पाद बेच रहे सभी बीमाकर्ताओं (जीवन और साधारण दोनों) तक होना चाहिए। आईआरडीए को आंकड़ा संग्रहण का संधारण करना चाहिए और नियामक प्रावधानों के अनुसार बीमाकर्ताओं और टीपीए द्वारा आंकड़ों की प्रस्तुति का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। समूह ने सिफारिश की कि अस्पतालों तथा स्वास्थ्य प्रदायकों के द्वारा संग्रहण में सूचनाओं की प्रस्तुति के लिए एक व्यवस्था बनायी जाना चाहिए ताकि गैर बीमित जनसंख्या के आंकड़े भी उपलब्ध हो जिससे अस्वस्थता के आधार पर सूचनाओं का आधार मजबूत होगा।

स्वास्थ्य बीमा दावों को प्रस्तुत करने के लिए एक सामान्य मानक दावा प्रारूप प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे न केवल चाही गई जानकारियाँ प्राप्त करने में बल्कि दावों के तीव्र निपटान में भी सुविधा होगी। निदान (आईसीडी - 10 कोड्स का इस्तेमाल करते हुए) और प्रक्रियाओं (आईसीडी 9 पीसीएस कोड्स का इस्तेमाल करते हुए) के मानकीकृत कोडिंग को सशक्त बनाना होगा। इसके लिए बीमा कंपनियों और टीपीए के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स, बीमाकर्ताओं और दावा निपटान अधिकारियों के निरन्तर प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

ज्वीमाकर्ताओं/टीपीए के स्टॉफ को निदान कोड्स के आवंटन में प्रशिक्षण में सहायता देने के लिए समूह द्वारा एक सरल ड्राफ्ट-डाउन आईसीडी 10 कोडिंग टूल विकसित किया गया था और इसे आईआरडीए की वेबसाइट पर प्रस्तुत किया गया है। बीमाकर्ताओं और टीपीए को आंकड़ों के संकलन तथा प्रस्तुततिकरण के लिए अपनी आईटी योग्यताओं को प्रदर्शित करना होगा। समूह ने सुझाव दिया कि आईआरडीए स्वास्थ्य बीमे को बीमा कंपनियों द्वारा एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है ताकि स्वास्थ्य बीमे पर बेहतर तरीके से ध्यान आकर्षित हो और इसके लिए बेहतर किस्म के गुणवत्तापूर्ण आंकड़े प्राप्त हो और वैज्ञानिक बीमांकन में सुविधा मिल सके। स्वास्थ्य बीमा आईआरडीए के लिए एक केन्द्र बिन्दु होना चाहिए। आईआरडीए को स्वास्थ्य विभाग को सशक्त बनाना चाहिए और स्वास्थ्य बीमा परिषद् जैसी एक स्वतंत्र शासी निकाय संस्था पर विचार करना चाहिए। समूह ने यह भी सुझाव दिया कि विश्लेषकों/शोधकर्ताओं के लिए दस्तावेजों का एक नमूना आईआरडीए की वेबसाइट

पर भी डाला जाना चाहिए ।

उपचार और बीलिंग में मानकीकरण और पारदर्शिता अर्जित करने की कार्यप्रणाली पर सुझाव देने के उद्देश्य पर कायम रहते हुए, प्रदाता मानकीकरण समूह ने सुझाव दिया कि उद्योग अंशधारकों के बीच प्रभावी और सुस्पष्ट संवाद स्थापित करने के लिए मानक उपाय लागू कर सकते हैं। प्रमाणीकरण, नियमितीकरण, गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम, वरिष्ठों की समीक्षा, उपभोक्ता शिक्षा, 'अधिकारिक मान्यता प्रणाली जैसी कार्यप्रणाली और बीमे के प्रयोजन से अस्पतालों के श्रेणीकरण और वर्गीकरण के मानकों पर विचार किया जाना है। यह सुझाव दिया गया था कि प्रदाता को प्रत्येक टीपीए की स्टेशनरी स्टॉक करने की जरूरत का निराकरण करते हुए, समस्त टीपीए के उपयोग के लिए एक समान पूर्व प्राधिकार प्रपत्र को विकसित किया जाए। देखभाल की गुणवत्ता सुधारने और समूह द्वारा चिकित्सकीय मार्गदर्शिकाओं के विकास में स्टेडरजाइज्ड ट्रीटमेन्ट गाइडलाइन्स (एसटीजी), (मानकीकरण उपचार मार्गदर्शिकाएँ) सहायक हो सकती है। यह महसूस किया गया कि आईसीडी 10 के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए कुछ लघु अवधि और दीर्घ अवधि के उपायों की रूपरेखा बनानी होगी। समूह ने सिफारिश की कि प्रशिक्षण अधोसंरचना, माड्यूलस और आईसीडी-10 में कोर प्रशिक्षक को तैयार करने की जरूरत है ।

पेयर स्टेण्डर्ड्स समूह ने प्रमुख प्रक्रियाओं और शब्दावली के मानकीकरण की कार्यप्रणाली सुझाने पर जोर दिया जो पॉलिसीगत शब्दों, बीमांकन और दावा प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। समूह ने सिफारिश की कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राहकों का दावे की अवस्था पर बीमा नहीं किया जाए, सभी स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का बीमांकन पॉलिसी लेने के समय इस तरीके से होना चाहिए जो मूल्यगत कार्यपॉलिसी और बीमा कंपनी के जोखिम क्षमता के अनुरूप हो। प्रत्येक कंपनी को एक आन्तरिक बीमांकन पॉलिसी की कार्यप्रणाली निर्दिष्ट करना होगी। इस पॉलिसीगत कार्यप्रणाली में कंपनी का समग्र जोखिम दर्शन स्पष्ट प्रदर्शित होना चाहिए और यह प्रत्येक बीमा कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। बीमांकन पॉलिसी को एक बीमांकन पुस्तिका में दर्ज होना चाहिए जिसे प्रत्येक नये उत्पाद की प्रस्तुति पर अद्यतन किया जाना चाहिए – और इसे एक सामान्य फाईल और प्रक्रिया के अंग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

एक सर्वोत्तम बीमांकन संरचना में सहायता प्रदान करने के लिए एक सशक्त बीमांकन प्रशिक्षण कार्यपॉलिसी संरचना विकसित करना चाहिए। प्रत्येक बीमाकर्ता को दावा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक सर्वोत्तम दावा प्रबंधन संरचना लागू करना चाहिए। जनता को "टर्न अराउण्ड टाइम" (टीएटी) – कार्य करने के लिए आवश्यक समय – पर जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए और आईआरडीए को इस पर नजर रखनी चाहिए। प्रत्येक बीमा कंपनी को एक दावा पुस्तिका तैयार करना होगी जिसमें कंपनी की दावा प्रक्रिया के साथ साथ दावों की प्रक्रिया और प्रत्येक उत्पाद पर प्रबंधन मार्गदर्शिका का वर्णन होगा। सामान्य तौर पर उपयोग में आने वाले समस्त स्वास्थ्य बीमे संबंधी समस्त शब्दों को ग्राहक को भेजे जाने वाले पॉलिसी किट में साधारण व्यवसायिक अंग्रेजी में व्यक्त किया जाना चाहिए। इन्हें विवरणात्मक प्रकृति का होना चाहिए – इनसे बीमा कंपनी की विधिक स्थिति में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। बीमाकर्ताओं के पास निवेश सूची स्तर पर जोखिम पुनर्मूल्यांकित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पुनर्मूल्यांकन को पॉलिसीयों की एक श्रेणी के लिए अनुमत होना चाहिए और किसी वैयक्तिक पॉलिसी स्तर के लिए नहीं। समूह ने भुगतानकर्ता और प्रदाताओं के बीच एकीकरण और संवाद पर अतिरिक्त जोर देने की सिफारिश की है। "वहनीयता प्रकटीकरण" के माध्यम से ग्राहक के लिए लाभों की वहनीयता की पारदर्शिता को पॉलिसी के नियम तथा शर्तों के एक भाग के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

उपभोक्ता शिक्षा तथा स्वास्थ्य बीमा जागरूकता के प्रति सामंजस्यता लाने के उद्देश्य से संवाद तथा जागरूकता समूह स्थापित किया गया। समूह ने सन्देश प्राप्तकर्ता और बाजार की प्रकृति के आधार पर बहु जागरूक सन्देशों को तैयार करने की सिफारिश की। संवाद के प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि स्वास्थ्य बीमा क्या है और यह किस तरह कार्य करता है। उद्देश्य जोखिम समूहों, सही उत्पाद किस तरह चुना जाना है, इस संबंध में उपभोक्ता को शिक्षा प्रदान करने, स्वास्थ्य बीमे

की एक सकारात्मक छवि बनाने और स्वास्थ्य आपदाओं में सुरक्षा प्रदान करने की इसकी भूमिका, उत्पादों/सेवाओं के लाभों पर स्पष्टता प्रदान करने और प्रमुख नियम तथा शर्तों और स्वास्थ्य बीमा किस क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करता है और क्या नहीं, इसके विवरण तथा उपभोक्ताओं को शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया के संबंध में उन्हें शिक्षित करना होंगे। समूह ने एक समूह के गठन की सिफारिश भी की जो एक स्थायी अभियान प्रारंभ करे और उसे चलाए तथा क्षेत्रीय मीडिया, समाचार मीडिया, कार्यक्रमात्मक या फिल्म प्रमोशन और बड़ी हस्तियों की मान्यता वाले अभियान जैसे माध्यमों का उपयोग कर सके।

2007 के दौरान, फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (फिक्की) ने भी स्वास्थ्य बीमों की दीर्घशीलता पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। आईआरडीए के अध्यक्ष ने अपने प्रमुख उद्बोधन में सुझाया कि बीमाकर्ताओं और प्रदाताओं को स्वास्थ्य बीमे में स्थायित्व लाने के प्रति संयुक्त रूप से प्रयास करने चाहिए, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य बीमा पर एक फिक्की उप समिति का गठन हुआ जिसे आईआरडीए का सक्रिय सहयोग प्राप्त है। उप-समिति को बीमाकर्ताओं और प्रदाताओं से समान रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है तथा वर्तमान में यह अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित कारणों के लिए देखभाल के मानकों को विकसित करने के लिए कार्य कर रही है जिससे निकट समय में अस्पताल सेवाओं और स्वास्थ्य बीमे के बेहतर मूल्यों को प्राप्त होने में सहायता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य बीमे में स्थायित्व लाने हेतु अस्पतालों और बीमा कंपनियों को उनके सामुहिक प्रयासों में उप समिति एक मंच का कार्य भी कर रही है।

इस कार्य समूहों और उप समूहों की सिफारिशें व्यापक हैं और इनमें स्वास्थ्य बीमा के विभिन्न पहलुओं का समावेश है। विशिष्ट सिफारिशों का एक चरणबद्ध क्रियान्वयन जिसमें वे सिफारिश भी शामिल है जो स्वास्थ्य बीमा को लोकप्रिय बनाने में, वहनीय मूल्यों पर स्वास्थ्य बीमा को प्रदान करने और स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को विकसित करने में सहायक हैं, यह स्वास्थ्य बीमा अर्थ-व्यवस्था की प्रगति में सहयोग प्रदान करेगा जो उपभोक्ताओं और उद्योग सभी के लिए हितकर है।

अस्पताल का दैनिक नकद मुनाफा और अस्पताल में भर्ती/गंभीर बीमारी के फायदे वाले उत्पादों में क्षतिपूर्ति उत्पादों की विविधता भी जुड़ गई है जिन्होंने अब तक बाजार पर प्रभुत्व जमा रखा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, कुछ विशिष्ट रोगों जैसे मधुमेह और कैंसर के लिए कुछ उत्पादों को चिन्हित किया गया है। निचली सामाजिक-आर्थिक समूहों के लिए, बाह्य रोगी सुरक्षा और वे जो पूर्व में विद्यमान रोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं, उपलब्ध है जिनमें से अब तक कोई भी उपलब्ध नहीं थे। प्रगतिशीलता की यह रतार स्थायित्व के साथ बढ़ रही है।

हाल ही के वर्षों में अन्य समितियों ने जिन्होंने स्वास्थ्य बीमा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया था, उनमें शामिल है ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा पर समितियाँ और संसद की संसदीय मामलों की समिति। अप्रैल 2007 में, आईआरडीए ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर एक समिति नियुक्त की जो उन समस्याओं पर गौर करेगी और अपनी सिफारिशें पेश करेगी जिनका सामना स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ नागरिक करते हैं। समिति ने नवंबर 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अनेक सिफारिशें की, जिनमें से कुछ पर सरकार को और कुछ पर आईआरडीए को कार्यवाही करना है। इनमें से अनेक सिफारिशें प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर ली गई है और इन पर क्रियान्वयन की कार्यवाही की गई है

आईआरडीए ने औद्योगिक क्षेत्रों के साथ मिलकर स्वास्थ्य बीमा से संबद्ध क्षेत्रों पर भी कार्य किया है। प्रथम सीआईआई स्वास्थ्य बीमा सम्मेलन मुम्बई में 5 अक्टूबर, 2007 को सम्पन्न हुआ। आईआरडीए ने भारतीय उद्योग संघ द्वारा 4 कार्यकारी समूहों के गठन में सहयोग दिया जिसने स्वास्थ्य बीमा के विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे आंकड़ा मानकीकरण, प्रदाता मानक, अदाता का मानकीकरण और स्वास्थ्य बीमा पर जागरूकता पर विचार विमर्श किया। इन समूहों ने अपनी सिफारिशें अप्रैल, 2008 में प्रस्तुत की। स्वास्थ्य बीमा के स्थायित्व पर फिक्की की कार्यशाला दिल्ली में 29 नवंबर, 2007 को सम्पन्न हुई। आईआरडीए ने फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की एक उपसमिति में भी प्रतिभागिता की जो स्वास्थ्य बीमा के स्थायित्व से संबद्ध मुद्दों पर विचार विमर्श कर रही है।

साधारण बीमा ने “पूर्व विद्यमान रोगों” की एक समान परिभाषा के मानकीकरण और इन शब्दों को हटाने हेतु कड़े प्रयास किए हैं और ये 1 जून, 2008 से प्रभावी हो गया है। ऐसी आशा की जाती है कि शब्दावली का ऐसा मानकीकरण अधिक स्पष्टता से और पॉलिसी के शब्दों में न्यूनतम अस्पष्टता से बीमित व्यक्तियों को सहायता मिलेगी और बीमित व्यक्तियों को उपलब्ध स्वास्थ्य बीमा

उत्पादों से तुलना में मदद मिलेगी।

2007-08 के दौरान, आईआरडीए ने प्राधिकरण में विशेषज्ञों के साथ एक पृथक स्वास्थ्य अनुभाग भी स्थापित किया है और विद्यमान संसाधनों में वृद्धि की योजना भी बना रहा है।

तृतीय पक्ष प्रशासक

तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए-थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स) की वृद्धि, व्यवसाय की संख्या और परिमाण, दोनों ही अनुपात में हुई है। 2007-08 के दौरान, दो और कंपनियों को टीपीए के रूप में कार्य करने का लाइसेंस दिया गया है। एक कंपनी, डॉन सर्विसेस प्रा. लि. ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया। इसके अतिरिक्त, टीपीए ने अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार किया है और उन लोगों को शामिल किया है जो आईसीडी-10 में प्रशिक्षित हैं ताकि स्वास्थ्य बीमा आंकड़ों के विश्लेषण में सुविधा हो सके। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न हिस्सों में दावों की केशलेस सेटलमेन्ट के लिए कुछ अस्पतालों को टीपीए नेटवर्क में जोड़ा गया है। यह स्वागत का संकेत यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारक देश भर में अनेक अस्पतालों में केशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित तालिका टीपीए की ढांचात्मक सुविधाओं पर प्रकाश डालती है:

वर्ष 2007-08 के दौरान, टीपीए ने 1986859 दावे प्राप्त किए, जो 2006-07 में प्राप्त किए गए 1840298 से 7.96 प्रतिशत अधिक थे। टीपीए ने एक माह की अवधि के भीतर 76.17 प्रतिशत दावों का निपटान कर दिया। बकाया दावों में भी सुधार आया है क्योंकि कुल दावों के प्रतिशत के रूप में बकाया दावों का प्रतिशत 2006-07 के 8.53 से गिर कर 2007-08 में 7.89 हो गया है। निम्नलिखित तालिका टीपीए द्वारा दावों के निपटान में लिया गया समय दर्शाती है।

अपद्ध ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र में व्यवसाय प्राधिकरण ने ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में बीमाकर्ताओं के दायित्व पर नियम बनाए हैं। ऐसे दायित्व को वार्षिक आधार पर पूरा किया जाना जरूरी है। इन नियमों के अन्तर्गत बीमाकर्ताओं को उनके संचालन के वर्षारंभ में व्यवसाय अंकित करना होता है। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए, नियमों में आगे यह प्रावधान है कि यदि एक इश्योरेंस कंपनी वित्तीय वर्ष के दूसरे अर्द्धभाग में संचालन प्रारंभ करती है और संबद्ध वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को छः माह से कम अवधि के लिए संचालन में है, (1) कथित अवधि के लिए कोई ग्रामीण या सामाजिक दायित्व लागू नहीं होंगे और (2) वार्षिक दायित्व जैसे कि नियमों में दर्शाये गए है

तालिका 39

टीपीए (आधारभूत) 2007-08

क्र सं टीपीए का नाम	नेटवर्क में जोड़े गए अस्पताल	कार्यलय की संख्या/ खोली गई शाखाएँ	चिकित्सक/ विशेषज्ञ सहित जोड़ी गई मानव शक्ति
1 मेडी एसीस्ट इण्डिया प्रा. लि.	1,567	15	379
2 एमडी इण्डिया हेल्थकेयर सर्विसेस (प्रा) लि.	401	24	254
3 पेरामाउन्ट हेल्थ सर्विसेज	247	-	-
4 हैरीटेज हेल्थ टीपीए प्रा.लि.	574	2	47
5 मेडिकेयर टीपीए सर्विसेज (आय) प्रा.लि.	833	4	29
6 फेमिली हेल्थ प्लान	-	(2)	(164)
7 रक्षा टीपीए प्रा.लि.	655	5	92
8 टीटीके हेल्थकेयर सर्विसेज लि.	756	1	46
9 इस्ट वेस्ट एसीस्ट प्रा.लि.	155	-	28
10 मेड सेव हेल्थ केयर लि.	443	3	3
11 जेनिन्स इण्डिया लि.	847	5	62
12 एलनकिट हेल्थकेयर	1,322	-	29
13 हेल्थ इण्डिया टीपीए सर्विसेज प्रा.लि.	539	3	63
14 गुड हेल्थ प्लान लि.	2,745	5	75
15 विपुल मेडक्राफ प्रा. लि.	97	2	86
16 पार्क मेडीक्लैम कन्सलटेन्ट्स प्रा.लि.	190	1	21
17 रोथशील्ड हेल्थकेयर (टीपीए) सर्विसेज लि.	976	4	11
योग	12,347	72	1,061

तालिका 40

तृतीय पक्ष प्रशासक – दावों संबंधी आंकड़े

	प्राप्त किए दावे	एक माह के भीतर	1-3 माह के भीतर	3-6 माह के भीतर	6 माह से अधिक	बकाया दावे
2006-07	1840298	1406815	367298	44711	10291	156925
		(76.44)	(19.96)	(2.43)	(0.56)	(8.53)
2007-08	1986859	1513375	302830	48908	12660	156861
		(76.17)	(15.24)	(2.46)	(0.64)	(7.89)

नोट : कोष्ठक में दर्शाई गयी संख्या कुल प्राप्त दावों में से सुलझाए गए दावों का अनुपात (प्रतिशत में) में दर्शाती है।

अगले वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होंगे जिसे अनुपालन के लिए संचालन का प्रथम वर्ष समझा जाएगा। ऐसे मामलों में, जहां एक इश्योरेंस कंपनी वित्तीय वर्ष के प्रथम अर्द्धभाग में संचालन प्रारंभ करती है तो प्रथम वर्ष में लागू होने वाले दायित्व इन नियमों में निर्दिष्ट दायित्वों के 50 प्रतिशत होंगे।

जीवन बीमाकर्ताओं के दायित्व:

क) ग्रामीण क्षेत्र के दायित्व : एलआईसी सहित समस्त 18 जीवन बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों के अपने दायित्व पूरे किए हैं। वर्ष 2007-08 में बीमित कुल पॉलिसीयों के प्रतिशत के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में उनके द्वारा बीमित पॉलिसीयों की संख्या उन पर लागू दायित्वों के अनुरूप थी। 2007-08 के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एलआईसी पॉलिसीयों निर्धारित 24 प्रतिशत से अधिक थी।

ख) सामाजिक क्षेत्र के दायित्व : 2007-08 के दौरान समस्त अठारह जीवन बीमा कंपनियों ने सामाजिक क्षेत्र के दायित्व पूरे किए हैं। सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा सुरक्षा प्रदान किए गए जीवन निर्दिष्ट दायित्वों से अधिक थे। वर्ष 2007-08 के लिए अपने सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों के साथ, एलआईसी ने निर्धारित 20.00 लाख जीवनों से अधिक जीवनों को बीमित किया।

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के दायित्व:

क) ग्रामीण क्षेत्र के दायित्व: बारह निजी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ताओं में से टाटा-एआईजी तथा इको-टोकियो को छोड़ कर शेष सभी ने 2007-08 के लिए ग्रामीण क्षेत्र के दायित्वों की पूर्ति कर ली। कथित क्षेत्र में, 2007-08 में बीमित कुल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में, उनके द्वारा बीमित कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम निर्धारित शर्तों से अधिक थी। 2007-08 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के चार बीमाकर्ताओं में से तीन ने ग्रामीण क्षेत्र के अपने दायित्वों की पूर्ति की और ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने दायित्व की पूर्ति नहीं की। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के संबंध में, उनके दायित्व लेखा वर्ष 2007-08 में उनके द्वारा संपादित व्यवसाय के परिमाण के 6 प्रतिशत हैं।

ख) सामाजिक क्षेत्र के दायित्व: निजी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ताओं में, एचडीएफसी चब को छोड़ कर सभी कंपनियों ने 2007-08 के लिए अपने दायित्वों की पूर्ति कर ली। सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा बीमित किए गए जीवन नियामक शर्तों से अधिक थे। जबकि

दो सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं, बनाम यूनाईटेड इण्डिया और ओरिएंटल इश्योरेंस ने 2007-08 के लिए सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों की पूर्ति की, वहीं न्यू इण्डिया और नेशनल इश्योरेंस इस क्षेत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुपालन नहीं कर सके। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के संबंध में वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए उनके दायित्व सामाजिक क्षेत्र में संबंधित बीमाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2004-05 या 5.50 लाख, जो भी अधिक हो में बीमित जीवनों की संख्या का औसत रहे।

वित्तीय प्रतिवेदन तथा बीमांकिक मानक

वित्तीय प्रतिवेदन

वित्तीय विवरणों में पारदर्शिता तथा प्रकटीकरण में सुधार लाने के लिए प्राधिकरण के द्वारा किए जा रहे उपाय:

1 प्राधिकरण के पास वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों की समीक्षा के एक भाग के रूप में और विश्लेषण के आधार पर, स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाते हैं और/या अनुपालन नहीं होने या जानकारी प्रस्तुत नहीं करने की विभिन्न परिस्थितियों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। जबकि विशिष्ट अनुपालन नहीं करने/विचलनों के बारे में संबद्ध बीमाकर्ता को सूचित किया जाता है, वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कुछ विभिन्न नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में कुछ कमियाँ पायी गईं। अनुपालन नहीं होना और अवलोकित कमियों के दोबारा नहीं होना सुनिश्चित करने की दृष्टि से, प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि पूर्व अवसरों पर जारी स्पष्टीकरणों को बीमाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए एक व्यापक परिपत्र के माध्यम से दोहराया जाए।

2 दिसंबर, 2007 से प्रभावी, सभी बीमाकर्ताओं को आईआरडीए के पास त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। इन विवरणों में शामिल है, तुलन पत्र, राजस्व लेखा (पॉलिसीधारक का लेखा) और लाभ एवं हानि खाता (अंशधारक का खाता)।

(क) नियुक्त बीमांकक प्रणाली

प्रमुख क्षेत्रों में से एक जिस पर बीमांककों का ध्यान जाता है, वह है बीमा कंपनियों में वित्तीय जोखिमों का आंकलन ताकि उनके द्वारा बेचे गए उत्पादों से वित्तीय जोखिम में वृद्धि नहीं हो। इस सन्दर्भ में वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हर समय कंपनी की ऋणशोधन क्षमता बनी रहें।

प्राधिकरण ने वर्ष 2000 में नियुक्त बीमांकक की प्रणाली (एए) प्रचलित की। 2003-04 के दौरान, प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के लिए एक बीमांकक को परिभाषित करते हुए "बीमांकक की योग्यता" नियम अधिसूचित किए। प्राधिकरण के द्वारा एक नियुक्त बीमांकक (एए) के अधिकार और कर्तव्यों को नियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है।

एक गैर-जीवन बीमाकर्ता के मामले में, एए को इन-हाउस गैर-टैरिफ उत्पादों और इनकर्ड बट नाट रिपोर्टेड (आईबीएनआर) रिजर्व के लिए दरें प्रमाणित करना होता है जिन्हें वित्तीय विवरण में "बकाया दावों" के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। बीमा कंपनियों में ऋणशोधन क्षमता की उपलब्धता का विश्लेषण करने के दौरान, बीमांककों के द्वारा तैयार किए गए उत्तरदायित्व के अनुमानों में एकरूपता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए अपनायी जाने वाली एक विधि है, वरिष्ठों की समीक्षा प्रणाली।

समीक्षा समिति

प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने वाले बीमांकक प्रतिवेदन तथा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 13 के अन्तर्गत आवश्यक संक्षेप की समीक्षा के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया जाए। प्राधिकरण ने वर्ष 2008 के लिए एक नई बीमांकक समीक्षा समिति का गठन किया है।

(ख) बीमांकन के मानक

एक्चुरियल सोसायटी ऑफ इण्डिया (एएसआई) ने "नियुक्त बीमांकक और जीवन बीमा" पर प्रथम मार्गदर्शन नोट (जीएन-1 गाइडेंस नोट) जारी कर दिया है। एएसआई ने साधारण बीमाकर्ताओं के नियुक्त बीमांककों के लिए जीएन-21 जारी किया।

फसल बीमा

वर्तमान में, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) सभी कृषकों में से कोई 17 प्रतिशत और फसल क्षेत्र के 20 प्रतिशत को कवर

करती है। सरकार राज्यों को बढ़ावा देकर फसल बीमा के अन्तर्गत अधिक से अधिक फसलें लाने के लिए निवेश में वृद्धि के प्रयास कर रही है। सरकार ने बैंकों को भी एनएआईएस के अन्तर्गत समस्त फसल ऋणों को बीमित करने के निर्देशित किए हैं। 11वीं योजना अवधि के प्रारंभ में योजना आयोग में स्थापित कार्यकारी समूह का 2011-12 तक 40 प्रतिशत फसल क्षेत्र को फसल बीमा के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। एनएआईएस में सुधार लाने के कुछ प्रस्ताव सरकार के पास हैं, जो यदि सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं तो फसल बीमा में निवेश में वृद्धि होगी। कुछ प्रस्ताव हैं:

1 प्रमुख फसलों के लिए बीमा इकाई को ग्राम पंचायत लाया जाए।

2 ग्यारंटेड पैदावार को दीर्घ काल के औसत पर आधारित किया जाए।

3 बुआई पूर्व और कटाई पश्चात् होने वाली जोखिमों के लिए सुरक्षा।

4 मौसम सूचकांक, फसल स्वास्थ्य सूचकांक इत्यादि का इस्तेमाल करते हुए मौसम के दौरान मुआवजे का खाते में भुगतान।

5 स्थानीय जोखिमों जैसे ओला वृष्टि, भू-स्खलन इत्यादि के मामलों में दावों का वैयक्तिक खेत आंकलन।

6 प्रीमियम में सरकार से अग्रिम अनुदान के साथ एनएआईएस को "बीमांकक नियंत्रण" में लाना।

7 फसल बीमा शिक्षा तथा जागरूकता पर केन्द्रित बढ़ते प्रयास।

फसल बीमा में उपग्रह से प्राप्त छवियों का उपयोग:

दूरस्थ संवेदन तकनीक के महत्त्व को समझते हुए, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (एआईसी-एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड) ने फसल बीमा में उपग्रह से प्राप्त छवियों के इस्तेमाल पर कुछ प्रायोगिक अध्ययन आयोजित किए। इस प्रयोगों में शामिल हैं: (1) विभिन्न फसलों के अन्तर्गत फसल के रकबे का अनुमान लगाना, (2) दबाव का पहचान तथा फसल के स्वास्थ्य के बारे में प्रतिवेदन, और (3) बीमा इकाई स्तर पर बीमित फसलों के लिए पैदावार के अनुमान एकत्र करना। उपग्रह से प्राप्त छवियों के साथ कुछ समस्याओं के बावजूद, निकट भविष्य में ब्लाक/तहसील स्तर पर फसलों के पैदावार के अनुमान लगाने में उपग्रह से प्राप्त छवियों का प्रयोग संभव हो सकेगा, जिससे एक ओर फसल बीमा के दावों का त्वरित निपटान संभव होगा, और दूसरी ओर फसलों की पैदावार के अनुमान में मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होगा।

मौसम बीमा:

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) के विकल्प के रूप में कुछ राज्यों में प्रायोगिक आधार पर इन प्रतिरूपों की मजबूती और कमजोरियों के आंकलन के लिए सरकार फसल आधारित कृषि बीमा कर रही है। एनएआईएस के विकल्प के रूप में प्रायोगिक आधार पर मौसम (वर्षा) आधारित कृषि बीमा खरीफ 2007 के मौसम में कर्नाटक में लागू किया गया था और इसके बाद रबी के मौसम में बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में। खरीफ 2008 के मौसम में यह प्रयोग सात और राज्यों (बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान) में विस्तारित किया गया। खरीफ 2008 के मौसम में हरियाणा और पंजाब में भी एक-एक तहसील में प्रायोगिक मौसम बीमा किया गया। तमिलनाडु भी कुछ जिलों में यह प्रयोग करने जा रहा है।

मौसम केन्द्रों (कम से कम प्रति ब्लॉक एक केन्द्र) में वर्षा का अच्छा घनत्व और वास्तविक समय आधार पर वर्षा के आंकड़े मौसम बीमा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, आईएमडी का नेटवर्क अधिकतर जिला मुख्यालय तक सीमित है और बारिश के अधिकतर केन्द्रों पर मौसम बीमा के विस्तार पर अड़ंगे लगाकर हाथों से ही संचालन किया जाता है। हालांकि, हाल ही में आईएमडी ने वर्षा के स्थानों के नेटवर्क को स्वचालित करने और विस्तारित करने का निर्णय लिया है, और तदनुसार, निकट भविष्य में करीब 550 स्वचालित वर्षा वाले केन्द्र और 1350 स्वचालित वर्षा गेज स्थापित होने की संभावना है। आशा है कि इस विस्तार और स्वचालिकरण से मौसम बीमा के विस्तार के

प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

यह जानना महत्वपूर्ण है कि व्यावहारिक 'सभी-जोखिम' वाले एनएआईएस की तुलना में सभी राज्य मौसम बीमा की उपयोगिता से सहमत नहीं है। एक ऐसा दृष्टिकोण है कि मौसम बीमा को इकलौते बीमा के रूप में बढ़ावा देने के स्थान पर एनएआईएस के साथ 'मौसम सूचकांक' को जोड़ना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। एनएआईएस की प्रमुख कमी है दावों के निराकृत होने में लगने वाला विलंब, और इसका समाधान 'मौसम सूचकांक' के आधार पर एक त्वरित 'भुगतान' और पैदावार के सूचकांक के आधार पर अन्तिम भुगतान देकर किया जा सकता है। इस प्रकार, एक कारगर फसल बीमा प्रदान करने के लिए 'पैदावार सूचकांक' और 'वर्षा सूचकांक' आधारित बीमा सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है।

सूक्ष्म-बीमा

जीवन बीमा क्षेत्र

सूक्ष्म-बीमा निवेश ने वर्ष में स्थायी प्रगति की है। और अधिक जीवन बीमाकर्ताओं ने समीक्षा वर्ष में अपने सूक्ष्म-बीमा व्यवसाय प्रारंभ किए हैं और अनेक नये उत्पाद प्रस्तुत हुए हैं। आधारभूत संरचना वितरण भी विचारणीय रूप से सशक्त हुई है और नवीन व्यवसाय ने एक अच्छी प्रगति दर्शायी है, हालांकि राशि अभी भी छोटी हैं।

तालिका 41

2007-08 के लिए सूक्ष्म-बीमा पोर्टफोलियो के अन्तर्गत नवीन व्यवसाय

(प्रीमियम लाख रुपए में)

बीमाकर्ता	वैयक्तिक		समूह		
	पॉलिसीयाँ	प्रीमियम	योजनाएँ	जीवन जिन पर सुरक्षा दी गई	प्रीमियम
निजी योग	83153	209.74	15	874901	871.23
एलआईसी	854615	1613.36	7583	11367126	19256.23
उद्योग योग	937768	1823.10	7598	12242027	20127.46

नोट: नवीन व्यवसाय के प्रीमियम में प्रथम वर्ष की प्रीमियम तथा एकल प्रीमियम सम्मिलित है।

सूक्ष्म-बीमा व्यवसाय का एक बड़ा प्रतिशत समूह निवेश के अन्तर्गत प्राप्त हुआ। जबकि वर्ष में अर्जित वैयक्तिक नवीन व्यवसाय 9.38 लाख पॉलिसियों पर रु. 18.23 करोड़ रहा, समूह व्यवसाय 1.22 करोड़ जीवनो पर रु. 201.27 करोड़ रहा। इस निवेशसूची में अधिकतर अर्जित व्यवसाय एलआईसी का था जिसमें 8.54 लाख जीवनो से रु. 16.13 करोड़ की वैयक्तिक प्रीमियम और 1.14 करोड़ जीवनो से रु. 192.56 करोड़ की समूह प्रीमियम थी।

वित्तीय वर्ष के अन्त तक सूक्ष्म बीमा अभिकर्ताओं की संख्या 4584 रही जिसमें से 4166 केवल एलआईसी के ही थे। नौ जीवन बीमाकर्ताओं ने अब तक 26 सूक्ष्म-बीमा उत्पाद प्रस्तुत किए हैं

जिसमें से 13 वैयक्तिक उत्पाद हैं और बचे हुए 13 समूह सूक्ष्म उत्पाद हैं।

तालिका 42

सूक्ष्म-बीमा अभिकर्ता - जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2007 को	आधिक्य	विलोपन	31 मार्च, 2008 को
निजी	79	341	2	418
एलआईसी	1232	2934	-	4166
योग	1311	3275	2	4584

तालिका 43

सूक्ष्म बीमा पोर्टफोलियो के तहत सामूहिक मृत्यु दावे-2007-08

कुल देय दावे		भुगतान किए गए दावे		दावे निरस्त दावे		(लाभ राशि लाख रु. में)	
जीवनो की संख्या	लाभ की संख्या	जीवनो की संख्या	लाभ की संख्या	जीवनो की संख्या	लाभ की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित दावे	
निजी	1785	259.81	1730	252.12	38	5.00	17 2.69
			(96.92)	(97.04)	(2.13)	(1.92)	(0.95) (1.04)
एलआईसी	41964	11840.00	41958	11836.80	-	-	6 3.20
			(99.99)	(99.97)	-	-	(0.01) (0.03)
उद्योग योग	43749	12099.81	43688	12088.92	38	5.00	23 5.89
			(99.86)	(99.91)	(0.09)	(0.04)	(0.05) (0.05)

तालिका 44

सूक्ष्म बीमा पोर्टफोलियो के तहत वैयक्तिक मृत्यु दावे-2007 - 08

कुल देय दावे		भुगतान किए गए दावे		दावे निरस्त दावे		(लाभ राशि लाख रु. में)	
जीवनो की संख्या	लाभ की संख्या	जीवनो की संख्या	लाभ की संख्या	जीवनो की संख्या	लाभ की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित दावे	
निजी	182	23.07	130	16.33	30	4.06	22 2.68
			(71.43)	(70.78)	(16.48)	(17.60)	(12.09) (11.62)
एलआईसी	318	47.25	309	45.82	1	0.13	8 1.30
			(97.17)	(96.97)	(0.31)	(0.28)	(2.52) (2.75)
उद्योग योग	500	70.32	439	62.15	31	4.19	30 3.98
			(87.80)	(88.38)	(6.20)	(5.96)	(6.00) (5.66)

प्राधिकरण के द्वारा आईआरडीए (सूक्ष्म-बीमा) विनियम 2005 की अधिसूचना के साथ, निर्धनों की जरूरतों की पूर्ति करने वाले उत्पादों की परिकल्पना में स्थायी वृद्धि हुई है। नियमों में प्रदत्त लचीलापन बीमाकर्ता को पैकेज उत्पादों या मिश्रित सुरक्षा प्रदान करने की सुविधा देता है। इससे सूक्ष्म-बीमा उत्पाद जैसे प्राधिकरण के अनुमोदन से पूर्व अनुमोदित साधारण उत्पाद प्रस्तुत करने वाली बीमा कंपनियों में प्रवृत्ति जागृत हुई है कि क्या उत्पाद के लिए बीमित धन सूक्ष्म-बीमा के लिए निर्धारित सीमाओं के भीतर है।

ग) प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश, आदेश तथा विनियम

बीमा अभिकर्ता

वर्ष के दौरान, 9 अक्टूबर, 2007 को निम्नलिखित नियम अधिसूचित किया गया:

आईआरडीए (बीमा एजेंट का अनुज्ञापिकरण) (संशोधन) नियम, 2007

कार्पोरेट एजेंट्स

वर्ष के दौरान, 9 अक्टूबर, 2007 को निम्नलिखित नियम अधिसूचित किया गया :

आईआरडीए (कार्पोरेट एजेंट का अनुज्ञापिकरण) (संशोधन) नियम, 2007

इसके बाद, बीमाकर्ताओं को अभिकर्ता प्रशिक्षण घण्टों में कमी के बारे में सूचित करते हुए 15 अक्टूबर, 2007 को - परिपत्र संख्या 42/आईआरडीए/एजेंसी/अक्टूबर/2007 जारी हुआ।

प्राधिकरण ने 18 दिसंबर, 2007 को प्राधिकरण ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें बताया गया कि परिपत्र संख्या 021/आईआरडीए/एफएण्ड्यू/सितंबर-06 दिनांक 28 सितंबर, 2006 में वर्णित साधारण बीमा उत्पादों के संबंध में फाईल और प्रक्रियाओं के प्रयोग पर मार्गदर्शिकाएँ जारी रहेगी और बीमाकर्ता वे दरें और नियम प्रस्तुत करते रहेंगे जो वे विभिन्न उत्पादों के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं जिनमें वे उत्पाद भी शामिल है जिन पर पूर्व की दरें लागू हैं। सीईओ ने प्राधिकरण को आश्वासन दिया कि मूल्य नियंत्रण को हटा लिया जाने पर भी सभी बीमाकर्ताओं के द्वारा बीमांकन और बाजार संचालन के उच्च मानकों को बनाये रखा जाएगा। इन आश्वासनों के आधार पर, प्राधिकरण ने

निम्नलिखित निर्णय लिया:

1 मोटर तृतीय पक्ष जोखिमों के अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2008 को या इसके बाद प्रभावी अन्य समस्त नवीन बीमों तथा नवीकरणों के लिए, प्राधिकारी को जो दर अनुसूची और दर मार्गदर्शिका प्रस्तुत की गई है, उनके अनुसार बीमाकर्ता प्रीमियम दरें प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

2 मोटर तृतीय पक्ष जोखिमों के लिए प्रीमियम दरों का नियमितीकरण प्राधिकारी द्वारा किया जाता रहेगा।

3 परिपत्र संख्या 021/आईआरडीए/एफएण्ड्यू/सितंबर-06 दिनांक 28 सितंबर, 2006 के अनुच्छेद 19(5) के अन्तर्गत बड़े जोखिमों के रूप में अर्हक जोखिमों को ठीक उन्हीं बीमा दरों, नियमों तथा शर्तों के आधार पर बीमित किया जाएगा जो दरें, नियम इत्यादि पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा बिना किसी परिवर्तन के विकसित की गई है।

4 बीमाकर्ता प्राधिकारी के पास दरों और दर मार्गदर्शिकाओं की एक नई अनुसूची प्रस्तुत कर सकते हैं या पूर्व में ही प्रस्तुत अनुसूची और दर मार्गदर्शिका को बनाये रख सकते हैं।

5 उत्पादों और दर अनुसूचियों तथा दर मार्गदर्शिका तथा नियम पुस्तिका की प्रस्तुति के संबंध में परिपत्र संख्या 021/आईआरडीए/एफएण्ड्यू/सितंबर-06 दिनांक सितंबर 2006 की आवश्यकताएँ समय समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार रहेगी।

6 प्राधिकरण बीमाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दर अनुसूचियों और दर मार्गदर्शिकाओं को इन शर्तों पर स्वीकार करेगा कि वे संबद्ध निदेश मण्डल के द्वारा अनुमोदित बीमांकन पॉलिसी के अनुरूप है और वे इस तरह तैयार की गई है कि वे एक प्रचालन अनुपात (व्यय किए गए दावे धन कमीशन तथा प्रबंधन का व्यय) उत्पन्न करती है जो कुल बीमांकन आधार पर 100 प्रतिशत से अधिक नहीं है। यद्यपि, प्राधिकरण के पास ऐसी किसी भी दर अनुसूची और दर मार्गदर्शिका पर अपने विवेकाधिकार के अधीन पूछताछ या परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित है।

7 दरों में कोई भी संशोधन, बीमा की नवीकरण तिथि पर ही प्रभावित होगा और बीमाकर्ताओं को विद्यमान बीमों को निरस्त करने और संशोधित दरों पर उन्हें नये बीमों से प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, बीमाधारक को अपना बीमा निरस्त करने का अधिकार है जिस मामले में छोटी अवधि के लिए लागू होने वाली प्रीमियम वसूली जाएगी।

8 सुरक्षा के नियम तथा शर्तें और पॉलिसियों, पृष्ठांकन, वारण्टियों तथा पूर्व दरों पर तय अनुच्छेदों की शब्दावलियाँ लागू रहेगी तब तक लागू रहेंगी जब तक विभिन्न अंशधारकों के दृष्टिकोण पर विचार करते हुए नई बाजार शब्दावलियों को प्राधिकरण द्वारा परीक्षित तथा स्वीकृत नहीं कर लिया जाता।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत, वर्ष 2007-08 के दौरान, प्राधिकरण ने निम्नलिखित अधिकारियों को सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया।

सार्वजनिक सूचना प्राधिकरण का नाम	संबद्ध विषय	आवेदन पत्रों की संख्या			अपील प्राधिकारी के द्वारा प्राप्त अपीलों की संख्या
		प्राप्त	अस्वीकृत	स्थानान्तरित	
1. श्री प्रबोध चंदर	गैर –जीवन, हिन्दी, स्वास्थ्य बीमा, विधिक	148	19	23	27
2. श्री के सुब्रह्मण्यम	बीमांकन, मध्यस्थता तथा निरीक्षण	10	0	2	
3. श्री कुन्नेल प्रेम	जीवन बीमा	37	0	1	
4. श्रीमती वेदकुमारी	अभिकर्ता प्रशिक्षण संस्थान, कॉर्पोरेट एजेंसी तथा अन्य शेष विलंबित मामले	100	1	1	

उक्त अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत श्री सी आर मुरलीधरन, सदस्य (एफएण्डआई) अपील प्राधिकारी के रूप में बने हुए हैं।

भाग II

क्रियाओं और प्रचालन की समीक्षा

बीमा तथा पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम, 1999 की धारा 14 में निर्देशित कार्यों की मुक्ति के लिए, प्राधिकरण में विवरण.प्र में दिए गए नियमों को निर्दिष्ट किया गया। विनियामक ढाँचे इस तरह के पहलुओं को मोटे तौर पर कवर करता है जैसे कि प्रवेश स्तर की आवश्यकताओं में वे लोग शामिल हैं जिनका संबंध पूँजी भुगतान, और उचित प्रबंधन 'फाइल और प्रयोग आवश्यकताओं', प्राधिकरण को नियमित रूप से रिटर्न दाखिल करवाना आदि के साथ है। ये बीमा और पुनर्बीमा व्यापार के विकास की वृद्धि को नियमित, बढ़ती और सुनिश्चित करने के लिए अपने वैधानिक कार्य बाहर ले जाने में प्राधिकरण की सहायता के लिए परिकल्पना कर रहे हैं। इसके अलावा, प्राधिकरण ने भी कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए विभिन्न दिशाओं, दिशा-निर्देशों तथा परिपत्रों को जारी किया। विनियमों को जारी करने से पहले सलाहकार परिषद् की मंजूरी माँगी गई तथा गजट में अधिसूचना के लिए सरकार को भेजा गया तथा तब गजट अधिसूचना को संसद की मंजूरी प्राप्त करने से पहले प्रदर्शन के लिए सरकार को भेजा गया।

बीमा व्यवसाय से जुड़े मध्यस्थ

बीमा एजेंट

व्यक्तिगत एजेंसी की संख्या वर्ष 2007-08 में 26 प्रतिशत से उपर एक शुद्ध वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 2007-08 की शुरुआत में 19.93 लाख से, वर्ष के अंत तक व्यक्तिगत एजेंटों की संख्या बढ़कर 25.20 लाख तक हो गई। निजी बीमाकर्ताओं ने जीवन बीमा निगम द्वारा पंजीकृत एक अपेक्षाकृत 8 प्रतिशत से कम की तुलना में 49 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। यह इस क्षेत्र के खुलने के बाद पहली बार है निजी बीमाकर्ताओं के पास जीवन बीमा निगम की तुलना में अधिक संख्या में निजी एजेंट है। जबकि जीवन बीमा निगम के फोल्ड स्टैंड में वर्ष के अंत तक एजेंटों की संख्या 17.93 लाख और सभी निजी बीमाकर्ताओं के एजेंटों की संख्या 13.26 लाख है।

तालिका 45

जीवन बीमाकर्ताओं के व्यक्तिगत एजेंटों का विवरण . 2007.08

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2007 तक	जोड़े गए	हटाये गए	31 मार्च 2008 तक तक
निजी	890152	772910	336314	1326748
एलआईसी	1103047	234852	144155	1193744
कुल	1993199	1007762	480469	2520492

एक बड़ी चिंता का विषय यह है कि आंकड़ों से उभर एजेंटों के कारोबार के उच्च प्रतिशत हैं। 2007-08 में, जबकि एजेंटों की कुल संख्या 10.07 नियुक्त की गई और निकाले गए एजेंटों की संख्या 4.80 से भी अधिक थी। उच्च कारोबार उन बीमाकर्ताओं के वित्तीय पर प्रभाव डालता है जो इन एजेंटों की नियुक्ति और प्रशिक्षण में काफी समय, पैसा खर्च करते हैं। इन एजेंटों द्वारा की गई पॉलिसियों को उनके निकाले जाने पर अनाथ घोषित किया जाता है और उसके बाद सेवा समर्थन की कमी के कारण नतीजे अक्सर पॉलिसी की समाप्ति में बदल जाते हैं।

तालिका 46

जीवन बीमाकर्ताओं के कॉर्पोरेट जगत के एजेंटों का विवरण . 2007.08

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2007 तक	जोड़े गए	हटाये गए	31 मार्च 2008 तक तक
निजी	1906	442	278	2070
एलआईसी	409	55	119	345
कुल	2315	497	397	2415

एजेंसी के पेशे की छवि को भी एक धक्के का सामना करना पड़ता है क्योंकि सामान्य तौर पर साधारण जनता और संभावित एजेंट भी इसे समझते हैं, जैसे कि स्थिरता में कमी अच्छे एजेंटों को खोजने को बीमाकर्ताओं के लिए काफी मुश्किल बना देती है। इसलिए सभी हितधारकों के हित में एजेंटों के कारोबार को कम करने पर काम करना है।

जबकि मार्च 2007 के अंत में 2315 कॉर्पोरेट एजेंट थे, मार्च 2008 के अंत में यह संख्या 2415 तक बढ़ गई। इसमें से 2070 निजी जीवन बीमाकर्ताओं के थे जबकि बाकी जीवन बीमा निगम के थे। इस तरह की प्रणाली कॉर्पोरेट एजेंटों में देखी गई। जबकि वर्ष के दौरान 497 कॉर्पोरेट एजेंटों को नियुक्त किया गया और 397 एजेंटों को हटाया गया।

बीमा दलाल

वर्ष 2007-08 के दौरान, 19 दलाली लाइसेंसों को जारी किया गया, जिनमें से 16 प्रत्यक्ष दलाल लाइसेंस, एक मिश्रित दलाली लाइसेंस तथा दो पुनर्बीमा दलाली लाइसेंस जारी किए गए। 35 एजेंटों के लाइसेंसों को नवीकरण किया गया। 10 सितम्बर, 2008 को कुल लाइसेंस 281 जारी किए गए, जिनमें से 242 प्रत्यक्ष दलालों, 33 मिश्रित दलालों तथा 6 पुनर्बीमा दलालों के थे और लाइसेंसों का राज्य-वार वितरण विवरण टप्प में है। 265 लाइसेंस 10-9-2008 तक मान्य हैं।

2007-08 के दौरान 17 दलाली कंपनियों पर निरीक्षण आयोजित किया गया। एक लाइसेंस रद्द कर दिया गया और 5 लाख रूपयों का स्वैच्छिक आत्म-समर्पण स्वीकार किया गया। निरीक्षण के दौरान, कुछ मामलें हैं और उचित कार्रवाई में कुछ टिप्पणियों को शुरू किया गया:

- बीमा कारोबार और आग्रह की खरीद की आवश्यकताओं के लिए विनियमन 9(3) का उल्लंघन
- उन सलाहकारों की उपयोगी सेवाओं के द्वारा आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियमन, 2002 की अनुसूची -III के 3(ख) के तहत निर्देशित मामलों पर आचार संहिता के रूप में विनियमन 21 को तोड़ा गया, जो कर्मचारी रोल पर नहीं है और विभिन्न सेवाओं के लिए उनको परामर्श भुगतान दे रहे हैं जिनमें जोखिम मूल्यांकन, पीढ़ी नेतृत्व, तकनीकी ज्ञान तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण आदि शामिल है।

- लाइसेंस की वैधता क्षतिपूर्ति की सीमा के 1:1 के अनुपात से बाहर व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी की निरंतरता बनाए रखने के लिये विनियमन 24 के प्रावधानों का पालन पूरी तरह से नहीं किया गया।

- लेखा पुस्तकों को उपचय आधार पर न बनाये रखने के कारण तथा विवरणों, दस्तावेजों आदि को इसके प्रधान कार्यालय में न रखने के लिए विनियमन 25 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

- अर्धवार्षिक खातों को समय सीमा के भीतर जमा न करवाने पर विनियमन 26(1) का गैर-अनुपालन।

- विनियमन 27 के अनुसार उचित आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली न होना।

- अंतर समूह और संबंधित पक्ष का लेन-देन जिसका प्रकटीकरण लेखा मानक-18 के अनुसार नहीं किया गया तथा भुगतान बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई राशि से अधिक किया गया।

- आईआरडीए का 34(2)(बीमा दलाल) विनियमनए 2002 फंडों का वितरण समूह कंपनियों के भीतर किया गया जो कि आईआरडीए ;बीमा दलालद्व विनियमन, 2002 के विनियमन 34;2द्व के प्रावधान को बढ़ाता है।

- प्रीमियम का भुगतान ग्राहक की ओर से किया गया जो ग्राहको को ऋण सुविधा देने की पेशकश को बढ़ावा देने की ओर संकेत करता है।

भौगोलिक फैलाव बढ़ गया है और दलाली कंपनियों ने छोटे शहरों जैसे भरुच, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, त्रिसूर, इन्दौर, अहमदगढ़, नान्देड़, उदयपुर, वाराणसी आदि में लाइसेंस प्रदान किए गया हैं, और इसके अलावा बहुतों ने अपनी शाखाओं का विस्तार किया है और छोटी श्रेणी के कस्बों में भी बड़ी संख्या में सेवायें उपलब्ध करवाई हैं।

माध्यमानुसार नया व्यवसायिक प्रदर्शन

वर्ष 2007-08 निजी एजेंसी चैनल के आगामी परिवर्तन का साक्षी है। 2007-08 में व्यक्तिगत एजेंटों के माध्यम से नए व्यवसाय प्रीमियम को पिछले वर्ष के 88.62 प्रतिशत की तुलना में 83.75 प्रतिशत प्राप्त किया गया।

निजी एजेंटों द्वारा स्वीकृत नए व्यापार का हिस्सा कॉर्पोरेट एजेंटों और प्रत्यक्ष बिक्री द्वारा मुख्य रूप से उठाया गया था।

तालिका 47

2007.08 में जीवन बीमाकर्ताओं के नए व्यवसायिक प्रीमियम ;व्यक्तिगत और सामूहिक माध्यमानुसार

(प्रतिशत में)

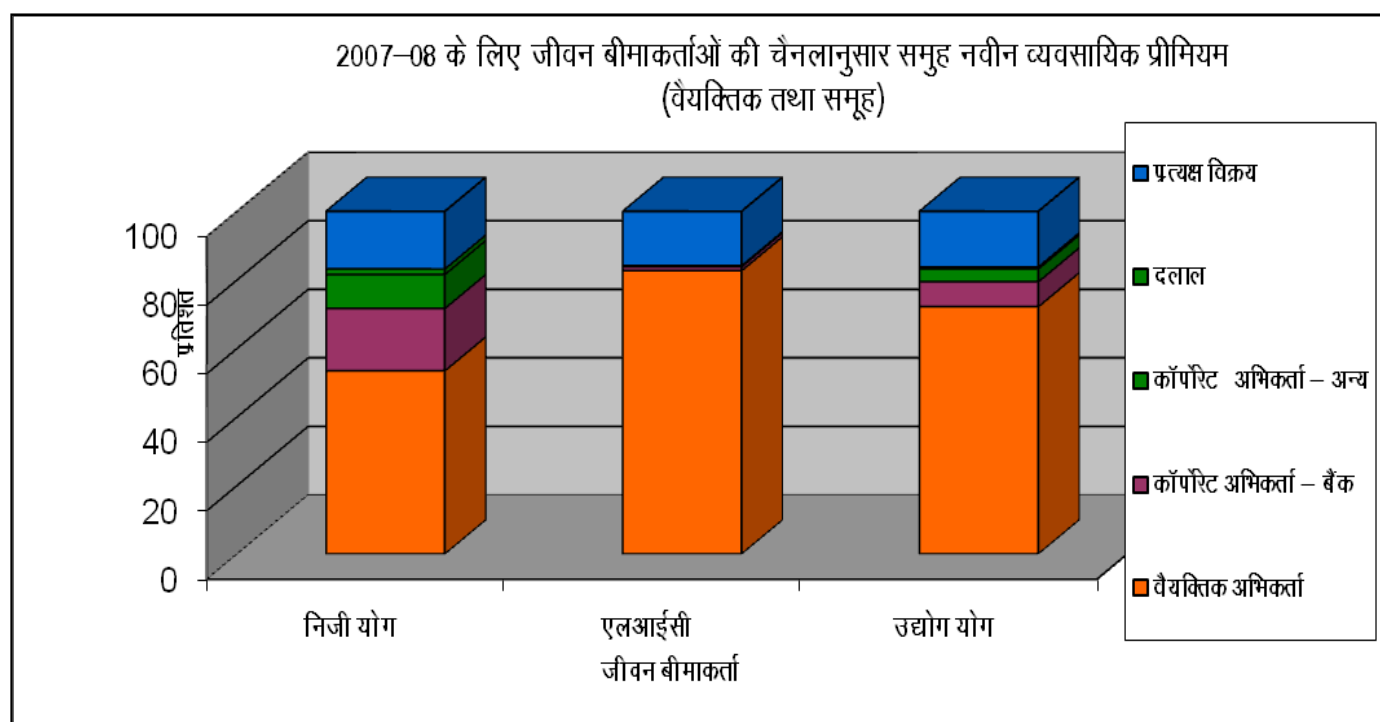
जीवन बीमाकर्ता	निजी एजेंट Agents	कॉर्पोरेट एजेंट		दलाल	प्रत्यक्ष बिक्री	कुल नया व्यापार (व्यक्तिगत और सामूहिक)	सिफारिशें
		बैंक	अन्य*				
निजी कुल	53.46	18.20	9.92	1.61	16.81	100.00	6.96
एलआईसी #	82.68	1.15	0.27	0.05	15.85	100.00	-
उद्योग कुल	72.17	7.28	3.74	0.61	16.20	100.00	2.51

*बैंकों के अलावा कोई संस्था लेकिन कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में लाइसेंस प्राप्त।

#इसके विदेशी नए व्यापारिक प्रीमियम को शामिल नहीं किया जाता।

नोट:

1. नये व्यापारिक प्रीमियम में पहले वर्ष का प्रीमियम तथा एकल प्रीमियम शामिल है।
2. सिफारिश व्यवस्था के द्वारा प्राप्त लीड संबंधित चैनलों में शामिल की गई।



कॉर्पोरेट एजेंटों का हिस्सा जो 2006-07 में 8.42 प्रतिशत था, 2007-08 में बढ़कर 12.33 प्रतिशत हो गया। कॉर्पोरेट एजेंटों के चैनलों के भीतर, बैंकों का हिस्सा 2006-07 में 5.46 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 9.97 प्रतिशत तक हो गया, इन्ही वर्षों में

अन्यों का 2.96 से बढ़कर 4.36 हो गया। निजी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त नये व्यापारिक प्रीमियम में कॉर्पोरेट एजेंटों का हिस्सा 2006-07 में 24.9 की तुलना में 2007-08 में 29.12 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष जीवन बीमा निगम का हिस्सा 2007-08 से घटकर 1.59 प्रतिशत रह गया।

तालिका 48
2007.08 में जीवन बीमाकर्ताओं के निजी नये व्यापारिक प्रीमियम माध्यमानुसार

जीवन बीमाकर्ता	निजी एजेंट	कॉर्पोरेट एजेंट		दलाल	प्रत्यक्ष बिक्री	कुल	सिफारिशें (प्रतिशत में)
		बैंक	अन्य*				
निजी कुल	59.81	18.89	11.03	1.50	8.78	100.00	7.79
एलआईसी #	98.36	1.30	0.29	0.05	-	100.00	-
उद्योग कुल	83.75	7.97	4.36	0.60	3.33	100.00	2.95

*बैंकों के अलावा कोई संस्था लेकिन कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में लाइसेंस प्राप्त।

#इसके विदेशी नए व्यापारिक प्रीमियम को शामिल नहीं किया जाता।

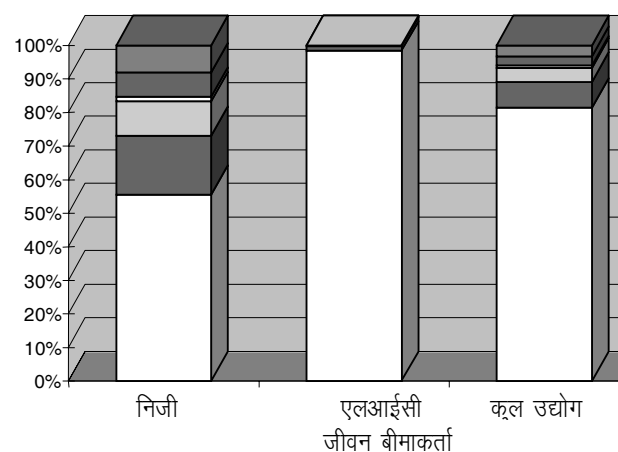
- नोट:
1. नये व्यापारिक प्रीमियम में पहले वर्ष का प्रीमियम तथा एकल प्रीमियम शामिल है।
 2. सिफारिश व्यवस्था के द्वारा प्राप्त लीड संबंधित चैनलों में शामिल की गई।

प्रत्यक्ष बिक्री भी कुल व्यापार के हिस्से में एक बड़ी वृद्धि की गवाह है, जो कि 2006-07 में 0.38 से बढ़कर 2007-08 में 3.33 हो गया। निजी जीवन बीमाकर्ताओं में प्रत्यक्ष बिक्री का हिस्सा पिछले वर्ष में 1.39 से बढ़कर 2007-08 में 8.77 प्रतिशत हो गया जबकि जीवन बीमा निगम में दोनों वर्षों में इस चैनल के माध्यम से कोई व्यक्तिगत नया व्यापार प्राप्त नहीं किया।

समूह व्यवसाय:

प्रत्यक्ष बिक्री सामूहिक व्यापार के लिए वितरण का प्रमुख चैनल बनी हुई है। प्रत्येक बिक्री के माध्यम से समूह व्यवसाय का प्रतिशत 2007-08 में लगभग 88 प्रतिशत हो गया था।

2007-08 के लिए जीवन बीमाकर्ता की नवीन व्यवसायिक प्रीमियम



तालिका 48

2007.08 में जीवन बीमाकर्ताओं के निजी नये व्यापारिक प्रीमियम

माध्यमानुसार

जीवन बीमाकर्ता	निजी एजेंट	कॉर्पोरेट एजेंट		दलाल	प्रत्यक्ष बिक्री	कुल	(प्रतिशत में) सिफारिशें
		बैंक	अन्य*				
निजी कुल	0.48	12.36	0.65	2.59	83.92	100.00	0.05
एलआईसी #	10.11	0.44	0.16	0.06	89.22	100.00	-
उद्योग कुल	7.68	3.46	0.29	0.70	87.88	100.00	0.01

*बैंकों के अलावा कोई संस्था लेकिन कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में लाइसेंस प्राप्त।

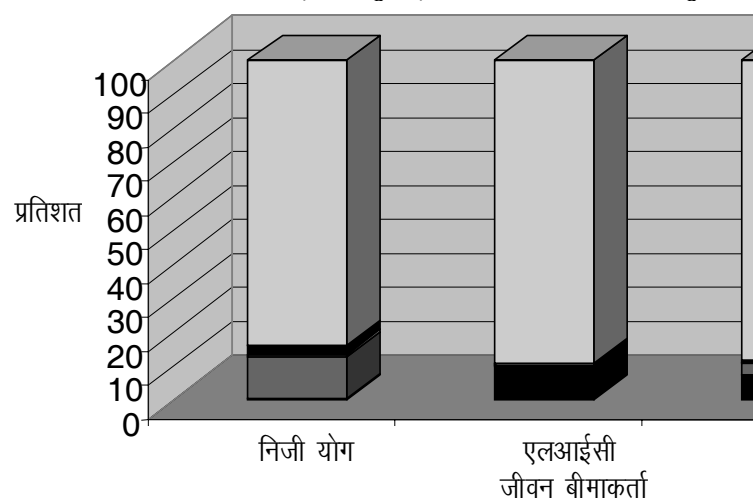
#इसके विदेशी नए व्यापारिक प्रीमियम को शामिल नहीं किया जाता।

- नोट:
1. नये व्यापारिक प्रीमियम में पहले वर्ष का प्रीमियम तथा एकल प्रीमियम शामिल है।
 2. सिफारिश व्यवस्था के द्वारा प्राप्त लीड संबंधित चैनलों में शामिल की गई।

फिर भी, जीवन बीमा निगम, जिसने सीधे ही पूरे समूह बीमा व्यापार को संभाला है, ने अपनी रणनीति को बदला है। वर्ष 2007-08 में, जीवन बीमा निगम ने इसके परंपरागत व्यक्तिगत एजेंसी चैनल के माध्यम से समूह बीमा व्यापार में 10.11 प्रतिशत

वृद्धि की जबकि समूह बीमा व्यापार का अन्य 0.66 प्रतिशत कॉर्पोरेट एजेंट तथा दलालों जैसे अन्य चैनलों से प्राप्त हुआ।

2007-08 के लिए (माध्यमानुसार) जीवन बीमाकर्ताओं का सामुहिक न



तक निजी बीमाकर्ताओं का संबंध है, उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। वर्ष 2007-08 के दौरान, प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से इन कंपनियों ने समूह बीमा व्यापार का लगभग 84 प्रतिशत कमाया और व्यापार का अन्य 12.36 प्रतिशत बैंकअश्वोरेंस मोड के माध्यम से कमाया। 2006-07 में यह क्रमशः 85 प्रतिशत तथा 13.36 प्रतिशत था।

सर्वेक्षक तथा हानि निर्धारक

प्राधिकरण सर्वेक्षक तथा हानि निर्धारकों को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64यूएम के तहत लाइसेंस जारी करती है। एक निजी, एक कंपनी या एक फर्म के सर्वेक्षकों तथा हानि निर्धारकों के रूप में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकरण को

आवेदन देना पड़ता है। बीमा सर्वेक्षक तथा हानि निर्धारक ;लाइसेंस संबंधी, व्यावसायिक आवश्यकतायें और आचार सहिताद्ध विनियमन, 2000 लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की प्रतिक्रिया निर्धारित करता है।

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने प्रशिक्षण सर्वेक्षक के रूप में 773 आवेदकों को नामांकित किया और व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद प्रशिक्षित सर्वेक्षक को 286 नए लाइसेंस जारी किए गए। प्राधिकरण ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 1907 लाइसेंसों के नवीकरण का आवेदन भी प्राप्त किया और 1651 लाइसेंसों का नवीकरण किया गया तथा सभी नियामक आवश्यकताओं के पूरा होने पर जारी किया गया। इसके अलावा, 2008-09 की पहली छमाही में, 1178 लाइसेंसों के नवीकरण के आवेदन प्राप्त हुए और 1201 आवेदनों को संसाधित किया गया और नवीकरण लाइसेंस जारी किए गए।

मुकदमों, अपीलों और अदालतों के निर्णय

वैधानिक विभाग ने बीमा कानून ;संशोधनद्ध बिलद्ध के संबंध में पॉलिसी निर्माण में आईआरडीए विनियमनों और इसके संशोधनों को वैटिंग तथा ड्राटिंग के रूप में शामिल किया और आईआरडीए द्वारा आलेखनों/निर्देशों/परिपत्रों को जारी किया गया।

अप्रैल, 2007 से मार्च 2008 तक की अवधि के दौरान भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता न्यायालयों, सिविल न्यायालयों, तथा एमएसीटी से पहले कुल 78 मामले दर्ज किए गए। उसी के लिए ब्रेक-अप नीचे दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज किए गए मामलों की संख्या	3
विभिन्न उच्च न्यायालय में दर्ज किए गए मामलों की संख्या	53
विभिन्न उच्च न्यायालय में दर्ज अदालती आदेश पत्रों की संख्या	1
विभिन्न उच्च न्यायालय में दर्ज समीक्षा याचिकाओं की संख्या	1

दर्ज किए गए उपभोक्ता मामलों की संख्या 17

दर्ज किए गए नागरिक मामलों की संख्या 3

दर्ज किए गए एमएसीटी मामलों की संख्या —

विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा निपटान आईआरडीए आईआरडीए किए गए अदालती आदेश पत्रों की संख्या के निर्देशों के निर्देशों के बिना के साथ

निपटान किए गए अदालती आदेश पत्रों की संख्या 21 9

निपटान किए गए उपभोक्ता मामलों की संख्या 3 1

निपटान किए गए नागरिक/एमएसीटी की संख्या — —

मुकदमों के स्वभाव इस प्रकार हैं:

• आईआरडीए अधिनियम/बीमा अधिनियम के अधीन तथा आईआरडीए द्वारा जारी किए गए ज्ञापन/परिपत्रों के तहत बनाय नियमों को भी चेतावनी

• प्रवर्तन कार्यों अर्थात् निर्देशों के जारी, आर्थिक दंड के निलंबन के रूप में दलालों, मध्यस्थों, बीमाकर्ताओं को दिए गए पंजीकरण के प्रमाण-पत्र और लाइसेंसों का रद्द/समाप्त होना

• गैर-प्रवर्तन कार्यों जहाँ मुद्दों का ध्यान अन्य बातों में शामिल है:-

(i) पॉलिसीधारक संबंधित मुद्दे

. पॉलिसीयों के उत्पन्न परित्याग दावे

. आवंटन और स्थानान्तरण

. नामांकन

. शिकायतों का गैर निवारण

(ii) सर्वेक्षक का वर्गीकरण

(iii) तीसरे पक्ष के दायित्व के लिये मोटर बीमा प्रीमियम दरों में वृद्धि

(iv) एजेंसी कमीशन का भुगतान न होना

(v) एजेंसी की समाप्ति

विनियामक मदद: विभाग निम्नलिखित संबंधित मुद्दों पर परिचालन विभागों की मदद करता है

• बीमा कानूनों की व्यवस्था और नियामक की पॉलिसीयों के कार्यों से संबंधित प्रवर्तन और गैर प्रवर्तन का लागू होना

• संचालन विभाग द्वारा जारी होने की वजह नोटिस दिखाने के लिये

• संसदीय संदर्भ

यह आरटीआई अधिनियम के तहत दर्ज की गई शिकायतों के मामले में वैधानिक सलाह भी प्रदान करता है।

बीमा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – बीमा पर्यवेक्षकों की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईएआईएस)

बीमा पर्यवेक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईएआईएस) बीमा पर्यवेक्षकों तथा अन्य वित्तीय क्षेत्र के पर्यवेक्षकों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये 1994 में स्थापित किया गया। वर्षों के दौरान, सदस्यता बढ़ गई और 180 अधिकार-क्षेत्रों से ज्यादा के बीमा पर्यवेक्षक सदस्य बन गए और 100 संगठनों तथा व्यक्तियों से भी

ज्यादा व्यावसायिक सहयोग, बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, सलाहकारों और अन्य व्यावसायिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए निरीक्षक बन गए। यह भागीदारी बीमा बाजार के बढ़ते वैश्विक स्वरूप को तथा लगातार पर्यवेक्षी मानकों और व्यवहारों को दर्शाता है। आईएआईएस उनके अनुभवों, विशेषज्ञता और ज्ञान को सांझा करने के लिए दोनों चिकित्सकों और पॉलिसी निर्माताओं को अवसर प्रदान करने से मानक-स्थापन और कार्यान्वयन गतिविधियों के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है।

आईएआईएस की गतिविधियों में इसकी कार्यकारी समिति के वे सक्रिय मार्गदर्शन शामिल हैं जिनमें विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से चुने गए 15 मतदान सदस्य और बजट कमेटी के अध्यक्ष जो एक पदेन गैर-मतदान सदस्य हैं, शामिल हैं। उनकी क्रियाशील पक्षों द्वारा समर्पित तकनीकी समिति, कार्यान्वयन समिति और बजट समिति द्वारा इसकी सराहना की गई है। आईएआईएस के प्रतिदिन के कारोबार और मामलों को इसके सचिवालय द्वारा देखभाल की जाती है, जो स्विट्ज़रलैंड, बेसल में अंतर्राष्ट्रीय समायोजन के लिये बैंक में स्थापित है।

आईएआईएस प्रभावी बीमा पर्यवेक्षी शासनों के लिए सिद्धान्तों, मानकों और मार्गदर्शनों का विकास करता है। ऐसा करने से इसे पॉलिसीधारकों के फायदे और बचाव के लिये उचित और कुशल बीमा बाजार स्थापित और बनाए रखने में सहायता मिलती है। आईएआईएस "मुद्दे संबंधी कागजात" भी तैयार करता है जो बीमा सर्वेक्षकों को व्याज के विशिष्ट क्षेत्रों पर पुष्टभूमि प्रदान करता है।

आईएआईएस अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा सर्वेक्षकों और नियामकों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को निकटता से सहयोग देता है और वैश्विक तौर पर वित्तीय प्रणालियों को आकार देने में सहायता करता है। विशेष रूप से आईएआईएस एक संयुक्त फोरम के गठन निकायों में से एक है और सभी सामूहिक कार्यों में भाग लेता है। यह वित्तीय स्थिरता मंच में प्रतिनिधित्व करता है। आईएआईएस बीमाकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर अपने काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आईएसबीई) को आगत प्रदान करता है, और यह आईएसबीई के मानक सलाहकार परिषद् का सदस्य होने के साथ इसके बीमा कार्यालय समूह और वित्तीय साधन कार्य समूह का प्राधिकरण पर्यवेक्षक का सदस्य भी है। इसका वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स पर प्रेक्षक का दर्जा भी है, जो वैध काले धन तथा आतंकवादी वित्तपोषण से भिड़ता है।

प्राधिकरण अपनी कार्यकारी समिति पर इसके अध्यक्ष और बीमा अनुबंध, लेखांकन पहलुओं, बीमा कानूनों, पुनर्बीमा, वित्तीय एकत्रण, शोधन क्षमता, धोखाधड़ी आदि में आईएआईएस की विभिन्न कमेटियों के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करता है।

संगुटिका सिद्धान्तों पर संयुक्त फोरम कार्य समूह

संयुक्त फोरम, जो 1990 के दशक के शुरु में वित्तीय क्षेत्र पर विनियमन तीन अंतर्राष्ट्रीय निकायों को शामिल करने पर बनाई गई थी, जैसे, बीआईएसए आईएआईएस और आईओएससीओ को एकत्रित पर्यवेक्षण पर पूँजी आवश्यकताओं, जोखिम प्रबंधन, फिट और उचित मापदंड, पर्यवेक्षकों के साथ जानकारी सांझा करने, अंतर समूह लेन-देन निवेश जोखिम आदि के पॉलिसी के कागजों को विकसित करने का कार्य सौंपा गया। प्रारम्भ में, इसका मतलब जी-7 तथा यूरोपीय संघ देशों का उपयोग ही था। संयुक्त फोरम ने हाल ही में इसके सदस्यों देशों और अन्य न्यायालयों द्वारा संयुक्त फोरम के कागजातों में निर्धारित किए गए सिद्धान्तों के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए एक जनादेश के साथ एक कार्यदल का गठन किया। फोरम एकत्रित पर्यवेक्षण पर दुनिया भर में विभिन्न न्यायालय के दृष्टिकोण को समझने के लिए उत्सुक है। वहाँ भी भविष्य के कार्य के लिए एकत्रित पर्यवेक्षण और सीमा पार पर्यवेक्षण पर विभिन्न देशों में वास्तविक पॉलिसीयों पर व्यापक जानकारी संकलित करने के लिए जरूरत महसूस की गई। फोरम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये, कार्य समूह ने विश्व के विभिन्न देशों द्वारा संगुटिका पर संयुक्त फोरम के नीचे दिए गए विचारों और सिद्धान्तों को अपनाने में दृष्टिकोण को समझने के लिए मौजूदा सदस्य देशों के साथ साथ तीन गैर-सदस्य न्यायालयों, प्रत्येक एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका में से एक के साथ गठित किया।

भारतीय उप-महाद्वीप का स्विट्ज़रलैंड के बेसल में एकत्रित सिद्धान्तों पर संयुक्त फोरम कार्य समूह पर प्राधिकरण के सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। संयुक्त फोरम ने इसके जनादेश के भाग के रूप में वित्तीय संगुटिका के पर्यवेक्षण पर संयुक्त फोरम सिद्धान्तों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य इस सीमा तक की जाँच करने के लिए है जिसमें बैंकिंग, प्रतिभूतियों और बीमा क्षेत्रों के पर्यवेक्षकों ने वित्तीय संगुटिका के पर्यवेक्षण पर 1999 संयुक्त फोरम के सिद्धान्तों को लागू किया है। रिपोर्ट इन सिद्धान्तों के लागू होने के साथ विनियमन प्रतिक्रियाओं तथा विशेष सिद्धान्तों की उन विशेष चुनौतियों को जाँचती है जिन्हें कम व्यापक रूप में लागू किया गया है।

जन शिकायतें

आईआरडीए का शिकायत प्रकोष्ठ विभिन्न जीवन बीमा कंपनियों के विरुद्ध पॉलिसीधारकों, बीमा मध्यस्थों तथा अन्य स्रोतों से शिकायतें प्राप्त करता है। शिकायतों के प्राप्त होने पर प्रकोष्ठ दो प्रकार से कार्य करता है

सुविधा प्रदान करना — बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसीधारक से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करने के माध्यम से शिकायत का जल्दी से जल्दी निवारण और

शिकायतों का विश्लेषण इन पर आधारित है

निपटान की अवधि

कार्यात्मक क्षेत्र

शिकायतों की अवधि के लिए कंपनी वार विश्लेषण शिकायतों से निपटने में बीमाकर्ताओं द्वारा अपनाई गई सादगी और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। यह इसका भी मूल्यांकन करता है कि कैसे बीमाकर्ता (पॉलिसीधारकों के हित) नियमावली, 2002 में से विनियमन 5 के उपबंधों का पालन करती है। विनियमन को बीमाकर्ता से शिकायतों का जल्द और प्रभावशील निपटान की आवश्यकता है। शिकायतों का विश्लेषण कार्यात्मक क्षेत्र के दर्शाने पर निर्भर करता है

(अ) बाज़ार प्रथाओं में कमियाँ

(ब) बीमाकर्ताओं की अयोग्यता — जिसमें आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विनियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

शिकायत प्रकोष्ठ शिकायत दर्ज होने में तथा इसके शीघ्र समाधान के लिए बीमाकर्ता के साथ वैसे ही निपटाने के लिए एक सुविधाजनक भूमिका निभाता है। बीमाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच किसी भी मुद्दे पर विवाद के मामले में, प्रकोष्ठ शिकायतकर्ता को अर्द्धन्यायिक या न्यायपालिका निकायों से बात करने के लिए सूचित करता है, जैसे कि आईआरडीए के पास न्याय निर्णयन की शक्ति नहीं होती।

जीवन बीमाकर्ता

प्राधिकरण का शिकायत कोष्ठ पॉलिसीधारकों से बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करता है। ऐसी शिकायतों को समाधान के लिए कंपनियों को भेजा जाता है। जब शिकायतें कंपनियों द्वारा हल हो जाती हैं तो इसके निपटान या अन्य के बारे में प्राधिकरण के शिकायत कोष्ठ को सूचित किया जाता है। 31 मार्च, 2007 तक, जीवन बीमा कंपनियों द्वारा समाधान के लिए प्राधिकरण के पास 299 शिकायतें लंबित थीं। वर्ष 2007-08 के दौरान, प्राधिकरण ने 2057 शिकायतें प्राप्त की जिनमें से 651 एलआईसी से और 1406 निजी क्षेत्र बीमाकर्ता से संबंधित हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान आईआरडीए द्वारा प्राप्त जीवन बीमाकर्ता के खिलाफ कुल शिकायतों का 57 प्रतिशत का समाधान पूर्ववर्ती व्यक्ति द्वारा किया गया। जबकि प्राधिकरण के पास उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों में से निजी बीमा कंपनियों ने दर्ज की गई शिकायतों का 78 प्रतिशत का समाधान किया, एलआईसी ने केवल 19 प्रतिशत का समाधान किया। 31 मार्च, 2008 तक, बीमा कंपनियों के पास समाधान के लिए 1017 शिकायतें लंबित थीं जिनमें से 332 निजी क्षेत्र से तथा 685 एलआईसी से संबंधित थीं।

तालिका 50
बकाया शिकायतें — जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	31.3.2007 तक बकाया	दर्ज शिकायतें	31.03.08 तक शिकायतों की कुल संख्या	2007-08* के दौरान समाधान	31.3.2008 तक बकाया
जीवन बीमा निगम	197	651	848	163 (19.22)	685
निजी	102	1406	1508	1176 (77.98)	332
कुल	299	2057	2356	1339 (56.83)	1017

नोट * में 31.3.2007 से बकाया समाधान शामिल हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान, आईआरडीए ने एलआईसी के खिलाफ 651 शिकायतें दर्ज कीं और कुल निजी जीवन बीमाकर्ता के खिलाफ 1406 शिकायतें दर्ज कीं। इनमें से, एलआईसी केवल 80

शिकायतों को हल कर सकी जबकि निजी जीवन बीमा कंपनियों ने 1100 (78 प्रतिशत) शिकायतें हल कीं।

तालिका 51

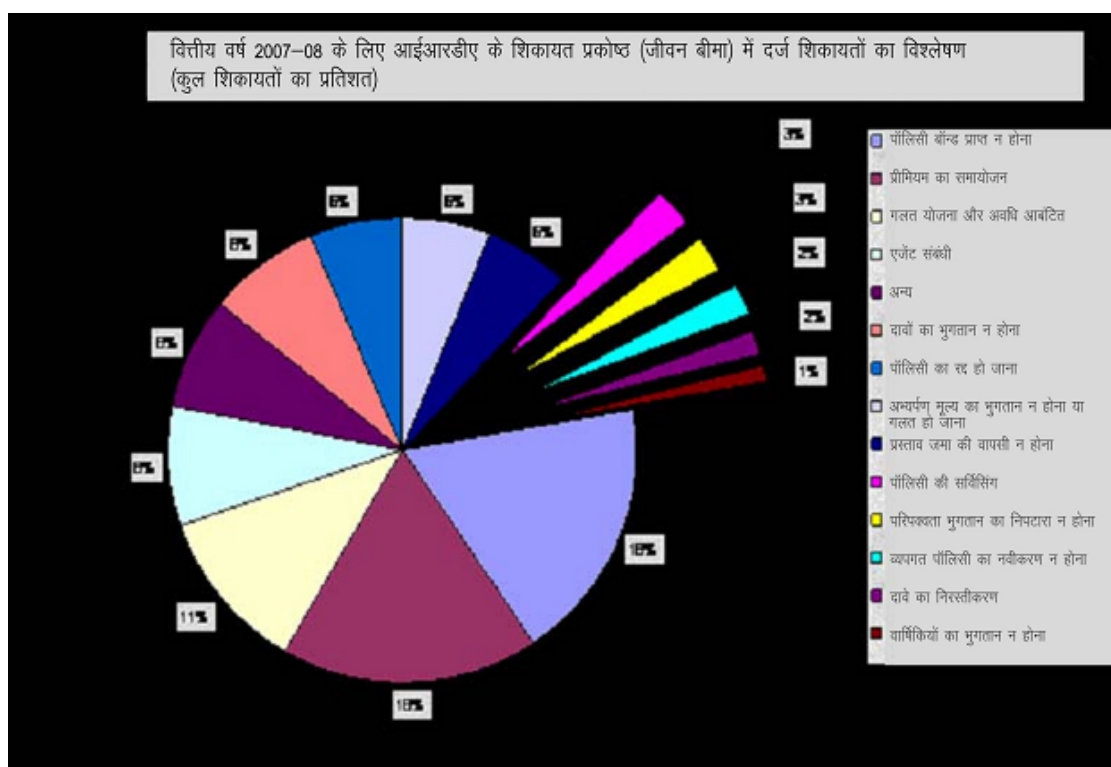
2007.08 के दौरान शिकायतें . जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	2007-08 के दौरान दर्ज	2007-08 के दौरान समाधान	2007-08 के दौरान बकाया
जीवन बीमा निगम	651	80 (12.29)	571
निजी	1406	1100(78.24)	306
कुल	2057	1180(57.37)	877

नोट – कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 2007-08 के दौरान हल हुई शिकायतों के प्रतिशत को दर्शाते हैं और इसमें 31.3.07 तक की बकाया समाधान संख्या शामिल नहीं है।

जीवन बीमा निगम तथा निजी बीमाकर्ताओं द्वारा शिकायतों के समाधान में एक अनोखा अन्तर देखा गया है। जबकि 2007-08 में जीवन बीमा निगम ने दर्ज शिकायतों का केवल 12 प्रतिशत, और उसी वर्ष में निजी बीमाकर्ताओं ने 78.24 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया। यह निजी जीवन बीमाकर्ताओं की निपटान में तीव्रता को दर्शाता है।

आईआरडीए के जीवन बीमा शिकायत प्रकोष्ठ के साथ दर्ज की गई शिकायतों के एक विश्लेषण ने निम्नलिखित प्रमुख कारणों का व्यक्त किया: पॉलिसी बांड की अप्राप्ति (18 प्रतिशत), प्रीमियम का समायोजन (18 प्रतिशत), गलत योजना व शर्त आवंटित (11 प्रतिशत), तथा दावों का गैर-भुगतान (8 प्रतिशत)। ये चार कारण कुल दर्ज शिकायतों के 55 प्रतिशत में योगदान पाते हैं।



गैर-जीवन बीमा कंपनियों

31 मार्च, 2007 तक, साधारण बीमा कंपनियों के पास समाधान के लिए 623 शिकायतें लंबित थीं। 2007-08 के दौरान, 2229 शिकायतें प्राप्त की गईं जिनमें से 1339 सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों के तथा बाकी 890 निजी क्षेत्र कंपनियों के खिलाफ थीं। कुल 2852 शिकायतों में से, 69 प्रतिशत वर्तमान वर्ष में ही हल कर दी गईं। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों ने 63 प्रतिशत शिकायतों

को तथा निजी क्षेत्र कंपनियों ने 81 प्रतिशत शिकायतों को हल किया। 31 मार्च, 2008 तक बीमा कंपनियों के पास समाधान के लिए 876 शिकायतें लंबित थीं जिनमें से 682 सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों तथा 194 निजी क्षेत्र कंपनियों से संबंधित थीं। कुल शिकायतों में से 38.13 प्रतिशत पॉलिसी संबंधित मुद्दे हैं, 39.50 प्रतिशत दावों के निपटान में गैर-निपटान/विलंब मुद्दे हैं, 18.84 प्रतिशत दावों के विलंब/आंशिक निपटान के मुद्दे हैं तथा बाकी अन्य कारणों से संबंधित हैं।

तालिका 52
शिकायतों की स्थिति . गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ

बीमाकर्ता	31.3.2007 तक बकाया	2007-08 तक शिकायतों शिकायतें	31.3.08 की कुल संख्या	2007-08 के दौरान समाधान	31.3.2008 तक बकाया	प्रकृति के अनुसार बकाया शिकायतों का खंडन			
						(I)	(II)	(III)	(IV)
सार्वजनिक	517	1339	1856	1174 (63.25)	682	226	299	132	25
निजी	106	890	996	802 (80.52)	194	108	47	33	6
कुल	623	2229	2852	1976 (69.28)	876	334 (38.13)	346 (39.50)	165 (18.84)	31 (3.54)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमशः कुल के प्रतिशत हैं।

- (i) पॉलिसी संबंधित मुद्दे
- (ii) दावों के निपटान में गैर-निपटान/विलंब
- (iii) दावों के विलंब/आंशिक निपटान
- (iv) अन्य कारण

आईआरडीए ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 की पहली छमाही के दौरान 1183 शिकायतें दर्ज कीं। इनमें से 574 सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियों से तथा बाकी 609 निजी क्षेत्र की कंपनियों से संबंधित थीं। सार्वजनिक क्षेत्र ने 541 शिकायतों को हल किया तथा निजी क्षेत्रों ने 596 शिकायतों को हल किया। 30 सितम्बर, 2008 तक, बीमा कंपनियों के पास 922 शिकायतें लंबित हैं।

तालिका 52(I)
शिकायतों की स्थिति . गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ
(अर्ध वर्ष समाप्ति. सितम्बर, 2008)

बीमाकर्ता	31.3.2008 तक बकाया	अप्रैल-08 से सितम्बर -08 तक दर्ज शिकायतें	30.9.08 तक शिकायतों की कुल संख्या	अप्रैल-08 से सितम्बर -08 तक के समाधान	30-9-08 तक बकाया
सार्वजनिक	682	574	1256	541(43.07)	715
निजी	194	609	803	596(74.22)	207
कुल	876	1183	2059	1137(55.22)	922

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमशः कुल के प्रतिशत हैं।

बीमा संघ और बीमा परिषद्

जीवन बीमा परिषद्

जीवन बीमा परिषद् (परिषद्) बीमा अधिनियम की धारा 64 सी के तहत स्थापित निकाय है। सभी पंजीकृत बीमा कंपनियाँ सदस्य हैं और मुख्य कार्यपालको के द्वारा प्रतिनिधित्व हैं। आईआरडीए के दो नामांकनों में से एक वह है जो परिषद् का अध्यक्ष है। इस परिषद् के मुख्य कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में सचिव जनरल कार्य करता है। मई 2008 में, श्री एस. वी. मोनी के इस्तीफा देने के बाद श्री एस. बी. माथुर ने पद ग्रहण किया। वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान, परिषद् की चार बार बैठक हुई। परिषद् ने उभरते मुद्दों पर समय-समय पर चर्चा करने के लिये कई स्थायी उप-समितियों तथा श्रमिककारी समूहों को स्थापित किया। समिति आधारित दृष्टिकोण बहुमूल्य योगदान प्रदान करने में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करता है।

2007-08 में कार्य की संक्षिप्त रूपरेखा

- भारतीय अंतःस्थापित मूल्य सिद्धान्तों को डिजाइन करने के लिए परिषद् के तत्वावधान के तहत एक कार्यकारी समूह बनाया गया। भारतीय अंतःस्थापित मूल्य सिद्धान्तों पर इस समूह दस्तावेज ने यूरोपीय सीएफओ फोरम से मान्यता प्राप्त की।
- सीएफओ की उप-समिति की वर्ष के दौरान 5 बार बैठक हुई और विभिन्न मुद्दों जैसे सामान्य कराधान, सेवा कर और प्रस्तावित लेखांकन मानकों एएस 30/एएस 31 को शामिल करने पर विचार-विमर्श किया गया। इस फोरम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रबंधकों और अन्य विशेषज्ञों से बातचीत की गई।
- उप समिति की मध्यस्थ शिक्षा पर अनिवार्य एजेंसी प्रशिक्षण में प्रशिक्षण के घण्टों, 100 घण्टों से 50 घण्टों तक, में कटौती के बाद के प्रभावों की समीक्षा के लिए एक बार बैठक की गई।
- जीवन बीमा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए उप-समिति जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों की वृद्धि की गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए पीआर एजेंसी को नियुक्त किया। पीआर एजेंसी की सहायता से, उप-समिति ने 2007 में मीडिया से मुख्य कार्यपालकों के पहले राउंड टेबल सम्मेलन आयोजित करने में सहायता की योजना बनाई। यह जनता में जागरूकता पैदा करने में एक सफल घटना साबित हुई।
- परिषद् की वेबसाइट ने व्यापारिक आंकड़ों, नवीनतम बीमा समाचार तथा अन्य जानकारी को कवर किया और आईआरडीए की वेबसाइटों और बीमा कंपनियों के साथ जुड़ने तथा डिजाइनों

का उन्नयन किया। एक प्रतिक्रिया/पूछताछ/शिकायत की अग्रोषण प्रणाली को संशोधित किया गया।

- टीएसी द्वारा बनाए गए अस्वीकृत डाटाबेस को संशोधित किया गया और आईआरडीए की स्वीकृति से संचालन किया गया।
- पिछले वर्ष इंस्टीट्यूट ऑफ एक्च्युरिज ऑफ इंडिया (आईएओआई) के साथ सहयोग से मृत्यु दर और रुग्णता जॉच केन्द्र की स्थापना करने के लिए एक कार्यकारी समूह का निर्माण किया गया। औपचारिक रूप से इस समूह की चार बार बैठक की गई और 22 नवम्बर, 2007 को जीवन बीमा परिषद् और आईएओआई के बीच एम.ओ.यू. समझौता किया गया। यह संस्था हैदराबाद में स्थापित की जा रही है।
- नियोक्ता कर्मचारी श्रेणी के तहत पॉलिसीयो की बिक्री में दुरुपयोग की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए, परिषद् निश्चित शर्तों के तहत इस तरह की पॉलिसीयों की बिक्री रोक के लिए नए दिशा-निर्देशों को जारी किया गया।
- परिषद् को सीआईईए फिक्कीए मुम्बई चैंबर, आईएमसीए एनआईए आदि के द्वारा आयोजित किए गए सम्मेलनों और बैठकों में सक्रिय रूप से शामिल किया गया है।

साधारण बीमा परिषद्

परिषद् की कार्यकारी समिति, आईआरडीए (गैर-जीवन बीमा कंपनियों) के नामांकनों जैसे अध्यक्ष और कार्यकारी निर्देशक (गैर-जीवन बीमा कंपनियों) और महासचिव परिषद् के अलावा, आईआरडीए द्वारा लाइसेंस-प्राप्त सभी जीवन बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को शामिल करती है। 2007-08 के दौरान परिषद् की कार्यकारी समिति ने 12 बैठकें की। इसके अलावा, परिषद् समय समय पर मुख्य बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य बीमा विभागों के प्रमुख, सिएफओ आदि की बैठकों का आयोजन किया।

परिषद् ने भारत में गैर-जीवन बीमा कंपनियों के निवेश को गहरे तथा विस्तृत करने के इसके उद्देश्य को पूरा करने में कई कदम उठाए और एक आत्म नियामक तंत्र के माध्यम से श्रेष्ठ वैश्विक प्रथाओं को ग्रहण करते हुए एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और अनुशासित समर्थक उपभोक्ता सेवा शासन को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयास को जारी रखा। परिषद् निम्नलिखित संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है

- क) गैर-जीवन बीमा बाजार को बढ़ावा देने
- ख) उपभोक्ता शिक्षा और गैर-जीवन बीमा उत्पादों की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए

ग) मध्यस्थों जैसे एजेंटों और दलालों का विकास

इसके अलावा, परिषद् ने उनके बीच सहयोग और सामंजस्य में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इस उद्योग में आने वाली समस्याओं पर सरकार, आईआरडीए, और अन्य पॉलिसी निमाताओं के औद्योगिक दृष्टिकोण को आगे रखा। परिषद् ने स्वास्थ्य पोर्टफोलियो में जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों के बीच आगामी स्तर स्थापित करने और इसके साथ स्वास्थ्य पोर्टफोलियो के प्रबंधन में श्रेष्ठ वैश्विक प्रथाओं को स्थान देने के लिए विचार-विमर्श किया। डेटा मामलों पर, परिषद् ने बीमा कंपनियों के विरुद्ध धोखाधड़ी के मामले को उठाते हुए, उद्योग द्वारा दर्शाई गई विशिष्ट प्रचालन की जरूरतों को प्रदान करने के लिए सूचना के प्रसार के लिए एक एकीकृत डेटाबेस को बनाने तथा बीमा कंपनियों द्वारा आम चुनौतियों का सामना करने में समाधानों का विकास और विकास के क्षेत्रों की पहचान कराने में सहायता प्रदान की। परिषद् ने कानूनों और विनियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए तथा व्यापार के प्रत्येक खंड से संबंधित विशिष्ट मामलों को उठाने के लिए मोटर टी.पी. बीमा पूल, खंड-वार आम उद्योग को पहल देने में प्रबंधन के लिए प्रभावी और कुशल प्रबंधन को सम्मिलित किया। परिषद् ने बीमा कंपनियों के सभी औद्योगिक मामलों पर तथा सर्वसम्मति से सब फैसलों/ प्रस्तावों/सिफारिशों पर सहमति की राह अपनाई है।

परिषद् द्वारा प्रस्तुत (1) राज्य सभा पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी की "मोटर वाहन संशोधन विधेयक" पर हिदायतें (2) सड़क नियमों 2007 द्वारा मंत्री पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा ब्रूट कैरिएज पर राजमार्ग (3) मोटर टी. पी. दावा मामलों में शीघ्र निपटान के लिये सर्वोच्च न्यायालय वैधानिक सहायता सेवा के अद्यक्ष तथा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश को (4) मोटर वाहनों के बीमा से संबंधित अधिनियम मोटर वाहन के अनिवार्य प्रावधानों को लागू करने संबंधित मामलों से निपटने के लिए पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय को (5) सभी नए वाहनों के मामलों में अनिवार्य चोरी विरोधी उपकरणों की स्थापना में नियमावली के निर्माण के लिए पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय को (6) पुलिस द्वारा बरामद किए गए वाहनों को अत्यन्त लम्बे समय तक अपने पास रखने के लिये अदालती दंड प्रक्रिया के तहत सुपरदारी के प्रावधानों के गलत इस्तेमाल के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अदालती आदेश पत्र दर्ज करवाना (7) मोटर टी. पी. प्रीमियम में वृद्धि और चुँगी कर के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों जैसे अर्नाकुलम, चेन्नई, मदुराई, बंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी तथा इलाहाबाद में ट्रक और बस चालकों द्वारा अदालती

आदेश पत्र दर्ज करवाने के मामले में सदस्य कंपनियों का बचाव किया (8) स्वास्थ्य बीमा विकास से संबंधित मामलों में फिक्कीए सीआईआई तथा अन्य उद्योग सहयोगियों द्वारा आयोजित सेमिनार, कार्यशाला और समितियों में भाग लिया।

लोकपाल (ऑम्बड्समेन) के कार्य

वर्ष 2007-08 के दौरान ऑम्बड्समेन द्वारा निपटाई गई शिकायतों की सूचना तालिका 52 में दी गई है। वर्ष 2007 - 08 के दौरान जीवन और गैर जीवन बीमाकर्ताओं, दोनों के विरुद्ध 10865 शिकायतें दर्ज की गई थीं। इनमें से 5565 शिकायतें जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध और शेष 5300 गैर जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध की गई थीं। दिनांक 1 अप्रैल 2007 को ऑम्बड्समेन के पास निपटान के लिए 1947 शिकायतें लंबित थीं। इनमें से 603 शिकायतें जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध लंबित थीं और शेष गैर जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध थी। इन्हें एक साथ लेकर (1 अप्रैल 2007 के अनुसार निपटान के लिए लंबित और 2007 - 08 के दौरान प्राप्त) ऑम्बड्समेन के पास मार्च 2008 के अंत में शिकायतों की कुल संख्या 128123 थी। उनमें से जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध 6168 और शेष 6644 गैर जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध की गई थी।

कुल शिकायतों (12812) में से ऑम्बड्समेन द्वारा 2007-08 के दौरान 11393 शिकायतों का निपटान किया गया है। इन निपटान की गई शिकायतों में से 5778 जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में और 5615 गैर जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध थीं। दिनांक 1 अप्रैल 2008 को ऑम्बड्समेन के पास निपटान के लिए बकाया शिकायतों की संख्या 1419 थी, जिसमें से 390 जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में और 1344 गैर जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध थीं।

एलआईसी और निजी जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध शिकायतों के निपटान की दरें क्रमशः 93.39 प्रतिशत और 94.77 प्रतिशत थीं। गैर जीवन बीमा के मामले में सार्वजनिक बीमाकर्ताओं से संबंधित 5441 शिकायतें थीं, जिनमें से वर्ष के दौरान 4603 का निपटान किया गया था (निपटान दर 84.60 प्रतिशत) थी। निजी बीमाकर्ताओं के विरुद्ध 1203 शिकायतों में से 1012 का निपटान वर्ष के दौरान किया गया था (84.12 निपटान दर)।

जीवन बीमा के मामले में लगभग 58 प्रतिशत शिकायतें और गैर जीवन बीमा के मामले में 42 प्रतिशत शिकायतें ऑम्बड्समेन द्वारा कार्रवाई योग्य नहीं पाई गई थीं। कुल शिकायतों में से ऑम्बड्समेन ने 2664 को स्वीकार किया और 1156 मामलों को रद्द कर दिया। ऑम्बड्समेन ने अपनी ओर से कंपनियों को 352 मामलों में निपटान की सिफारिश की।

तालिका 53
लोकपाल द्वारा शिकायतों का निपटान 2007-08

					निम्नलिखित द्वारा निपटाई गई शिकायतों की संख्या							
	ब्यौरे	31.3.07 को शिकों यते	1.4.07 से 31.3.08 तक	कुल	निपटाए गए	सिफारिशपुरस्कार		वापसी / निपटान	अस्वीकार रद्द करना	कार्रवाई नहीं	बकाया शिकायतें	
जीवन	सार्वजनिक	491	4414	4905	4581	111	751	612	112	371	2624	324
	निजी	112	1151	1263	1197	12	216	110	2	110	747	66
	योग	603	5565	6168	5778	123	967	722	114	481	3371	390
					*(93.68)	(2.13)	(16.74)	(12.50)	(1.97)	(8.32)	(58.34)	(6.75)
Non-Life	सार्वजनिक	1147	4294	5441	4603	206	1457	496	65	541	1838	838
	निजी	197	1006	1203	1012	23	240	101	20	134	494	191
	योग	1344	5300	6644	5615	229	1697	597	85	675	2332	1029
					*(84.51)	(4.08)	(30.22)	(10.63)	(1.51)	(12.02)	(41.53)	(18.33)
संयुक्त		1947	10865	12812	11393	352	2664	1319	199	1156	5703	1419
					*(88.92)	(3.09)	(23.38)	(11.58)	(1.75)	(10.15)	(50.06)	(12.46)

नोट: एआईसी, ईसीजीसी को सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल किया गया है।

* संबंधित निपटान की गई शिकायतों का प्रतिशत दर्शाता है।

समितियाँ

वितरण माध्यमों पर समिति

विशेषज्ञ ने दिनांक 21 सितम्बर, 2007 को अपने आदेश को देखा और ढंग का अध्ययन करने के लिए समिति का अध्ययन किया जिसमें वितरण माध्यम उनके प्रभाव, उनकी लागत प्रभावशीलता, उनकी कमियों पर कार्य कर चुके हैं और उन्हें प्रभावशाली, व्यावसायिक और जिम्मेवार बनाते रहने के लिए परामर्श देकर बदलते हैं और बीमा कराये गए की रुचि को प्रभावशाली सेवाओं के द्वारा संतुष्ट करता है। समिति का नेतृत्व भारतीय जीवन बीमा निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एनएम गोर्वधन द्वारा हुआ था और सदस्यों के रूप में दोनों जीवन और गैर जीवन बीमा कंपनियों का प्रतिनिधित्व किया था। यह समिति

वितरण प्रसारण पर समिति के रूप में जानी जाती थी। समिति ने 17 अप्रैल 2008 पर प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट जमा करवाई और रिपोर्ट आईआरडीए वेबसाइट पर 13 मई, 2008 को लगाई गई थी। समिति के परामर्श के प्राधिकरण द्वारा आगे की कारवाई के

लिए जांच की जा रही है।

लेखांकन मुद्दों की स्थायी समिति

प्राधिकरण ने, 2000 में अपनी स्थापना के तुरंत बाद ही, बीमा कंपनियों के अंतिम लेखों की प्रस्तुति के तरीके पर और उस तक जुड़े मुद्दे भी अर्थात आईआरडीए अनुशासन, 2000 अनुशासन का विस्तार किया था (वित्तीय विवरण की तैयारी और बीमा कंपनियों की लेख परीक्षकों की रिपोर्ट)। अनुशासन 2002 में संशोधित किए गए और बदल दिए गए थे। जबकि विनियामक संरचना ने प्राधिकरण को वित्तीय मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए संरचना को जगह पर रखने की सुविधा दी, विशेषतः बीमा उद्योग और सामान्य में वित्तीय क्षेत्र में लेखांकन पर, (दोनों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) विभिन्न वृद्धियों के साथ मदद की है। अतः यहाँ पर सतत् और सक्रिय आधार पर विभिन्न प्रकट होने वाले मुद्दों की जांच करने की जरूरत है।

इन मुद्दों और विभिन्न उभरती चुनौतियों को संबोधित करने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ, प्राधिकरण ने पूंजी, लेखांकन और बीमा तथा उस तक अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित पहलुओं पर विचार करने के लिए लेखा मुद्दों पर एक स्थायी समिति को गठित किया है। स्थायी आमंत्रित के रूप में सदस्य (बीमांकक) के साथ, समिति प्राधिकरण के सदस्य एफएण्डआईद्व द्वारा अध्यक्षता में है। समिति प्रतिनिधियों को बीमा उद्योग से व्यवसायी को चार्टर्ड एकाउंटेंट के पेशे से और आईसीएआई से विवरण पर स्थापितद्ध शामिल करता है। समिति के पास विचार के तहत मुद्दों पर आधारित अपनी बैठक में विशेष आमंत्रित को रखने का विकल्प भी है। समिति का गठन काफी व्यापक पर आधारित रखा गया है।

विशिष्ट मुद्दों पर बीमा क्षेत्र की अन्दर और बाहर की सम्पूर्ण जानकारी को उपयोग करना उद्देश्य है जो समिति से पहले और प्राधिकरण के सोच विचार के लिए उपयुक्त विशेषता को बनाने के लिए स्थापित हो सकती है। समिति के विचार सुझाव के रूप में दिए जाएंगे और प्राधिकरण उसी पर आधारित उचित निर्णय लेने के लिए अधिकार को सुरक्षित रखता है।

प्राधिकरण द्वारा किए गए सलाहकारी कार्यों की समीक्षा।

प्राधिकरण ने पूर्व भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष श्री एनएम गोर्वधन द्वारा विभिन्न मध्यस्थों, अपनी लागत प्रभावशाली और उनकी कमियों की प्रभावकारिता की जांच करने के लिए और उनको प्रभावी व्यावसायिक बनाने के लिए और ग्राहकों को बेहतर

सेवाओं के सुविधा प्रबन्ध देने के लिए जरूरी प्रस्तावित बदलावों पर विशेषता को बनाने के लिए अध्यक्षता की एक समिति गठित की।

समिति ने अधिनियम और विनियमों से संबंधित प्रस्तावित संशोधनों के साथ कॉर्पोरेट एजेंटों, व्यक्तिगत एजेंटों, सिफारिशों, बैंकअश्योरेंस आदि से संबंधित अस्तित्व वितरण प्रस्करणों में विभिन्न परिवर्तनों की सिफारिश की है।

अन्य बातों के साथ-साथ, इनमें पॉलिसीधारकों की सेवा को बेहतर बनाने और एजेंसी संरचना के अंतर्गत अधिक संस्थाओं के प्रवेश के लिए गुंजाइश की वृद्धि हेतु कॉर्पोरेट एजेंटों की संरचना और लाइंसिंग, एजेंटों की नियुक्ति, कमीशन संरचनाओं, रेफरल व्यवस्था, प्रत्यक्ष टेली-मार्किटिंग तरीके शामिल हैं।

समिति ने धारा 40(2) तथा 42ई द्वारा लगाई गई दलाली और कमीशन पर प्रतिबंधों की समीक्षा की सलाह दी और इसके साथ उन कमीशनों पर भी जिनमें देश भर में प्रबंधन खर्चों, दुर्घटना और स्वास्थ्य उत्पादों पर डिजाइन किए गए उत्पादों में समानता, बहु-वर्षीय पॉलिसियों का जारी होना, विस्तृत काउंटरो और प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना शामिल हैं। स्वीकृत और शुरूआती कदमों को लागू करने पर फैसला लेने के लिए सिफारिशों को अभी चर्चा के तहत रखा गया है।

भाग III

प्राधिकरण के वैधानिक कार्य

क) आवेदन का पंजीकरण, नवीनीकृत, सशोधित, वापिस, निलंबित या रद्द करने का प्रमाणपत्र जारी करना।

2007-08 के दौरान, प्राधिकरण ने अपोलो डीकेवी इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को केवल स्वास्थ्य बीमा कारोबार करने के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया। इसने फ्यूचर जनरली इण्डिया इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को साधारण बीमा कारोबार करने के लिए यूचर जनरली इण्डिया लाइफ इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को जीवन बीमा कारोबार करने के लिए यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को साधारण बीमा और आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को जीवन बीमा करने के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया। 1 अप्रैल, 2008 से शुरु 31 अगस्त, 2008 तक, प्राधिकरण ने श्रीराम जनरल जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को साधारण बीमा करने के लिए, कैनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

लाइफ इश्योरेन्स को जीवन बीमा एगॉन रैलीग्रे लाइफ इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को जीवन बीमा कारोबार और डीएलएफ प्रामेरिका लाइफ इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को जीवन बीमा व्यवसाय के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी किया। इन कंपनियों के पंजीकरण के साथ, प्राधिकरण के साथ जीवन बीमा करवाने वालों की कुल संख्या 21 तक पहुंच गई है और प्राधिकरण के साथ साधारण बीमा पंजीकृत करवाने वालों की संख्या 20 तक पहुंच गई है। जीवन और गैर जीवन बीमा कंपनियों को जारी किया गया पंजीकरण का प्रमाणपत्र बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3ए के अनुकूल नवीनकरण कर दिया गया है।

बीमा कंपनियों का बयान जिन्हें 01-04-2007 से 31-08-2007 तक आर.-3 जारी किया गया था।

क्र सं	बीमा कंपनी का नाम	पंजीकरण नं.	पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख
1.	अपोलो डीकेवी इश्योरेन्स कं. लि.	131	30-08-2007
2.	फ्यूचर जनरली इण्डिया इश्योरेन्स कं. लि.	132	04-09-2007
3.	फ्यूचर जनरली इण्डिया लाइफ इश्योरेन्स कं. लि.	133	04-09-2007
4.	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	134	16-11-2007
5.	आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इश्योरेन्स कं. लि.	135	19-12-2007
6..	कैनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इश्योरेन्स कं. लि.	136	08-05-2008
7.	श्रीराम जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	137	08-05-2008
8.	एगॉन रैलीग्रे लाइफ इश्योरेन्स कं. लि.	138	27-06-2008
9.	भारती एक्सा जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	139	27-06-2008
10.	डीएलएफ प्रामेरिका लाइफ इश्योरेन्स कं. लि.	140	27-06-2008

गैर जीवन विभाग ने 1 अप्रैल, 07 से 30 सितंबर, 08 तक निम्नलिखित बीमा कंपनियों के लिए उनके नामों के खिलाफ

उल्लेख किए कारणों के लिए दंड की वसूली के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य किया है:

क्रसं	बीमा कंपनी का नाम	जुर्माना राशि	उल्लंघन किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण
1.	बजाज अलायंज लाइफ इंश्योरेन्स कं. लि.	Rs. 5,00,000/-	1938 बीमा अधिनियम, 1938 के अनुभाग 64 वी सी का उल्लंघन करने के तहत जुर्माना
2.	न्यू इंडिया अश्योरेन्स कं. लि.	Rs. 5,00,000/-	बीमा अधिनियम, 1938 के विभाग 32बी के अनुभाग का 105बी उल्लंघन करने के तहत जुर्माना
3.	श्रीराम लाइफ इंश्योरेन्स कं. लि.	Rs. 5,00,000/-	बीमा अधिनियम, 1938 के विभाग 32बी के अनुभाग का 105बी उल्लंघन करने के तहत जुर्माना
4.	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेन्स कं. लि.	Rs. 5,00,000/-	प्राधिकरण के आदेश के अनुसार संदर्भ सं 15/आईएनएसपी/आईसीआईसीआई / आन साईट निरीक्षण/ 22.1.2008 दिनांकित 2007-08
5.	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेन्स कं. लि.	Rs. 5,00,000/-	विभाग 105बी के तहत भारतीय तेल कंपनी से संबंधित जोखिमों का पुनर्बीमा करने से संबंधित, आईआरडीए के नियमों और आदेशों की उल्लंघन करने के लिए किया गया जुर्माना।
6.	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेन्स कं. लि.	Rs. 5,00,000/-	विभाग 105बी के तहत प्रवसाई भारतीय बीमा योजना के मामले में आईआरडीए के फाइल और उपयोग की उल्लंघना करने के लिए जुर्माना
7.	मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेन्स कं. लि.	Rs. 5,00,000/-	यूलिप के संबंध में धारा 102 के तहत प्राधिकरण के जारी किए गए निर्देशों की उल्लंघना करने के लिए दंड
8.	श्रीराम लाइफ इंश्योरेन्स कं. लि.	Rs 1,85,150/-	पंजीकरण आवेदन पत्र के नवीकरण को देर से प्रस्तुत करने के लिए।

ख) नीतिधारकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए पॉलिसी को संपूर्ण करना, नीतिधारकों द्वारा नामांकन बीमायोग्य ब्याज, बीमा दावों का निपटारा, पॉलिसी का आत्मसमर्पण मूल्य, बीमा के अनुबंध की शर्तों और नियमों के सिलसिले में।

आईआरडीए का मुख्य उद्देश्य पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना है। इसके साथ स्थायी जीवन और गैर जीवन बीमा कारोबार के लिए प्राधिकरण ने अलग से शिकायतों का निपटारा करने के लिए विभाग का गठन किया है। हाल ही में स्वास्थ्य बीमा पालिसियों में प्रीमियम वृद्धि के संबंध में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों से निपटने के लिए अलग से प्रसारण स्थापित किया है। प्राधिकरण ने विनियमों के माध्यम से शिकायत का निवारण करने के लिए बीमा कंपनियों को प्रभावी व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। पॉलिसीधारकों से विशिष्ट शिकायतें प्राप्त करने और उनके हल के लिए बीमा कंपनियों तक ले जाने के

अतिरिक्त प्राधिकरण रेखाकृत मामलों को पहचानने और केंद्रित निरीक्षण आयोजित करने के लिए सक्रिय स्ट्रिकोण अपनाता है जिसे आवश्यक समझा जाता है। प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करता है कि पॉलिसीधारकों को निवारण प्रसारणों के आस्तित्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और बीमा कंपनियों को इस तरह के वितरण पॉलिसी दस्तावेज में ही शामिल करने की सलाह दी। इस संबंध में प्राधिकरण ने सलाहकार परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 2002 में "आईआरडीए ;पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए अनुशासन एक्ट 2002" सुचित किया। बाद में एक गजट अधिसूचना जारी की गई। यूलिप उत्पादों में निवेश करते समय पॉलिसीधारक द्वारा सूचित निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को हर वर्ष के लिए गारंटी और साथ ही गैर-गारंटी लाभ पर विवरण का खुलासा करने की सलाह दी। इन जरूरतों के लिए सलाह दिए गए प्रारूप को पॉलिसीधारकों द्वारा हस्ताक्षर करने की जरूरत है। यह अधिक पारदर्शिता लाता

है और पॉलिसीधारकों की सुरक्षा करता है।

ग) मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों और एजेंटों के लिए अपेक्षित योग्यताएं आचार संहिता और व्यवहारिक प्रशिक्षण निर्देशित करते हुए

व्यावसायिक और नैतिक जरूरतों के संबंध में आचार संहिता व्यावसायिक काम के संचालन के लिए सर्वेक्षकों और हानि कर-निर्धारकों 2000 आईआरडीए विनियमों के VI अध्याय में निर्दिष्ट किए गए हैं। उन्हें नैतिकता की दृष्टि से बर्ताव करते हुए व्यावसायिक और व्यवसाय निर्णय में निष्पक्षता के लिए और भेदभावहीन अभिनय करते हुए ईमानदारी के साथ अपने व्यावसायिक में तकनीकी और व्यावसायिक मानकों जिन की आशा की जाती है उनके संबंध में परिश्रम देखभाल और कौशल के साथ प्रयास करना चाहिए।

भारतीय सरकार और प्राधिकरण ने, बीमा क्षेत्र में अधिक सुधारों के एक भाग के रूप में सर्वेक्षकों में स्वयं को बढ़ावा देने के लिए विनियम और व्यवसायिकता को बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इश्योरेन्स सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर (आईआईआईएसएलए) की स्थापना की है। आईआईआईएसएलए संस्थान के प्रथम निर्वाचित काउंसिल को जगह पर लाने के लिए चुनाव 2007-08 में किए गए और 15.12.2007 को संस्थान के मामले औपचारिक रूप से आईआरडीए को सौंप दिए गए। परिषद् से मूल संरचना स्थापित करने के लिए ए अनुशासन व्यवसायिकता जगाने के लिए और सदस्यों के बीच सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के पेशे से संबंधित सूचना प्रसार के लिए अनिवार्यता की आशा की जाती है। दोनों आईआरडीए और आईआईआईएसएलए संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि सुस्थान पेशे को ओर विकसित करता है और अपने चार्टर में परिकल्पित करने की जिम्मेदारी लेता है।

घ) सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए आचार संहिता निर्धारित करना

सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए लागू उनके व्यावसायिक काम से संबंधित आचार संहिता आईआरडीए विनियमों के अध्याय 6 में सम्मिलित है। निर्धारक सर्वेक्षक नैतिकता की दृष्टि से और व्यावसायिक कार्यों में ईमानदारी के साथ व्यवहार करेंगे व्यावसायिक और व्यवसाय निर्णय में निष्पक्षता के लिए प्रयास करेंगे और तकनीकी और व्यावसायिक मानकों जिन की आशा की जाती है उनके संबंध में परिश्रम देखभाल और कौशल के साथ प्रयास करना चाहिए।

आईआरडीए, भारतीय सरकार द्वारा जारी ने सर्वेक्षकों के बीच व्यवसायिकता को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बीमा पर्यवेक्षकों घाटा कर-निर्धारकों की स्थापना को बढ़ावा दिया है। आईआईआईएसएलए के प्रोत्साहन परिषद् ने संस्थान के कामकाज पहली परिषद् को सौंप दिए हैं जिसमें मनोनीत और निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

ड) बीमा कारोबार के संचालन में क्षमता को प्रोत्साहन

आग इंजीनियरिंग और मोटर के लिए टैरिफ को 1 जनवरी 2007 से प्रभाव के साथ वापिस ले लिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान करने के युग का अंत हुआ जिसमें मुनाफा कमाने वाले आग और इंजीनियरी विभागों नुकसान में रहे मोटर स्वास्थ्य और मरिन कार्गो बीमा को समर्थन किया। इसके परिणामस्वरूप यह 1.1.2008 से प्रीमियम दरों में सम्पूर्ण छूट से प्रभावित हुई। इस बात की आशंका थी कि पॉलिसीधारकों को सांवाधिक मोटर पर तृतीय पक्ष कवर इन्कार कर दिया जाएगा। तृतीय पक्ष कवर द्वारा नामंजूरी के तहत प्राधिकरण शिकायतों की सूची ले रहा है और बीमा कंपनियों को साथ लेकर शिकायतों का समाधान किया है। तृतीय पक्ष मोटर प्रीमियम को विनियम करने में की गई पहल कई उच्च न्यायालयों द्वारा वैध ठहराया गया है।

वाणिज्यिक वाहन खंडों के लिए मोटर तृतीय पक्ष, पुलिंग में भाग लेने के लिए साधारण बीमा कंपनियों को प्राधिकरण के निर्देशों के परिणामस्वरूप पॉलिसीधारकों के लिए तृतीय पक्ष कवर की उपलब्धता और कवरों में वृद्धि हुई है। यह पूल आधुनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ स्थापित किया गया है। प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों द्वारा विशेष रूप से मोटर बीमा के क्षेत्र में गुणात्मक आंकड़ा की तुलना और संग्रह के लिए जरूरत पर बल दिया है।

प्राधिकरण जीवन बीमा परिषद् और साधारण बीमा परिषद् को स्वयं नियामक संगठन बनाने के लिए अग्रसर करने की दिशा में पहल कर रही है। प्राधिकरण द्वारा स्थान पर रखे गए सूक्ष्म बीमा विनियम के परिणामस्वरूप मुख्य धारा की साधारण बीमा कंपनियां प्रमाणिकता के लिए प्राधिकरण को सूक्ष्म बीमा उत्पादन प्रस्तुत करती हैं। कम आय वाली जनसंख्या के लिए यह आभास अच्छे हैं क्योंकि वे उचित प्रीमियम पर मौजूदा बीमा उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकरण ने विशिष्ट नागरिकों की स्वास्थ्य बीमा संबंधित समस्याओं पर गौर करने के लिए एक समिति गठित की है।

28 दिसम्बर 2006 को सभी जीवन बीमा कंपनियों को यह सलाह देते हुए परिपत्र जारी किया गया था कि उनके व्यवसाय को बंद दोबारा स्थापित करने संबंधी निर्णय अपने ग्राहकों के लिए संभव

असुविधाओं के साथ सभी कारकों पर विचार करने के बाद लिया जाना चाहिए। यह जरूरी है कि बोर्ड उचित कारणों के साथ इन निर्णयों पर मूल्य निरूपण हो, क्योंकि शाखाओं/दतारों को खोलने के लिए प्रस्ताव की पहल बोर्ड द्वारा मानी गई थी। प्रस्तावित स्थान परिवर्तन बंद करने की पर्याप्त सूचना कम से कम 2 महीने पहले उनकी सेवा के लिए पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था के साथ उस शाखा में सेवित पॉलिसीधारकों को दी जानी चाहिए।

च) बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ जुड़े हुए व्यावसायिक संगठनों को बढ़ावा देना और विनियमित करना :

आईआरडीए आन्ध्र प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में बीमा डिप्लोमा करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए बीमा संस्थान ओर जोखिम प्रबन्ध की स्थापना की है। आईआईआरएम में एक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली भी खोली गई। बीमा उद्योग में ओर अधिक बीमांकनों की आवश्यकता को स्वीकारते हुए, आईआईआरएम में बीमांकिक विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खोला गया। आईआरडीए द्वारा अनुसरण किए गए शिकायत निवारण यंत्र के बारे में जनता को शिक्षा देने के लिए बीमा क्षेत्र में शिकायत निवारण गोष्ठी आयोजित किया गया। प्राधिकरण ने चार्टर्ड एकाउंटेंट के साथ समन्वय में बीमा कंपनियों के लेखांकन मुद्दों पर गोष्ठी का आयोजन किया।

उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए पद्धतियाँ स्थापित करने में और उद्योग प्रतिभागियों के साथ बातचीत करने के लिए जीवन बीमा परिषद् और साधारण बीमा परिषद् मंच है। इन स्वयं विनियमित शाखाओं का विकास उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर दृष्टिकोण डालने के लिए बेहतर पूर्वसूचित करता है। इसी संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस दिए गए अधिकारियों का भारतीय बीमा दलाल एसोसिएशन, आईबीएड का सदस्य होना जरूरी है। आईबीए ने 2007-08 में वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। एसोसिएशन एक स्वयं नियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में एक अनुशासनात्मक समिति की जगह काम कर रहा है। प्राधिकरण का प्रतिनिधि कमेटी का सदस्य भी होता है। 2007-08 के दौरान, आईआरडीए ने सर्वेक्षकों के मध्य व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक; आईआईआईएसएलएड को स्थापित करने में बढ़ावा दिया। आईआईआईएसएलए को बढ़ावा देने वाली परिषद् ने संस्था का सारा कामकाज पहली परिषद् को सौंप दिया जिसमें प्रस्तावित और निर्वाचित सदस्य शामिल है। 2007-08 आर्थिक वर्ष के दौरान निर्वाचित परिषद् 4 बार मिली।

छ) अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उगाही फीस और अन्य खर्च

बीमा अधिनियम के भाग 3 के द्वारा शक्ति के रूप में प्राधिकरण बीमाकर्ताओं और बीमा व्यवसाय से संबंधित विभिन्न मध्यस्थों से पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क वसूल करता है। हालांकि, 50,000 रुपये पंजीकरण प्रमाण पत्र देते समय लिए जाते हैं और ना कि उसके बाद। बीमा कंपनी के लिए पंजीकरण शुल्क का नवीकरण (जीडीपीआई) भारत में लिखे 1 प्रतिशत सकल प्रत्यक्ष व्यापार के 10 प्रतिशत या 50,000 रुपये से अधिकतम पांच करोड़ तक। पुनर्बीमा कंपनी के लिए, भारत में पुनः बीमा कंपनी द्वारा शुल्क एच्छिक व्यवसाय पर आधारित है। इसके अनुसरण में सलाहकार परिषद् द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद फरवरी, 2003 में आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण), विनियम 2000 के विनियम 20 में बदलाव किया गया। बाद में एक गजट अधिसूचना जारी की गई थी।

ज) बीमा व्यापार से संबंधित अन्य संगठनों और बीमा मध्यस्थों, मध्यस्थों, बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षकों सहित जांच पड़ताल और छानबीन का संचालन, निरीक्षण से जानकारी प्राप्त करने के लिए माँग

आर्थिक वर्ष 2007-08, क्षेत्र के शुरु होने के बाद, बीमा कंपनियों के परिचालन का आठवां वर्ष था। जबकि परिधान ने विस्तृत आन-साइट निरीक्षण की शुरुआत के लिए विचार में यह माना गया था कि पंजीकृत कंपनियों को बड़े पैमाने पर परिचालन करने से पहले अपने कामकाज को स्थिर करने का समय दिया जाना चाहिए। कुछ ही समय में अल्पकालीन परिमाण के रूप में चिंताओं पर आधारित जो विभिन्न समय में उत्पन्न हुई परिधान ने आन-साइट छानबीन को निशाना बनाया है। लक्षित निरीक्षण से अलग-बाजार कार्य-संचालन मामलों से संबंधित मिला करद्ध प्राधिकार वित्तीय वर्ष 2001-02 से शुरु विनियमित बीमा संस्थाओं की निवेश लेखा निरीक्षण जारी रख रहा है।

झ) बीमा अधिनियम 1938 ;1938 के 4द्ध की धारा 64 यू के अधीन प्रशुल्क सलाहकार समिति के संदर्भ में बीमा कंपनियों द्वारा लागू की गई शर्तों और नियमों, विशेषताओं, दरों पर नियन्त्रण तथा विनियमन

बीमा क्षेत्र में उन्नति के सहायक के रूप में और विभिन्न हित धारकों के साथ विस्तृत बातचीत और विचार-विमर्श के पश्चात्, 01-01-2007 से प्राधिकार द्वारा गैर-बीमा कंपनियों का प्रशुल्क मुक्त सूचित कर दिया गया। मोटर तृतीय पक्ष कवर के सिलसिले को छोड़ कर। यह देखा गया कि यह माप पॉलिसी करवाने वालों को बढ़िया विकल्प, विभिन्न दरें उठाए जोखिम के अनुकूल और

साथ ही जोखिम प्रबन्ध में समस्त सुधार प्रदान करेगा। पहले चरण के रूप में प्रशुल्क मुक्त केवल दरों की गैर नियंत्रण तक ही सीमित रखा गया है और बीमा के कायदे और कानूनों के बारे में बाद में ध्यान दिया जाएगा। व्यापारिक वाहन मालिकों पर प्रशुल्क वृद्धि के प्रभव को सामान्य करने के लिए, प्राधिकरण ने मोटर तृतीय पक्ष प्रीमियम की दरों को निर्धारित करने की शक्ति कायम रखी है। मोटर तृतीय पक्ष जोखिम का प्रबन्धन और बीमालेखन करने में सभी साधारण बीमा कंपनियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मोटर तृतीय पक्ष पूल की रचना की है। इस पूल का प्रबन्ध साधारण बीमा निगम द्वारा किया गया है।

ट) उस रूप और तरीके का उल्लेखन जिसमें बीमा कंपनियों दूसरी बीमा मध्यस्थों द्वारा लेखा पुस्तके संभाली जाएगी और और लेखा विवरणों की वापसी की जाएगी।

वित्तीय वर्णन की सूचना में पारदर्शिता और प्रकाश का सुधार करने में प्राधिकरण द्वारा लिए गए अतिरिक्त माप:

1. वार्षिक आधार पर प्राधिकरण द्वारा दर्ज वित्तीय कथन के पुनरिक्षण के रूप में और विश्लेषण पर आधारित स्पष्टीकरण दूँदा जाता है और ध्या विभिन्न गैर-स्वीकृति / प्रकटीकरण की तरफ ध्यान दिया जाता है। जब विशेष गैर-स्वीकृति/ प्रकटीकरण बीमा कंपनियों को बताया जाता है वित्तीय वर्णन की प्रस्तुति में संबंधित विभिन्न नियामक आवश्यकताओं की मंजूरी में निश्चित सामान्य अभाव देखे गए हैं। स्वीकृति को निश्चित और देखी गई कमियों की पुनरावृत्ति को टालने के लिए, प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों के मार्गदर्शन के लिए विस्तृत परिपत्र द्वारा पहले अवसर पर जारी स्पष्टीकरण को दोहराने का निर्णय किया है।

2. दिसम्बर 2007 से प्रभावी, सभी बीमा कंपनियों को आईआरडीए के साथ तिमाही वित्तीय वर्णन दर्ज करवाने की सलाह दी गई है। इन वर्णनों में तुलन-पत्र, आमदनी लेखा, ;पॉलिसीधारकों के खातेद्व और लाभ-हानि लेखा ;पॉलिसीधारकों के खातेद्व शामिल है।

उ) बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमन:

बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश के विनियमन को 2000 में प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया। बाद में, वित्तीय बाजारों में नवाचारों ने नए उपकरणों का नेतृत्व किया। इस तरह बीमा

कंपनियों ने भी प्राधिकरण को अपनी निधियों को नए उपकरणों में निवेश करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार, प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों और उनके द्वारा बाधाओं का सामना करने, तथा बदलाव के सुझाव, यदि आवश्यक है, के लिए निवेश पर मौजूदा सांविधिक उपायों की समीक्षा के लिए एक कार्यकारी समूह की स्थापना की। कार्यकारी समूह ने प्राधिकरण को लचीलापन प्रदान करने के लिए उस ढंग में निर्दिष्ट नियमों में सुधार लाने की सलाह दी जिससे बीमा कंपनियों द्वारा निधियों का निवेश किया जा सके। सुझावों को देते समय कार्यकारी समूह निवेशों पर जानकारी निगरानी के लिए वर्तमान रिटर्नों के उपायों का भी निरीक्षण करता है और प्रारूप में निश्चित बदलावों का सुझाव देता है जो पर्यवेक्षण प्रयोजन में प्राधिकरण को सुविधा प्रदान करेगा। प्राधिकरण सिफारिशों की जाँच करता है। कुछ सिफारिशों की नियमावली में बदलाव की आवश्यकता होती है। कार्यान्वयन के लिए एक उपर्युक्त ढाँचे का प्रस्ताव रखा गया। तदनुसार, सलाहकार परिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण बीमा कंपनियों "आईआरडीए (निवेशद्व;चौथा संशोधन) विनियमावली, 2008" द्वारा निधियों के निवेश पर नई नियमावली जारी करता है। बाद में गजट अधिसूचना जारी की गई।

ड) शोधन क्षमता के मार्जिन के रखरखाव का विनियमन

प्रत्येक बीमा कंपनी को बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64 विए के अनुसार एक आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बीमा कंपनी इन दायित्वों से अधिक आस्तियों के मूल्य का एक अतिरिक्त बनाए रखेगी। आईआरडीए द्वारा निर्धारित अतिरिक्त, आवश्यक शोधन क्षमता के अनुसार भेजा जाता है। आईआरडीए ;बीमा कंपनियों की आस्तियाँ, दायित्व और शोधन क्षमताद्व नियमावली 2000 में आवश्यक शोधन क्षमता की गणना की विधि का वर्णन किया जाता है। अनुपात की जाँच वार्षिक आधार पर की गई थी। निरन्तर आधार पर इस अनुपात के जाँच के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अब प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को शोधन क्षमता के मार्जिनों के अनुसार त्रैमासिक रिटर्न जमा करने के लिए कहा है। शुद्ध टर्म उत्पादों के लिए शोधन क्षमता का निचला स्तर निजी उत्पादों तथा समूह उत्पादों दोनों के तहत बीमा कंपनियों को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है। यह बीमा कंपनियों को एक पर्याप्त अवधि के लिए तथा सस्ती दरों पर अधिक शुद्ध टर्म उत्पादों को शुरू करने में भी सहायता प्रदान करता है।

द) बीमा कंपनियों तथा मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों के बीच विवादों का अधिनिर्णय

आईआरडीए बीमा कंपनियों तथा मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों के बीच विवादों के किसी भी अधिनिर्णय के मामले को पूरा नहीं करता। बीमा कंपनियों को बीमा लोकपाल जैसे उपलब्ध अर्ध-न्यायिक या न्यायिक चैनलों की प्राप्ति का सुझाव दिया जाता है। बीमा कंपनियों तथा मध्यस्थों के बीच किसी भी विवाद के मामले में प्राधिकरण संबंधी कंपनी से स्पष्टीकरण की माँग करता है।

न) प्रशुल्क सलाहकार समिति के कामकाज की निगरानी

प्रशुल्कों को हटाए जाने पर प्रशुल्क सलाहकार समिति को प्राधिकरण द्वारा साधारण बीमा के विभिन्न वर्गों के लिए डेटाबेस के रखरखाव के लिए डेटा रिपोजिटरी के रूप में नामित किया गया है। टीएसी बीमा कंपनियों के अनन्य उपयोग के लिए एक वैब सक्षम डैक्लाइन्ड लाइवज़ डेटाबेस रखती है। यह डेटाबेस जीवन परिषद् के सुझावों को शामिल करता है तथा इसके प्रयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार करता है।

बीमा कंपनियों की माँग के फलस्वरूप, साधारण बीमा परिषद् और आईआरडीए, अध्यक्ष की स्वीकृति के साथ, प्रशुल्क सलाहकार समिति ;टीएसीद्ध ने चोरी हुए वाहनों के लिए एक वैब खोज प्रणाली को विकसित किया। प्रशुल्क सलाहकार समिति ने वर्ष 2005-06 में बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये तथा 31 मार्च, 2007 तक की अवधि के लिए साधारण बीमा परिषद् के माध्यम से बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये चोरी हुए वाहनों के रिकार्ड से डेटा से चोरी हुए वाहनों के डेटाबेस को एकत्र किया। उपयोगकर्ता खोज पृष्ठ पर जाने के लिए उपयोगकर्ता का नाम तथा टीएसी द्वारा दिये गये पासवर्ड को दर्ज करें।

साधारण बीमा परिषद् से प्राप्त नामों के अनुसार बीमा कंपनियों के प्राधिकरण के लॉगिन नामित पहुँच को साइट पर जाने के लिए उपभोक्ता के नाम तथा पासवर्ड के साथ प्रदान किया जाता है।

त) खंड (च) में निर्दिष्ट व्यावसायिक संगठनों के विनियमन और विस्तार के लिए बीमा कंपनियों को प्रीमियम आय के प्रतिशत की वित्तीय योजनाओं का विवरण

खंड (च) में निर्दिष्ट के अनुसार प्राधिकरण ने व्यावसायिक संगठनों के विनियमन और विस्तार के लिए बीमा कंपनियों को प्रीमियम आय के प्रतिशत की वित्तीय योजनाओं का विवरण नहीं दिया।

थ) ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्रों में बीमा कंपनियों द्वारा चलाए गए जीवन बीमा व्यापार और साधारण बीमा व्यापार के प्रतिशत का विवरण

आईआरडीए (बीमा कंपनियों का ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्रों की तरफ दायित्व) विनियमावली, 2002 में अनुबद्ध दायित्वों को बीमा कंपनियों द्वारा उनके अभियान के पहले पाँच वर्षों के दौरान अनुपालित आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्रों की बीमा कंपनियों के मामले में इन क्षेत्रों में वर्ष 2001-02 में उनके प्रदर्शन को इन दायित्वों के साथ जोड़ा गया। 2007-08 में अधिसूचित किये गये संशोधनों के साथ, निजी बीमा कंपनियों के दायित्वों को उनके अभियान के दस वर्षों तक निर्धारित किया गया। साथ ही साथ, निजी क्षेत्रों की बीमा कंपनियों के दायित्वों को भी फिर से देखा गया।

निजी क्षेत्रों की बीमा कंपनियों के दायित्व इस प्रकार हैं:

(क) ग्रामीण क्षेत्र :

(i) एक जीवन बीमा कंपनी के संबंध में: पहले वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष लिखित कुल पॉलिसियों के सात प्रतिशत से शुरू करते हुए दसवें वित्तीय वर्ष में बीस प्रतिशत तक

(ii) एक गैर-जीवन बीमा कंपनी के संबंध में: पहले वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष लिखित कुल सकल प्रीमियम आय के दो प्रतिशत से शुरू करते हुए नौवें वित्तीय वर्ष के बाद से सात प्रतिशत तक

(ख) सामाजिक क्षेत्र, सभी बीमा कंपनियों के संबंध में:

पहले वित्तीय वर्ष में पाँच हजार जीवनो से शुरू करते हुए दसवें वित्तीय वर्ष में पचपन हजार जीवनो तक।

आईआरडीए अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ की तारीख पर मौजूदा बीमा कंपनियों के संबंध में ;चार गैर जीवन बीमा कंपनियोंद्ध , विनियमावली ने प्रदान किया कि ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में किये गये बीमा व्यापार की मात्रा लेखा वर्ष 31 मार्च, 2002 की समाप्ति तक उनके द्वारा दर्ज की गई मात्रा से कम नहीं होनी चाहिये। प्राधिकरण द्वारा सूचित संशोधन के नियमों पर आधारित, वित्तीय वर्ष 2009-10 तक ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों की तरफ उन बीमा कंपनियों के दायित्व इस प्रकार हैं:

(I) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)रू

(क) ग्रामीण क्षेत्र के दायित्व:

(i) वित्तीय वर्ष 2007-08रू चौबीस प्रतिशत

(ii) वित्तीय वर्षों 2008-09 और 2009-10रू उस वर्ष में दर्ज की गई कुल पॉलिसियों का पच्चीस प्रतिशत।

(ख) सामाजिक क्षेत्र के दायित्व:

2007-08 से 2009-10 तक बीस लाख जीवन कवर किये जाने चाहिए।

(II) गैर जीवन बीमा कंपनियाँ :

(क) ग्रामीण क्षेत्र के दायित्व:

(i) वित्तीय वर्ष 2007-08रू छह प्रतिशत

(ii) वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2009-10रू उस वर्ष में दर्ज की गई कुल सकल प्रीमियम आय का सात प्रतिशत।

(ख) सामाजिक क्षेत्र के दायित्व:

वित्तीय वर्ष 2007-08 मेंरू

(i) वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा कवर किये गया जीवन की औसतन संख्या या

(ii) 5.50 लाख जीवन जो भी अधिक हो।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2009-10 में बीमा कंपनियों के दायित्व 10 प्रतिशत की वृद्धि से गुजरते हैं जो कि वास्तव में वित्तीय वर्ष 2007-08 में कवर किये गये जीवन की संख्या से अधिक हैं।

इसके अलावा, सूक्ष्म बीमा को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, तथा ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के दायित्वों को सूक्ष्म बीमा नियमों के साथ मिलाने के लिए, अनुपालन के तरीके को सूक्ष्म बीमा नियमावली से जोड़ा गया है।

इसके अलावा, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति उनके दायित्वों का अनुपालन करने में योग्य बनाने के लिए परिचालन स्थापित करने के लिए बीमा कंपनियों को समय देने में संशोधनों को नियमावली के लिए बनाया गया है। इसे उन मामलों में प्रदान किया जाता है, जब बीमा कंपनी वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में परिचालनों को शुरू करती है और प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के रूप में 31 मार्च तक कम से कम छह महीनों में परिचालन करती है, (i) निर्धारित अवधि में कोई ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों को लागू नहीं किया जाएगा (ii) नियमावली में दर्शाये गये वार्षिक दायित्वों को अगले वित्तीय वर्ष से गिना जाएगा जो कि अनुपालन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहले वर्ष के परिचालनों के रूप में विचार किया जाएगा। उन मामलों में जब बीमा कंपनी वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में परिचालनों को शुरू करती है, पहले वर्ष के लागू दायित्व इस नियमावली में प्रदर्शित दायित्वों के 50 प्रतिशत होंगे।

द) इस तरह की निर्धारित अन्य शक्तियों का प्रयोग करना

केन्द्रीय सरकार ने प्राधिकरण की किसी भी शक्तियों को विहित नहीं किया है तथा फलस्वरूप प्राधिकरण ने किसी भी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया।

भाग IV संगठनात्मक मुद्दे

i. संगठन

श्री सी. एस. राव वर्ष के दौरान 14 मई 2008 तक प्राधिकरण अद्यक्ष रहे। श्री जे. हरि नारायण, आई.ए.एस (सेवानिवृत्त) 12 जून 2008 को प्राधिकरण अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। श्री सी. आर. मुरलीधरन, श्री के.के. श्रीनिवासन, श्री जी. प्रभाकर और डा. आर. कन्नन ने प्राधिकरण के पूर्ण-काल के सदस्यों के रूप में जारी रखा।

श्री विजय महाजन, एमडी, बेसिक्स और श्रीमति इला आर. भट्ट, स्व नियोजित महिला संघ (सेवा) की संस्थापक ने आईआरडीए के अंशकालिक सदस्यों के रूप में जारी रखा। सुश्री सुषमा नाथ, सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को 9 अप्रैल 2008 से अंशकालिक सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया और श्री वेद जैन श्री सुनील तलटी की जगह पर अंशकालिक सदस्य के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को प्रतिनिधित्व करते हैं।

ii. प्राधिकरण की बैठकें

अप्रैल 2007 से मार्च 2008 तक की अवधि के दौरान, प्राधिकरण की पाँच बैठकें की गई थी। अप्रैल 2008 से सितम्बर 2008 तक के दौरान प्राधिकरण की दो बैठकें आयोजित की गई।

iii मानव संसाधन

आईआरडीए के मानव संसाधनों को मजबूत बनाने के अनुसरण में, विशेष योग्यताओं और पृष्ठभूमि के साथ व्यावसायिकों की भर्ती के लिए एक व्यापक प्रवर्तन के निर्धारण की योजना शुरू की गई थी। अगस्त/सितम्बर 2007 में आईआरडीए में बीमांकक विभाग में आठ प्राधिकरण शामिल हो गये। अधिक अधिकारियों को शामिल करने की प्रक्रिया भी एक साथ ही शुरू हो गई।

आंध्र प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त रूप से प्राधिकरण ने 2002 में हैदराबाद में (आईआईआरएम) एक संस्थान बीमा और जोखिम प्रबंधन स्थापित किया था। आईआईआरएम का उद्देश्य उनकी समसामयिक चुनौतियों के संदर्भ में उभरते हुए बाजारों के विकास की जरूरत और सीखने के लिए सेवा करना है। आईआईआरएम की देख-रेख प्राधिकरण के अध्यक्ष के नेतृत्व के तहत निर्देशकों द्वारा किया गया है। साधारण बीमा, जीवन बीमा और जोखिम प्रबंधन में पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा सहित पाठ्यक्रमों को विविध

रेंज प्रदान करने के तरीकों द्वारा उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए जारी है। उस आईआईआरएम पाठ्यक्रम को चार्टर्ड बीमा संस्थान, लंदन द्वारा मान्यता प्राप्त है। बीमांकक विज्ञान के इंटरनैशनल स्कूल (आईएसएस) ने योग्य कौशल संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए आईआरडीए के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आईआईआरएम के तत्वाधान में कार्य शुरू कर दिया है।

iv. राजभाषा को प्रोत्साहन

आईआरडीए के नियंत्रणाधीन कार्यालयों, प्रधान कार्यालय में भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रावधानों के अनुपालन तथा संविधान के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए अलग से एक हिंदी विभाग गठित किया गया। सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदी के प्रयोग में प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की गई और मापदंडों को राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 के वार्षिक कार्यक्रम में विभिन्न मदों के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए अपनाया गया है।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन

वर्ष की समीक्षा के अंतर्गत, सामान्य आदेश सूचनाएँ/विनियमन/प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट आदि को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत दो भाषाओं के रूप में जारी किया गया। हिंदी में पत्राचार को बढ़ाने के लिए मानक मसौदों को तैयार किया गया। परिणाम स्वरूप हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि हुई।

हिंदी सलाहकार समिति

आईआरडीए और इसके अधीनस्थ कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि करने के लिये, आईआरडीए सदस्य ने वित्त राज्यमंत्री की अध्यक्षता के तहत, हिंदी सलाहकार समिति में भाग लिया। समिति का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय के साथ ही इसके अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/निकायों में हिंदी के प्रयोग समीक्षा करना और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए ठोस उपायों की सिफारिश करना तथा राजभाषा नीति का अनुपालन करना है।

हिंदी, आईआरडीए मासिक जर्नल में पर्याप्त स्थान प्राप्त करने में सक्षम रही है। जर्नल में पहले ही प्रकाशित लेख के हिंदी अनुवाद

के साथ, पत्रिका में बीमा पर हिन्दी के कुछ मूल लेख प्रकाशित किये गये।

आईआरडीए में कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी में काम करने में सहायता देने के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑनलाइन अनुवाद के साथ मार्गदर्शन सुविधा प्रदान की जाती है।

नई दिल्ली में प्राधिकरण का एक अधीनस्थ कार्यालय है। आईआरडीए, नई दिल्ली से एक अधिकारी को, राजभाषा पॉलिसी के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मनोनीत किया गया। प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्देशों को जारी किया गया तथा हिन्दी के प्रयोग में प्रगति पर गहरी नज़र रखी गई।

V) आईआरडीए में सूचना प्रौद्योगिकी की स्थिति

सूचना प्रौद्योगिकी प्राधिकरण के कामकाज में परिचालन समर्थन प्रणाली प्रदान करता है। आईटी विभाग आईटी प्रणाली के प्रबंधन तथा मौजूदा सिस्टम के विस्तार/उन्नयन को सम्भालता है ताकि यदि हो तो तकनीकी अंतरालों को पूरा किया जा सके।

पॉलिसीधारकों की शिकायतों का प्रबंधन:

शिकायत प्रबंधन सॉफ्टवेयर समाधान पॉलिसीधारकों से शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक समाधान है। यह सॉफ्टवेयर विभागों को रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग तथा अंत के अपने जीवन चक्र के माध्यम से प्रत्येक शिकायत पर नज़र रखने के लिए सक्षम बनाता है – उपर्युक्त प्रक्रिया के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि दरारों के माध्यम से कुछ नहीं निकलता शिकायत प्रबंधन प्रणाली की रिपोर्टिंग क्षमता में डाटाबेस तथा विस्तार प्रबंधन प्रणाली का बनना, प्रवृत्ति विश्लेषण तथा हाज़िर आवर्ती समस्याओं का प्रदर्शन करने के लिए विभाग के लिए सहायक है। पॉलिसीधारकों की शिकायतों के कठिन प्रबंधन ने पॉलिसीधारकों की शिकायतों से निपटने के लिए बीमा कंपनियों के कामकाज पर लगातार सुधार किया।

एजेंटों की लाइसेंस प्रणाली:

एजेंट पोर्टल बीमा एजेंटों की लाइसेंस प्रणाली के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम है। आईआरडीए एजेंटों की पंजीकरण प्रणाली वर्ष 2000 से परिचालित हो गई है और नियमित विस्तारों को पोर्टल में बनाया गया है। एजेंट पोर्टलों का सभी भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इस पोर्टल का मुख्य कार्य

एजेंटों के लाइसेंसों को बनाना है। हैल्प डेस्क तथा ऑनलाइन में प्रश्नों को उसमें पहले से ही बनाया गया है ताकि लाइसेंस जारी करने के संबंध में बीमा कंपनियों के नामिक व्यक्तियों (डीपी) के प्रश्नों को सुलझाया जा सके। व्यक्तिगत तथा कॉर्पोरेट एजेंटों के लिए लगभग 1.2 मिलियन नए और नवीकरण लाइसेंसों में इस पोर्टल का उपयोग करके बीमा कंपनियों को जारी किया गया। साइट www.irdaonline.org पर होस्ट की गई है।

आईआरडीए की वेबसाइट:

प्राधिकरण की वेबसाइट बीमा उद्योग के विभिन्न हितधारकों के लिए जानकारी के एक बिन्दु के स्रोत के रूप में कार्य करने के लिए जारी रहती है। 2007-08 के दौरान वेबसाइट में निम्नलिखित वस्तुएँ जोड़ी गईं:

- 1 उत्पाद जानकारी: प्राधिकरण द्वारा जीवन उत्पादों की एक बीमा कंपनी-वार सूची को अनुमोदित किया गया, ताकि जनता निर्णय लेने के समय इस जानकारी का उपयोग कर सके।
- 2 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न. यूनिट लिंक बीमा उत्पाद पर अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न (यूलिपस) यूलिप के खरीदारों के लिए यूलिप उत्पादों की विशेषताओं को समझाने के लिए सुविधा पायें।

आईटी बुनियादी ढाँचा:

बुनियादी सुविधाओं के संगठन को बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी बढ़ा दिया गया है। प्राधिकरण ने अपने पुराने रिकॉर्डों का अंकीकरण करने के लिए तथा दस्तावेजों के अभिलेखागार के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं।

vi) खाते

वर्ष 2007-08 के लिये, भारत के महालेखाकार ;सीएण्डएजीद्ध द्वारा प्राधिकरण के खातों का लेखा परीक्षण किया गया। आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसरण में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने हेतु लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षित लेखे भारत सरकार को भेजा गया है। वही समाहित किया गया है। 2007-08 के खातों की एक प्रतिलिपि लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र के साथ से संलग्नक X रखा जाता है। पुनर्विवेचित लेखा सीएण्डएजी में जमा किए गए हैं तथा अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

विवरण और संलग्नक

विवरण 1

घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत (सकल)

	कुल वित्तीय बचत का प्रतिशत				
	2007-08#	2006-07अ	2005-06अ	2004-05अ	2003-04अ
इकाई	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आर्थिक बचत (सकल)	100.00	100.0	100.0	100.0	100.0
	(16.70)	(18.5)	(16.7)	(13.9)	(13.8)
(क) मुद्रा	8.90	8.6	8.9	8.5	11.2
	(1.50)	(1.6)	(1.5)	(1.2)	(1.5)
(ख) जमा राशि	47.00	55.3	47.0	37.2	38.3
	(7.80)	(10.3)	(7.8)	(5.2)	(5.3)
i) बैंकों के साथ	46.00	54.3	46	36.5	37.4
ii) गैर बैंकिंग कंपनियों के साथ	1.00	1.0	1.0	0.8	1.0
iii) सहयोगी बैंकों और समितियों के साथ	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
iv) व्यापारिक उधार (कुल)	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
(ग) शेयर और ऋण पत्र	5.10	6.6	5.1	1.1	0.1
	(0.90)	(1.2)	(0.9)	(0.2)	0.0
i) निजी संगठित व्यापार	1.30	1.4	1.3	1.4	1.1
ii) बैंकिंग	0.10	0.1	0.1	0.1	0.0
iii) भारत के इकाई उद्योग मण्डल की इकाई	-0.10	0.0	-0.1	-0.7	-2.3
iv) सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों के उपक्रम	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
v) म्युचुअल फंड (यूटीआई की तुलना में अन्य)	3.80	5.2	3.8	0.4	1.2
(घ) सरकार पर दावे	14.60	5.3	14.6	24.5	23.0
	(2.40)	(1.0)	(2.4)	(3.4)	(3.2)
i) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	2.40	0.2	2.4	4.9	7.5
ii) लघु बचत आदि में निवेश	12.20	5.1	12.2	19.6	15.5
(ङ) इश्योरेस फंड	14.00	14.9	14.0	15.7	13.7
	(2.30)	(2.8)	(2.3)	(2.2)	(1.9)
i) जीवन बीमा फंड	13.40	14.4	13.4	15.1	13.0
ii) डाक बीमा	0.30	0.3	0.3	0.3	0.3
iii) राज्य बीमा	0.30	0.2	0.3	0.2	0.5
(च) प्रोविडेंट और पेंशन फंड	10.50	9.2	10.5	13.0	13.6
	(1.70)	(1.7)	(1.7)	(1.8)	(1.9)

अ: अंतरिम # प्रारम्भिक अनुमान

स्रोत: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट 2007-2008

नोट: 1. कोष्ठक में दिये गये आंकड़े घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के वर्तमान बाजार मूल्य पर हैं।

2. राउंड करने से संघटक कुल के साथ नहीं जुड़ेंगे।

विवरण 2

बीमा विस्तार की अंतर्राष्ट्रीय तुलना

महादेश / देश	2005**		2006**		2007**	
	कुल जीवन	गैर-जीवन	कुल जीवन	गैर-जीवन	कुल जीवन	गैर-जीवन
उत्तरी अमेरिका	8.97	4.05	4.92	8.70	3.90	4.70
संयुक्त राज्य अमेरिका	9.15	4.14	5.01	8.80	4.00	4.80
कनाडा	6.97	3.05	3.92	7.00	3.10	3.90
लेटिन अमेरिका और कैरेबियन	2.35	0.93	1.42	2.40	1.00	1.40
ट्रिनिदाद और टोबैगो	7.63	5.61	2.02	7.60	5.60	2.00
ब्राजील	3.60	2.24	1.36	3.30	2.00	1.30
जमैका	4.82	1.82	3.01	4.80	1.80	3.00
पनामा	2.80	1.00	1.81	2.70	1.00	1.80
अर्जेन्टीना	2.52	0.76	1.76	2.60	0.80	1.80
कोलम्बिया	2.23	0.62	1.61	2.40	0.70	1.70
वैन्जुएला	2.47	0.07	2.40	2.70	0.10	2.60
डोमिनिकन रिपब्लिक	1.62	0.21	1.41	1.60	0.20	1.40
ब्राजील	3.01	1.33	1.68	2.80	1.30	1.60
कोस्टा रिका	1.88	0.15	1.73	1.90	0.10	1.70
मैक्सिको	1.66	0.68	0.98	1.80	0.80	1.00
इक्वाडोर	1.70	0.22	1.47	1.60	0.20	1.30
पेरू	1.28	0.70	0.59	1.20	0.50	0.60
यूरोप	7.78	4.69	3.10	8.30	5.30	3.00
युनाइटेड किंगडम	12.45	8.90	3.55	16.50	13.10	3.40
स्विटजरलैंड	11.19	6.20	4.99	11.00	6.20	4.90
नीदरलैंड	9.79	5.12	4.67	9.40	5.10	4.30
आयरलैंड	8.56	5.65	2.90	10.40	7.90	2.50
फिनलैंड	9.18	7.33	1.85	9.10	7.20	1.90
फ्रांस	10.21	7.08	3.13	11.00	7.90	3.10
बेल्जियम	11.15	8.36	2.79	9.20	6.50	2.70
स्वीडन	7.82	5.32	2.50	7.60	5.20	2.40
डेनमार्क	8.07	5.19	2.89	8.50	5.60	2.80
जर्मनी	6.79	3.06	3.73	6.70	3.10	3.60
इटली	7.59	4.86	2.73	7.20	4.70	2.50
स्पेन	5.36	2.27	3.09	5.40	2.30	3.10
ऑस्ट्रिया	6.17	2.88	3.28	6.10	2.80	3.30
पुर्तगाल	9.07	6.20	2.87	9.00	6.10	2.90
स्लोवेनिया	5.65	1.69	3.96	5.80	1.80	4.00
साइप्रस	4.23	2.08	2.15	4.30	1.90	2.30
नार्वे	5.30	3.28	2.02	4.60	2.80	1.70
वैक रिपब्लिक	3.98	1.53	2.45	3.80	1.50	2.30
लक्जमबर्ग	3.76	1.52	2.24	3.90	1.80	2.10
स्लोवाकिया	3.66	1.36	2.30	3.40	1.30	2.10
आइसलैंड	2.84	0.30	2.54	2.60	0.30	2.30
पोलैंड	3.16	1.31	1.84	3.50	1.70	1.80
रूस	2.27	0.12	2.15	2.30	0.10	2.30

जारी....

महादेश / देश	2005**			2006**			2007**		
	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन
क्रोएशिया	3.25	0.84	2.41	3.30	0.90	2.50	3.30	0.90	2.40
हंगरी	3.08	1.37	1.71	3.40	1.70	1.70	3.50	2.00	1.60
ग्रीस	2.17	1.03	1.13	1.80	0.90	0.80	1.90	1.00	0.90
बुल्गेरिया	2.55	0.32	2.23	2.60	0.30	2.20	2.70	0.40	2.30
यूक्रेन	3.02	0.08	2.95	2.80	0.10	2.70	2.70	0.10	2.60
तुर्की	1.55	0.25	1.30	1.60	0.20	1.40	1.70	0.20	1.50
रोमानिया	1.53	0.32	1.21	1.70	0.30	1.40	1.80	0.30	1.40
सर्विया मोनटेनेग्रो	2.23	0.19	2.04	1.80	0.20	1.60	1.80	0.20	1.60
लिथुआनिया	1.47	0.41	1.07	1.80	0.60	1.20	2.00	0.70	1.30
एशिया	6.83	5.16	1.67	6.60	5.00	1.60	6.20	4.60	1.60
दक्षिण कोरिया	10.25	7.27	2.98	11.10	7.90	3.20	11.80	8.20	3.60
जापान	10.54	8.32	2.22	10.50	8.30	2.20	9.60	7.50	2.10
ताइवान	14.11	11.17	2.93	14.50	11.60	2.90	15.70	12.90	2.80
हंगकांग	9.93	8.63	1.29	10.50	9.20	1.20	11.80	10.60	1.20
इज़राइल	5.96	2.75	3.21	5.50	2.60	2.90	5.50	2.60	2.90
मलेशिया	5.42	3.60	1.82	4.90	3.20	1.70	4.60	3.10	1.50
सिंगापुर	7.47	6.00	1.48	6.50	5.40	1.10	7.60	6.20	1.50
थाइलैंड	3.61	1.99	1.62	3.50	1.90	1.60	3.40	1.80	1.50
भारत	3.14	2.53	0.61	4.80	4.10	0.60	4.70	4.00	0.60
लेबनान	3.15	0.95	2.19	3.00	0.90	2.00	3.40	1.30	2.20
पी आर चीन	2.70	1.78	0.92	2.70	1.70	1.00	2.90	1.80	1.10
जोर्डन	2.59	0.27	2.32	2.40	0.30	2.20	2.60	0.30	2.30
फिलीपिन्स	1.48	0.91	0.57	1.50	0.90	0.50	1.50	0.90	0.50
यूएई	1.53	0.28	1.25	1.70	0.30	1.40	1.90	0.30	1.50
श्रीलंका	1.46	0.62	0.84	1.60	0.60	0.90	1.50	0.60	0.90
इंडोनेशिया	1.52	0.82	0.70	1.30	0.80	0.60	1.60	1.10	0.50
ओमान	1.14	0.17	0.97	1.00	0.10	0.90	1.10	0.20	0.90
वियतनाम	1.62	0.97	0.65	1.50	0.90	0.70	1.50	0.80	0.70
इरान	1.23	0.08	1.15	1.30	0.10	1.20	1.30	0.10	1.20
कुवैत	0.79	0.15	0.64	0.70	0.10	0.50	0.60	0.10	0.50
पाकिस्तान	0.67	0.27	0.40	0.80	0.30	0.50	0.70	0.30	0.40
सउदी अरब	0.46	0.01	0.45	0.50	0.00	0.50	0.60	0.00	0.60
बंगलादेश	0.61	0.42	0.20	0.60	0.40	0.20	0.70	0.50	0.20
अफ्रीका	4.80	3.33	1.47	4.80	3.40	1.40	4.30	3.10	1.20
दक्षिण अफ्रीका	13.87	10.84	3.03	16.00	13.00	3.00	15.30	12.50	2.80
मराक्को	2.87	0.71	2.16	2.90	0.80	2.10	3.40	1.10	2.20
कीनिया	2.56	0.78	1.78	2.50	0.80	1.70	2.50	0.80	1.70
तुनिशिया	2.07	0.17	1.90	2.00	0.20	1.80	2.00	0.20	1.80
नाइजीरिया	0.70	0.09	0.62	0.60	0.10	0.50	0.60	0.10	0.50
मिस्र	0.85	0.34	0.52	0.80	0.30	0.50	0.90	0.40	0.40
अल्जीरिया	0.56	0.03	0.53	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50
ओमनिआ	6.38	3.16	3.22	6.70	3.40	3.30	6.60	3.40	3.20
ऑस्ट्रेलिया	6.60	3.51	3.09	7.00	3.80	3.20	6.80	3.80	3.00
न्यूजीलैंड	5.20	0.81	4.39	5.30	0.80	4.50	5.10	0.80	4.30
विश्व	7.52	4.34	3.18	7.50	4.50	3.00	7.50	4.40	3.10

स्रोत: रिव्स रे, सिगमा वोल्यूम्स 5 / 2006, 4 / 2007 और 3 / 2008

** कैंलेडर वर्ष से संबंधित डेटा

बीमा धनता सकल घरेलू उत्पाद (अमेरिकन डॉलर) की दर (प्रतिशत में) के रूप में मापा जाता है।

विवरण 3

बीमा धनत्व की अंतर्राष्ट्रीय तुलना*

महादेश/ देश	2005**			2006**			2007**		
	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन
उत्तरी अमेरिका	3735.1	1686.3	2048.8	3804.0	1731.8	2072.2	3984.8	1869.3	2115.5
संयुक्त राज्य अमेरिका	3875.2	1753.2	2122.0	3923.7	1789.5	2134.2	4086.5	1922.0	2164.4
कनाडा	2449.0	1071.9	1377.1	2708.3	1204.1	1504.3	3053.8	1386.8	1667.0
लेटिन अमेरिका और कैरेबियन	105.7	42.0	63.8	126.7	51.3	75.4	154.1	63.1	91.0
ट्रिनिदाद और टोबैगो	810.2	595.4	214.8	958.2	704.1	254.1	862.3	586.0	276.4
घिनी	281.5	174.9	106.6	285.7	176.0	109.7	370.9	228.0	142.9
जमैका	179.4	67.6	111.8	185.7	69.9	115.8	159.4	45.0	114.4
पनामा	133.0	47.2	85.8	144.3	51.2	93.1	181.5	54.5	127.0
अर्जेंटीना	118.0	35.4	82.7	143.9	43.8	100.1	159.8	46.6	113.1
कोलम्बिया	60.3	16.8	43.6	69.1	20.5	48.7	88.9	24.9	64.0
वेनेजुएला	125.3	3.6	121.7	179.5	6.0	173.6	209.2	7.0	202.2
डोमिनिकन रिपब्लिक	52.5	6.7	45.7	55.4	7.4	47.9	61.6	10.1	51.5
ब्राजील	128.9	56.8	72.1	160.9	72.5	88.4	202.2	95.3	106.9
कोस्टा रिका	80.3	6.4	73.9	96.2	7.7	88.6	108.1	9.7	98.3
मेक्सिको	121.3	49.9	71.4	139.1	62.9	76.2	163.5	71.8	91.6
इक्वाडोर	41.0	5.4	35.7	45.9	6.4	39.5	50.9	8.0	42.9
पेरू	34.8	18.9	15.9	38.1	17.1	21.1	42.5	18.3	24.2
यूरोप	1513.8	911.8	601.9	1745.7	1119.6	626.0	1962.4	1222.6	739.8
यूनइटेड किंगडम	4599.0	3287.1	1311.9	6466.7	5139.6	1327.1	7113.7	5730.5	1383.2
स्विट्ज़रलैंड	5558.4	3078.1	2480.3	5561.9	3111.8	2450.1	5740.7	3159.1	2581.7
नीदरलैंड	3739.7	1954.2	1785.5	3828.8	2071.6	1757.3	6262.9	2192.4	4070.5
आयरलैंड	4177.0	2759.7	1417.4	5564.7	4203.8	1360.9	7171.4	5715.1	1456.4
फिनलैंड	3389.3	2707.8	681.4	3681.2	2903.1	778.0	3905.8	3093.1	812.7
फ्रांस	3568.5	2474.6	1093.9	4075.4	2922.5	1152.9	4147.6	2928.3	1219.3
बेल्जियम	3985.6	2988.7	996.9	3442.5	2427.7	1014.8	4131.5	2972.6	1158.9
स्वीडन	3092.1	2105.2	986.8	3226.2	2214.6	1011.6	3705.1	2639.5	1065.6
डैनेमार्क	3876.2	2489.9	1386.3	4271.4	2840.8	1430.6	5103.1	3381.0	1722.1
जर्मनी	2310.5	1042.1	1268.4	2436.8	1136.1	1300.7	2662.1	1234.1	1427.9
इटली	2263.9	1449.8	814.1	2302.2	1492.8	809.5	2322.0	1439.4	882.7
स्पेन	1454.5	615.8	838.7	1514.6	651.0	863.7	1699.9	709.3	990.6
ऑस्ट्रिया	2342.8	1095.1	1247.7	2396.7	1104.6	1292.1	2620.5	1189.6	1430.9
पुर्तगाल	1628.0	1113.7	514.4	1663.8	1131.5	532.3	1775.6	1210.0	565.6
स्लोवेनिया	978.1	292.6	685.5	1100.9	345.0	755.9	435.4	194.1	241.3
साइप्रस	840.7	412.6	428.1	906.6	408.6	498.0	1042.3	474.2	568.1
नार्वे	3302.3	2043.1	1259.2	3229.0	2016.0	1213.0	3770.2	2438.5	1331.7
चेक रिपब्लिक	477.8	183.6	294.2	519.6	204.1	315.5	631.3	261.0	370.3
लक्जमबर्ग	2756.3	1112.5	1643.8	3366.3	1548.4	1817.9	3423.4	1414.5	2009.3

महादेश / देश	2005**			2006**			2007**		
	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन
युक्रेन	53.1	1.3	51.7	59.6	1.9	57.6	75.1	3.3	71.8
तुर्की	78.6	12.7	65.9	89.2	13.1	76.1	110.8	14.5	96.3
रोमानिया	69.5	14.6	54.9	94.5	18.7	75.7	135.2	26.2	109.0
सर्बिया मोनटेनेग्रो	48.7	4.2	44.5	77.1	7.7	69.4	103.1	10.6	92.5
लिथुआनिया	109.6	30.4	79.3	154.0	48.1	105.8	227.4	81.2	146.1
एशिया	197.9	149.6	48.3	205.0	154.6	50.4	210.7	156.7	54.1
दक्षिण कोरिया	1706.1	1210.6	495.5	2071.3	1480.0	591.2	2384.0	1656.6	727.3
जापान	3746.7	2956.3	790.4	3589.6	2829.3	760.4	3319.9	2583.9	736.0
ताइवान	2145.5	1699.1	446.4	2250.2	1800.0	450.3	2628.0	2165.7	462.3
हांगकांग	2544.9	2213.2	331.7	2787.6	2456.0	331.6	3373.2	3031.9	341.3
इजराइल	1104.5	510.2	594.4	1132.5	532.6	599.9	1278.5	605.2	673.3
मलेशिया	283.3	188.0	95.3	292.2	189.2	103.0	332.1	221.5	110.6
सिंगापुर	1983.4	1591.4	392.0	1957.7	1616.5	341.2	2776.0	2244.7	531.2
थाइलैंड	99.0	54.6	44.4	110.1	60.0	50.0	129.7	70.8	58.9
भारत	22.7	18.3	4.4	38.4	33.2	5.2	46.6	40.4	6.2
लेबनान	185.6	56.3	129.3	181.5	57.9	123.6	185.7	67.9	117.7
पी आर चीन	46.3	30.5	15.8	53.5	34.1	19.4	69.9	44.2	25.5
जोर्डन	54.2	5.7	48.6	59.5	6.2	53.2	68.6	6.9	61.8
फिलिपिन्स	17.2	10.6	6.7	20.7	13.1	7.6	23.9	15.1	8.8
यूई	414.2	74.7	339.5	585.4	89.8	495.6	811.6	140.9	670.7
श्रीलंका	16.3	6.9	9.4	21.3	8.5	12.8	24.9	10.2	14.7
इंडोनेशिया	19.4	10.5	8.9	21.5	12.5	9.0	30.0	20.4	9.5
ओमान	113.7	17.3	96.3	133.7	14.3	119.4	159.5	28.8	130.7
वियतनाम	10.1	6.1	4.1	11.0	6.1	4.9	11.8	6.5	5.3
इरान	35.1	2.2	33.0	40.1	2.6	37.4	49.2	3.0	46.2
कुवैत	185.5	35.7	149.8	227.2	40.9	186.3	257.3	46.3	211.0
पाकिस्तान	4.6	1.9	2.8	5.9	2.3	3.6	6.5	2.6	3.9
सउदी अरब	57.1	0.7	56.4	63.1	0.8	62.4	91.7	2.7	89.1
बंगलादेश	2.5	1.7	0.8	2.6	1.8	0.8	2.9	1.9	0.9
अफ्रीका	44.2	30.7	13.5	53.6	38.3	15.3	55.3	39.6	15.8
दक्षिण अफ्रीका	714.6	558.3	156.2	855.8	695.6	160.2	878.5	719.0	159.5
मोराक्को	47.0	11.7	35.3	52.4	14.7	37.8	68.9	22.9	46.0
कीनिया	14.6	4.5	10.2	16.8	5.3	11.6	19.2	6.1	13.1
तुनिशिया	58.7	4.8	53.9	59.2	5.3	53.9	67.2	7	60.1
नाइजीरिया	4.3	0.5	3.7	5.3	0.8	4.5	5.5	0.9	4.6
मिस्र	10.3	4.0	6.2	11.2	4.7	6.5	14.4	6.8	7.6
अल्जीरिया	17.4	0.9	16.5	18.7	1.2	17.6	21.0	1.3	19.7
ओशैनिया	1789.3	885.0	904.3	1787.3	896.3	891.0	2059.5	1071.4	988.1
ऑस्ट्रेलिया	2569.9	1366.7	1203.2	2580.8	1389.0	1191.9	3000.2	1674.1	1326.1
न्यूजीलैंड	1408.5	219.7	1188.8	1370.9	215.0	1155.9	1544	244.7	1299.3
विश्व	518.5	299.5	219.0	554.8	330.6	224.2	607.7	358.1	249.6

स्रोत: रिव्स रे, सिंगापो वॉल्यूम्स 5/2006, 4/2007 और 3/2008

* बीमा घनता को कुल उत्पादन के प्रीमियम (अमेरिकन डॉलर) की दर के रूप में मापा जाता है।

** कैंलेडर वर्ष से संबंधित तिथि

POLICY HOLDERS ACCOUNT : ALL LIFE INSURERS

STATEMENT 4

(Rs lakh)

Particulars	BSLI		ICICI PRU		ING VYSYA		L.I.C.		HDFC STD LIFE		MNYL		RELIAANCE LIFE S		BAJAJ ALLIANZ LIFE		SBI-LIFE	
	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07
Premiums earned – net																		
(a) Premium	325713	176617	1356106	791299	115887	70720	14978999	12782284	485856	285587	271460	150028	322544	100466	972531	534524	562214	292849
(b) Reinsurance ceded	(3406)	(3101)	(2430)	(1617)	(559)	(318)	(8795)	(4167)	(4095)	(3324)	(2205)	(1486)	(1218)	(414)	(1327)	(926)	(1093)	(505)
(c) Reinsurance accepted							355	109										
Income from Investments																		
(a) Interest, Dividends & Rent – Gross	25045	15771	63572	38054	7011	4019	4714701	4057240	27694	15895	12008	7028	5411	1390	19586	11533	24175	12603
(b) Profit on sale/redemption of investments	63154	22877	190333	54231	14526	3878	1108636	767174	34152	10434	11452	1974	31688	7499	90009	37146	48219	8928
(c) (Loss on sale/ redemption of investments)	(10228)	(5541)	(26177)	(13857)	(4983)	(1069)	(163831)	(145943)	(11230)	(4119)	(2816)	(460)	(15269)	(3034)	(15526)	(10550)	(6759)	(1894)
(d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value (29177)	(13550)	(63249)	17386	(3428)	(592)	(107288)	(110232)	5835	1014	1736	842	(29244)	(2562)	(30084)	(10366)	(15310)	2330	
(e) Amortization of Premium/Discount on Investments (65)	(63)							(569)	(658)	30	(76)		562	(9)				
(f) Appropriation/Expropriation Adjustment Account			1341	3092														
Other Income	1002	317	313	16	208	50	113522	96011	3247	2330	36	99	2024	131	7211	3728	253	173
Transfer from Shareholders' Account	49410	15473	160635	75800	20707	18867			32482	14504	19434	7419	78276	32922	29518	9724	9975	4375
TOTAL (A)	421448	208800	1806942	96440	149369	95555	20636298	17442476	573373	321662	311136	165368	394773	136389	1071918	574812	621672	318858
Commission	33555	20138	81097	52551	10555	9417	956810	916907	35126	20993	38446	22852	28969	9877	149686	94668	36535	19597
Operating Expenses related to Insurance Business	67073	37587	291994	152296	40370	30353	830932	708584	101298	57674	88054	51370	101685	42904	200434	107302	48696	32238
Provision for doubtful debts							13568	41167			100	58						
Bad debts written off											1	0						
Provision for Tax	383	237	2896	1226	433	271	351046	466582	626	358	469	311	907	161		731	2303	228
Provisions (other than taxation)							15791	12233							933			
(a) For diminution in the value of investments (Net)																	7523	
(b) Others							4167	(5851)										
TOTAL (B)	101011	57961	375987	206073	51357	40042	2172314	2139621	137049	79025	127071	74593	131560	52942	351053	202701	95058	52063
Benefits Paid (Net)	42968	12484	201487	72750	8958	5051	5655033	5328646	50146	17454	13601	8337	16242	7891	85140	69854	35085	14006
Interim Bonuses Paid			6		3	3	107309	139571	39	3			3	3	27	20		
Change in valuation of liability in respect of life policies																		
(a) Gross*	275170	139681	1196952	671979	86993	50463	8666442	7394339	378072	226253	166557	82385	246968	75552	39161	26699	484087	253083
(b) Amount ceded in Reinsurance	(2893)	(1326)			(57)	(4)			1029	(1411)	(523)	(100)					(713)	(296)
(c) Amount accepted in Reinsurance																		
(d) Transfer to Linked Fund							3952241	2364517							576733	261752		
TOTAL (C)	315245	150838	1398444	744729	95898	55514	18381025	15227074	429286	242299	179634	90623	263213	83446	701062	358324	518459	266794
SURPLUS/ (DEFICIT) (D) =(A)-(B)-(C)	5192	0	32512	13601	2113		82959	75781	7038	339	4431	153			19803	13788	8156	1
Prior Period Items																		
Balance at the beginning of the year															6709	5645		
Transfer from Linked Fund (Lapsed Policies)															(675)			
Surplus available for appropriations			32512	13601			82959	75781	7038	339	4431	153			25837	19433	8156	1
APPROPRIATIONS																		
Transfer to Shareholders' Account	2607		212	3461	64		82959	75781	5163		791	12			327	313	8079	
Transfer to Other Reserves (Reserve for lapsed unit linked policies unlikely to be revived)															16016	12411		
Balance being funds for future appropriations-Policyholders			32300	10141	2049				1875	339		127			9494	6709	77	
Balance being funds for future appropriations-Shareholders											3640	14						
Balance transferred to Balance Sheet																		
TOTAL (D)	5192		32512	13602	2113		82959	75781	7038	339	4431	153			25837	19433	8156	

Note :

* represents mathematical reserves after allocation of bonus

** Insurer commenced operations during 2007-08

Figure in brackets represents negative values

POLICY HOLDERS ACCOUNT : ALL LIFE INSURERS

(Rs lakh)

Particulars	KOTAK MAHINDRA		TATA-AIG LIFE		MET-LIFE		AVIVA		SAHARA		SHRI RAM LIFE		BHARTI AXA		FUTURE GENERALI**		IDBI	FORTIS	TOTAL	
	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07
Premiums earned – net																				
(a) Premium	169114	97151	204635	136718	115954	49271	189188	114723	14349	5100	35805	18417	11841	778	249	1190	742324	422158		
(b) Reinsurance ceded	(2843)	(2018)	(1356)	(1123)	(1105)	(439)	(1247)	(717)	(3)	(1)	(17)	(14)	(27)	(2)	(192)	(0)	(6790)	(4314)		
(c) Reinsurance accepted																	355	109		
Income from Investments																				
(a) Interest, Dividends & Rent – Gross	10137	6158	12796	7664	3613	1656	9913	4733	488	266	114	42	46	3	15	0	37123	20522		
(b) Profit on sale/redemption of investments	32018	10336	15225	6400	2320	252	4041	554	764	130			45	1			54413	17673		
(c) (Loss on sale/ redemption of investments)	(5748)	(2779)	(28)	(63)			(525)	(239)		(1)			(20)	(0)			(6320)	(3082)		
(d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value(10306) (1776)			(538)	1040	257	908	1297	3442	(207)	(4)			(359)	(5)		(0)	(9855)	3604		
(e) Amortization of Premium/Discount on Investments																	(42)	(806)		
(f) Appropriation/Expropriation Adjustment Account									1								1342	3092		
Other Income	108	70	1000	441	93	69			7	5	1165	137	246	73			2620	795		
Transfer from Shareholders' Account	10888	11799	35629	10434		2279	22615	14916	1478	1054	610		25080	8467	3372	1019	100690	48948		
TOTAL (A)	203369	118941	267363	161511	121133	53996	225282	137412	16879	6550	37677	18580	36852	9314	3444	2208	914207	506305		
Commission	15511	8020	22892	19124	26629	10505	21797	17886	2055	668	4478	3604	1264	56	4	37	94668	59864		
Operating Expenses related to Insurance Business	42487	24031	70252	35702	42661	23197	66973	42749	2373	1542	5090	2448	29494	8607	3309	1004	263643	138275		
Provision for doubtful debts			(92)	73													(92)	73		
Bad debts written off			96														96			
Provision for Tax	282	189	491	274	280	165	579	417	8	5	2	101	93	27	12	3	1751	1178		
Provisions (other than taxation)																				
(a) For diminution in the value of investments (Net)	712								3								714			
(b) Others																				
TOTAL (B)	58991	32239	93640	55173	69569	33867	89349	61052	4439	2215	9570	6153	30851	8690	3325	1045	360780	199390		
Benefits Paid (Net)	26255	17317	11218	8209	3465	2077	18031	7092	527	157	382	176	60		39		59978	35028		
Interim Bonuses Paid							32	27			2						33	27		
Change in valuation of liability in respect of life policies																				
(a) Gross*	12979	12081	46441	38962	97354	40236	115514	68796	3025	1232	1803	1169	5980	624	134	1164	284393	163101		
(b) Amount ceded in Reinsurance			(157)	(96)	(378)	(74)	(239)	(177)	(1)	(1)			(39)		(54)	(1)	(869)	(347)		
(c) Amount accepted in Reinsurance																				
(d) Transfer to Linked Fund	99180	50803	109818	52159					8894	2942	25780	11120					243672	117023		
TOTAL (C)	138414	80201	167320	99234	100441	42240	133337	75738	12444	4331	27967	12465	6001	624	119	1164	587207	314832		
SURPLUS/ (DEFICIT) (D) =(A)-(B)-(C)	5963	6501	6403	7104	(48878)	(22111)	2595	622	(5)	4	140	(38)			(0)		(33780)	(7918)		
Prior Period Items																				
Balance at the beginning of the year	363	(4848)				(7724)					(74)	(12)					289	(12584)		
Transfer from Linked Fund (Lapsed Policies)			117	820													117	820		
Surplus available for appropriations	6327	1653	6521	7924	(48878)	(29835)	2595	622	(5)	4	66	(50)			(0)		(33374)	(19682)		
APPROPRIATIONS																				
Transfer to Shareholders' Account	1939	143	232	1471							43	25					2214	1639		
Transfer to Other Reserves (Reserve for lapsed unit linked policies unlikely to be revived)							48	39									48	39		
Balance being funds for future appropriations-Policyholders	4018	1146			(1362)	(244)	2548	583	(5)	4	23	(74)					5222	1414		
Balance being funds for future appropriations-Shareholders																	3640	14		
Balance transferred to Balance Sheet	370	363	6289	6453	(80318)	(30079)											(73659)	(23262)		
TOTAL (D)	6327	1653	6521	7924	(81679)	(30323)	2595	622	(5)	4	66	(49)					(66175)	(20170)		

Note :

* represents mathematical reserves after allocation of bonus

** Insurer commenced operations during 2007-08

Figure in brackets represents negative values

अवधारक के खाते : सभी जीवन बीमाकर्ता																			विवरण 5
(लाख रुपये)																			
विवरण 5	बीएसएलआई		आईसीआईसीआई ग्रु		आईएनजी कैप		एलआईसी		एनडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ		एमएनआईएल		रिलायंस लाइफ		बजाज अलियंस लाइफ		एसबीआई लाइफ		
	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
पॉलिसीधारकों के खाते से उचित स्थानान्तरण (तकनीकी खातों)	2607		212	3461	64		82959	75781	5163		791	12			327	313	8079		
निवेश से प्राप्त आय																			
(क) ब्याज लाभांश और किराया – सकल	2001	1571	1171	2671	1425	1083	1562	1585	2421	1268	1582	1131	952	1338	7640	2731	4208	3074	
(ख) निवेश की बिक्री/प्रतिपन पर लाभ	168	83	5353	1007	174	79			987	1142	635	270	553	388	540	238	3892	1836	
(ग) निवेश की बिक्री/प्रतिपन पर हानि	(7)	(8)	(299)	(359)		(29)	(9)	(4)	(111)	(125)	(78)	(22)	(259)	(165)	(230)	(198)	(729)	(103)	
(घ) उचित मूल्य के बदलाव/पुनर्मूल्यान पर स्थानान्तरण/मुनाफ़ा									(214)	(239)									
(ङ) निवेश पर प्रीमियम/फूट का परिशोधन	140	(107)							6	(24)	27	32	303	(58)					
अन्य आय					0	1			5	8	1523	407					2		
कुल (रु)	4909	1538	6437	6779	1663	1133	84511	77362	8257	2030	4480	1831	1548	1503	8277	3084	15453	4807	
(क) वह खर्च जो प्रत्यक्ष रूप से बीमा करों/बार से संबंधित है	26	39	116	146	3	21	49		126	83	688	459	79	92	147	531	93	49	
(ख) वसूले न जाने वाले ऋण बढ़ते खाते में खलना																			
प्रभुत्व																			
प्राक्धान (करधान से)																			
(क) निवेश के मूल्यों में कमी के लिए (प्रुद्ध)											51						1910		
(ख) अनिश्चित ऋणों के लिए प्राक्धान																			
(ग) अन्य																			
पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान	49410	15473	160635	75800	20707	18867			32482	14504	19434	7419	78276	32922	29518	9724	9975	4375	
कुल (रु)	49437	15512	160751	75946	20709	18888	49		32608	14586	20173	7878	78355	33013	29666	10254	11977	4423	
कर से पहले लाभ/हानि	(44528)	(13974)	(154314)	(69167)	(19046)	(17754)	84463	77362	(24351)	(12556)	(15693)	(6047)	(76807)	(31511)	(21388)	(7170)	3475	384	
करधान के लिए प्राक्धान			14808	4276	7	3									1	0	37	1	
कर के बाद लाभ/हानि	(44528)	(13974)	(139506)	(64891)	(19053)	(17757)	84463	77362	(24351)	(12556)	(15693)	(6047)	(76807)	(31511)	(21389)	(7170)	3438	383	
पूर्व अवधि इकाईयें																			
विनियोग																			
(क) वर्ष के शुरू में बकाया	(44460)	(30486)	(160170)	(95279)	(52713)	(34956)			(44213)	(31657)	(45281)	(39234)	(53710)	(22200)	(27601)	(20431)	(2966)	(3349)	
(ख) वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश का भुगतान																			
(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश							82959	75781											
(घ) लाभांश वितरण कर																			
(ङ) किसी रिजर्व या अन्य खातों में स्थानान्तरण							1504	1581	(270)										
मुनाफ़ा कुल पत्र में आगे ले जाया गया	(88987)	(44460)	(299676)	(160170)	(71765)	(52713)			(68834)	(44213)	(60974)	(45281)	(130517)	(53711)	(48990)	(27601)	473	(2966)	

अश्वारूढ़ के खाते : सभी जीवन बीमाकर्ता																			(लाख रुपये)	
विवरण 5	कोटक महिन्दा		टाटा एक्साईजी लाइफ		मैटलार्ड		अविवा		सहाय		श्रीराम		भारती एक्सा		पयूवर	जनरली	आईडीबीआई	कुल		
	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2007-08	2006-07	
पॉलिसीधारकों के खाते से सधि स्थानान्तरण (तकनीकी खाता)	1939	143	232	1471			48	39			43	25						102464	81245	
निवेश से प्राप्त आय:																				
(क) व्याज, लाभांश और किराया – सकल	1606	964	2131	1783	1543	800	2412	1831	1167	788	1048	1001	997	565	455	2	665	34986	24184	
(ख) निवेश की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ	788	160	3	0	232	106	91	70	673	261	460	79	112	25	65	4		14726	5749	
(ग) निवेश की बिक्री/प्रतिदान पर हानि	(692)	(408)		(6)			(10)	(5)		(22)			(14)	(9)	(0)	(0)		(2438)	(1462)	
(घ) उचित मूल्य के बदलाव/पुनर्मूल्यन पर स्थानान्तरण/मुनाफा																		(214)	(239)	
(ङ) निवेश पर प्रीमियम/छूट का परिशोधन					351	176											4	830	19	
अन्य आय	2								6	1	41	12						1580	428	
कुल (क)	3644	860	2365	3248	2125	1082	2542	1935	1847	1028	1592	1117	1095	580	520	6	668	151934	109923	
(क) वह खर्च जो प्रत्यक्ष रूप से बीमा कारोबार से संबंधित है	26	24	667	51			176	195	34	26	21	28	217	156	152	362	2191	4811	2260	
(ख) वसूले न जाने वाले ऋण बट्टे खाते में डालना																				
फ्यूचर																				
प्राक्छान (कराधान से)																				
(क) निवेश के मूल्यों में कमी के लिए (मुद्र)											237							2198		
(ख) अनिश्चित ऋणों के लिए प्राक्छान																				
(ग) अन्य																	9	9		
पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान	10888	11799	35629	10434		2279	22615	14916	1478	1054	610		25080	8467	3372		1019	501127	228030	
कुल (ख)	10914	11823	36296	10484	2279	22790	15111	1512	1079	869	28	25297	8623	3524	362	3218	508145	230290		
कर से पहले लाभ/हानि	(7271)	(10964)	(33930)	(7236)	2125	(1197)	(20249)	(13175)	334	(51)	723	1089	(24201)	(8043)	(3005)	(357)	(2550)	(356211)	(120367)	
कराधान के लिए प्राक्छान	(83)	83									165	139			0	(0)	(3)	14931	4502	
कर के बाद लाभ/हानि	(7187)	(11047)	(33930)	(7236)	2125	(1197)	(20249)	(13175)	334	(51)	558	950	(24201)	(8043)	(3005)	(357)	(2553)	(341281)	(115960)	
पूर्व अवधि इकाईयें																				
विनियोग																				
(क) वर्ष के शुरू में बकाया	(26681)	(15634)	(30567)	(23331)	(16545)	(15348)	(46501)	(33325)	(1597)	(1545)	1168	218	(8043)		(357)			(560236)	(366557)	
(ख) वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश का मुनाफा																				
(ग) प्रस्तावित अंतरिम लाभांश																		82959	75781	
(घ) लाभांश वितरण कर																				
(ङ) किसी रिजर्व या अन्य खातों में स्थानान्तरण				37														1270	1581	
मुनाफा तुलन पत्र में आगे ले जाया गया	(33868)	(26681)	(64461)	(30567)	(14420)	(16545)	(66749)	(46501)	(1263)	(1596)	1726	1168	(32244)	(8043)	(3362)	(357)	(2553)	(985746)	(559879)	

तुलन पत्र : सभी जीवन बीमाकर्ता (31 मार्च तक)																		विवरण 6 (लाख रुपये)
	बीएसएलआई		आईसीआईसीआई पू		आईएनजी वैश्य		एलआईसी		एचडीएफसी स्टैंडर्ड		एमएनवाईएल		रिलायंस लाइफ		बजाज अलायज़ लाइफ		एसबीआई लाइफ	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
निधियों के स्रोत																		
शेयरस्वार्को की सहायता राशि																		
शेयर पूँजी	127450	67150	140111	131230	79000	69000	500	500	127064	80071	103243	73243	114770	66400	15071	15037	100000	50000
शेयर पूँजी के निमित्त अग्रिम										2874								
शेयर आवेदन पूँजी लंबित आवंटन			11		9500													
कर्मचारियों का बकाया स्टॉक विकल्प			192	194														
भंडार और अग्रिशेष			237131	75938			30285	28781	5529	659	748	800	36630		105996	55016	473	
क्रेडिट/[डेबिट] उचित मूल्य बदलाव खाता	1	3	98	2910	1	4			39		925	347	(202)	14	1	1	205	(936)
उप-कुल	127451	67153	377543	210273	88501	69004	30785	29281	132631	83604	104916	74390	151198	66414	121067	70054	100677	49064
ऋण					10	41												
पॉलिसीधारकों की सहायता राशि :																		
क्रेडिट/[डेबिट] उचित मूल्य बदलाव खाता	1	6	17752	10150	1027	1120	8637190	6205110	1937	912			(200)	36	995	154	547	(2079)
पुनर्मूल्यन आरक्षित-निवेश संपत्ति			3163	3163														
नीति देयताएं	18884	11769	235459	176562	67456	48429	61398837	52480868	243667	173915	136860	91250	22428	13500	106290	67129	371157	241359
बीमा भंडार							360874	280675										
लिक देयताओं के लिए प्राक्धान	629582	364420	2445682	1307627	128748	60839	7262808	3599764	594516	285168	185883	65460	330159	92119	1095417	518684	528530	174954
उप-कुल	648467	376195	2702056	1497502	197232	110388	77659709	62566418	840121	459995	322743	156709	352387	105655	1202702	585968	900233	414234
आस्थगित कर देयता																		
भविष्य के विनियोग के लिए पूँजी	2588	3	53785	21485	2049				2470	595	4335	695			39098	20297	77	
कुल	778507	443351	3133384	1729260	287791	179432	77690494	62595699	975222	544195	431994	231794	503585	172069	1362868	676319	1000988	463298
निधियों का आवेदन																		
निवेश																		
शेयरस्वार्को के लिए	42228	27444	21102	15672	19229	24787	29320	27945	42131	15297	41673	27097	22223	14640	114589	65365	100586	59152
पॉलिसीधारकों के लिए	17464	10141	344930	234211	67560	45909	60539701	51111283	232990	177829	144343	91936	25293	14212	146870	90508	385751	231806
लिक देयताओं को कवर करने के लिए आस्तियों का आयोजन	629582	364420	2486615	1325232	129055	60839	7517630	3603060	594516	285168	185883	65460	330159	92119	1095417	518684	528530	174954
उधार	1499	816	379	404	223	102	7321356	6308152	186	126			140	123	309	186		
स्थायी आस्तियाँ	7072	5688	32774	21944	3112	4018	211770	140356	13318	7361	15761	9011	7044	5736	10907	5357	4488	3789
आकस्मिक व्यय लंबित पूँजीकरण																		
आस्थगित कर परिसंपत्ति			21708	6900														
वर्तमान संपत्तियाँ																		
नकदी तथा बैंक शेष	41259	18381	61651	48238	14018	8128	1773977	1329807	44932	33636	1937	3969	41342	14672	37853	41980	11690	15042
अग्रिम तथा अन्य संपत्तियाँ	9057	5802	45466	23593	8938	6945	2505526	2101767	40825	19620	28069	15164	16799	5621	13101	8545	16743	14836
उप-कुल (क)	50316	24183	107117	71831	22956	15074	4279503	3431574	85757	53255	30006	19132	58141	20292	50953	50525	28433	29878
वर्तमान देयताएं	55077	30899	160819	99478	25761	23283	631520	456585	61291	38747	46773	26431	49448	19771	102982	80930	44286	39097
प्राक्धान	3565	2902	20099	7625	348	726	1577265	1570086	1220	308	248	189	20483	8993	2185	977	2514	150
उप-कुल (ख)	58642	33800	180917	107103	26109	24009	2208785	2026671	62512	39055	47020	26620	69931	28764	105167	81908	46801	39247
कुल वर्तमान संपत्तियाँ (ग) = (क-ख)	(8326)	(9618)	(73801)	(35272)	(3153)	(8935)	2070718	1404902	23246	14200	(17014)	(7488)	(11790)	(8471)	(54214)	(31383)	(18368)	(9369)
अन्य खर्च (बट्टे खाते में न डाले जाने या समायोजित न होने की सीमा तक)											374	498						
लाम/हानि खाते में डेबिट शेष (शेयरस्वार्कों के खातों)	88987	44460	299676	160170	71765	52713			68835	44214	60974	45281	130517	53710	48990	27601		2966
नीतिधारकों के खातों में डेबिट शेष																		
कुल	778507	443351	3133384	1729261	287791	179432	77690494	62595699	975222	544195	431994	231794	503585	172069	1362868	676319	1000988	463297

तुलन पत्र : सभी जीवन बीमाकर्ता (31 मार्च तक)																							(लाख रुपये)
	बीएसएलआई		आईसीआईसीआई पू		कोटक महिन्दा		टाटा एआईसी लक्षक		नेटलार्ड		अशिया		साहाय		श्रीराम		मास्ती एरसा		एचएर जनस्ती		आईडीबीआई फॉर्टेस	कुल	
	2008	2007	2008	2007	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	
निधियों के स्रोत																							
शेयरस्वाको की सहमता राशि																							
शेयर पूँजी	127450	67150	140111	131230	48027	33035	87000	54700	76108	53000	100450	75820	23187	15675	12500	12500	36611	15000	18500	5	19891	422275	259734
शेयर पूँजी के निमित्त अग्रिम									34449	9100												34449	9100
शेयर आवेदन पूँजी लभित आबंटन				11													3000	3800		600		3000	4400
कर्मचारियों का बकाया स्टॉक विकल्प				192	194																	14973	194
भंडार और अधिशेष			237131	75938	5204	5204							354		1726	1168	7689					129	167565
क्रेडिट/[डेबिट] उचित मूल्य बदलाव खाता	1	3	98	2910					13	48			41	88	0	39	81	(7)		(7)		1196	2511
उप-कुल	127451	67153	377543	210273	53231	38238	87000	54700	110570	62148	100450	75820	23583	15763	14226	13707	47381	18793	18500	605	19884	474825	443504
ऋण									3595	820												3595	861
पॉलिसीधारकों की सहमता राशि :																							
क्रेडिट/[डेबिट] उचित मूल्य बदलाव खाता	1	6	17752	10150		5	1041	436						3			0					1041	6215855
पुनर्गठन आरक्षित-निवेश संपत्ति			3163	3163																		247385	3163
नीति देवतावे	18884	11769	235459	176562	53211	40232	146388	100105	33917	21905	4343	3701	5841	2817	2999	1196	578	81	80		27	370	53474819
बीमा भंडार				370	363																	846956	281038
लिक देवताओं के लिए प्रारम्भान	629582	364420	2445682	1307627	225634	126454	194935	87227	122122	37152	246493	131861	13663	4769	36987	11003	5986	543		1137	1095752	6868044	
उप-कुल	648467	376195	2702056	1497502	279215	167055	342364	187768	156039	59057	250837	135562	19504	7589	39986	12199	6564	624	80		1164	28901	66842919
आस्थपित कर देवता																18							18
भविष्य के विनियोग के लिए पूँजी	2588	3	53785	21485	5320	1303	17087	10798	1605	244	4837	2290	29	33	23							133303	57743
कुल	778507	443351	3133384	1729260	337766	206596	446451	253266	271809	122270	356124	213672	43115	23385	54234	25923	53945	19416	18580	605	21048	640624	67345045
निधियों का आवेदन																							
निवेश																							
शेयरस्वाको के लिए	42228	27444	21102	15672	13130	8538	27889	23747	25085	21961	25348	26249	21565	13301	14707	13630	17371	11544	12959		14996	606129	396371
पॉलिसीधारकों के लिए	17464	10141	344930	234211	57044	40269	163743	112057	36095	24049	9621	5460	5934	2987	2260	923	581	81	201		3	62180383	52193660
लिक देवताओं को कवर करने के लिए अस्थियों का आवेजन	629582	364420	2486615	1325232	230944	127747	194202	86813	122893	36896	247963	132557	13663	4769	36987	11003	5986	543		1137	14351161	6890261	
उधार	1499	816	379	404	563	232	1207	465	170	50												7326033	6310656
स्थायी अस्थियाँ	7072	5688	32774	21944	4256	2428	9785	3567	5409	1704	5441	2383	722	681	423	559	3540	1069	1315	652	599	337734	216304
आक्रामिक व्यय लभित पूँजीकरण																							
आस्थपित कर परिसंपत्ति			21708	6900																		21708	6900
वर्तमान संपत्तियाँ																							
नकदी तथा बैंक शेष	41259	18381	61651	48238	15356	12486	7493	8270	13463	4154	17567	15183	407	289	5137	1489	1445	139	1139	55	2352	2093019	1555918
अग्रिम तथा अन्य संपत्तियाँ	9057	5802	45466	23593	6619	4442	17426	11246	10058	4701	14573	5405	1281	779	2087	2655	3389	1790	1003	243	1672	2742630	2233152
उप-कुल (क)	50316	24183	107117	71831	21975	16928	24919	19516	23520	8855	32140	20588	1688	1068	7225	4144	4834	1930	2142	297	4024	4835649	3789070
वर्तमान देवतावे	55077	30899	160819	99478	22825	15517	38890	23084	35172	17373	29762	19058	1484	827	7277	4364	10262	3749	1361	701	2226	1327218	899895
प्रारम्भान	3565	2902	20099	7625	1189	710	865	382	928	495	1376	1007	30	6	89	46	348	43	37	0	38	1632826	1594646
उप-कुल (ख)	58642	33800	180917	107103	24014	16227	39755	23466	36100	17869	31138	20065	1514	833	7366	4410	10610	3792	1398	701	2264	2960044	2494540
कुल वर्तमान संपत्तियाँ (ग) = (क-ख)	(8326)	(9618)	(73801)	(35272)	(2039)	701	(14836)	(3950)	(12580)	(9014)	1002	523	174	235	(141)	(266)	(5776)	(1863)	744	(404)	1760	1875605	1294530
अन्य खर्च (बट्टे खाते में न खाते जाने या समायोजित न होने की सीमा तक)																						374	498
लाभ/हानि खाते में डेबिट शेष (शेयरस्वाको के खातों)	88987	44460	299676	160170	33868	26681	64461	30567	14420	16545	66749	46501	1058	1412			32244	8043	3362	357	2553	988459	561218
नीतिधारकों के खातों में डेबिट शेष									80318	30079						74						80318	30153
कुल	778507	443351	3133384	1729261	337766	206596	446451	253266	271809	122270	356124	213672	43115	23385	54234	25923	53945	19416	18580	605	21048	87767904	67900550

भारतीय जीवन बीमा निगम
पूँजी प्रतिदान तथा वार्षिकी निश्चित व्यापार
(गैर-प्रतियोगी)
पॉलिसीधारकों के खाते

विवरण 7

	2007-08	2006-07
	(लाख रुपये)	
अर्जित प्रीमियम (कुल)	1053	1344
निवेश को बेचने/विनिवेश पर लाभ/हानि	(26)	(20)
पॉलिसी देयताओं में बदलाव	(1166)	(1805)
अन्य		0
ब्याज, लाभशं / किराया – सकल	941	871
कुल (क)	802	390
उपगत दावे (सकल)	970	497
कमीशन	21	26
बीमा कारोबार से संबंधित चालू खर्च	82	70
अन्य परिशोधन, बट्टे खाते में लिखना/प्रावधान	(11)	15
विदेशी कर	-	-
कुल (ख)	1063	608
चालू लाभ/हानि (ग = क-ख)	(261)	(218)
उपयोग		
शेयरधारकों के खाते में स्थानान्तरण	-	-
आपातकालीन रिजर्व में स्थानान्तरण	-	-
अन्य रिजर्व में स्थानान्तरण	-	-
कुल (ग)	(261)	(218)

विवरण 8

भारतीय जीवन बीमा निगम
पूँजी प्रतिदान तथा वार्षिकी निश्चित व्यापार
(गैर-प्रतियोगी)
अंशधारकों के खाते

	2007-08	2006-07	(लाख रुपये)
चाहू लाभ / हानि			
(क) अग्नि बीमा			
(ख) समुद्री बीमा			
(ग) विविध बीमा	(261)	(218)	
निवेश से प्राप्त आय			
(क) ब्याज, लाभांश / किराया-सकल			
(ख) निवेश की बिक्री पर लाभ			
घटाएँ: निवेश की बिक्री पर हानि			
अन्य आय			
कुल (क)	(261)	(218)	
प्रावधान (कराधान से)			
(क) निवेश के मूल्यों में कमी के लिए			
(ख) अनिश्चित ऋणों के लिए			
(ग) अन्य			
अन्य खर्च			
(क) वह खर्च जो बीमा कारोबार से संबंधित है			
(ख) वसूले न जाने वाले ऋण बढ़ते खाते में खालना			
(ग) अन्य			
कुल (ख)	(261)	(218)	
कर से पहले लाभ			
कराधान के लिए प्रावधान			
कर के बाद लाभ	(261)	(218)	
उपयोग			
(क) वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया			
(ख) प्रस्तावित अंतिम लाभांश			
(ग) लाभांश वितरण कर			
(घ) किसी रिजर्व या अन्य खातों में स्थानान्तरण			
सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण			
पूर्व वर्ष के लाभ / हानि को लिया गया			
शेष को तुलनपत्र में भेजा गया	(261)	(218)	

**भारतीय जीवन बीमा निगम
पूँजी प्रतिदान तथा वार्षिकी निश्चित व्यापार
(गैर-भागीदारी)
तुलन पत्र (31 मार्च तक)**

	2008	2007	(लाख रुपये)
निधियों के स्रोत			
शेयर पूँजी			
पॉलिसी देयतायें	14903	13997	
भंडार/अधिशेष	36	36	
उचित मूल्य बदलाव खाता	7	7	
उधार			
कुल	14945	14040	
निधियों के आवेदन			
निवेश	13182.2	13211	
ऋण			
स्थायी संपत्तियाँ			
वर्तमान संपत्तियाँ			
नगद और बैंक शेष	1827	4	
अग्रिम और अन्य संपत्तियाँ	16	893	
कुल वर्तमान संपत्तियाँ (क)	1842	897	
वर्तमान देयताएँ	79	68	
प्रावधान			
कुल वर्तमान संपत्तियाँ (ख)	79	68	
कुल वर्तमान संपत्तियाँ (ग) = (क-ख)	1763	829	
अन्य खर्चें (बट्टे खाते में न डाले जाने या समायोजित न होने की सीमा तक)			
लाभ/हानि खाता (ऋण शेष)			
कुल	14945	14040	

पॉलिसीधारकों के खाते : सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

विवरण 10
(लाख रुपये)

विवरण	न्यू इंडिया								ओरिएंटल							
	2007-08				2006-07				2007-08				2006-07			
	आग	जल	अन्य	कुल	आग	जल	अन्य	कुल	आग	जल	अन्य	कुल	आग	जल	अन्य	कुल
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	97031	18857	365254	481143	94184	16438	342890	453511	32442	16939	238242	287623	34153	15944	218980	269077
निवेश को बेचने/विनिवेश पर लाभ/हानि	10490	3016	53827	67332	11040	3410	56864	71313	3469	1851	34715	40035	3303	1963	37883	43148
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	28	(21)	30	37	29	30	(67)	(8)
ब्याज, लाभांश/किराया – सकल	10619	3053	54493	68165	10514	3247	54155	67916	3470	1852	34730	40052	3083	1832	35362	40277
कुल (ए)	118140	24926	473574	616640	115738	23094	453908	592741	39410	20621	307717	367747	40568	19769	292158	352495
उपगत दावे (सकल)	60160	15824	341764	417748	56006	6230	302125	364361	31038	11007	218177	260222	15939	15584	204362	235886
कमीशन	10023	2669	33231	45924	7933	1423	29733	39089	(651)	1020	12766	13135	(1315)	424	10853	9962
बीमा कारोबार से संबंधित लागू खर्च	19611	5663	76636	101910	28432	5231	81596	115259	10688	5560	66112	82361	11340	5255	58828	75423
अन्य – ऋण, बट्टे खाते डालना/प्राक्धान	8	2	40	50	36	11	183	230	12	6	118	136	106	63	1221	1391
विदेशी कर	3	1	66	70	30	1	99	129				-	-	-	-	-
कुल (बी)	89804	24160	451738	565702	92436	12896	413736	519068	41087	17594	297174	355855	26070	21326	275265	322661
आग/जल/अन्य व्यापार से लागू लाभ/(हानि) सी = (ए-बी)	28336	766	21835	50938	23302	10199	40172	73673	(1677)	3027	10543	11893	14498	(1558)	16893	29834
उपयोग																
शेयरधारकों के खाते में स्थानान्तरण	28336	766	21835	50938	23302	10199	40172	73673	(1677)	3027	10543	11893	14498	(1558)	16893	29834
आपदा के रिजर्व में स्थानान्तरण																
अन्य आरक्षणों में स्थानान्तरण																
कुल (सी)	28336	766	21835	50938	23302	10199	40172	73673	(1677)	3027	10543	11893	14498	(1558)	16893	29834

कोष्ठक में दर्शाये गये चिह्न नकारात्मक राशियों का संकेत देते हैं।

(लाख रुपये)

पॉलिसीधारकों के खाते : सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

विवरण	नैशनल								युनाइटेड								कुल	
	2007-08				2006-07				2007-08				2006-07					
	आग	जल	अन्य	कुल	आग	जल	अन्य	कुल	आग	जल	अन्य	कुल	आग	जल	अन्य	कुल	2007-08	2006-07
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	29117	10817	261919	301853	33836	10235	232685	276757	43456	12937	213817	270209	41867	10531	184926	237324	1340828	1236669
निवेश को बेचने/विनिवेश पर लाभ/हानि	3982	1542	43640	49165	3892	1402	38774	44069	5812	2163	50218	58193	3634	1923	39161	44718	214725	203249
अन्य				-	-	0	-	-	316	148	1775	2239	(1)	(13)	64	50	2276	43
ब्याज, लाभांश/किराया – सकल	3383	1310	37068	41761	3654	1317	36403	41374	4223	1571	36491	42285	3568	1888	38446	43902	192264	193470
कुल (ए)	36482	13669	342627	392779	41383	12955	307863	362200	53807	16819	302301	372927	49069	14329	262597	325995	1750093	1633430
उपगत दावे (सकल)	24447	10006	249431	283884	20645	10085	208692	239422	30400	12397	207830	250628	31486	10886	171834	214206	1212481	1053875
कमीशन	936	1003	18450	20389	(2672)	566	13510	11405	253	1269	12140	13661	(1073)	(358)	8207	6776	93109	67232
बीमा कारोबार से संबंधित लागू खर्चे	8881	2982	77907	89770	11076	3406	66065	80547	13012	5399	72843	91255	18041	5161	66243	89445	365296	360674
अन्य – ऋण, बट्टे खाते डालना/प्रावधान	90	65	8993	9148	2		6203	6205	429	160	3706	4294	331	175	3567	4073	13629	11898
विदेशी कर				-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	70	129
कुल (बी)	34354	14056	354780	403190	29050	14058	294470	337578	44095	19225	296519	359839	48785	15864	249851	314500	1684585	1493808
आग/जल/अन्य व्यापार से लागू लाभ/(हानि) सी= (ए- बी)	2128	(387)	(12153)	(10411)	12332	(1103)	13393	24622	9713	(2406)	5781	13088	283	(1535)	12746	11495	65508	139622
उपयोग																		
शेयरधारकों के खाते में स्थानान्तरण	2128	(387)	(12153)	(10411)	12332	(1103)	13393	24622	9713	(2406)	5781	13088	283	(1535)	12746	11495	65507	139622
आपदा के रिज़र्व में स्थानान्तरण																		
अन्य आरक्षणों में स्थानान्तरण																		
कुल (सी)	2128	(387)	(12153)	(10411)	12332	(1103)	13393	24622	9713	(2406)	5781	13088	283	(1535)	12746	11495	65507	139622

कोष्ठक में दर्शाये गये चित्र नकारात्मक राशियों का संकेत देते हैं।

पॉलिसीधारकों के खाते : सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

विवरण 11

(लाख रुपये)

विवरण	न्यू इंडिया		ओरिएंटल		नैशनल		युनाइटेड		कुल	
	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07
लामू लाम/हानि										
(क) आग बीमा	28336	23302	(1677)	14498	2128	12332	9713	283	38501	50415
(ख) जल (जहाज या समुद्री व्यापार से संबंधित) बीमा	766	10199	3027	(1558)	(387)	(1103)	(2406)	(1535)	1000	6003
(ग) अन्य बीमों	21835	40172	10543	16893	(12153)	13393	5781	12746	26007	83204
	50938	73673	11893	29834	(10411)	24622	13088	11495	65507	139623
निवेशों से प्राप्त आय										
(क) ब्याज, लामांश/किराया – सम्पूर्ण	49866	42086	17118	15732	12477	9702	23192	21206	102652	88726
(ख) निवेश की बिक्री पर लाम	49256	44265	17110	16874	14797	10334	31918	21600	113082	93073
घटाएँ: निवेश की बिक्री पर हानि		(74)		(21)	(109)	-	(1)	-	(109)	(95)
अन्य आय	2102	1509	(203)	653	1612	1332	(28)	(299)	3483	3196
कुल (क)	152162	161459	45918	63071	18366	45991	68169	54001	284615	324523
प्रावधान (कराधान से)										
(क) निवेश के मूल्यों में कमी के लिए	493	321	5	12	(212)	(751)	244	23	528	(396)
(ख) अनिश्चित ऋणों के लिए	(426)	(313)	961	(437)	512	(49)	587	569	1635	(231)
(ग) अन्य	(30)	135	1027	305		-	-	-	997	440
अन्य खर्च										
(क) वह खर्चे जा बीमा कारोबार से संबंधित हैं, के अलावा	-	-	-	-	257	181	78	64	335	245
(ख) वसूल न होने वाले ऋण बट्टे खाते में डालना	-	-	1	2	-	-		-	1	2
(ग) अन्य	(21)	(76)	(310)	226	604	1027	1446	1312	1719	2489
कुल (ख)	16	66	1683	108	1161	408	2355	1967	5215	2549
कर से पहले लाम	152146	161393	44235	62964	17206	45583	65814	52034	279400	321974
कराधान के लिए प्रावधान	12033	15398	43305	13237	863	3455	2651	(852)	58851	31238
कर के बाद लाम	140113	145995	930	49727	16343	42128	63162	52886	220548	290736
उपयोग										
(क) वर्ष के दौरान अंतरिम लामांश का भुगतान किया										
(ख) प्रस्तावित अंतिम लामांश	28300	29200	750	10000	3266	8361	12633	10577	44949	58139
(ग) लामांश वितरण कर	4810	4963	127	1700	555	1421	2147	1798	7639	9881
(घ) किसी रिजर्व या अन्य खातों में स्थानान्तरण										
सामान्य आरक्षण में स्थानान्तरण	107003	111832	53	38027	12522	32345	48383	40511	167961	222716
पूर्व वर्ष के लाम/हानि को लिया गया										
शेष को तुलनपत्र में भेजा गया										

कोष्ठक में दर्शाये गये चित्र नकारात्मक राशियों का संकेत देते हैं।

विवरण 12

तुलन पत्र : सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता (31 मार्च तक)

(लाख रुपये)

निधियों के स्रोत	न्यू इंडिया		ओरिएंटल		नैशनल		युनाइटेड		कुल	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
शेयर पूँजी	20000	20000	10000	10000	10000	10000	15000	15000	55000	55000
भंडार / अधिशेष	677280	582016	192632	192579	145870	133348	309569	261186	1325351	1169128
उचित मूल्य बदलाव खाता	1395927	1094835	761484	583314	730930	592101	503743	403248	3392085	2673499
उधार										
अस्थगित कर देयता										
कुल	2093208	1696851	964116	785894	886800	735449	828312	679433	4772435	3897627
निधियों का आवेदन										
निवेश	2463287	2107007	1316751	1086973	1271798	1063780	1240363	1059930	6292200	5317689
ऋण	65776	74545	37417	41083	39180	41721	56079	58675	198452	216025
अचल संपत्तियाँ	11524	13265	9423	7364	6371	6000	8236	9841	35554	36468
अस्थगित कर संपत्तियाँ	1016	4056		-		-		222	1016	4278
चालू संपत्तियाँ										
नकद और बैंक शेष	285793	316227	120613	148499	61926	103139	70565	84974	538897	652840
अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ	367018	224597	137664	108542	195899	145448	153148	114471	853729	593057
उप कुल (ए)	652811	540824	258277	257041	257825	248587	223713	199445	1392626	1245897
चालू देयताएँ	776208	760479	465305	411875	507886	460523	498879	472747	2248278	2105624
प्रावधान	324998	287128	192446	199543	181402	170119	201201	175932	900047	832721
उप कुल (बी)	1101206	1047606	657752	611418	689288	630641	700080	648679	3148325	2938344
शुद्ध वर्तमान संपत्तियाँ (सी) = (ए - बी)	(448396)	(506782)	(399475)	(354377)	(431463)	(382054)	(476366)	(449234)	(1755699)	(1692447)
अन्य खर्च (बढ़ते खाते में नहीं लिखे जाने या समायोजित नहीं किये जाने की सीमा तक)		4761		4851	913	6002		-	913	15614
लाभ/हानि खाता (नामे बाकी)										
कुल	2093208	1696851	964116	785894	886800	735449	828312	679433	4772435	3897627

पॉलिसीधारकों के खाते : निजी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ

(लाख रुपये)

विवरण	रॉयल सुंदरम					बजाज अलायंज				
	आग	जल	अन्य	2007-08	2006-07	आग	जल	अन्य	2007-08	2006-07
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	2144	453	41987	44583	33358	12256	3897	125391	141544	83853
निवेश को बेचने/विनिवेश पर लाभ/हानि	9	2	113	124	66	433	119	3219	3771	908
अन्य			11	11	3	256	20	887	1163	112
ब्याज, लाभांश / किराया – सम्पूर्ण	329	58	2985	3373	2230	1183	325	8784	10291	6644
कुल (क)	2482	513	45097	48092	35657	14128	4361	138281	156770	91517
उपगत दावे (सकल)	929	367	28519	29815	20374	4976	3166	86428	94570	55563
कमीशन	(660)	(197)	2481	1624	(97)	(2838)	177	786	(1876)	(7864)
बीमा कारोबार से संबंधित लागू खर्चे	1574	299	15562	17435	13640	4799	1478	45827	52103	34625
प्रीमियम की कमी							(387)		(387)	(100)
कुल (ख)	1844	469	46562	48875	33916	6936	4434	133040	144411	82223
चालू लाभ/हानि (ग) = (क - ख)	638	44	(1465)	(783)	1740	7192	(74)	5241	12359	9294
उपयोग										
शेयरधारकों के खाते में स्थानान्तरण	638	44	(1465)	(783)	1740	7192	(74)	5241	12359	9294
आपदा रिजर्व में स्थानान्तरण										
अन्य रिजर्व में स्थानान्तरण										
कुल (ग)	638	44	(1465)	(783)	1740	7192	(74)	5241	12359	9294

नोट: कोष्ठक में दर्शाये गये चिन्न नकारात्मक राशियों का संकेत देते हैं।

पॉलिसीधारकों के खाते : निजी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ

विवरण	टाटा एआईजी					रिलायंस				
	आग	जल	अन्य	2007-08	2006-07	आग	जल	अन्य	2007-08	2006-07
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1662	4426	39296	45385	38165	3845	1094	91065	96003	24426
निवेश को बेचने/विनिवेश पर लाभ/हानि	1	2	18	21	295	164	39	2026	2230	485
अन्य	9	3	45	57	63			(1)	(1)	5
ब्याज, लाभांश / किराया – सम्पूर्ण	427	295	2524	3245	2124	334	80	4123	4537	1212
कुल (क)	2099	4726	41882	48708	40647	4343	1213	97214	102770	26128
उपगत दावे (सकल)	657	3612	20427	24695	20711	2674	1288	71107	75068	17318
कमीशन	(2352)	(168)	2668	147	(944)	(2657)	(86)	(5234)	(7976)	(7943)
बीमा कारोबार से संबंधित लागू खर्चे	1302	1992	19825	23119	19355	1882	591	53813	56286	18092
प्रीमियम की कमी										
कुल (ख)	(394)	5435	42920	47962	39121	1899	1793	119686	123378	27468
चालू लाभ/हानि (ग) = (क - ख)	2493	(709)	(1037)	747	1525	2444	(580)	(22472)	(20608)	(1340)
उपयोग										
शेयरधारकों के खाते में स्थानान्तरण	2493	(709)	(1037)	747	1525	2444	(580)	(22472)	(20608)	(1340)
आपदा रिजर्व में स्थानान्तरण										
अन्य रिजर्व में स्थानान्तरण										
कुल (ग)	2493	(709)	(1037)	747	1525	2444	(580)	(22472)	(20608)	(1340)

नोट: कोष्ठक में दर्शाये गये चिह्न नकारात्मक राशियों का संकेत देते हैं।

पॉलिसीधारकों के खाते : निजी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ

विवरण	इफको टोकियो					आईसीआईसीआई लॉन्गवर्ड				
	आग	जल	अन्य	2007-08	2006-07	आग	जल	अन्य	2007-08	2006-07
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	6364	4207	53396	63967	54760	10865	1830	144024	156718	106665
निवेश को बेचने/विनिवेश पर लाभ/हानि	17	19	148	184	116	154	53	3293	3500	2633
अन्य			7	7	7	(9)	(26)	(205)	(240)	(133)
ब्याज, लाभांश / किराया – सम्पूर्ण	447	516	4009	4972	3412	455	157	9739	10351	5337
कुल (क)	6828	4742	57560	69129	58295	11464	2015	156850	170329	114502
उपगत दावे (सकल)	4226	4301	41947	50474	39859	5794	3220	113818	122832	81384
कमीशन	(2742)	152	2195	(395)	(4152)	(3629)	(1330)	(8697)	(13656)	(19048)
बीमा कारोबार से संबंधित लागू खर्चे	3845	1179	15106	20131	20473	7695	3631	44790	56116	49873
प्रीमियम की कमी		(100)		(100)			305		305	
कुल (ख)	5329	5533	59248	70110	56180	9860	5827	149910	165597	112210
चालू लाभ/हानि (ग) = (क - ख)	1499	(792)	(1688)	(981)	2115	1605	(3812)	6940	4733	2292
उपयोग										
शेयरधारकों के खाते में स्थानान्तरण	1499	(792)	(1688)	(981)	2115	1605	(3812)	6940	4733	2292
आपदा रिज़र्व में स्थानान्तरण										
अन्य रिज़र्व में स्थानान्तरण										
कुल (ग)	1499	(792)	(1688)	(981)	2115	1605	(3812)	6940	4733	2292

नोट: कोष्ठक में दर्शाये गये चिह्न नकारात्मक राशियों का संकेत देते हैं।

(लाख रुपये)

पॉलिसीधारकों के खाते : निजी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ

विवरण	चोलामंडलम					एचडीएफसी चब्स				
	आग	जल	अन्य	2007-08	2006-07	आग	जल	अन्य	2007-08	2006-07
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	3266	981	20639	24886	12728	161	142	14702	15005	14029
निवेश को बेचने/विनिवेश पर लाभ/हानि	38	10	140	188	32	0	0	15	16	24
अन्य	9	1	3	13	11	53	3	305	361	(125)
ब्याज, लाभांश / किराया – सम्पूर्ण	331	89	1231	1651	915	21	11	758	790	756
कुल (क)	3643	1081	22013	26738	13687	235	156	15780	16172	14684
उपगत दावे (सकल)	1172	978	13415	15565	7077	34	132	11311	11477	8003
कमीशन	(977)	(336)	(952)	(2266)	(2115)	(272)	(17)	(162)	(451)	484
बीमा कारोबार से संबंधित लागू खर्च	1499	701	11011	13212	7949	250	218	6942	7409	6395
प्रीमियम की कमी		(24)		(24)	24					
कुल (ख)	1693	1320	23474	26488	12934	11	333	18092	18436	14882
चालू लाभ/हानि (ग) = (क - ख)	1950	(239)	(1461)	250	752	224	(176)	(2311)	(2264)	(198)
उपयोग										
शेयरधारकों के खाते में स्थानान्तरण	1950	(239)	(1461)	250	752	224	(176)	(2311)	(2264)	(198)
आपदा रिज़र्व में स्थानान्तरण										
अन्य रिज़र्व में स्थानान्तरण										
कुल (ग)	1950	(239)	(1461)	250	752	224	(176)	(2311)	(2264)	(198)

नोट: कोष्ठक में दर्शाये गये चित्र नकारात्मक राशियों का संकेत देते हैं।

(लाख रुपये)

पॉलिसीधारकों के खाते: निजी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ

विवरण	फ्यूचर जनरली				यूनिवर्सल सोम्पो				कुल	
	आग	जल	अन्य	2007-08	आग	जल	अन्य	2007-08	2007-08	2006-07
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	(148)	(15)	34	(129)	(43)		0	(43)	587920	367983
निवेश को बेचने/विनिवेश पर लाभ/हानि									10034	4557
अन्य					1			1	1373	(57)
ब्याज, लाभांश / किराया – सम्पूर्ण					0			0	39210	22632
कुल (क)	(148)	(15)	34	(129)	(42)		0	(42)	638537	395115
उपगत दावे (सकल)	3	4	50	58	0		0	0	424555	250289
कमीशन	(76)	(7)	(42)	(125)	(3)			(3)	(24976)	(41679)
बीमा कारोबार से संबंधित लागू खर्चे	368	92	1599	2059	727		2	729	248600	170401
प्रीमियम की कमी									(206)	(76)
कुल (ख)	296	89	1607	1992	724		2	726	647973	378935
चालू लाभ/हानि (ग) = (क - ख)	(444)	(104)	(1573)	(2121)	(766)		(2)	(768)	(9436)	16180
उपयोग										
शेयरधारकों के खाते में स्थानान्तरण	(444)	(104)	(1573)	(2121)	(766)		(2)	(768)	(9436)	16180
आपदा रिज़र्व में स्थानान्तरण										
अन्य रिज़र्व में स्थानान्तरण										
कुल (ग)	(444)	(104)	(1573)	(2121)	(766)		(2)	(768)	(9436)	16180

नोट: कोष्ठक में दर्शाये गये चिह्न नकारात्मक राशियों का संकेत देते हैं।

अंशधारकों के खाते : निजी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ

(लाख रुपये)

विवरण	रैंथल सुंदरम		बजाज अलायंस		टाटा एवाईजी		रिलायंस		इफको टोकियो		आईसीआईसीआई लेभाई		चोलाभंडलम		एचडीएफसी वन्य		यूनिवर्सल सोमो		कुल
	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2008	2007-08	2006-07
वाल् लाम/हानि																			
(क) अग्नि बीमा	638	1881	7192	7921	2493	2249	2444	3577	1499	3697	1605	7385	1950	1790	224	164	(766)	16834	28663
(ख) समुद्री बीमा	44	194	(74)	(2289)	(709)	(485)	(580)	(220)	(792)	(3175)	(3812)	(1204)	(239)	(506)	(176)	(55)		(6441)	(7739)
(ग) विविध बीमा	(1465)	(335)	5241	3663	(1037)	(239)	(22472)	(4697)	(1688)	1593	6940	(3889)	(1461)	(532)	(2311)	(308)	(2)	(19829)	(4744)
निवेश से आय																			
(क) ब्याज, लाभांश / किराया – सम्पूर्ण	1255	963	3356	2051	1874	1526	2443	1070	2120	2109	6679	3918	722	605	623	662	881	20504	12906
(ख) निवेश की बिक्री पर लाभ	50	29	1319	326	14	260	1201	428	78	72	2258	1933	82	21	12	21		5015	3089
घटाएँ: निवेश की बिक्री पर हानि		(0)	(89)	(46)	(47)	(197)					(134)	(98)						(270)	(336)
अन्य आय	6	1	203	295	48	23	711	86	51	27	20	20			(4)	(153)	(5)	1021	298
कुल (क)	529	2733	17147	11920	2635	3137	(16253)	244	1269	4322	13557	8065	1054	1379	(1633)	331	107	16833	32137
प्रावधान (कराधान से)																			
(क) निवेश के मूल्यों में कमी के लिए											475								475
(ख) अनिश्चित ऋणों के लिए						43													43
(ग) अन्य					(73)	(209)												(73)	(209)
अन्य खर्चे																			
(क) वह खर्चे जो बीमा कारोबार से संबंधित हैं	31	7	357	217	(2)	(2)	(31)	(20)	83	76	59	53			44	81	141	805	643
(ख) वसूल न किये जाने वाले ऋण बढ़ते खाते में डालना					18													18	
(ग) अन्य प्रारम्भिक / पूर्व-प्रचालित, परिशोधन	21	8															5	25	8
कुल (ख)	52	15	357	217	(57)	(168)	(31)	(20)	83	76	534	53			44	81	146	1250	485
कर से पहले लाभ	477	2718	16790	11703	2692	3305	(16284)	224	1186	4246	13022	8012	1054	1379	(1677)	250	(38)	15582	31653
कराधान के लिए प्रावधान	6	600	6228	4166	1075	1148	271	61	470	1533	2735	1176	330	130	23	50	(9)	11136	8864
कर के बाद लाभ	471	2119	10562	7537	1617	2157	(16555)	163	716	2713	10287	6836	724	1249	(1700)	200	(30)	4446	22789
उपयोग																			
(क) वर्ष के दौरान अंतस्थि लाभांश का भुगतान किया											5912	4384						5912	4384
(ख) प्रस्तावित अंतिम लाभांश										880								880	
(ग) लाभांश वितरण कर										150	1005	615						1005	764
(घ) पूर्व वर्ष के रिजर्व या अस्थगित कर में स्थानान्तरण											863	342						863	342
(ङ) आपदा रिजर्व																			
पूर्व वर्ष के लाभ/हानि को लिया गया	244	(1875)	19485	12036	1880	(277)	5240	5078	4662	2979	6816	5320	(323)	(1571)	(3010)	(3210)		34772	18479
शेष को तुलनपत्र में भेजा गया	715	244	30047	19573	3497	1880	(11315)	5240	5379	4662	9324	6816	401	(323)	(4710)	(3010)	(30)	31438	34898

नोट: कोष्ठक में दर्शाये गये चिह्न नकारात्मक राशियों का संकेत देते हैं।

कुल पत्र निजी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ (अ मार्च तक)

विवरण 15

(लख रुपये)

विवरण	संयुक्त सुरक्षा		राज्य अकरण		तट एआईजी		सिगरा		इसरो लेबो		आईआईआईआई लेबो		बेलगंझ		एबीएपी चब		पूरा जमली		युनिवर्सल रोमो	कुल	
	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2008	2007	2008	2007-08	2006-07
शेयर पूँजी	17,000	14,000	11023	11013	22500	22500	10715	10307	22000	22000	37736	33571	14196	14196	15000	12491	15000	5	15000	180170	140083
बैंकर/अविशेष	715	244	46709	29328	3497	1880	49965	15333	8390	7674	69660	45700	401						8580	188138	100459
उच्च मूल्य बंदलव खात	(96)		(253)	816	265	162	(982)	98			(1787)	(1241)	(232)	(77)	29	6	3			(3074)	(237)
उधार													226		202	204				428	204
अन्य												15000						600		0	15600
अलगित कर देखा																6				0	6
कुल	17619	14244	57478	41157	26263	24542	59718	26038	30390	29674	105809	93029	14571	14119	15231	12706	15003	605	23580	366662	256115
निष्पत्ति के अवेका																					
निष्पत्ति	55,903	45,570	186323	130041	68192	52834	131073	63315	54297	47381	237376	171047	32999	25435	22130	17814	11082		11142	810518	553437
नष्पत्ति																				0	0
स्वामी संतित्तियें	1,914	1,463	9983	4778	2692	2963	5832	2889	1458	1643	12531	8694	2298	1148	1142	1458	841	208	792	39483	25232
अलगित कर सति	830		1652	1001	247	77	85	85	857	160	2982	1232	108						13	6774	2555
कर्मन सति																					
नम्र और बैंक शेष	9,229	6,058	26986	22404	3068	5281	7249	1815	37676	27956	13633	34790	1481	3082	1399	2310	1480	286	11138	113351	103961
अमि और अन्य सति	10,288	4,827	30316	11383	12588	11309	29795	5533	23364	12466	112897	79642	10114	3963	3987	2620	1098	287	1144	235592	132029
ज कुल (स)	19518	10885	57312	33787	15556	16590	37044	7348	61040	40422	126530	114432	11595	7025	5387	4929	2578	573	12283	348942	235990
कर्मन देखाएँ	30,637	22,486	105521	70169	29210	24560	57638	17839	47746	29086	173622	124701	15550	10666	9575	7720	946	399	662	471106	307327
प्रमाण	29,909	21,186	92271	58280	31315	23351	67994	29759	36515	30836	99988	77674	16880	9456	8563	6821	485		18	36837	257363
ज कुल (स)	60546	43673	197792	128449	60525	47911	125631	47598	87261	59932	273610	202375	32430	19812	18138	14541	1431	399	679	858042	554680
कुल कर्मन सति (प) = (स) – (स)	(41028)	(32788)	(140480)	(94662)	(44668)	(31322)	(86588)	(40251)	(26221)	(19510)	(147080)	(87943)	(20835)	(12787)	(12751)	(9612)	1147	174	11604	(509100)	(328700)
अन्य सति																35				0	35
(हट्टे खाते में ग बले जने य समयेजिन न हने की सैम तक)																					
लग और हनि खात (डिबिट शेष)							11315							323	4710	3010	1933	224	30	17987	3566
कुल	17619	14244	57478	41157	26263	24542	59718	26038	30390	29674	105809	93029	14571	14119	15231	12706	15003	605	23580	366662	256115

नोट: कोष्ठक में दिर गर अंक नकारात्मक चिह्न के संकेत हैं।

विवरण 16

पॉलिसीधारकों के खाते: स्वास्थ्य बीमा कंपनियाँ

	(लाख रुपये)		
	स्टार हैल्थ		
	अपोलो डीकेवी		
विवरण	2007-08	2006-07	2007-08
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	8823	489	28.14
निवेश को बेचने/विनिवेश पर लाभ/हानि			
अन्य			
ब्याज, लाभांश/किराया – सकल	172	20	1
कुल (क)	8995	509	29
उपगत दावे (सकल)	6724	150	24.74
कमीशन	(814)	(303)	33.29
बीमा कारोबार से संबंधित चालू खर्च	3477	1798	3167.93
अन्य परिशोधन, बट्टे खाते में लिखना/प्राप्तान			
विदेशी कर			
कुल (ख)	9388	1645	3226
अग्नि/समुद्री/विविध कारोबार से चालू लाभ/हानि			
ग = क-ख	(392)	(1136)	(3197)
उपयोग			
शेयरधारकों के खाते में स्थानान्तरण	(392)	(1136)	(3197)
आपदा रिजर्व में स्थानान्तरण			
अन्य रिजर्व में स्थानान्तरण			
कुल (ग)	(392)	(1136)	(3197)

नोट: कोष्ठक में दिए गए अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

विवरण 17

शेयरधारकों के खाते: स्वास्थ्य बीमा कंपनियाँ

(लाख रुपये)

	स्टार हैल्थ		अपोलो जीकेवी	
विवरण	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07
चालू लाभ/हानि				
(क) अग्नि बीमा				
(ख) समुद्री बीमा				
(ग) विविध बीमा	(392)	(1136)	(3197)	
	(392)	(1136)	(3197)	
निवेश से प्राप्त आय				
(क) ब्याज, लाभांश/किराया – सम्पूर्ण	746	703	414	
(ख) निवेश की बिक्री पर लाभ	1			
घटाएँ: निवेश की बिक्री पर हानि				
अन्य आय			1	0
कुल (क)	355	(433)	(2782)	0
प्रावधान (कराधान से)				
(क) निवेश के मूल्यों में कमी के लिए				
(ख) अनिश्चित ऋणों के लिए				
(ग) अन्य				
अन्य खर्च				
(क) वह खर्च जो बीमा कारोबार से संबंधित है			32	24
(ख) वसूले न जाने वाले ऋण बढ़ते खाते में डालना				
(ग) अन्य	39	6		
कुल (ख)	39	6	32	24
कर से पहले लाभ	316	(439)	(2815)	(24)
कराधान के लिए प्रावधान	188	(180)	20	1
कर के बाद लाभ	128	(259)	(2834)	(25)
उपयोग				
(क) वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया				
(ख) प्रस्तावित अंतिम लाभांश				
(ग) लाभांश वितरण कर				
(घ) किसी रिजर्व या अन्य खातों में स्थानान्तरण				
सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण				
पूर्व वर्ष के लाभ/हानि को लिया गया	(385)	(126)	(25)	
शेष को तुलनपत्र में भेजा गया	(258)	(358)	(2859)	(25)
नोट: कोष्ठक में दिए गए अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।				

विवरण 18

तुलन पत्र : स्वास्थ्य बीमाकर्ता

विवरण	स्टार हैल्थ			अपोलो लीकेवी
	2008	2007	2008	2007
शेयर पूँजी	10860	10500	10055.48	5
भंडार/अधिशेष				
उचित मूल्य बदलाव खाता		1		
उधार				200
कुल	10860	10501	10055	205
निधियों के आवेदन				
निवेश	8652	7135	3064.23	
ऋण	500			
स्थायी संपत्तियाँ	641	411	1205.31	7.44
अस्थायित कर संपत्तियाँ	76	188		
वर्तमान संपत्तियाँ				
नकद और बैंक शेष	3556	2788	3287.74	86.58
अग्रिम और अन्य संपत्तियाँ	2029	486	1065.91	88
उप-कुल (क)	5585	3275	4354	175
वर्तमान दायित्व	1212	404	1179.26	1.19
प्रावधान	3639	489	247.34	0.55
उप-कुल (ख)	4851	893	1427	2
कुल वर्तमान संपत्तियाँ (ग) = (क-ख)	733	2381	2927	173
अन्य खर्च (वट्टे खाते में न डाले जाने या समायोजित न होने की सीमा तक)				
लाभ/हानि खाता (डेबिट शेष)	258	385	2858.89	24.72
कुल	10860	10501	10055	205

नोट: कोष्ठक में दिए गए अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

विवरण 19

साधारण बीमा निगम
पॉलिसीधारकों के खाते

(लाख रुपये)

2007-08					2006-07					
	अग्नि	समुद्री	अन्य	जीवन	कुल	अग्नि	समुद्री	अन्य	जीवन	कुल
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	175369	40162	506414	950	722896	145412	28112	352705	151	526380
निवेश को बेचने/विनिवेश पर लाभ/हानि	12306	5155	41251	9	58721	10737	4016	39765	5	54523
अन्य	2169	(686)	(1539)	(15)	(72)	1646	(546)	(1199)	(0)	(98)
ब्याज, लाभांश / किराया-सकल	14724	6168	49353	10	70255	13528	5060	50105	7	68700
कुल (क)	204568	50798	595479	954	851800	171323	36643	441377	163	649505
उपगत दावे (शुद्ध)	164411	53872	382689	177	601150	105171	34497	222532	71	362271
कमीशन	61723	15748	131180	313	208965	58681	10014	98317	0	167012
बीमा कारोबार विदेशी करें से संबंधित चालू खर्च	1464	375	3847	10	5697	1423	263	3124	1	4811
कुल (ख)	227599	69995	517717	500	815811	165275	44775	323972	73	534094
चालू लाभ/हानि (ग) = (क-ख)	(23031)	(19197)	77762	453	35989	6047	(8132)	117405	90	115410
उपयोग										
शेयरधारकों के खाते में स्थानान्तरण	(23031)	(19197)	77762	453	35989	6047	(8132)	117405	90	115410
आपदा रिजर्व में स्थानान्तरण										
अन्य रिजर्व में स्थानान्तरण										
कुल (ग)	(23031)	(19197)	77762	453	35989	6047	(8132)	117405	90	115410

नोट: कोष्ठक में दिए गए अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

विवरण 20

साधारण बीमा निगम
पॉलिसीधारकों के खाते

विवरण	2008	2007	(लाख रुपये)
चालू लाभ/हानि			
(क) अग्नि बीमा	(23031)	6047	
(ख) समुद्री बीमा	(19197)	(8132)	
(ग) विविध बीमा	77762	117405	
(घ) जीवन बीमा	453	90	
	35989	115410	
निवेश से आय			
(क) व्याज, लाभांश / किराया – सकल	40614	34529	
(ख) निवेश की बिक्री पर लाभ	33946	27403	
घटाएँ: निवेश की बिक्री पर हानि			
अन्य आय	7113	5694	
कुल (क)	117662	183036	
प्रावधान (कराधान से)			
(क) निवेश के मूल्य में कमी के लिए	657	1793	
(ख) अनिश्चित ऋणों के लिए	(945)	(1339)	
(ग) अन्य	3389	3496	
अन्य खर्च			
(क) वह खर्च जो बीमा कारोबार से संबंधित है	143	109	
(ख) वसूले न जाने वाले ऋण बढ़ते खाते में झलना	24	30	
(ग) अन्य	7664		
कुल (ख)	10933	4089	
कर से पहले लाभ	106730	178947	
कराधान के लिए प्रावधान	7451	25811	
कर के बाद लाभ	99278	153134	
उपयोग			
(क) साल के दौरान अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया			
(ख) प्रस्तावित अंतिम लाभांश	19780	30960	
(ग) लाभांश वितरण कर	3362	5262	
(घ) किसी रिजर्व या अन्य खातों में स्थानान्तरण			
सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण	76140	116910	
पिछले साल का आगे लाया गया लाभ/हानि का बकाया	5	2	
पक्के चिट्ठे में आगे ले जाया गया बकाया	1	5	

नोट: कोष्ठक में दिए गए अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

साधारण बीमा निगम
तुलन पत्र (31 मार्च तक)
(लाख रुपये)

निधियों के स्त्रोत	2008	2007
शेयर पूँजी	43000	43000
भंडार / अधिशेष	625377	549826
उचित मूल्य बदलाव खाता	1428743	982843
उधार		
अस्थगित कर देयता		
कुल	2097120	1575668
निधियों के आवेदन		
निवेश	2851378	2290511
उधार	68017	74910
स्थायी संपत्तियाँ	4102	4369
अस्थगित कर संपत्तियाँ	13944	6179
वर्तमान संपत्तियाँ		
नकदी और बैंक शेष	252759	180375
अग्रिम और अन्य संपत्तियाँ	411083	296054
उप-कुल (क)	663842	476429
वर्तमान देयताएँ	1004706	872919
प्रावधान	499458	403811
उप-कुल (ख)	1504164	1276730
कुल वर्तमान संपत्तियाँ (ग) = (क-ख)	(840321)	(800301)
अन्य खर्च (बट्टे खाते में न जाले जाने या समायोजित न होने की सीमा तक)		
लाभ/हानि खाता (डेबिट शेष)		
कुल	2097120	1575668

नोट: कोष्ठक में दिए गए अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

विवरण 22

पॉलिसीधारकों के खाते : भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.

	(लाख रुपये)	
विवरण	2007-08	2006-07
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	54576	59444
निवेश को बेचने/विनिवेश पर लाभ/हानि	1	0
अन्य	37	78
ब्याज, लाभानांश / किराया – सकल	13035	11454
कुल (क)	67649	70976
उपगत दावे (सकल)	(1598)	18711
कमीशन	(3408)	(17)
बीमा कारोबार से संबंधित चालू खर्च	10502	7396
अन्य परिशोधन, बट्टे खाते में लिखना / प्राक्धान		
विदेशी कर		
कुल (ख)	5496	26089
अग्नि/समुद्री/विविध कारोबार से चालू लाभ/हानि		
ग = (क-ख)	62153	44887
उपयोग		
शेयरधारकों के खाते में स्थानान्तरण	62153	44887
आपदा रिजर्व में स्थानान्तरण		
अन्य रिजर्व में स्थानान्तरण		
कुल (ग)	62153	44887

नोट: कोष्ठक में दिए गए अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं ।

विवरण 23

अंशधारकों के खाते : भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.

विवरण	2007-08	2006-07
(लाख रुपये)		
वातू लाभ/हानि		
(क) अग्नि बीमा		
(ख) समुद्री बीमा	62153	44887
(ग) विविध बीमा	62153	44887
निवेश से प्राप्त आय		
(क) ब्याज, लाभांश / सम्पूर्ण	14744	10161
(ख) निवेश की बिक्री पर लाभ	1	0
घटाएँ: निवेश की बिक्री पर हानि		
अन्य आय	322	126
कुल (क)	77219	55174
प्राक्धान (करधान से)		
(क) निवेश के मूल्यों में कमी के लिए		-
(ख) अनिश्चित ऋणों के लिए		
(ग) अन्य		
अन्य खर्चे		
(क) वह खर्चे जो बीमा कारोबार से संबंधित हैं		
(ख) वसूले न जाने वाले ऋण बट्टे खाते में डालना		
(ग) अन्य	44	-
कुल (ख)	44	-
कर से पहले लाभ	77175	55174
करधान के लिए प्राक्धान	28861	18908
पूर्व अवधि समायोजन	371	(704)
कर के बाद लाभ	47943	36970
उपयोग		
(क) वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया	9657	2500
(ख) प्रस्तावित अंतिम लाभांश	8200	10000
(ग) लाभांश वितरण कर	1394	1403
(घ) किसी रिजर्व या अन्य खातों में स्थानान्तरण		
सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण	28694	23067
पूर्व वर्ष के लाभ/हानि को लिया गया	2	2
शेष को तुलनपत्र में भेजा गया	1	2

नोट: कोष्ठक में दिए गए अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

विवरण 24

तुलन पत्र: भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.
(31 मार्च तक)

(लाख रुपये)

निधियों के स्रोत	2008	2007
शेयर पूँजी	90000	80000
मंडार/अधिशेष	91342	62914
उचित मूल्य बदलाव खाता		
उधार	848	
अस्थगित कर देयता		
कुल	182190	142914
निधियों के आवेदन		
निवेश	58621	22808
उधार	1310	1,487
स्थायी संपत्तियाँ		
वर्तमान संपत्तियाँ	12470	12094
नकद और बैंक शेष	227726	260246
अग्रिम और अन्य संपत्तियाँ	11498	9212
उप-कुल (क)	239224	269459
वर्तमान देयताएँ	93293	116173
प्रावधान	37706	48540
उप-कुल (ख)	130999	164713
कुल वर्तमान संपत्तियाँ (ग) = (क-ख)	108225	104745
अस्थगित कर संपत्तियाँ	46	1780
अन्य खर्च (बट्टे खाते में न डाले जाने या समायोजित न होने की सीमा तक)	1518	
लाभ/हानि खाता (डेबिट शेष)		
कुल	182190	142914

विवरण 25
पॉलिसीधारकों के खाते: भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.
(लाख रुपये)

विवरण	2007-08	2006-07
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	63614	55876
निवेश को बेचने/विनिवेश पर लाभ/हानि	56	4
अन्य		
ब्याज, लाभशं/किराया-सकल	9810	6661
कुल (क)	73480	62541
उपगत दावे (सकल)	52954	55075
कमीशन	(2194)	(0)
बीमा कारोबार से संबंधित चालू खर्च	1412	1023
अन्य परिशोधन, बट्टे खाते में लिखना/प्राप्तान	259	211
विदेशी कर		
कुल (ख)	52431	56309
अग्नि/समुद्री/विविध कारोबार से चालू लाभ/हानि		
(ग) = (क-ख)	21049	6232
उपयोग		
शेयरधारकों के खाते में स्थानान्तरण	21049	6232
आपदा के रिजर्व में स्थानान्तरण		
अन्य रिजर्व में स्थानान्तरण		
कुल (ग)	21049	6232

नोट: कोष्ठक में दिए गए अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं।

विवरण 26

अंशधारकों के खाते: भारतीय कृषि बीमा कंपनी इंडिया लि.

विवरण	2007-08	2006-07
	(लाख रुपये)	
वाल् लाम/हानि		
(क) अग्नि बीमा		
(ख) समुद्री बीमा	21049	6232
(ग) विविध बीमा	21049	6232
निवेश से प्राप्त आय		
(क) ब्याज, लाभांश/किराया-सम्पूर्ण	3996	2849
(ख) निवेश की बिक्री पर लाभ	23	2
घटाएँ: निवेश की बिक्री पर हानि		
अन्य आय	13	44
कुल (क)	25081	9127
प्रावधान (कराधान से)		
(क) निवेश के मूल्यों में कमी के लिए	-	19
(ख) अनिश्चित ऋणों के लिए	144	490
(ग) अन्य		
अन्य खर्चे		
(क) वह खर्चे जो बीमा कारोबार से संबंधित हैं	-	4
(ख) वसूले न जाने वाले ऋण बट्टे खाते में डालना	0	91
(ग) अन्य	145	604
कुल (ख)	24936	8523
कर से पहले लाभ	8805	3625
कराधान के लिए प्रावधान	16131	4898
कर के बाद लाभ		
उपयोग		
(क) वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया		
(ख) प्रस्तावित अंतिम लाभांश	2000	
(ग) लाभांश वितरण कर	340	
(घ) किसी रिजर्व या अन्य खातों में स्थानान्तरण		
सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण	13791	4898
पूर्व वर्ष के लाभ/हानि को लिया गया		
शेष को तुलनपत्र में भेजा गया		

नोट: कोष्ठक में दिए गए अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं ।

विवरण 27
तुलन पत्र: भारतीय कृषि बीमा कंपनी
(31 मार्च तक)

विवरण	2008	2007
	(लाख रुपये)	
शेयर पूँजी	20000	20000
भंडार/अधिशेष	32317	18540
उचित मूल्य बदलाव खाता	337	243
उधार		
कुल	52654	38783
निधियों के आवेदन निवेश	87678	69308
उधार	144	146
स्थायी संपत्तियाँ	493	475
अस्थायित कर संपत्तियाँ	343	
वर्तमान संपत्तियाँ		
नकदी और बैंक शेष	72663	74537
अग्रिम और अन्य संपत्तियाँ	22239	15957
उप-कुल (क)	94903	90494
वर्तमान देयताएँ	89388	91997
प्रावधान	41518	29642
उप-कुल (ख)	130906	121639
कुल वर्तमान संपत्तियाँ: (ग) = (क-ख)	(36004)	(31145)
अन्य खर्च (बट्टे खाते में न डाले जाने या समायोजित न होने की सीमा तक)		
लाभ/हानि खाता (डेबिट शेष)		
कुल	52654	38783

नोट: कोष्ठक में दिए गए अंक नकारात्मक राशि के संकेत हैं ।

विवरण 28

गैर जीवन बीमा भारतीय बाजार के शुद्ध प्रतिधारण	
क्षेत्र	देश में प्रतिधारण (प्रतिशत)
अग्नि	75.65
मरिन कार्गो	84.43
मरिन हल	20.01
मोटर	100
इंजीनियरिंग	77.52
उद्ভযন	24.21
विविध	97.11
योग	91.26

भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय

(लाख रुपये)

कंपनी	अग्नि			समुद्री		वाहन		स्वास्थ्य		अन्य		कुल	
	2007-08	2006-07	2005-06	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07
नेशनल	38072	49252	48394	17498	20489	214631	198658	69036	47957	61487	65085	400723	381442
न्यू इंडिया	74343	90998	83963	43728	32102	203430	203473	120942	76529	85249	98618	527692	501720
ओरिएंटल	47820	54007	54689	33906	34783	160838	173939	53263	44854	84986	85269	380814	392852
युनाईटेड	52430	66434	64548	30083	26395	143490	123318	69496	46525	78456	87204	373956	349877
उप-कुल	212665	260691	251594	125216	113769	722388	699388	312737	215865	310179	336177	1683185	1625890
बजाज अलायंज	27349	37031	35140	7518	7125	138637	84387	24340	15826	40149	34266	237992	178634
चोलामंडलम	6830	7798	7283	3266	2656	22441	9716	10938	3860	8758	7143	52234	31173
फ्युवर जनरली	303	-		72	-	177	-	343	-	86	-	981	-
आईएनजी वैश्य	1283	1110	681	329	241	14038	13832	2823	1027	3588	3190	22060	19400
आईसीआईसीआई लॉबार्ड	41735	39383	30847	21672	15524	127907	114255	81589	66497	57809	63248	330712	298907
इपको टोकियो	21517	29102	26329	6643	12826	49919	44890	11402	7189	23334	20440	112815	114447
रिलायंस	14327	14588	4776	3424	1785	126737	45551	27562	6718	22591	22581	194642	91223
रॉयल सुंदरम	6887	9839	9174	1955	1844	40956	30339	10878	9612	8765	8185	69441	59820
टाटा एआईजी	12977	13695	11627	9786	7015	25325	27309	6830	5336	23346	17700	78264	71055
यूनिवर्सल सोम्पो	48	-		-	-	-	-	0	-	-	-	48	-
उप-कुल	133255	152547	114231	54666	49015	546136	370278	176705	116064	188426	176753	1099189	864657
कुल	345921	413238	365825	179882	162784	1268525	1069666	489442	331929	498604	512929	2782374	2490547

शुद्ध प्रीमियम आय (अर्जित)

(लाख रुपये)

	अग्नि			समुद्री	वाहन		स्वास्थ्य		अन्य		कुल	
कंपनी	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07
नेशनल	29117	33836	10817	10235	167841	153428	46806	35756	47272	43501	301853	276757
न्यू इंडिया	97031	94184	18857	16438	194078	198559	82012	30612	89,164	113719	481143	453511
ओरिएंटल	32442	34153	16939	15944	137012	132846	40605	32371	60626	53763	287623	269077
युनाईटेड	43456	41867	12937	10531	106080	94441	48146	32981	59590	57504	270209	237324
उप-कुल	202046	204040	59550	53148	605011	579274	217568	131720	256652	268487	1340828	1236669
बजाज अलायंज	12256	9382	3897	2674	92566	49254	17808	10639	15017	11904	141544	83853
चोलामंडलम	3266	3180	981	709	14073	5195	2967	884	3599	2760	24886	12728
फ्युचर जनरली	(148)		(15)		2		25		8		(129)	
आईएनजी वैश्य	161	157	142	96	12017	11830	1692	500	993	1445	15005	14029
आईसीआईसीआई लॉबार्ड	10865	6982	1830	1224	87333	55105	40662	30593	16028	12761	156718	106665
इफको टोकियो	6364	5481	4207	3035	37945	34613	7223	4656	8228	6975	63967	54760
रिलायंस	3845	2394	1094	621	71660	14918	13617	3017	5788	3476	96003	24426
रॉयल सुंदरम	2144	2920	453	823	29749	20673	8305	5487	3933	3454	44583	33358
टाटा एआईजी	1662	1489	4426	3099	24809	22888	3708	4069	10779	6620	45385	38165
यूनिवर्सल सोम्पो	(43)										(43)	
उप-कुल	40371	31986	17015	12280	370154	214476	95983	59845	64398	49396	587920	367983
कुल	242418	236027	76565	65428	975164	793750	313552	191565	321050	317882	1928748	1604652

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीमालेखन अनुभव तथा लाभ

	न्यू इंडिया		ओरिएंटल		नैशनल		युनाइटेड		कुल	
	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07
शुद्ध प्रीमियम	491428	475177	287868	287973	318798	285536	288066	252953	1386159	1301640
उपगत दावे (सकल)	417748	364361	260222	235886	283884	239422	250628	214206	1212481	1053875
	85.01%	76.68%	90.40%	81.91%	89.05%	83.85%	87.00%	84.68%	87.47%	80.97%
प्रबंधन के खर्चे तथा कमीशन	147834	154348	95496	85385	110159	91952	104916	96222	458406	427906
	30.08%	32.48%	33.17%	29.65%	34.55%	32.20%	36.42%	38.04%	33.07%	32.87%
असमाप्त जोखिम के लिये रिज़र्व में वृद्धि	10285	21666	244	18897	16945	8780	17857	15629	45331	64971
	2.09%	4.56%	0.08%	6.56%	5.32%	3.07%	6.20%	6.18%	3.27%	4.99%
बीमालेखन लाभ और हानि	(84439)	(65198)	(68095)	(52194)	(92190)	(54617)	(85335)	(73104)	(330059)	(245112)
	-17.55%	-14.38%	-23.67%	-19.40%	-30.54%	-19.73%	-31.58%	-30.80%	-24.62%	-19.82%
सकल निवेश आय	234619	225507	114315	116010	118092	105480	157725	131426	624751	578423
अन्य खर्चे कम अन्य आय	1966	1084	(1986)	(853)	(8696)	(5280)	(6576)	(6288)	(15292)	(11337)
कर से पहले लाभ	152146	161393	44235	62964	17206	45583	65814	52034	279400	321974
स्रोत पर आयकर काटा गया तथा कर के लिये प्रावधान	12033	15398	43305	13237	863	3455	2651	(852)	58851	31238
कर के उपरांत शुद्ध लाभ	140113	145995	930	49727	16343	42128	63162	52886	220548	290736

कोष्ठक में आंकड़े नकारात्मक राशि को दर्शाते हैं।

बीमा अनुभव और निजी क्षेत्र की कंपनियों का लाभ

(लाख रुपये)

	रॉयल सुंस्स		बजाज अलियंस		टाटा एआईजी		सिगरस		इस्रो टेक्नो		आईसीआईसीआई लॉबर्ड		चेलामंडलम		एचडीएफसी चब		फ्यूचर जसली	यूनिवर्सल सेम्पो	कुल	
	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07
शुद्ध प्रीमियम	53306	38955	175255	103976	52801	41582	133745	50431	73775	58057	177977	145077	32113	15926	16758	13311	184	(43)	715871	467316
उत्पात दावे (समस्त)	29815	20374	94570	55563	24695	20711	75068	17318	50474	39859	122832	81384	15565	7077	11477	8003	58	0	424555	250289
	55.93%	52.30%	53.96%	53.44%	46.77%	49.81%	56.13%	34.34%	68.42%	68.66%	69.02%	56.10%	48.47%	44.43%	68.49%	60.12%	31.41%	-0.26%	59.31%	53.56%
प्रबंधन के खर्च व कमिशन	19060	13543	50072	26676	23047	18122	48341	10169	19711	16287	42460	30826	10946	5834	6958	6879	1934	726	223254	128337
	35.75%	34.77%	28.57%	25.66%	43.65%	43.58%	36.14%	20.16%	26.72%	28.05%	23.86%	21.25%	34.09%	36.63%	41.52%	51.68%	1052.68%	-1705.14%	31.19%	27.46%
असमाप्त जखिम के लिए रिजर्व में वृद्धि	8723	5597	33711	20123	7417	3418	37741	26006	9808	3297	21258	38413	7227	3198	1753	(718)	312	1	127951	99333
	16.36%	14.37%	19.24%	19.35%	14.05%	8.22%	28.22%	51.57%	13.29%	5.68%	11.94%	26.48%	22.51%	20.08%	10.46%	-5.39%	170.04%	-1.74%	17.87%	21.26%
बीमा लाभ/हानि	(4291)	(559)	(3098)	1615	(2357)	(669)	(27405)	(3062)	(6219)	(1387)	(8573)	(5545)	(1626)	(183)	(3430)	(853)	(2121)	(769)	(59890)	(10642)
	-9.62%	-1.67%	-2.19%	1.93%	-5.19%	-1.75%	-28.55%	-12.53%	-9.72%	-2.53%	-5.47%	-5.20%	-6.53%	-1.43%	-18.53%	-6.77%	1647.72%	1776.26%	-10.19%	-2.89%
सम्पूर्ण निवेश अय	4802	3287	18648	8890	5035	3797	10411	3195	7354	5708	22448	13590	2643	1574	1440	1463	542	881	74205	41504
अन्य अय से कम अन्य खर्च	-34	(11)	1240	1198	14	177	711	91	50	(76)	(852)	(33)	37	(12)	313	(359)	(123)	(151)	1204	975
कर से पहले लाभ	477	2718	16790	11703	2692	3305	(16284)	224	1186	4245	13022	8012	1054	1379	(1677)	250	(1701)	(39)	15519	31837
कर के लिए प्रोत और उम्ब्र पर कट गया आयकर	6	600	6228	4166	1075	1148	271	61	470	1533	2735	1176	330	130	23	50	8	(9)	11136	8863
कर के उपरान्त शुद्ध लाभ	471	2119	10562	7537	1617	2157	(16555)	163	716	2713	10287	6836	724	1249	(1700)	200	(1709)	(30)	4383	22974

नोट कोष्ठक में दिए गए अंक नम्रस्वत्मक राशि के समेत हैं।

उपगत दावों का अनुपात-सार्वजनिक क्षेत्र

विवरण	शुद्ध अर्जित प्रीमियम										उपगत दावे (शुद्ध)				उपगत दावों का अनुपात												
	अग्नि	समुद्री	वाहन	स्वास्थ्य	अन्य	2007-08	2006-07	अग्नि	समुद्री	वाहन	स्वास्थ्य	अन्य	2007-08	2006-07	अग्नि	समुद्री	वाहन	स्वास्थ्य	अन्य	2007-08	2006-07						
	(लाख रुपये)										(लाख रुपये)										(प्रतिशत)						
नेशनल	29117	10817	167841	46806	47272	301853	276757	24447	10006	170449	55238	23743	283884	239422	83.96	92.50	101.55	118.01	50.23	94.05	86.51						
न्यू इंडिया	97031	18857	194078	82012	89164	481143	453511	60160	15824	209996	73801	57967	417748	364361	62.00	83.91	108.20	89.99	65.01	86.82	80.34						
ओरिएंटल	32442	16939	137012	40605	60626	287623	269077	31038	11007	136423	50256	31499	260222	235886	95.67	64.98	99.57	123.77	51.96	90.47	87.66						
युनाईटेड	43456	12937	106080	48146	59590	270209	237324	30400	12397	116943	65170	25718	250628	214206	69.96	95.83	110.24	135.36	43.16	92.75	90.26						
कुल	202046	59550	605011	217568	256652	1340828	1236669	146044	49234	633811	244465	138927	1212481	1053875	72.28	82.68	104.76	112.36	54.13	90.43	85.22						

उपगत दावों का अनुपात— निजी क्षेत्र
उपगत दावे (शुद्ध)

विवरण	शुद्ध अर्जित प्रीमियम							उपगत दावे (शुद्ध)							उपगत दावों का अनुपात						
	अग्नि	समुद्री	वाहन	स्वास्थ्य	अन्य	2007-08	2006-07	अग्नि	समुद्री	वाहन	स्वास्थ्य	अन्य	2007-08	2006-07	अग्नि	समुद्री	वाहन	स्वास्थ्य	अन्य	2007-08	2006-07
	(लाख रुपये)							(लाख रुपये)							(प्रतिशत)						
रॉयल सुंदरम	2144	453	29749	8305	3933	44584	33358	929	367	22856	3719	1944	29815	20374	43.34	80.95	76.83	44.78	49.44	66.87	61.08
बजाज अलायंज	12256	3897	92566	17808	15017	141544	83853	4976	3166	61817	15171	9439	94570	55563	40.60	81.25	66.78	85.19	62.86	66.81	66.26
टाटा एआईजी	1662	4426	24809	3708	10779	45384	38165	657	3612	15305	2778	2344	24695	20711	39.50	81.61	61.69	74.93	21.74	54.41	54.27
रिलायंस	3845	1094	71660	13617	5788	96003	24426	2674	1288	53013	15269	2824	75068	17318	69.54	117.72	73.98	112.14	48.79	78.19	70.90
इफको टोकियो	6364	4207	37945	7223	8228	63967	54760	4226	4301	28976	8750	4221	50474	39859	66.40	102.24	76.36	121.14	51.30	78.91	72.79
आईसीआईसीआई लोबार्ड	10865	1830	87333	40662	16028	156718	106665	5794	3220	66505	40170	7143	122832	81384	53.33	175.98	76.15	98.79	44.57	78.38	76.30
चोलामंडलम	3266	981	14073	2967	3599	24886	12728	1172	978	9353	2761	1302	15565	7077	35.88	99.73	66.46	93.04	36.16	62.55	55.60
एचडीएफसी वब	161	142	12017	1692	993	15005	14029	34	132	8491	2411	409	11477	8003	20.80	93.35	70.66	142.46	41.25	76.49	57.05
फ्यूचर जनरली	(148)	(15)	2	25	8	(129)		3	4				50	58	(2)	(25)			650.71	(45)	
आईएनजी वैश्य	(43)	0	0	0	0	(43)		0		0			0		(0)						
कुल	40372	17015	370154	96008	64371	587920	367983	20464	17069	266316	91030	29677	424555	250289	50.69	100.32	71.95	94.81	46.10	72.21	68.02

बीमाकर्ताओं की इक्विटी शेयर पूँजी

(रुपये करोड़ में)

बीमाकर्ताओं के नाम	2006-07	वर्ष के दौरान समायोजन	2007-08	भारतीय प्रीमियम	विदेशी प्रीमियम	एफडीआई (%)
बीमाकर्ता						
अविवा लाइफ इश्योरेंस कं. प्रा. लि.	758.20	246.30	1004.50	743.33	261.17	26.00%
बजाज अलायज लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	150.37	0.34	150.71	111.52	39.18	26.00%
भारती एक्सा लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	150.00	216.11	366.11	284.75	81.36	22.22%
बिला सन लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	671.50	603.00	1274.50	943.13	331.37	26.00%
पयुवर जनरली लाइफ इश्योरेंस कं. लि.			185.00	137.83	47.18	25.50%
एचडीएफसी स्टैंडर्ड्स लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	801.26	469.74	1271.00	940.54	330.46	26.00%
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	1312.30	88.81	1401.11	1037.48	363.63	25.95%
आईसीआई फोर्टिस लाइफ इश्योरेंस कं. लि.			200.00	148.00	52.00	26.00%
आईएनजी वैश्य लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	690.00	100.00	790.00	584.60	205.40	26.00%
कोटक महिन्दा ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	330.35	149.93	480.27	355.40	124.87	26.00%
मैक्स न्यूवर्क लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	732.43	300.00	1032.43	764.00	268.43	26.00%
मैटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कं. प्रा. लि.	530.00	231.08	761.08	563.20	197.88	26.00%
रिलायंस लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	664.00	483.70	1147.70	1147.70	-	0.00%
सहारा इंडिया लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	157.00	75.00	232.00	232.00	-	0.00%
एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	500.00	500.00	1000.00	740.00	260.00	26.00%
श्रीराम लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	125.00	0.00	125.00	92.50	32.50	26.00%
टाटा एआईजी लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	547.00	323.00	870.00	643.80	226.20	26.00%
उप-कुल (निजी क्षेत्र)	8119.41	3787.01	12291.42	9469.78	2821.63	22.96%
भारतीय जीवन बीमा निगम	5.00	0.00	5.00			
कुल (जीवन)	8124.41	3787.01	12296.42	9469.78	2821.63	22.95%
नैर बीमा कंपनियाँ						
बजाज अलायज जनरल इश्योरेंस कं. लि.	110.13	0.09	110.23	81.57	28.66	26.00%
चौलासहलम एमएस जनरल इश्योरेंस कं. लि.	141.96	0.00	141.96	105.05	36.91	26.00%
पयुवर जनरली इंडिया इश्योरेंस कं. लि.			150.00	111.75	38.25	25.50%
एचडीएफसी चब्र जनरल इश्योरेंस कं.	125.00	25.00	150.00	111.00	39.00	26.00%
आईसीआईसीआई लॉबार्ड जनरल इश्योरेंस कं.	335.71	41.65	377.36	279.47	97.89	25.94%
इफको टेकनियो जनरल इश्योरेंस कं.	220.00	0.00	220.00	162.80	57.20	26.00%
हिलास जनरल इश्योरेंस कं. लि.	103.07	4.08	107.15	107.15	-	0.00%
जेंटल सुल्स अलायस इश्योरेंस कं. लि.	140.00	30.00	170.00	125.80	44.20	26.00%
टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कं. लि.	225.00	0.00	225.00	166.50	58.50	26.00%
यूनिवर्सल सोमो इश्योरेंस कं. लि.			150.00	111.00	39.00	26.00%
उप-कुल (निजी क्षेत्र)	1400.87	100.83	1801.70	1362.09	439.61	24.40%
नेशनल इश्योरेंस कं. लि.						
न्यू इंडिया इश्योरेंस कं. लि.	100.00	0.00	100.00	100.00	-	0.00%
ओरिएंटल इश्योरेंस कं. लि.	200.00	0.00	200.00	200.00	-	0.00%
युनाईटेड इंडिया इश्योरेंस कं. लि.	100.00	0.00	100.00	100.00	-	0.00%
उप-कुल (सार्वजनिक क्षेत्र)	150.00	0.00	150.00	150.00	-	0.00%
उप-कुल (गैर जीवन)	550.00	0.00	550.00	550.00	-	0.00%
भारतीय कृषि बीमा कंपनी	1950.87	100.83	2351.70	1912.09	439.61	18.69%
अगोला डोकैबी इश्योरेंस कं. लि.	200.00	0.00	200.00	200.00	-	0.00%
निर्यात ऋण गारंटी निगम			100.55	74.54	26.01	25.87%
भारतीय साधारण बीमा निगम	800.00	100.00	900.00	900.00	-	0.00%
स्टार हेल्थ एंड एलाइड इश्योरेंस कं. लि.	430.00	0.00	430.00	430.00	-	0.00%
कुल	105.00	3.60	108.60	80.97	27.63	25.44%
	11610.28	3991.43	16387.27	13067.38	3314.89	20.23%

नोट: * बीमा कंपनियाँ ने 2007-08 में कार्य शुरू किये

बीमाकर्तृओं और विभिन्न मध्यवर्तियों की शुल्क संरचना

क्र. सं.	प्रक्रियात्मक शुल्क	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण शुल्क	नवीनीकरण की सम्पत्तिमा	
1	बीमाकर्ता (जीवन/गैर जीवन/पुनर्बीमा)		50,000 रु.	भारत में किए गए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम में से एक प्रतिशत का दसवां हिस्सा न्यूनतम 50000 रु. और अधिकतम 5 करोड़ रु.	हर वर्ष (31 दिसम्बर)
2	तृतीय पक्ष प्रशासक	20,000 रु.	30,000 रु.	30,000 रु.	3 वर्ष
3	ब्रोकर प्रत्यक्ष ब्रोकर		अवेदन शुल्क : 20,000 रु. नवीनीकरण शुल्क : 1000 रु.	फिरसे वित्तीय वर्ष में अर्जित पारिश्रमिक का 0.5 प्रतिशत न्यूनतम 25,000 रु. और अधिकतम 1,00,000 रु.	3 वर्ष
	पुनर्बीमा ब्रोकर		अवेदन शुल्क : 25,000 रु. नवीनीकरण शुल्क : 1000 रु.	फिरसे वित्तीय वर्ष में अर्जित पारिश्रमिक का 0.5 प्रतिशत न्यूनतम 75,000 रु. और अधिकतम 3,00,000 रु.	3 वर्ष
4	संयुक्त ब्रोकर संस्केपक और हानि निर्धारक व्यक्तिगत श्रेणी		अवेदन शुल्क 40,000 रु. नवीनीकरण शुल्क 1000 रु.	फिरसे वित्तीय वर्ष में अर्जित पारिश्रमिक का 0.5 प्रतिशत न्यूनतम 1,25,000 रु. और अधिकतम 5,00,000 रु.	3 वर्ष
	ख ग		10,000 रु. 7,500 रु. 5000 रु.		5 वर्ष
	कॉर्पोरेट श्रेणी	क	25,000 रु. 20,000 रु. 15,000 रु.	प्रत्येक श्रेणी में 200 रु.	5 वर्ष
5	कॉर्पोरेट एजेंट		कॉर्पोरेट बीमा कार्यपालक के लिए 250 रु, निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए 500 रु.	250 रु.	3 वर्ष

जीवन बीमाकर्ताओं के निवेशों के निधिवार पैटर्न (31 मार्च तक)

(करोड़ रु.)

बीमाकर्ता का नाम	जीवन निधि											
	के. सरकार सिक्थोरिटीज		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित सिक्थोरिटीज के. सरकार सिक्थोरिटीज		संरचना निवेश		निवेश मानदंडों के अधीन निवेश (ओटीएआई सहित)		अनुमोदित निवेश के अलावा (ओटीएआई)		कुल (जीवन निधि)	
	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07
भारतीय जीवन बीमा निगम	243521	227677	307615	272579	65054	67616	153436	113245	35085	29443	526105	453440
कुल सार्वजनिक क्षेत्र (क)	243521	227677	307615	272579	65054	67616	153436	113245	35085	29443	526105	453440
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1095	464	1179	726	365	251	676	407	50	25	2220	1384
मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	897	696	1014	709	429	239	346	214	160	62	1789	1162
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1353	974	1422	974	452	308	861	550	352	108	2735	1833
बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	234	193	298	193	138	74	154	106	57	21	590	374
टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1092	863	1092	863	310	203	227	88	24	3	1628	1154
कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	330	200	355	255	122	78	164	113	20	9	641	446
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1503	932	1867	1107	652	400	855	600	196	168	3374	2107
बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	647	617	1344	755	405	245	794	507	81	72	2543	1508
मैट लाइफ इंश्योरेंस कं. प्रा. लि.	275	257	352	257	177	105	79	91	30	33	608	452
रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	236	123	265	149	79	48	136	91	16	25	479	288
आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	255	287	379	303	154	99	178	193	47	53	712	595
अविवा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	229	223	229	223	95	80	94	90	0	0	418	392
सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	84	47	147	81	56	30	67	48	14	10	270	159
श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस	78	74	88	74	26	35	55	37	9	14	170	146
भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	79	38	98	62	30	25	49	30	7	2	178	116
आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	45	0	108	0	32	0	9	0	0	0	150	0
फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	104	0	104	0	25	0	12	0	1	0	141	0
कुल निजी क्षेत्र (ख)	8534	5988	10342	6730	3547	2221	4757	3164	1064	605	18645	12115
उद्योग योग (क+ख)	252055	233664	317957	279309	68600	69637	158193	116410	36149	30049	544750	465555

टिप्पणी :

जारी

1. एलआईसी द्वारा बताए गए आंकड़े अस्थायी रिटर्न्स पर आधारित हैं

पेंशन और सामान्य वार्षिकी निधि

बीमाकर्ता का नाम	के. सरकार सिक्योरिटीज		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित सिक्योरिटीज के सरकार सिक्योरिटीज		निवेश मानदंडों के अधीन निवेश		कुल (पेंशन निधि)	
	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07
भारतीय जीवन बीमा निगम	21266	18712	30973	28591	9228	6471	40200	35062
कुल सार्वजनिक क्षेत्र (क)	21266	18712	30973	28591	9228	6471	40200	35062
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	215	161	228	207	264	180	492	387
मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	29	20	32	20	6	2	38	22
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	350	286	391	286	359	253	750	540
बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	3	0	3	0	4	0	7	0
टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	83	84	83	84	84	47	167	131
कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	21	11	22	13	16	12	38	25
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	430	240	763	328	825	434	1587	762
बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	27	25	33	26	10	4	43	29
मैट लाइफ इंश्योरेंस कं. प्रा. लि.	4	0	4	0	0	0	4	0
रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	48	43	74	47	72	57	146	104
अविवा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस	0	0	0	0	0	0	0	0
भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल निजी क्षेत्र (ख)	1210	871	1633	1012	1641	989	3274	2001
उद्योग योग (क+ख)	22475	19583	32605	29603	10868	7460	43474	37064

टिप्पणी :

जारी

1. एलआईसी द्वारा बताए गए आंकड़े अस्थायी रिटर्न्स पर आधारित हैं

सामूहिक पेंशन और वार्षिकी निधि के अलावा समूह

बीमाकर्ता का नाम	के. सरकार सिक्योरिटीज़		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित सिक्योरिटीज़ के. सरकार सिक्योरिटीज़		निवेश मानदंडों के अधीन निवेश		कुल (सामूहिक निधि)	
	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07
भारतीय जीवन बीमा निगम	22827	21808	30352	26223	9839	8223	40191	34446
कुल सार्वजनिक क्षेत्र (क)	22827	21808	30352	26223	9839	8223	40191	34446
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
मैक्स न्यूयार्क लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	24	4	24	4	8	2	32	6
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
बिरला सन लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
टाटा एआईजी लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	108	0	108	0	24	0	132	0
कोटक महिन्द्रा लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	19	9	20	11	6	5	26	17
एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
बजाज अलायंस लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	8	16	19	22	12	2	31	24
मैट लाइफ इश्योरेंस कं. प्रा. लि.	10	12	10	12	0	1	10	12
रिलायंस लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
आईएनजी वैश्य लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
अविवा लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	5	3	5	3	4	2	9	5
सहारा इंडिया लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	0	0	1	1	0	0	1	1
श्रीराम लाइफ इश्योरेंस	0	0	0	0	0	0	0	0
भारती एक्सा लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	1	0	1	0	0	0	1	0
आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	2	0	2	0
कुल निजी क्षेत्र (ख)	175	44	187	52	57	13	244	65
उद्योग योग (क+ख)	23003	21852	30539	26275	9896	8236	40435	34511

टिप्पणी :

जारी

1. एलआईसी द्वारा बताए गए आंकड़े अस्थायी रिटर्न्स पर आधारित हैं

यूनिट लिंकड निधि

बीमाकर्ता का नाम	अनुमोदित निवेश		अनुमोदित निवेश के अलावा (ओटीएआई)		कुल (यूलिप निधि)		कुल (सभी निधियाँ)	
	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07
भारतीय जीवन बीमा निगम	55624	30187	12355	6065	67978	36252	674475	559201
कुल सार्वजनिक क्षेत्र (क)	55624	30187	12355	6065	67978	36252	674475	559201
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	5656	2926	561	279	6217	3205	8929	4976
मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1353	536	374	114	1727	650	3587	1840
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	19425	10805	3488	1122	22913	11926	26398	14299
बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	5393	3186	808	192	6201	3378	6798	3752
टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1599	703	292	149	1891	852	3818	2137
कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2079	1221	230	76	2309	1297	3014	1785
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	4008	1321	1057	325	5065	1646	10027	4516
बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	8911	4005	1356	766	10267	4771	12884	6331
मैट लाइफ इंश्योरेंस कं. प्रा. लि.	900	241	241	53	1141	295	1762	760
रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	3019	800	571	117	3590	917	4069	1205
आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1116	460	189	97	1305	557	557	1256
अविवा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1960	1073	295	104	2255	1177	2682	1575
सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	95	36	31	3	126	39	398	199
श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस	320	83	18	1	338	85	507	230
भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	47	4	6	1	53	5	231	121
आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	8	0	0	0	8	0	158	0
फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	0	0	0	0	0	0	143	0
कुल निजी क्षेत्र (ख)	55887	27400	9516	3397	65404	30798	87566	44979
उद्योग योग (क+ख)	111511	57587	21871	9463	133382	67050	762041	604180

टिप्पणी :

1.एलआईसी द्वारा बताए गए आंकड़े अस्थायी रिटर्न्स पर आधारित हैं

31.03.2008 तक गैर जीवन बीमा निवेश

बीमाकर्ता का नाम	के सस्तर सिस्टीमिटीज		राज्य सस्तर और अन्य अमोदित सिस्टीमिटीज के सस्तर सिस्टीमिटीज		अवास और अमिशमन उपकरणों के लिए ऋण		संरचना निवेश		निवेश मानदंडों के अधीन निवेश (अवेएआई सहित)		अमोदित निवेश के अलावा (अवेएआई)		कुल (निवेश)	
	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07	31-मार्च-08	31-मार्च-07
जैआर्सी ऑफ इंडिया	3231	2997	4848	4467	1015	1047	1556	1515	8476	7321	1630	1585	15895	14350
द न्यू इंडिया इश्योर्स कंमी लि	3202	3349	4544	4820	977	906	1783	1279	3932	4004	435	478	11236	11009
नेशनल इश्योर्स कंमी लि	1447	1400	2003	1983	489	524	877	837	2331	2036	583	402	5700	5380
युनइटेड इंडिया इश्योर्स कंमी लि	1708	1653	2793	2791	406	434	811	730	4033	3337	870	807	8042	7291
द ओरिएंटल इश्योर्स कंमी लि	2033	1929	2715	2546	248	280	817	690	2563	2625	405	413	6343	6140
सर्वोन्निक क्षेत्र (क)	11620	11328	16903	16606	3135	3191	5843	5051	21335	19323	3923	3685	47216	44171
रिलयंस जनरल इश्योर्स कंमी लि	434	191	444	201	115	54	256	96	495	282	136	53	1311	633
रॉयल सुंदरम अलांस इश्योर्स कंमी लि	153	134	223	174	75	60	170	130	154	139	5	5	621	502
इको-टेक्नो जनरल इश्योर्स कंमी लि	329	285	329	285	82	74	131	115	343	260	0	0	886	733
टाटा - एलईवी इश्योर्स कंमी लि	216	314	379	314	49	37	134	74	120	103	4	9	682	528
कजाज अलरॉज जनरल इश्योर्स कंमी लि	419	375	641	439	175	97	337	161	861	722	26	40	2014	1419
आईआईआईआई लेमार्ड जनरल इश्योर्स कंमी लि	513	375	870	617	153	164	645	400	808	688	182	68	2476	1870
सुहरेख एफ एलईड इश्योर्स कंमी लि	47	31	47	31	20	25	15	10	34	27	5	0	116	94
बेलगंजम एमएस जनरल इश्योर्स कंमी लि	129	131	129	131	25	26	40	40	135	57	17	10	330	254
एक्सीरसी एनो जनरल इश्योर्स कंमी लि	72	68	72	68	20	15	35	25	94	70	34	14	221	178
यूनिवर्सल सेम्पो जनरल इश्योर्स कंमी लि	45	0	70	0	17	0	25	0	111	0	0	0	222	0
फ्यूचर जनेसे इश्योर्स कंमी लि	62	0	62	0	20	0	20	0	24	0	10	0	125	0
अगोले डेवेरी इश्योर्स कंमी लि	14	0	18	0	5	0	8	0	29	0	0	0	59	0
निजी क्षेत्र (स)	2434	1903	3283	2260	756	551	1816	1052	3208	2349	419	199	9064	6212
योग (कमस)	14054	13232	20187	18867	3891	3742	7660	6102	24543	21672	4342	3884	56280	50383

विवरण 39

शिकायतों की स्थिति-जीवन बीमाकर्ता (2007-08)

क्र. सं.	बीमाकर्ता	वर्ष के दौरान दाखिल किए गए	वर्ष के दौरान सुलझाए गए	31 मार्च 2008 के अनुसार लंबित
1	अविवा	127	110	17
2	बजाज अलायंज	403	328	75
3	भारती एक्सा	0	0	0
4	बीएसएलआई	67	55	12
5	फ्यूचर जनरली	0	0	0
6	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	106	50	56
7	आईसीआईसीआई मू	233	212	21
8	आईएनजी वैश्य	26	20	6
9	कोटक महिन्द्रा	51	37	14
10	एलआईसी	651	80	571
11	एमएनवाईएल	84	57	27
12	मैट लाइफ	49	22	27
13	रिलायंस लाइफ	89	77	15
14	सहारा लाइफ	2	1	1
15	एसबीआई लाइफ	101	86	15
16	श्रीराम लाइफ	2	0	2
17	टाटा एआईजी	66	48	18
	कुल	2057	1180	877

विवरण 40

शिकायतों की स्थिति – गैर-जीवन बीमाकर्ता (2007-08)									
क्र. संख्या	बीमाकर्ता	31 मार्च, 2007 तक विलंबित	अवधि के दौरान दायित्व	अवधि के दौरान सुलझाए गए	31 मार्च, 2008 तक विलंबित	शिकायतों के आधार पर वर्गीकरण			
						(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	ओरिएंटल	21	272	221	72	46	9	15	2
2	न्यू इंडिया	189	366	283	272	83	127	53	9
3	युनाइटेड	135	351	368	118	44	31	39	4
4	नेशनल	172	341	295	218	53	132	23	10
5	ईसीजीसी	0	7	5	2	0	0	2	0
6	बजाज अलायंस	5	110	91	24	13	7	4	0
7	टाटा एआईजी	34	135	127	42	31	4	7	0
8	रॉयल सुन्दरम	9	65	62	12	3	3	6	0
9	इम्को टोकियो	8	61	43	26	13	7	5	1
10	रिलायंस	7	99	82	24	9	7	5	3
11	वोलामण्डलम	3	37	15	25	12	9	4	0
12	आइसीआईसीआई लोबार्ड	37	371	371	37	24	9	2	2
13	एवडीएफसी जनरल	3	12	11	4	3	1	0	0
14	एआईसी	0	2	2	0	0	0	0	0
	योग	623	2229	1976	876	334	346	165	31

- (i) पॉलिसी से संबंधित मामले
(ii) दावों का गैर निर्धारण/निपटान में विलंब
(iii) दावों का अस्वीकरण/आंशिक निर्धारण
(iv) अन्य कारण

विवरण 41

क्र. संख्या बीमाकर्ता		शिकायतों की स्थिति – गैर-जीवन बीमाकर्ता (अर्द्ध वर्ष समाप्ति सितंबर, 2008)				शिकायतों के आधार पर वर्गीकरण			
		31 मार्च, 2007 तक विलंबित	अवधि के दौरान दायित्व	अवधि के दौरान सुलझाए गए	31 मार्च, 2008 तक विलंबित				
1	ओरिएंटल	72	86	89	69	(i) 29	(ii) 19	(iii) 19	(iv) 2
2	न्यू इंडिया	272	177	153	296	93	141	59	3
3	युनाइटेड	118	155	142	131	34	50	45	2
4	नेशनल	218	154	153	219	53	137	28	1
5	ईसीजीसी	2	1	3	0	0	0	0	0
6	बजाज अलायंस	24	69	57	36	16	10	8	2
7	टाटा एआईजी	42	78	97	23	19	1	0	3
8	रॉयल सुन्दरम	12	42	47	7	3	1	3	0
9	इम्फो टोकियो	26	36	40	22	10	10	2	0
10	रिलायंस	24	143	127	40	20	13	6	1
11	चोलामण्डलम	25	21	31	15	3	5	6	1
12	आईसीआईसीआई लोबार्ड	37	200	174	63	43	15	3	2
13	एचडीएफसी जनरल	4	4	8	0	0	0	0	0
14	एआईसी	0	1	1	0	0	0	0	0
15	स्टार हैल्थ	0	13	13	0	0	0	0	0
16	अपोलो डीकेवी हैल्थ	0	2	2	0	0	0	0	0
17	पद्मकर जनरली	0	1	0	1	1	0	0	0
18	युनीवर्सल सोमो	0	0	0	0	0	0	0	0
19	श्रीराम	0	0	0	0	0	0	0	0
20	भारती एक्सा	0	0	0	0	0	0	0	0
योग		876	1183	1137	922	324	402	179	17

- (i) पॉलिसी से संबंधित मामले
(ii) दावों का गैर निर्धारण/निपटान में विलंब
(iii) दावों का अस्वीकरण/आंशिक निर्धारण
(iv) अन्य कारण

तृतीय पक्ष प्रशासक – दावे आंकड़े : 2007-08

क्र. सं.	टीपीए का नाम	प्राप्त दावों की सं.	निपटार गए दावों की संख्या	1 माह के 3-6 माह 6 माह से		
				अंदर	अंदर	अधिक
1	पारेख हेल्थ मेनेजमेंट	14305	9490	3552	160	13
			(66.34)	(२5.11)	(1.12)	(0.06)
2	मेडी एसिस्ट इंडिया प्रा लि	210089	117984	57024	8141	2358
			(56.16)	(२7.14)	(3.88)	(1.12)
3	एमसी इंडिया हेल्थकेयर सर्विस (प्रा) लि	108730	93026	2356	410	शून्य
			(85.56)	(२.17)	(0.38)	
4	पैरामाउन्ट हेल्थ सर्विसेज प्रा लि	325176	319173	8376	593	88
			(98.15)	(२.56)	(0.16)	(0.03)
5	ई – मेडीटेक सॉल्यून्स लि	217799	189659	16220	4969	शून्य
			(87.08)	(7.45)	(२.28)	0
6	हेरिटेज हेल्थ सर्विसेज	36884	21329	11697	2144	279
			(58.14)	(३1.89)	(5.84)	(0.76)
7	यूनिर्सल मेडीएड सर्विसेज लि	1232	855	295	117	शून्य
			(69.40)	(२3.94)	(9.50)	
8	मेडीकेयर टीपीए सर्विसेज (प्राई) प्रा लि	64238	43039	7332	156	58
			(67.00)	(11.41)	(0.24)	(0.06)
9	फॉर्मिटी हेल्थ प्लान लि	215396	147064	61129	शून्य	शून्य
			(68.28)	(२8.38)		
10	व्हा टीपीए प्रा लि	95451	76745	10806	2512	शून्य
			(80.40)	(11.32)	(२.63)	
11	टीटीके हेल्थकेयर सर्विसेज प्रा लि	289709	246766	22607	3840	2987
			(85.18)	(7.80)	(1.33)	(1.03)
12	ईस्ट वेस्ट एसिस्ट प्रा लि	2894	1693	527	86	11
			(58.50)	(18.21)	(२.97)	(0.38)
13	मेड सेम हेल्थ केयर लि	81740	41777	25488	2916	258
			(51.11)	(३1.16)	(3.57)	(0.32)
14	जोनिस् इंडिया लि	106543	72316	24145	9828	1889
			(67.87)	(२2.66)	(9.22)	(1.77)
15	अलकित हेल्थ केयर	17961	11559	5813	2397	1400
			(64.38)	(३2.36)	(13.35)	(8.13)
16	\$ हेल्थ इंडिया टीपीए सर्विसेज प्रा लि	80464	60898	14710	2370	शून्य
			(75.06)	(18.28)	(२.95)	
17	गुड हेल्थ प्लान लि	14017	12584	6	1	शून्य
			(89.78)	(0.04)	(0.01)	
18	विपुल मेड क्रॉस प्रा लि	57784	17181	22785	7130	3156
			(२9.73)	(३9.43)	(12.34)	(5.46)
19	पार्क मेडिकल्स कन्सल्टंट प्रा लि	17064	9595	5397	500	98
			(56.23)	(३1.63)	(२.93)	(0.57)
20	सेफवे मेडीक्सेम सर्विसेज	209	125	23	2	शून्य
			(59.89)	(11.00)	(0.96)	
21	अननल मेडीकेयर लि	18	4	4	शून्य	शून्य
			(२2.22)	(२2.22)		
22	डेडीकोरिड हेल्थकेयर सर्विसेज (इंडिया) प्रा लि	29356	21018	2498	636	शून्य
			(71.80)	(8.51)	(२.17)	
23	गौड हेल्थकेयर इंडिया प्रा लि	शून्य	-	-	-	-
24	रोषा शील्ड हेल्थकेयर	शून्य	-	-	-	-
25	श्री नाकेल्स	शून्य	-	-	-	-
26	फोकस हेल्थकेयर	शून्य	-	-	-	-
27	अन्युता मेडीमैट हेल्थकेयर प्रा लि	शून्य	-	-	-	-
कुल		1986859	1513375	302830	48908	12660
			(76.17)	(15.24)	(२.46)	(0.64)

टिप्पणी : कोष्ठक के आकड़े कुल प्राप्त दावों का अनुपात (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

\$ इसका पूर्व नाम नाई चंद अजीतक इस सर्विसेज प्रा लि है।

विभिन्न केन्द्रों पर लोकपाल के कार्यों का स्तर
31 मार्च 2008 की समाप्ति तक शिकायतों का निपटान (जीवन बीमा संयुक्त)

लोकपाल केन्द्र	31.3.2007 को ओ/एस	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	निपटाई गई शिकायतों की संख्या इस तरह							अवधिवार निपटान				अवधिवार बकाया			
				1	2	3	4	5	6	कुल	7	8	9	कुल	7	8	9	कुल
अहमदाबाद	26	131	157	0	27	12	0	49	58	146	93	52	1	146	5	6	0	11
भोपाल	2	555	557	0	10	11	0	33	490	544	519	25	0	544	12	1	0	13
भुवनेश्वर	140	201	341	10	52	64	0	0	78	204	103	34	67	204	23	60	54	137
चंडीगढ़	46	515	561	0	219	183	0	95	3	500	488	12	0	500	61	0	0	61
चेन्नई	7	705	712	1	31	33	0	54	588	707	699	6	2	707	5	0	0	5
दिल्ली	127	108	235	1	201	2	0	8	0	212	34	132	46	212	18	5	0	23
गुवाहाटी	23	155	178	62	35	0	0	0	65	162	91	71	0	162	16	0	0	16
हैदराबाद	13	524	537	0	14	11	0	50	455	530	530	0	0	530	7	0	0	7
कोच्ची	28	235	263	0	37	4	2	42	162	247	193	54	0	247	15	1	0	16
कोलकाता	87	726	813	39	45	66	112	147	340	749	468	281	0	749	64	0	0	64
लखनऊ	52	970	1022	10	170	336	0	3	487	1006	970	36	0	1006	15	1	0	16
मुम्बई	52	740	792	0	126	0	0	0	645	771	649	122	0	771	13	8	0	21
कुल	603	5565	6168	123	967	722	114	481	3371	5778	4837	825	116	5778	254	82	54	390
1 सिफारिशें		6 कार्रवाई योग्य नहीं																
2 प्रदान करना		7 3 माह के अंदर																
3 वापसी/निपटान		8 3 माह से 1 वर्ष																
4 अस्वीकार		9 1 वर्ष से अधिक																
5 रह																		

विभिन्न केन्द्रों पर लोकपाल के कार्यों का स्तर
31 मार्च 2008 की समाप्ति तक शिकायतों का निपटान (गैर जीवन बीमा)

लोकपाल केन्द्र	31.3.2007 को ओ/एस	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	निपटाई गई शिकायतों की संख्या इस तरह							अवधिवार निपटान				अवधिवार बकाया			
				1	2	3	4	5	6	कुल	7	8	9	कुल	7	8	9	कुल
अहमदाबाद	60	406	466	0	167	65	0	112	65	409	186	223	0	409	48	9	0	57
भोपाल	5	188	193	1	9	25	0	16	128	179	166	13	0	179	13	1	0	14
भुवनेश्वर	204	90	294	0	62	9	0	0	16	87	12	12	63	87	23	50	134	207
चंडीगढ़	78	686	764	0	349	118	0	153	59	679	576	103	0	679	85	0	0	85
चेन्नई	12	550	562	0	63	30	0	46	386	525	479	46	0	525	37	0	0	37
दिल्ली	310	337	647	6	175	7	83	165	16	452	38	289	125	452	95	98	2	195
गुवाहाटी	50	234	284	82	57	0	0	4	35	178	61	117	0	178	42	64	0	106
हैदराबाद	35	501	536	0	145	67	0	60	237	509	499	10	0	509	27	0	0	27
कोच्ची	36	285	321	0	59	5	2	59	154	279	194	85	0	279	39	3	0	42
कोलकाता	220	768	988	137	102	86	0	55	492	872	515	357	0	872	44	72	0	116
लखनऊ	1	269	270	0	32	175	0	5	58	270	269	0	1	270	0	0	0	0
मुम्बई	333	986	1319	3	477	10	0	0	686	1176	527	647	2	1176	72	71	0	143
कुल	1344	5300	6644	229	1697	597	85	675	2332	5615	3522	1902	191	5615	525	368	136	1029

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1 सिफारिशें | 6 कार्रवाई योग्य नहीं |
| 2 प्रदान करना | 7 3 माह के अंदर |
| 3 वापसी/निपटान | 8 3 माह से 1 वर्ष |
| 4 अस्वीकार | 9 1 वर्ष से अधिक |
| 5 रद्द | |

विभिन्न केन्द्रों पर लोकपाल के कार्यों का स्तर
31 मार्च 2008 की समाप्ति तक शिकायतों का निपटान (जीवन और गैर-जीवन बीमा संयुक्त)

लोकपाल केन्द्र	31.3.2007 को ओ/एस	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	निपटाई गई शिकायतों की संख्या इस तरह							अवधिवार निपटान				अवधिवार बकाया			
				1	2	3	4	5	6	कुल	7	8	9	कुल	7	8	9	कुल
अहमदाबाद	86	537	623	0	194	77	0	161	123	555	279	275	1	555	53	15	0	68
भोपाल	7	743	750	1	19	36	0	49	618	723	685	38	0	723	25	2	0	27
भुवनेश्वर	344	291	635	10	114	73	0	0	94	291	115	46	130	291	46	110	188	344
चंडीगढ़	124	1201	1325	0	568	301	0	248	62	1179	1064	115	0	1179	146	0	0	146
चेन्नई	19	1255	1274	1	94	63	0	100	974	1232	1178	52	2	1232	42	0	0	42
दिल्ली	437	445	882	7	376	9	83	173	16	664	72	421	171	664	113	103	2	218
गुवाहाटी	73	389	462	144	92	0	0	4	100	340	152	188	0	340	58	64	0	122
हैदराबाद	48	1025	1073	0	159	78	0	110	692	1039	1029	10	0	1039	34	0	0	34
कोच्ची	64	520	584	0	96	9	4	101	316	526	387	139	0	526	54	4	0	58
कोलकाता	307	1494	1801	176	147	152	112	202	832	1621	983	638	0	1621	108	72	0	180
लखनऊ	53	1239	1292	10	202	511	0	8	545	1276	1239	36	1	1276	15	1	0	16
मुम्बई	385	1726	2111	3	603	10	0	0	1331	1947	1176	769	2	1947	85	79	0	164
कुल	1947	10865	12812	352	2664	1319	199	1156	5703	11393	8359	2727	307	11393	779	450	190	1419
1 सिफारिशें	6 कार्रवाई योग्य नहीं																	
2 प्रदान करना	7 3 माह के अंदर																	
3 वापसी/निपटान	8 3 माह से 1 वर्ष																	
4 अस्वीकार	9 1 वर्ष से अधिक																	
5 रद्द																		

विवरण 46

प्रथम वर्ष (एकल प्रीमियम सहित) का जीवन बीमा प्रीमियम

(करोड़ रुपये)

बीमा कंपनियाँ	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
एलआर्इसी	19588.77 (101.93)	15976.76 (-18.44)	17347.62 (8.58)	20653.06 (19.05)	28515.87 (38.07)	56223.56 (97.17)	59996.57 (6.71)
अविवा	--	13.47	76.96	192.29	407.12	721.35	1053.98
बजाज अलायंज	7.14	63.39	179.55	857.45	2716.77	4302.74	6674.48
भारती एक्सा	--	--	--	--	--	7.78	113.24
बीएसएलआर्इ	28.11	129.57	449.86	621.31	678.12	882.72	1965.01
फ्यूचर जनरली लाइफ	--	--	--	--	--	--	2.49
एचडीएफसी स्टैण्डर्ड लाइफ	32.78	129.31	209.33	486.15	1042.65	1648.85	2685.37
आर्इसीआर्इसीआर्इ मू	113.33	364.11	750.84	1584.34	2602.50	5162.13	8034.75
आर्इडीबीआर्इ फोटिस	--	--	--	--	--	--	11.90
आर्इएनजी वैश्य	4.19	17.66	72.10	282.42	283.98	467.66	704.44
कोटक लाइफ	7.58	35.21	125.51	373.99	396.06	614.94	1106.62
मैटलार्इफ	0.48	7.70	23.41	57.52	148.53	340.44	825.35
एमएनवार्इएल	38.80	67.31	137.28	233.63	471.36	912.11	1597.83
रिलायंस लाइफ	0.28	6.32	27.21	91.33	193.56	932.11	2751.05
सहारा	--	--	--	1.74	26.34	43.00	122.12
एसबीआर्इ लार्इफ	14.69	71.88	207.05	484.85	827.82	2563.84	4792.82
श्रीराम लाइफ	--	--	--	--	10.33	181.17	309.99
टाटा एआर्इजी	21.14	59.77	181.59	297.55	464.53	644.82	964.51
निजी क्षेत्र	268.51 (4061.70)	965.69 (259.65)	2440.71 (152.74)	5564.57 (127.99)	10269.67 (84.55)	19425.65 (88.84)	33715.95 (73.56)
कुल	19857.28 (104.56)	16942.45 (-14.68)	19788.32 (16.80)	26217.64 (32.49)	38785.54 (47.94)	75649.21 (94.96)	93712.52 (23.88)

नोट:

1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में पिछले साल के विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं
2. व्यापार शुरू न होने का प्रतिनिधित्व करता है
3. एक करोड़ = 10 मिलियन

विवरण 47

कुल जीवन बीमा प्रीमियम

(करोड़ रुपये)

बीमाकर्ता	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
एलआईसी	49821.91 (42.79)	54628.49 (9.65)	63533.43 (16.30)	75127.29 (18.25)	90792.22 (20.85)	127822.84 (40.79)	149789.99 (17.19)
अविवा	--	13.47	81.50	253.42	600.27	1147.23	1891.88
बजाज अलायंस	7.14	69.17	220.80	1001.68	3133.58	4302.74	9725.31
भारती एक्सा	--	--	--	--	--	7.78	118.41
बीएसएलआई	28.26	143.92	537.54	915.47	1259.68	1776.71	3272.19
फ्यूचर जनरली लाइफ	--	--	--	--	--	--	2.49
एचडीएफसी स्टैण्डर्ड लाइफ	33.46	148.83	297.76	686.63	1569.91	2855.87	4858.56
आईसीआईसीआई मू	116.38	417.62	989.28	2363.82	4261.05	7912.99	13561.06
आईडीबीआई फोर्टिस	--	--	--	--	--	--	11.9049
आईएनजी वैश्य	4.19	21.16	88.51	338.86	425.38	707.20	1158.87
कोटक लाइफ	7.58	40.32	150.72	466.16	621.85	971.51	1691.14
मैटलार्डफ	0.48	7.91	28.73	81.53	205.99	492.71	1159.54
एमएनवाईएल	38.95	96.59	215.25	413.43	788.13	1500.28	2714.60
रिलायंस लाइफ	0.28	6.47	31.06	106.55	224.21	1004.66	3225.44
सहारा	--	--	--	1.74	27.66	51.00	143.49
एसबीआई लाइफ	14.69	72.39	225.67	601.18	1075.32	2928.49	5622.14
श्रीराम लाइफ	--	--	--	--	10.33	181.17	358.05
टाटा एआईजी	21.14	81.21	253.53	497.04	880.19	1367.18	2046.35
निजी क्षेत्र	272.55 (4124.31)	1119.06 (310.59)	3120.33 (178.83)	7727.51 (147.65)	15083.54 (95.19)	28253.00 (87.08)	51561.42 (82.50)
कुल	50094.46 (43.54)	55747.55 (11.28)	66653.75 (19.56)	82854.80 (24.31)	105875.76 (27.78)	156075.84 (47.38)	201351.41 (29.01)

नोटः

- 1.) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में पिछले साल के विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं
- 2.) व्यापार शुरू न होने का प्रतिनिधित्व करता है
- 3.) एक करोड़ = 10 मिलियन

विवरण 48

गैर जीवन बीमा कंपनियों का सम्पूर्ण प्रत्यक्ष प्रीमियम बीमा (भारत में/बाहर)

(कोरोड़ रुपये)

बीमा कंपनियाँ	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
नेशनल	2439.41	2869.87	3399.97	3810.65	3536.34	3827.12	4021.97
न्यू इंडिया	4198.06	4812.79	4921.47	5103.16	5675.54	5936.78	6151.97
ओरिएंटल	2498.64	2868.15	2899.74	3090.55	3609.77	4020.78	3900.22
युनाइटेड	2781.48	2969.63	3063.47	2944.46	3154.78	3498.77	3739.56
सार्वजनिक क्षेत्र	11917.59	13520.44	14284.65	14948.82	15976.44	17283.45	17813.71
	(13.59)	(13.45)	(5.65)	(4.65)	(6.87)	(8.18)	(3.07)
संघल सुंदरम	71.13	184.44	257.76	330.70	458.64	598.20	694.41
रिलायंस	77.46	185.68	161.06	161.68	162.33	912.23	1946.42
इमको टोकियो	70.51	213.33	322.24	496.64	892.72	1144.47	1128.15
टाटा एआईजी	78.46	233.93	343.52	448.24	572.70	710.55	782.64
आईएनजी वैश्य	28.13	211.66	486.73	873.86	1582.86	2989.07	3307.12
बजाज अलायंज	141.96	296.48	476.53	851.62	1272.29	1786.34	2379.92
बोलामंडलम	--	14.79	97.05	169.25	220.18	311.73	522.34
एचडीएफसी चब्ल	--	9.49	112.95	175.63	200.94	194.00	220.60
फ्यूचर जनरली							9.81
यूनिवर्सल सोम्पो							0.48
निजी क्षेत्र	467.65	1349.80	2257.83	3507.62	5362.66	8646.57	10991.89
	(6453.98)	(188.64)	(67.27)	(55.35)	(52.89)	(61.24)	(27.12)
कुल	12385.24	14870.25	16542.49	18456.45	21339.10	25930.02	28805.60
	(17.97)	(20.06)	(11.25)	(11.57)	(15.62)	(21.51)	(11.09)
ईसीजीसी	338.52	374.78	445.48	515.55	577.33	617.66	668.37
स्टार हेल्थ	--	--	--	--	--	22.51	168.19
अपोलो डीकेवी							2.97
एआईसी	--	--	369.21	549.72	555.83	564.67	835.11

1. व्यापार शुरू न होने का प्रतिनिधित्व करता है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में पूर्व वर्ष के विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं।
3. एक करोड़ = 10 मिलियन

व्यक्तिगत व्यापार (भारत में)
लागु व्यापार (पॉलिसियों की संख्या)

('000 में)

गैर-लिंक व्यापार

बीमाकर्ता	जीवन व्यापार			सामान्य वार्षिकी और पेंशन कारोबार				स्वास्थ्य व्यापार		लिंक व्यापार #	कुल
	01.04.2007 तक लागु व्यापार	जोड़े गये	हटाये गये**	01.04.2007 तक लागु व्यापार	01.04.2007 तक लागु व्यापार	जोड़े गये*	हटाये गये**	31.03.2008 तक लागु व्यापार	31.03.2008 तक लागु व्यापार	31.03.2008 तक लागु व्यापार	31.03.2008 तक लागु व्यापार
अविवा लाइफ	51	37	40	48	0	0	0	0	0	684	732
बजाज अलायज लाइफ	511	122	92	540	6	0	0	7	30	5608	6184
भारती एक्सा लाइफ	1	13	4	10	0	0	0	0	0	61	71
बिरला सन लाइफ	234	158	66	325	0	0	0	0	0	1076	1401
फ्यूचर जनरली लाइफ	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	752	317	73	996	74	7	6	75	0	1028	2098
आईसीआईसीआई प्रू लाइफ	734	706	403	1037	53	5	3	55	227	4036	5355
आईडीबीआई फोर्टिस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
आईएनजी वैश्य लाइफ	253	93	58	289	38	7	2	44	0	399	731
कोटक ओम लाइफ	123	53	27	149	6	0	0	6	0	415	571
एलआईसी	189419	20496	17487	192428	2909	220	300	2829	102	38582	233941
मैक्स एनवाई लाइफ	713	346	163	896	8	0	1	7	14	794	1711
मैटलाइफ	112	31	28	115	1	0	0	1	0	273	388
रिलायंस लाइफ	189	77	46	220	0	0	0	0	32	1203	1454
सहारा लाइफ	42	49	14	76	0	0	0	0	0	79	156
एसबीआई लाइफ	411	94	85	420	77	23	8	92	0	1297	1809
श्रीराम लाइफ	53	12	25	39	0	0	0	0	0	144	184
टाटा एआईजी	567	208	196	579	22	2	2	21	90	432	1122
											0
कुल	194164	22812	18808	198168	3193	265	323	3135	494	56114	257911

* जारी नई पॉलिसियाँ, पुनःस्थापित/पुनर्जीवित पुरानी पॉलिसियाँ शामिल हैं।

** मृत्यु, परिपक्वता, लेप्स, अम्यर्पण, या रुद होने के कारण पॉलिसियों की समाप्ति शामिल हैं।

लिंकड हेल्थ बिजनेस छोड़कर यदि कोई हो तो

डेटा का स्रोत:

31.03.2008 तक जीवन बीमा कंपनियों की बीमांकक रिपोर्ट तथा तत्व

निजी व्यापार (भारत में)
लागू व्यापार (बीमित राशि)

बीमाकर्ता	जीवन व्यापार				गैर-लिक व्यापार सामान्य वार्षिकी और पेंशन कारोबार				स्वास्थ्य व्यापार	लिक व्यापार#	कुल
	01.04.2007 तक लागू व्यापार	जोड़े गये*	हटाये गये**	31.03.2008 तक लागू व्यापार	01.04.2007 तक लागू व्यापार	जोड़े गये*	हटाये गये**	31.03.2008 तक लागू व्यापार	31.03.2008 तक लागू व्यापार	31.03.2008 तक लागू व्यापार	31.03.2008 तक लागू व्यापार
अविवा लाइफ	415	199	320	294	0	0	0	0	0	21365	21659
बजाज अलायंस लाइफ	12554	3427	2983	12998	239	10	24	226	339	154938	168501
भारती एक्सा लाइफ	65	682	165	582	0	0	0	0	0	582	1164
बिरला सन लाइफ	5113	694	1153	4654	0	0	0	0	0	49545	54199
फ्यूचर जनरली लाइफ	0	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33
एचडीएफसी स्टैण्डर्ड लाइफ	14253	4067	1347	16973	1485	95	146	1434	0	37478	55885
आईसीआईसीआई प्रू लाइफ	15403	9242	3000	21644	1559	67	89	1538	27245	84912	135339
आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ	0	11	0	11	0	0	0	0	0	64	74
आईएनजी वैश्य लाइफ	5036	1441	877	5600	0	0	0	0	0	9499	15099
कोटक ऑग लाइफ	7159	1806	1403	7561	260	6	19	248	0	16868	24678
एलआईसी	1397468	215251	127339	1485380	87027	11270	51029	47269	3744	196936	1733328
गैक्स एनवाई लाइफ	24525	9755	4392	29887	157	6	17	145	218	27989	58240
गैटलाइफ	5018	1396	892	5522	15	1	2	15	0	19550	25086
रिलायंस लाइफ	3339	1555	793	4102	0	0	0	0	524	17337	21962
सहारा लाइफ	568	694	176	1085	8	1	1	8	0	1604	2696
एसबीआई लाइफ	9155	3156	1314	10997	331	196	0	526	0	26278	37801
श्रीराम लाइफ	1380	204	580	1004	0	0	0	0	0	3552	4556
टाटा एआईजी	12428	3469	3346	12550	475	26	42	460	4548	18787	36345
कुल	1513876	257081	150082	1620876 0	91557	11678	51368	51867 0	36618	687284	2396646

* जारी नई पॉलिसियाँ, पुनःस्थापित/पुनर्जीवित पुरानी पॉलिसियाँ शामिल हैं।

** मृत्यु, परिपक्वता, लेप्स, अम्यर्पण, या रुढ़ होने के कारण पॉलिसियों की समाप्ति शामिल हैं।

लिक्विड हैल्थ बिजनेस छोड़कर यदि कोई हो तो

डेटा का स्रोत:

31.03.2008 तक जीवन बीमा कंपनियों की बीमांकक रिपोर्ट तथा तत्व

विवरण 51

भारत में जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन अनुपात (31 मार्च तक)

क्र. सं.	जीवन बीमाकर्ताओं के नाम	2008	2007
1	बजाज अलायंज लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.34	2.45
2	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1.65	1.62
3	बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	4.29	6.31
4	अविवा लाइफ इंश्योरेंस कं. प्रा. लि.	2.37	1.80
5	एक्जीएफसी स्टैण्डर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.38	2.05
6	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1.74	1.53
7	आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.36	2.87
8	भारतीय जीवन बीमा निगम	1.52	1.50
9	मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.25	2.08
10	मैटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कं. प्रा. लि.	1.70	1.73
11	ओम कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.41	1.64
12	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	3.30	1.78
13	टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.50	2.59
14	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	4.32	2.68
15	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.85	2.74
16	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.73	1.96
17	फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.94	**
18	आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	3.45	**

डेटा का स्रोत-31 मार्च 2008 तक बीमांकक रिपोर्ट और तत्व

** 2007-2008 में व्यापार शुरू किया

विवरण 52

गैर जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन क्षमता अनुपात (31 मार्च तक)

बीमाकर्ता	2008	2007
निजी		
बजाज अलायंस	1.55	1.56
चोलामंडलम	1.89	2.63
एचडीएफसी चब	2.02	1.69
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	2.03	2.08
इएफके-टोकियो	1.51	1.7
रिलायंस	1.64	1.95
रॉयल सुंदरम	1.59	1.64
टाटा एआईजी	1.91	1.85
पयूवर जनरली	2.61	-
यूनिवर्सल सोमो	4.63	-
सावर्जनिक		
न्यू इंडिया	4	3.57
यूनाइटेड	3.24	3
ओरिएंटल	1.91	2.17
नेशनल	1.8	1.76
विशेष बीमाकर्ता		
ईसीजीसी	18.9	11.41
स्टार हेल्थ	1.97	1.91
अपोलो डीकेवी	1.39	-
एछआईसी	3.27	2.05
जीआईसी	3.36	4.1

व्यक्तिगत व्यवसाय (भारत में) – गैर लिंकड व्यापार के संबंध में समपहरण/कालित पॉलिसियों का विवरण

वर्णन	बजाज अलायंस	रिलायंस लाइफ	अविवा लाइफ	बिरला सन	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	आईसीआ ईसीआई प्रू	आईएनजी वैश्य	एलआईसी	मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ	मैटलाइफ	कोटक ओम लाइफ	एसबीआई लाइफ	टाटा एआईजी	सहारा लाइफ	श्रीराम लाइफ	भारती एक्सा	पयूवर जनरली लाइफ	आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ
2005-06																		
संख्या	66	18	19	5	41	137	41	9569	104	31	27	32	92	5	0	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं
करोड़ रुपये की राशि का आश्वासन दिया	2418	260	49	360	794	1377	855	61640	2658	1008	521	459	1616	62	0	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं
2006-07																		
संख्या	77	47	24	8	29	180	45	7773	163	37	21	85	151	7	9	0	उप. नहीं	उप. नहीं
करोड़ रुपये की राशि का आश्वासन दिया	2364	692	3	597	787	2461	788	63206	2666	1157	546	773	3042	78	139	0	उप. नहीं	उप. नहीं
2007-08																		
संख्या	106	43	40	16	36	439	54	11009	142	28	25	79	238	14	25	3	0	0
करोड़ रुपये की राशि का आश्वासन दिया	2392	663	125	1017	909	6854	762	73686	3394	880	1104	1108	5044	174	569	109	0	0
चूक अनुपात (पॉलिसियों की संख्या के आधार पर)																		
2006-07 के दौरान	17%	35%	57%	4%	4%	26%	17%	4%	25%	34%	17%	19%	26%	21%	24%	0%	उप. नहीं	उप. नहीं
2007-08 के दौरान	19%	21%	80%	6%	4%	40%	17%	6%	17%	24%	17%	16%	35%	24%	55%	45%	0%	0%

*गैर-लिंकड स्वास्थ्य व्यापार शामिल है, यदि कोई है तो।

पोलिसी को व्यपगत समझा जाएगा यदि प्रीमियम का भुगतान 15 से 60 दिन के भीतर नहीं किया जाता।

वर्ष के दौरान व्यपगत पॉलिसियों का अनुपात = वर्ष के दौरान व्यपगत पॉलिसियाँ (समपहरण पॉलिसियों सहित)/वर्ष की शुरुआत और अंत पर लागू व्यापार का अंकगणित अर्थ

डेटा के स्रोत:

31-03-2006/31-03-2007/31-03-2008 तक जीवन बीमा कंपनियों की बीमांकक रिपोर्ट तथा तत्व

2007-08 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का नवीन व्यापारिक प्रदर्शन — माध्यमानुसार

(करोड़ रुपये में प्रीमियम)

विवरण 54
(पॉलिसियों संख्या में)

जीवन बीमाकर्ता	व्यक्तिगत एजेंट		कॉर्पोरेट एजेंट				दलाल		प्रत्यक्ष बिक्री		कुल व्यक्तिगत नया व्यापार		सिफारिशें	
			बैंकों		अन्य									
	पॉलिसियों	प्रीमियम	पॉलिसियों	प्रीमियम	पॉलिसियों	प्रीमियम	पॉलिसियों	प्रीमियम	पॉलिसियों	प्रीमियम	पॉलिसियों	प्रीमियम	पॉलिसियों	प्रीमियम
अविवा	204183 (52.58)	307.80 (30.45)	24208 (6.23)	87.89 (8.70)	1094 (0.28)	1.62 (0.16)	15097 (3.89)	42.02 (4.16)	143760 (37.02)	571.36 (56.53)	388342	1010.69	143640 (36.99)	562.82 (55.69)
बजाज अलायंस	2029281 (54.20)	4155.80 (64.07)	84802 (2.26)	216.09 (3.33)	1452756 (38.80)	1727.38 (26.63)	23423 (0.63)	39.43 (0.61)	154084 (4.12)	347.90 (5.36)	3744346	6486.60	107114 (2.86)	269.63 (4.16)
भारती एक्सा	40419 (54.57)	61.35 (55.78)	669 (0.90)	0.94 (0.86)	-	-	3695 (4.99)	7.83 (7.12)	29291 (39.54)	39.87 (36.25)	74074	109.98	-	-
बिरला सन लाइफ	588797 (85.54)	1127.35 (64.96)	44040 (6.40)	485.61 (27.98)	19090 (2.77)	48.35 (2.79)	36302 (5.27)	73.99 (4.26)	82 (0.01)	0.23 (0.01)	688311	1735.53	4551 (0.66)	8.67 (0.50)
फ्यूचर जनरली	468 (58.50)	0.18 (42.69)	-	-	-	-	48 (6.00)	0.01 (2.63)	284 (35.50)	0.22 (54.68)	800	0.41	-	-
एचडीएफसी स्टैण्डर	666932 (70.31)	1289.01 (54.89)	204948 (21.61)	951.97 (40.53)	12542 (1.32)	25.14 (1.07)	3891 (0.41)	7.25 (0.31)	60299 (6.36)	75.19 (3.20)	948612	2348.57	8713 (0.92)	15.90 (0.68)
आईसीआईसीआई प	1700548 (58.38)	4528.93 (64.29)	256027 (8.79)	1253.01 (17.79)	271196 (9.31)	657.55 (9.33)	26645 (0.91)	81.99 (1.16)	658694 (22.61)	522.82 (7.42)	2913110	7044.30	580672 (19.93)	283.18 (4.02)
आईसीबीआई फोर्टि	1200 (38.00)	2.55 (21.42)	1954 (61.87)	9.34 (78.47)	-	-	4 (0.13)	0.01 (0.11)	-	-	3158	11.90	-	-
आईएनजी वैश्य	268486 (74.57)	518.85 (74.66)	39694 (11.02)	68.24 (9.82)	16002 (4.44)	31.21 (4.49)	589 (0.16)	1.73 (0.25)	35298 (9.80)	74.93 (10.78)	360069	694.97	35298 (9.80)	74.96 (10.79)
कोटक महिन्दा	139566 (44.52)	475.68 (48.79)	32069 (10.23)	206.70 (21.20)	107103 (34.16)	193.05 (19.80)	19116 (6.10)	58.06 (5.95)	15636 (4.99)	41.55 (4.26)	313490	975.04	1190 (0.38)	2.91 (0.30)
मेक्स न्यूयॉर्क	508319 (58.20)	988.02 (63.49)	35879 (4.11)	95.10 (6.11)	299469 (34.29)	416.02 (26.73)	5074 (0.58)	15.15 (0.97)	24590 (2.82)	41.86 (2.69)	873331	1556.16	3810 (0.44)	8.13 (0.52)
मैटलाइफ	117313 (49.89)	310.52 (39.55)	100416 (42.70)	453.20 (57.73)	12607 (5.36)	6.68 (0.85)	4816 (2.05)	14.70 (1.87)	-	-	235152	785.10	55521 (23.61)	261.91 (33.36)
रिलायंस लाइफ	567657 (52.87)	1305.73 (55.82)	1766 (0.16)	3.73 (0.16)	71517 (6.66)	135.10 (5.78)	27563 (2.57)	59.98 (2.56)	405212 (37.74)	834.53 (35.68)	1073715	2339.06	378285 (35.23)	775.96 (33.17)
सहारा	108972 (99.90)	121.47 (99.48)	-	-	112 (0.10)	0.64 (0.52)	-	-	-	-	109084	122.11	-	-
एसबीआई लाइफ	559789 (60.48)	2145.29 (57.32)	351292 (37.96)	1570.38 (41.96)	12177 (1.32)	19.78 (0.53)	2137 (0.23)	6.26 (0.17)	134 (0.01)	0.87 (0.02)	925529	3742.58	-	-
श्रीराम	74948 (68.68)	219.10 (70.71)	-	-	3272 (3.00)	8.36 (2.70)	305 (0.28)	0.83 (0.27)	30604 (28.04)	81.57 (26.32)	109129	309.85	30604 (28.04)	81.57 (26.32)
टाटा एआईजी	341189 (68.66)	447.59 (53.70)	43399 (8.73)	286.16 (34.33)	74996 (15.09)	48.42 (5.81)	21484 (4.32)	41.51 (4.98)	15881 (3.20)	9.81 (1.18)	496949	833.50	-	-
निजी योग	7918067 (59.73)	18005.22 (59.81)	1221163 (9.21)	5688.36 (18.89)	2353933 (17.76)	3319.31 (11.03)	190189 (1.43)	450.8 (1.50)	1573849 (11.87)	2642.71 (8.78)	13257201	30106.35	1349398 (10.18)	2345.63 (7.79)
एलआईसी	36834544 (97.99)	48510.21 (98.36)	472447 (1.26)	640.86 (1.30)	245790 (0.65)	142.58 (0.29)	37214 (0.10)	22.97 (0.05)	-	-	37589995	49316.62	-	-
उद्योग योग	44752611 (88.01)	66515.43 (83.75)	1693610 (3.33)	6329.22 (7.97)	2599723 (5.11)	3461.89 (4.36)	227403 (0.45)	473.73 (0.60)	1573849 (3.10)	2642.71 (3.33)	50847196	79422.97	1349398 (2.65)	2345.63 (2.95)

नोट: 1 कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित चैनल के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक बीमा कंपनी के नए व्यापार के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

2 नए व्यापार प्रीमियम में पहले वर्ष का प्रीमियम और एक ही प्रीमियम होता है।

3 रेफरल व्यवस्था से प्राप्त आंकड़े उनसे संबंधित चैनल में शामिल किए गए हैं

** संबंधित बीमाकर्ता द्वारा यह पुष्टि की गई है कि पॉलिसियों की संख्या वित्तीय वर्ष में रद्द की गई पॉलिसियों को घटाने के बाद दी गई है।

* बैंकों के अलावा अस्तित्व में कॉर्पोरेट एजेंट के समान पंजीकृत किया गया।

इसमें विदेश में किए गए नए व्यापार का प्रीमियम शामिल नहीं है।

2007-08 में बीमा कंपनियों के सामूहिक नये व्यापार का प्रदर्शन — माध्यमानुसार

बीमाकर्ता	व्यक्तिगत एजेंट			कॉर्पोरेट एजेंट						दलाल			प्रत्यक्ष बिक्री			कुल व्यक्तिगत नया व्यापार				सिफारिशें		
				बैंक			अन्य*															
	योजनायें	पूरक बीमा	प्रीमियम	योजनायें	पूरक बीमा	प्रीमियम	योजनायें	पूरक बीमा	प्रीमियम	योजनायें	पूरक बीमा	प्रीमियम	योजनायें	पूरक बीमा	प्रीमियम	योजनायें	पूरक बीमा	प्रीमियम	योजनायें	पूरक बीमा	प्रीमियम	
अविवा	28 (24.14)	5036 (0.75)	5.62 (12.99)	1 (0.86)	14263 (2.13)	0.57 (1.32)	9 (7.76)	350885 (52.43)	2.08 (4.81)	6 (5.17)	10383 (1.55)	0.72 (1.66)	72 (62.07)	288693 (43.14)	34.28 (79.22)	116	669260	43.27	-	-	-	
बजाज अलायंस	-	-	-	-	1402 (0.07)	0.64 (0.34)	-	1238 (0.06)	3.81 (2.03)	-	-	-	396 (100.00)	1996685 (99.87)	183.43 (97.63)	396	1999325	187.89	-	-	-	
भारती एक्सा	-	-	-	1 (25.00)	1462 (16.22)	3.24 (99.41)	3 (75.00)	7550 (83.78)	0.02 (0.59)	-	-	-	-	-	-	4	9012	3.25	-	-	-	
बिरला सन लाइफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 (100.00)	160755 (100.00)	223.34 (100.00)	148	160755	223.34	-	-	-	
एयूवर जनरली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 (88.89)	45745 (63.88)	0.97 (46.41)	1 (11.11)	25871 (36.12)	1.11 (53.59)	9	71616	2.08	-	-	-	
एचडीएफसी स्टैण्डर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246 (100.00)	293614 (100.00)	336.80 (100.00)	246	293614	336.80	-	-	-	
आईसीआईसीआई प्यू	5 (4.24)	9383 (1.50)	3.08 (0.31)	2 (1.69)	149317 (23.82)	95.38 (9.63)	-	13229 (2.11)	0.20 (0.02)	10 (8.47)	3415 (0.54)	48.57 (4.90)	101 (85.59)	451506 (72.03)	843.22 (85.13)	118	626850	990.45	1 (0.85)	2052 (0.33)	1.63 (0.16)	
आईडीबीआई फोर्टिस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
आईएनजी वैश्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 (30.77)	1611 (1.29)	0.16 (1.72)	18 (69.23)	123169 (98.71)	9.31 (98.28)	26	124780	9.48	1 (3.85)	131 (0.10)	0.01 (0.07)	
कोटक महिन्द्रा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149 (53.02)	251277 (38.65)	24.99 (18.99)	132 (46.98)	398860 (61.35)	106.59 (81.01)	281	650137	131.58	-	-	-	
मैक्स न्यूयॉर्क	267 (94.68)	216447 (44.22)	7.77 (18.64)	1 (0.35)	166058 (33.92)	27.05 (64.91)	-	-	-	-	-	-	14 (4.96)	106997 (21.86)	6.85 (16.45)	282	489502	41.67	-	-	-	
मैटलाइफ	9 (11.54)	19446 (8.42)	0.68 (1.70)	-	-	-	2 (2.56)	2488 (1.08)	0.22 (0.55)	4 (5.13)	60859 (26.35)	4.50 (11.18)	63 (80.77)	148165 (64.15)	34.85 (86.57)	78	230958	40.26	-	-	-	
रिलायंस लाइफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 (27.35)	287046 (38.31)	8.95 (2.17)	263 (72.65)	462236 (61.69)	403.04 (97.83)	362	749282	411.99	-	-	-	
सहारा	-	-	-	-	-	-	8 (100.00)	371 (100.00)	0.004 (100.00)	-	-	-	-	-	-	8	371	0.004	-	-	-	
एसबीआई लाइफ	-	-	-	-	965023 (84.91)	318.69 (30.34)	2 (2.15)	109366 (9.62)	16.92 (1.61)	-	-	-	91 (97.85)	62182 (5.47)	714.64 (68.05)	93	1136571	1050.24	-	-	-	
श्रीराम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 (100.00)	15429 (100.00)	0.14 (100.00)	6	15429	0.14	-	-	-	
टाटा एआईजी	7 (8.64)	1575 (0.27)	0.31 (0.23)	-	-	-	-	-	-	10 (12.35)	46262 (7.93)	4.33 (3.31)	64 (79.01)	535176 (91.79)	126.37 (96.46)	81	583013	131.01	-	-	-	
निजी योग	316 (14.02)	251887 (3.22)	17.46 (0.48)	5 (0.22)	1297525 (16.61)	445.56 (12.36)	24 (1.06)	485127 (6.21)	23.25 (0.65)	294 (13.04)	706598 (9.05)	93.18 (2.59)	1615 (71.65)	5069338 (64.90)	3023.99 (83.92)	2254	7810475	3603.45	2 (0.09)	2183 (0.03)	1.64 (0.05)	
एलआईसी	3766 (16.66)	4984410 (18.64)	1077.82 (10.11)	760 (3.36)	470428 (1.76)	47.13 (0.44)	254 (1.12)	189085 (0.71)	17.58 (0.16)	168 (0.74)	14218 (0.05)	6.37 (0.06)	17656 (78.11)	21080000 (78.84)	9507.48 (89.22)	22604	26738141	10656.38	-	-	-	
उद्योग योग	4082 (16.42)	5236297 (15.16)	1095.28 (7.68)	765 (3.08)	1767953 (5.12)	492.69 (3.46)	278 (1.12)	674212 (1.95)	40.83 (0.29)	462 (1.86)	720816 (2.09)	99.55 (0.70)	19271 (77.52)	26149338 (75.69)	12531.47 (87.88)	24858	34548616	14259.83	2 (0.01)	2183 (0.01)	1.64 (0.01)	

नोट: 1 कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित चैनल के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक बीमा कंपनी के नए सामूहिक व्यापार के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

2 नए व्यापार प्रीमियम में पहले वर्ष का प्रीमियम और एक ही प्रीमियम होता है।

3 शुद्ध व्यवस्था से प्राप्त आंकड़े उनसे संबंधित कैलेंडर में शामिल किए गए हैं।

*बैंकों के अलावा अतिरिक्त में कॉर्पोरेट एजेंट के समान पंजीकृत किया गया।

व्यक्तिगत एजेंटों का विस्तार राज्यानुसार-31 मार्च, 2008 तक बीमाकर्तानुसार

राज्य/संघ क्षेत्र	बीमाकर्ता																			
	अविवा अलायज	बजाज एक्सा	मास्ती एक्सा	विरला सन लाइफ	फ्यूचर जनरली	एचडीएफसी स्टैंडर्ड	आईसीआईसीआई पू	आईडीबीआई फोर्टिस	आईएनजी वैश्य	कोटक महिन्द्रा	मैक्स न्यूरोक	मैटलाइफ	रिलायंस लाइफ	सहारा	एसबीआई लाइफ	श्रीराम	टाटा एआईजी	कुल निजी (राज्यानुसार)	एलआईसी	कुल कंपनियाँ (राज्यानुसार)
आन्ध्र प्रदेश	2964	25502	589	10459	-	16222	36804	22	11171	910	2127	5069	19022	712	4542	13777	1880	151772	114430	266202
अरुणाचल प्रदेश	55	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	5	5	14	95	407	502
असम	1018	9965	-	4469	-	3292	5643	-	325	974	311	506	3921	371	318	-	2441	33554	36280	69834
बिहार	1791	17754	230	5051	-	1466	9311	-	-	-	266	594	7541	1981	1754	2	2096	49837	60787	110624
छत्तीसगढ़	374	3553	-	939	-	3374	1918	-	-	3	182	65	709	64	1423	15	455	13074	14384	27458
गोआ	104	332	1	372	-	368	455	6	207	4	259	148	13	-	59	1	29	2358	3620	5978
गुजरात	1884	11022	1025	4931	-	7771	24096	65	1421	7230	5061	1712	10775	571	1594	109	4440	83707	58528	142235
हरियाणा	1514	3558	-	4066	-	3488	3789	8	1350	3086	1687	538	6219	109	1110	-	2590	33112	17942	51054
हिमाचल प्रदेश	39	2737	9	119	-	552	1561	1	369	-	231	16	1090	-	186	-	382	7292	9929	17221
जम्मू-कश्मीर	147	3280	-	-	-	1254	3637	-	609	-	189	247	10	-	177	-	2	9552	6633	16185
झारखंड	752	9113	191	2489	-	2038	5180	-	209	454	379	1027	4271	739	915	45	1915	29717	24868	54585
कर्नाटक	1390	11596	527	6151	-	6834	10414	20	5365	1061	890	4101	8625	168	2770	662	1092	61666	76719	138385
केरल	2108	14618	935	2563	-	10806	22461	1	3374	996	764	5571	11371	-	4323	135	4368	84394	55705	140099
मध्य प्रदेश	2180	16604	351	3984	-	9123	8504	15	2151	750	1412	416	7578	672	1980	791	1007	57518	54404	111922
महाराष्ट्र	3201	16282	1372	9949	-	17579	29229	35	2528	5278	6615	3982	9782	284	3012	308	4808	114244	131795	246039
मणिपुर	-	67	-	268	-	-	386	-	-	-	-	49	-	-	87	-	11	868	1724	2592
मेघालय	85	283	-	601	-	330	400	-	-	-	-	9	473	-	73	-	36	2290	600	2890
मिजोरम	-	8	-	92	-	-	88	-	-	-	-	-	43	-	-	-	3	234	358	592
नागालैंड	2	-	-	1113	-	-	-	-	-	-	-	13	56	-	6	-	4	1194	799	1993
उड़ीसा	2042	16242	698	2095	-	3469	11851	-	1392	-	671	1052	10517	506	2206	10	3055	55806	35631	91437
पंजाब	1348	9927	953	7245	-	7514	18509	10	2885	2168	3863	1868	6744	32	1119	-	448	64633	29461	94094
राजस्थान	984	8775	427	6098	-	7098	17430	2	2639	988	1577	537	9199	1660	2034	1	2975	62424	54043	116467
सिक्किम	70	235	-	45	-	906	460	-	1	-	-	13	83	-	12	-	116	1941	656	2597
तमिलनाडु	2019	12756	997	4893	-	8794	18333	12	8023	1789	1616	2953	18809	106	6020	1753	3055	91928	93718	185646
त्रिपुरा	215	1184	-	1	-	530	1201	-	-	-	-	35	258	-	27	-	225	3676	3730	7406
उत्तर प्रदेश	3308	33745	1452	16656	-	15119	33562	22	4118	1691	3087	1192	28725	3688	1976	1	4983	153325	142942	296267
उत्तराखण्ड	76	1857	-	1525	-	909	2268	25	487	-	592	384	559	144	45	-	379	9250	16750	26000
पश्चिम बंगाल	2727	13752	1071	5753	-	8665	17423	-	1127	1391	1184	2496	5630	563	2103	16	7352	71253	106346	177599
अंडमान-निकोबार द्वीप	-	-	-	-	-	-	238	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	245	747	992
चंडीगढ़	167	39	259	963	-	665	1590	9	487	565	551	282	2445	44	196	-	806	9068	2450	11518
दादरा-नागर हवेली	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	19	2	21
दमन व दिव	1	2	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	92	182
दिल्ली	2679	4845	662	5535	11	6413	18933	26	2320	5385	3368	1901	9685	425	557	-	1512	64257	35891	100148
लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4
पुडुचेरी	63	595	-	608	-	135	593	-	202	-	19	6	41	-	14	27	50	2353	1371	3724
कंपनियाँ योग	35307	250239	11749	109034	11	144714	306354	279	52760	34723	36901	36798	184194	12839	40643	17659	52544	1326748	1193744	2520492

विवरण 57

जीवन बीमाकर्ताओं के व्यक्तिगत एजेंटों का विवरण-- 2007-08

बीमाकर्ता	1 अप्रैल, 2007 तक	जोड़े गये	हटाये गये	31 मार्च, 2008 तक
अविवा	29052	13662	7407	35307
बजाज अलायंज	216191	106798	72750	250239
भारती एक्सा	1266	11718	1235	11749
बिरला सन लाइफ	56490	55154	2610	109034
पयूवर जनरली	-	11	-	11
एचडीएफसी स्टैण्डर्ड	79109	74465	8860	144714
आईसीआईसीआई पू	234460	233895	162001	306354
आईडीबीआई फोर्टिस	-	279	-	279
आईएनजी वैश्य	33944	30926	12110	52760
कोटक महिन्द्रा	24484	24271	14032	34723
मैक्स न्यूयॉर्क	25044	26130	14273	36901
आईएनजी वैश्य	20848	20373	4423	36798
रिलायंस लाइफ	95622	97798	9226	184194
सहारा	9797	3061	19	12839
एसबीआई लाइफ	25356	22251	6964	40643
श्रीराम	10384	7275	-	17659
टाटा एआईजी	28105	44843	20404	52544
कुल निजी	890152	772910	336314	1326748
एलआईसी	1103047	234852	144155	1193744
उद्योग योग	1993199	1007762	480469	2520492

व्यक्तिगत मृत्यु दावे — 2007-08

(करोड़ रुपये में मुनाफ़ा राशि)

हिमाहरी के शुरू में लंबित दावे	निलंबित/दर्ज दावे	कुल दावे	दावों का मुगलतन क्रिया	खंडित दावे	पुनर्संशोधित दावे	हिमाहरी के अंत में लंबित दावे	लंबित दावों का विघटन— अवधि वार (पॉलिसियों)												
जीवन बीमाकर्ता	पॉलिसियों की संख्या	मुनाफ़ा राशि	पॉलिसियों की संख्या	मुनाफ़ा राशि	पॉलिसियों की संख्या	मुनाफ़ा राशि	पॉलिसियों की संख्या	मुनाफ़ा राशि	पॉलिसियों की संख्या	मुनाफ़ा राशि	पॉलिसियों की संख्या	मुनाफ़ा राशि	पॉलिसियों की संख्या	मुनाफ़ा राशि	< 3 महीना	3 - < 6 महीना	6 - < 1 वर्ष	> 1 वर्ष	कुल
अविवा	106	2.11	841	13.75	947	15.86	654	6.99	121	3.80	-	-	172	5.07	118	20	16	18	172
							(69.06)	(44.07)	(12.78)	(23.96)	-	-	(18.16)	(31.97)	(68.60)	(11.63)	(9.30)	(10.47)	
बजाज अलायंस	267	4.50	6262	104.41	6529	108.92	5065	79.46	689	14.18	-	-	775	15.27	634	77	37	27	775
							(77.58)	(72.96)	(10.55)	(13.02)	-	-	(11.87)	(14.02)	(81.81)	(9.94)	(4.77)	(3.48)	
भास्ती एक्सा	0	0.00	26	0.74	26	0.74	9	0.17	10	0.20	-	-	7	0.36	6	1	-	-	7
							(34.62)	(22.61)	(38.46)	(27.80)	-	-	(26.92)	(49.60)	(85.71)	(14.29)	-	-	
बिरला रतन लाइफ	10	2.25	1450	35.88	1460	38.13	1334	31.06	109	4.28	-	-	17	2.79	4	3	4	6	17
							(91.37)	(81.46)	(7.47)	(11.22)	-	-	(1.16)	(7.32)	(23.53)	(17.65)	(23.53)	(35.29)	
ब्यूचर जनरली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एक्सीएफसी स्टैंडर्ड	242	5.55	1820	28.30	2062	33.86	1665	23.27	87	2.76	-	-	310	7.83	194	66	37	13	310
							(80.75)	(68.72)	(4.22)	(8.15)	-	-	(15.03)	(23.13)	(62.58)	(21.29)	(11.94)	(4.19)	
आईसीआईसीआई पू	151	4.02	6481	56.37	6632	60.39	5831	44.37	436	9.11	-	-	365	6.91	280	40	18	27	365
							(87.92)	(73.47)	(6.57)	(15.09)	-	-	(5.50)	(11.44)	(76.71)	(10.96)	(4.93)	(7.40)	
आईडीबीआई फोर्टिस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
आईएनजी वैश्य	171	2.83	771	10.79	942	13.62	526	7.42	132	2.26	3	0.03	281	3.92	169	75	28	9	281
							(55.84)	(54.49)	(14.01)	(16.56)	(0.32)	(0.19)	(29.83)	(28.76)	(60.14)	(26.69)	(9.96)	(3.20)	
कोटक महिन्द्रा	145	2.55	558	22.48	703	25.03	414	19.76	178	3.65	-	-	111	1.62	74	27	5	5	111
							(58.89)	(78.95)	(25.32)	(14.58)	-	-	(15.79)	(6.47)	(66.67)	(24.32)	(4.50)	(4.50)	
मैक्स च्यूरीक	358	9.13	1989	38.55	2347	47.69	2121	41.51	221	5.75	-	-	5	0.43	4	-	1	-	5
							(90.37)	(87.04)	(9.42)	(12.06)	-	-	(0.21)	(0.90)	(80.00)	-	(20.00)	-	
मैटलाइफ	70	3.19	271	11.26	341	14.45	162	5.44	73	3.50	-	-	106	5.50	67	22	4	13	106
							(47.51)	(37.67)	(21.41)	(24.23)	-	-	(31.09)	(38.10)	(63.21)	(20.75)	(3.77)	(12.26)	
रिलायंस लाइफ	14	0.35	1001	14.78	1015	15.13	925	13.00	86	1.99	-	-	4	0.14	4	-	-	-	4
							(91.13)	(85.88)	(8.47)	(13.18)	-	-	(0.39)	(0.94)	(100.00)	-	-	-	
सहारा	21	0.16	165	1.68	186	1.84	82	0.66	9	0.12	-	-	95	1.06	47	35	9	4	95
							(44.09)	(36.03)	(4.84)	(6.52)	-	-	(51.08)	(57.45)	(49.47)	(36.84)	(9.47)	(4.21)	
एसबीआई लाइफ	187	3.25	2124	30.50	2311	33.75	1883	25.96	164	2.42	1	0.01	263	5.36	152	58	25	28	263
							(81.48)	(76.92)	(7.10)	(7.17)	(0.04)	(0.03)	(11.38)	(15.88)	(57.79)	(22.05)	(9.51)	(10.65)	
श्रीराम	68	1.14	328	4.90	396	6.04	155	1.95	76	1.43	-	-	165	2.67	108	39	15	3	165
							(39.14)	(32.24)	(19.19)	(23.61)	-	-	(41.67)	(44.14)	(65.45)	(23.64)	(9.09)	(1.82)	
टाटा एआईजी	193	3.59	1471	24.68	1664	28.28	929	15.27	413	6.66	-	-	322	6.35	83	38	69	132	322
							(55.83)	(53.99)	(24.82)	(23.55)	-	-	(19.35)	(22.46)	(25.78)	(11.80)	(21.43)	(40.99)	
कुल निजी	2003	44.64	25558	399.08	27561	443.72	21755	316.28	2804	62.12	4	0.04	2998	65.29	1944	501	268	285	2998
							(78.93)	(71.28)	(10.17)	(10.88)	(0.01)	(0.01)	(14.71)	(14.71)	(64.84)	(16.71)	(8.94)	(9.51)	
एलआईसी	9982	205.43	539779	3976.80	549761	4182.23	531653	3918.72	6223	90.54	335	31.60	11550	141.37	5054	2911	2186	1399	11550
							(96.71)	(93.70)	(1.13)	(2.16)	(0.06)	(0.76)	(2.10)	(3.38)	(43.76)	(25.20)	(18.93)	(12.11)	
कुल उद्योग	11985	250.07	565337	4375.88	577322	4625.95	553408	4235.00	9027	152.66	339	31.64	14548	206.66	6998	3412	2454	1684	14548
							(95.86)	(91.55)	(1.56)	(3.30)	(0.06)	(0.68)	(2.52)	(4.47)	(48.10)	(23.45)	(16.87)	(11.58)	

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल दावों के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

*वर्षिक में

31 मार्च, 2008 तक जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या

बीमाकर्ता	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
अविवा	-	3	12	22	50	110	140	213
बजाज अलायंज	1	17	33	49	153	567	877	1007
भारती एक्सा	-	-	-	-	-	1	16	77
बिरला सन लाइफ	2	19	29	41	53	97	148	538
फ्यूचर जनरली	-	-	-	-	-	-	-	9
एचडीएफसी स्टैण्डर्ड	-	4	18	26	90	150	448	569
आईसीआईसीआई म्यू	6	14	29	69	109	175	583	1958
आईडीबीआई फोर्टिस	-	-	-	-	-	-	-	2
आईएनजी वैश्य	-	4	16	26	38	68	183	265
कोटक महिन्द्रा	-	9	28	39	43	46	75	151
मैक्स न्यूयॉर्क	-	15	23	33	64	84	118	194
मैटलाइफ	-	3	8	16	35	43	53	94
रिलायंस लाइफ	-	17	35	48	80	157	159	745
सहारा	-	-	-	2	18	18	33	33
एसबीआई लाइफ	1	5	10	19	31	46	138	200
श्रीराम	-	-	-	-	-	11	12	53
टाटा एआईजी	3	6	13	26	40	72	89	283
कुल निजी	13	116	254	416	804	1645	3072	6391
एलआईसी	2186	2190	2191	2196	2197	2220	2301	2522
कुल उद्योग	2199	2306	2445	2612	3001	3865	5373	8913

* प्राधिकरण की मंजूरी के बाद कार्यालय खुला।

नोट: 1) आंकड़े जीवन बीमाकर्ता से विशेष रिटर्न द्वारा एकत्रित किए।

2) कार्यालय बीमा अधिनियम 1938 के अनुभाग 64वीसी में परिभाषित।

विवरण 60

31 मार्च, 2008 तक जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का वितरण

बीमाकर्ता	महानगरीय	शहरी	अर्द्ध-शहरी	अन्य	कंपनी कुल
अविवा	29	66	91	27	213
बजाज अलायंज	46	143	403	415	1007
भारती एक्सा	15	36	25	1	77
बिरला सन लाइफ	63	91	318	66	538
पयूवर जनरली	3	4	2	-	9
एचडीएफसी स्टैण्डर्ड	57	103	320	89	569
आईसीआईसीआई मू	132	193	553	1080	1958
आईडीबीआई फोटिस	2	-	-	-	2
आईएनजी वैश्य	24	63	158	20	265
कोटक महिन्द्रा	34	57	54	6	151
मैक्स न्यूयॉर्क	43	73	70	8	194
मैटलाइफ	27	38	27	2	94
रिलायंस लाइफ	62	101	443	139	745
सहारा	6	22	5	-	33
एसबीआई लाईफ	23	73	83	21	200
श्रीराम	11	18	24	-	53
टाटा एआईजी	51	88	116	28	283
कुल निजी	628	1169	2692	1902	6391
एलआईसी	311	468	848	895	2522
कुल उद्योग	939	1637	3540	2797	8913

प्राधिकरण की मंजूरी के बाद कार्यालय खुला।

नोट: 1. आंकड़े जीवन बीमाकर्ता से विशेष रिटर्न द्वारा एकत्रित किए।

2. वित्त मंत्रालय द्वारा एच.आर.ए वर्गीकरण के आधार पर स्थानान्तरण किया गया।

3. महानगरीय: दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद।

4. शहरी: एच आर ए वर्गीकरण के ए.बी-1 और बी-2 स्तर के शहर

5. अर्द्ध शहरी: एच आर ए वर्गीकरण के सी स्तर के शहर

6. अन्य: स्थान एच आर ए वर्गीकरण में सूचीबद्ध नहीं है

कार्यालयों का भौगोलिक वितरण – कंपनीनुसार – 31 मार्च तक*

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अविवा	बजाज अलायज	भारती एक्सा	बिरला सन लाइफ	फ़्यूचर जनरली	एचडीएफसी स्टैण्डर्ड	आईसीआईसी आई प्लू	आईडीबीआई आई फोर्टिस	आईएनजी वैश्य	कोटक महिन्दा	मैक्स न्यूयॉर्क	मैटलाइफ	रिलायंस लाइफ	सहारा	एसबीआई लाइफ	श्रीराम	टाटा एआईजी	राज्य योग (निजी)	एलआईसी	राज्य योग (उद्योग)
आन्ध्र प्रदेश	7	81	3	32	1	56	361	-	44	6	8	7	71	1	18	41	15	752	219	971
अरुणाचल प्रदेश	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	2	6
असम	9	26	-	18	-	9	13	-	1	3	1	1	12	1	4	-	9	107	61	168
बिहार	5	53	-	26	-	2	24	-	2	1	1	1	30	3	7	-	6	161	77	238
छत्तीसगढ़	2	16	-	7	-	11	8	-	1	1	1	1	4	1	5	-	2	60	42	102
गोआ	1	1	-	5	-	2	3	-	1	1	1	1	1	-	2	-	1	20	14	34
गुजरात	17	64	10	38	-	37	229	-	12	31	17	8	64	2	11	1	29	570	160	730
हरियाणा	11	21	2	22	1	13	39	-	9	13	14	3	10	1	6	1	8	174	50	224
हिमाचल प्रदेश	-	12	-	3	-	7	6	-	1	-	2	-	3	-	2	-	2	38	28	66
जम्मू-कश्मीर	1	14	-	1	-	3	15	-	2	-	1	2	-	-	1	-	-	40	20	60
झारखंड	4	37	2	15	-	5	18	-	-	3	3	3	13	2	6	-	9	120	45	165
कर्नाटक	9	55	4	38	1	39	60	-	29	9	8	10	38	1	12	2	15	330	175	505
केरल	17	86	9	25	-	63	189	-	30	7	7	13	49	-	15	1	23	534	112	646
मध्य प्रदेश	10	64	2	19	-	32	34	-	10	5	6	2	46	2	8	2	6	248	152	400
महाराष्ट्र	26	94	10	74	2	70	150	2	15	25	32	12	87	1	23	3	39	665	299	964
मणिपुर	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
मेघालय	1	3	-	3	-	1	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	16	1	17
मिज़ोरम	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	1	5
नागालैंड	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	7
उड़ीसा	9	40	3	16	-	18	24	-	7	-	2	2	15	1	9	-	11	157	69	226
पंजाब	12	50	8	33	1	27	173	-	15	9	33	4	57	0	6	-	10	438	75	513
राजस्थान	8	47	1	20	1	30	227	-	14	5	7	1	27	3	9	-	17	417	127	544
सिक्किम	1	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	9	1	10
तमिलनाडु	11	48	7	26	-	46	99	-	46	8	14	7	76	1	19	2	15	425	208	633
त्रिपुरा	1	2	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	9	5	14
उत्तर प्रदेश	18	95	7	53	1	51	120	-	16	8	16	4	86	10	15	-	18	518	266	784
उत्तराखण्ड	4	11	-	4	-	7	11	-	1	2	1	1	1	-	-	-	1	44	38	82
पश्चिम बंगाल	18	58	5	33	-	23	100	-	3	6	6	6	33	1	14	-	34	340	182	522
अंडमान निकोबार	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
चंडीगढ़	1	3	1	1	-	1	3	-	1	-	2	1	-	1	2	-	-	17	9	26
दादर नागर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
दमन व दिव	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
दिल्ली	8	16	2	18	1	12	43	-	3	8	9	4	14	1	3	-	10	152	72	224
लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पांडुचेरी	1	5	1	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	14	3	17
कंपनी योग	213	1007	77	538	9	569	1958	2	265	151	194	94	745	33	200	53	283	6391	2522	8913

* प्राधिकरण की मंजूरी के बाद कार्यालय खुला।

नोट: 1) जीवन बीमा कंपनियों से एक विशेष तापसी के माध्यम से डेट2) कार्यालय को बीमा अधिनियम, 1938.2 की धारा 64वीसी के तहत परिभाषित किया गया।

राज्यानुसार बीमालेखन-किया गया नया व्यक्तिगत व्यापार- 2007-08

राज्य / संघ क्षेत्र	अविवा		बजाज अलायंस		भारती एक्सा		बिरला सन लाइफ		फ्यूचर जनरली		एचडीएफसी स्टैंडर्ड		आईसीआईसीआई पू		आईडीबीआई फोर्टिस		आईएनजी वैश्य		कोटक महिन्दा	
	(पॉलिसियो की संख्या)	प्रीमियम	(पॉलिसियो की संख्या)	प्रीमियम	(पॉलिसियो की संख्या)	प्रीमियम	(पॉलिसियो की संख्या)	प्रीमियम	(पॉलिसियो की संख्या)	प्रीमियम	(पॉलिसियो की संख्या)	प्रीमियम	(पॉलिसियो की संख्या)	प्रीमियम	(पॉलिसियो की संख्या)	प्रीमियम	(पॉलिसियो की संख्या)	प्रीमियम	(पॉलिसियो की संख्या)	प्रीमियम
आन्ध्र प्रदेश	15448	43.70	304622	494.01	5742	9.06	36769	60.85	52	0.02	101740	134.09	298070	456.54	135	0.42	76589	144.09	9358	29.42
अरुणाचल प्रदेश	173	0.46	2937	7.81	2	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0.01	25	0.08	-	-
असम	5549	9.91	100617	154.21	7	0.004	22903	25.52	-	-	17467	24.31	33767	86.01	2	0.003	3747	5.25	3841	10.68
बिहार	12024	16.94	339636	428.00	1159	1.55	21838	32.06	-	-	7708	16.35	56334	113.14	-	-	1746	2.38	-	-
छत्तीसगढ़	2479	4.08	30737	44.92	34	0.12	9993	7.37	-	-	10001	22.93	15808	32.85	60	0.30	876	1.25	16	0.06
गोआ	1655	7.05	7784	17.63	1	0.001	1577	7.76	-	-	3560	19.89	6585	30.59	130	0.22	1966	3.00	376	1.46
गुजरात	15933	40.91	143501	290.34	4926	6.34	23290	53.16	15	0.002	55178	182.82	231203	620.39	221	0.53	14031	30.16	49598	160.06
हरियाणा	20785	56.90	87691	173.28	53	0.08	20358	67.61	-	-	19413	49.34	25545	59.62	50	0.24	8725	17.57	11339	28.46
हिमाचल प्रदेश	842	1.83	13592	30.55	57	0.08	483	0.86	-	-	3583	6.17	27554	27.61	11	0.04	3095	7.34	-	-
जम्मू-कश्मीर	2573	4.40	28606	52.14	4	0.004	1	0.005	-	-	4778	8.41	21499	50.88	3	0.02	1910	6.66	-	-
झारखंड	7048	15.69	118203	186.11	541	1.15	21040	15.17	-	-	8615	15.80	42125	95.09	7	0.04	1454	2.94	1131	2.33
कर्नाटक	16742	54.88	308618	569.71	4556	7.47	54293	103.24	6	0.002	43797	147.05	163678	398.45	179	0.26	51737	98.38	9498	34.44
केरल	19528	63.45	182693	468.10	3571	5.91	8232	30.10	-	-	52921	223.03	178473	671.20	390	2.03	22724	47.05	27042	57.93
मध्य प्रदेश	13335	24.51	78480	182.35	1906	2.61	25496	35.46	19	0.002	52293	63.10	72572	146.04	177	0.73	8510	14.33	4571	16.44
महाराष्ट्र	45736	129.21	352020	763.36	8755	15.21	152975	775.07	382	0.19	250913	507.42	408519	1199.28	932	3.37	19427	39.09	49816	222.16
मणिपुर	43	0.09	1152	1.71	-	-	10001	0.50	-	-	-	-	3619	2.18	-	-	40	0.08	-	-
मेघालय	477	1.19	3622	7.53	-	-	1342	9.00	-	-	1377	2.68	2021	6.21	-	-	25	0.06	-	-
मिज़ोरम	81	0.09	2751	17.89	-	-	244	1.938	-	-	-	-	1296	2.17	-	-	43	0.07	-	-
नागालैंड	234	0.36	2454	3.41	-	-	2117	4.38	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0.02	-	-
उड़ीसा	13587	29.55	183587	328.76	4789	6.53	14701	15.80	-	-	14604	27.29	71501	146.70	3	0.01	10927	18.01	-	-
पंजाब	48318	134.42	98108	232.98	5182	9.45	28312	65.37	21	0.05	28937	95.93	184912	585.73	117	0.69	13837	30.04	11977	48.55
राजस्थान	25861	25.27	116464	241.54	1599	2.01	31380	53.42	1	0.0005	31933	69.30	100552	196.55	84	0.20	15030	24.73	8228	20.26
सिक्किम	905	2.48	3918	11.61	-	-	165	0.479	-	-	1147	3.08	2012	6.41	2	0.02	42	0.07	-	-
तमिलनाडु	24566	76.17	372399	526.79	8479	10.31	35157	46.81	-	-	54916	197.11	233252	585.42	176	0.80	52451	108.63	16205	51.56
त्रिपुरा	1748	3.15	13181	17.10	1	0.0001	611	0.65	-	-	2101	4.57	5482	12.73	-	-	36	0.05	-	-
उत्तर प्रदेश	29891	60.16	481516	596.70	6746	7.89	103738	156.00	6	0.002	65293	149.76	314469	487.04	131	0.52	23090	37.69	7370	23.99
उत्तराखण्ड	1302	3.23	24	5.53	-	-	8943	14.44	-	-	5368	10.84	44400	36.84	41	0.04	4197	7.75	-	-
पश्चिम बंगाल	26589	64.36	307726	532.97	5850	8.25	21947	53.39	-	-	55832	124.49	154707	341.45	61	0.35	8202	13.93	39634	67.27
अंडमान / निकोबार	29	0.180	1591	1.90	-	-	-	-	-	-	-	-	176	0.28	4	0.03	11	0.02	-	-
चंडीगढ़	3299	11.92	3661	5.16	2199	3.46	3555	15.61	-	-	6175	30.88	-	-	27	0.13	1051	3.23	3954	17.60
दादरा / नागर	91	0.28	631	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.004	98	0.10	-	-
दमन व दिव	51	0.18	794	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.001	41	0.12	-	-
दिल्ली	30798	121.87	45327	83.17	7915	12.50	24498	80.48	298	0.15	47276	205.70	212979	646.88	204	0.92	13017	28.03	59536	182.37
लक्षद्वीप	-	-	197	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0.03	-	-
पांडुचेरी	622	1.82	5506	7.19	-	-	2352	3.03	-	-	1686	6.22	-	-	-	-	1340	2.73	-	-
कंपनी योग	388342	1010.69	3744346	6486.60	74074	109.98	688311	1735.53	800	0.41	948612	2348.57	2913110	7044.30	3158	11.90	360069	694.97	313490	975.04

इसका विदेशी नया व्यापार प्रीमियम शामिल नहीं है।

राज्यवार कराया गया नया व्यक्तिगत व्यापार बीमा—2007-08 जारी..

(करोड़ रुपये में प्रीमियम)

मैटलाइफ		रिलायंस लाइफ		सहारा		एसबीआई लाइफ		श्रीराम		टाटा एआईजी		राज्य का कुल (निजी)		एलआईसी रु		राज्य का कुल (उद्योगी)	
(पॉलिसियो की संख्या)	प्रीमियम	(पॉलिसियो की संख्या)	प्रीमियम	(पॉलिसियो की संख्या)	प्रीमियम	(पॉलिसियो की संख्या)	प्रीमियम	(पॉलिसियो की संख्या)	प्रीमियम	(पॉलिसियो की संख्या)	प्रीमियम	(पॉलिसियो की संख्या)	प्रीमियम	(पॉलिसियो की संख्या)	प्रीमियम	(पॉलिसियो की संख्या)	प्रीमियम
18895	63.18	62276	162.49	4621	6.61	108276	340.47	66132	168.01	56075	24.81	1238105	2223.15	3467791	3484.60	4705896	5707.75
-	-	-	-	-	-	600	1.59	-	-	27	0.09	3771	10.04	9911	22.40	13682	32.44
2336	3.07	8623	16.00	1916	1.50	39821	48.06	-	-	15346	23.90	267281	421.71	719401	730.52	986682	1152.23
1655	2.01	15981	28.21	25167	22.60	32419	96.61	31	0.06	9599	16.71	540343	794.41	1793081	1473.21	2333424	2267.62
74	0.09	911	2.00	989	1.63	24937	82.20	773	1.94	2239	4.44	103763	211.45	392179	500.15	495942	711.60
415	0.80	569	2.403	-	-	1085	8.98	82	0.20	155	0.33	32101	114.10	121511	210.02	153612	324.12
6399	12.99	50819	137.27	4937	5.01	31506	136.57	1026	2.68	31940	47.46	754847	1907.57	1948555	2491.32	2703402	4398.88
2062	3.66	23369	56.14	814	0.97	17754	85.31	30	0.04	14695	23.08	282437	677.89	548277	997.79	830714	1675.68
-	-	3242	7.91	-	-	8019	54.34	4	0.004	2723	4.28	67487	146.80	368542	830.66	436029	977.46
21199	56.46	1048	1.95	-	-	3705	14.73	-	-	77	0.12	90258	204.80	181738	416.05	271996	620.85
2438	3.17	23172	30.45	2030	2.77	16417	55.56	276	0.43	7481	12.73	259516	449.96	725349	835.98	984865	1285.94
30067	104.53	43177	105.52	1165	1.96	63224	207.05	4273	12.41	18191	39.40	843851	1953.57	2710656	3053.56	3554507	5007.13
24318	104.13	35744	133.34	-	-	77017	461.17	765	3.15	30569	55.75	679999	2354.68	1987049	3992.73	2667048	6347.40
782	1.25	16900	35.41	3278	4.09	44290	178.98	2017	5.38	5156	5.08	350632	748.35	1434250	1861.32	1784882	2609.67
31326	131.41	463293	933.30	1310	2.29	64589	264.85	4367	13.73	57749	156.47	2036069	5417.36	4607106	5840.02	6643175	11257.38
-	-	-	-	-	-	1823	5.42	-	-	46	0.07	16886	10.31	38162	86.41	55048	96.72
-	-	1423	3.72	-	-	2232	3.97	-	-	314	0.84	12846	35.22	15715	48.87	28561	84.09
-	-	195	1.09	-	-	307	0.35	-	-	8	0.41	4926	24.00	6370	29.42	11296	53.42
-	-	117	0.74	-	-	1026	0.92	-	-	9	0.02	6243	10.16	17255	33.06	23498	43.22
2638	3.85	21954	33.35	3831	3.50	50122	162.26	312	0.85	29241	30.40	443818	834.66	1186271	1082.54	1630089	1917.20
9014	19.07	26565	75.32	0	0.05	29230	178.61	4	0.01	12206	21.37	551379	1609.46	642214	1509.72	1193593	3119.18
1919	5.08	26031	51.86	13955	18.91	35062	134.27	137	0.22	32189	36.67	478343	940.50	1599449	2456.99	2077792	3397.49
-	-	177	1.10	-	-	159	2.05	1	0.002	159	0.55	8687	27.84	13300	30.97	21987	58.81
19227	60.50	83943	174.52	523	1.63	144238	675.47	27974	98.36	34541	54.82	1165734	2765.27	3588588	5529.53	4754322	8294.80
-	-	533	1.58	-	-	545	0.76	-	-	773	1.04	27959	45.97	95278	148.88	123237	194.85
4169	7.80	90181	169.17	36477	40.69	43464	199.53	81	0.12	28554	40.03	1309186	2085.23	4086154	4767.82	5395340	6853.05
1388	1.84	5218	10.10	-	-	5751	26.95	7	0.01	696	0.90	90044	140.33	433867	538.85	523911	679.18
25001	94.78	26108	49.36	5643	5.32	59355	219.63	108	0.17	79220	151.98	887908	1823.63	3577903	3492.08	4465811	5315.71
-	-	-	-	-	-	127	0.72	-	-	3	0.01	2877	4.35	25543	44.52	28420	48.87
-	-	5548	14.69	660	1.01	4184	11.46	7	0.03	745	3.12	51732	150.25	69108	714.74	120840	864.99
-	-	-	-	-	-	108	0.43	1	0.002	-	-	932	1.52	-	-	932	1.52
-	-	-	-	-	-	72	0.35	6	0.02	1	0.001	966	1.60	5723	8.63	6689	10.23
29830	105.42	34709	95.84	1768	1.59	11784	67.82	80	0.24	25209	75.11	625619	1912.54	1123387	1991.38	1749006	3903.92
-	-	-	-	-	-	7	2.92	-	-	1	0.005	222	3.47	30	0.004	252	3.47
-	-	1889	4.24	-	-	2274	12.23	635	1.77	1012	1.47	20434	44.24	50282	61.88	70716	106.12
235152	785.10	1073715	2339.06	109084	122.11	925529	3742.58	109129	309.85	496949	833.50	13257201	30106.35	37589995	49316.62	50847196	79422.97

इसका विदेशी नया व्यापार प्रीमियम शामिल नहीं है।

शिकायतें – जीवन बीमा

क्र. सं.	बीमाकर्ता	सुलझाई गई लंबित											
		प्रतिशत											
		2007-08											
		2007-08 वर्ष के दौरान रिपोर्ट	2007-08 वर्ष के दौरान सुलझाई गई	वर्ष के दौरान सुलझाई गई 31 मार्च 2008 को लंबित	<=15 दिन	>15 और <=30 दिन	>30 और <=60 दिन	>60 और <=90 दिन	>90 और <=120 दिन	>120 और <=150 दिन	>150 और <=180 दिन	>180 दिन	>180 दिन
1	अविवा लाइफ इंश्योरेंस कं. इंडिया प्रा. लि.	127	110	86.61	17	31	38	40	1	6	1	9	1
2	बजाज अलायज लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	403	328	81.39	75	40	129	146	13	10	12	52	1
3	बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	67	55	82.09	12	6	28	21	0	2	4	4	2
4	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	106	50	47.17	56	2	12	36	0	4	9	42	1
5	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	233	212	90.99	21	59	92	60	1	12	7	2	0
6	आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	26	20	76.92	6	3	4	10	3	0	0	6	0
7	कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्यूच्युअल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	51	37	72.55	14	10	13	14	0	1	3	3	7
8	लाइफ इंश्योरेंस कं. ऑफ इंडिया	651	80	12.29	571	7	9	59	5	30	19	226	296
9	मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	84	57	67.86	27	19	12	26	0	5	2	17	3
10	मैट लाइफ इंश्योरेंस कं. प्रा. लि.	49	22	44.9	27	1	5	16	0	2	1	15	9
11	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	89	74	83.15	15	5	16	49	4	3	1	10	1
12	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2	1	50	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	101	86	85.15	15	6	29	43	8	8	4	3	0
14	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1
15	टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	66	48	72.73	18	16	16	16	0	2	2	9	5
	कुल	2057	1180	57.37	877	205	404	536	35	85	66	399	327

सामूहिक मृत्यु दावे — 2007-08

जीवन बीमाकर्ता	(लाम राशि करोड़ रु. में)																	
	वर्ष के आरंभ में लंबित दावे		सूचित/बुक दावे		कुल दावे		भुगतान किए गए दावे		खंडित दावे		पुनरांकित दावे		वर्ष के अंत में लंबित दावे		लंबित दावों का ब्यौरा - अवधि अनुसार (जीवन)			
	जीवनों की संख्या	लाम राशि	जीवनों की संख्या	लाम राशि	जीवनों की संख्या	लाम राशि	जीवनों की संख्या	लाम राशि	जीवनों की संख्या	लाम राशि	जीवनों की संख्या	लाम राशि	जीवनों की संख्या	लाम राशि				
															<3 माह	3-6 माह	6-1 वर्ष	>1 वर्ष
अविवा	58	0.10	1783	4.96	1841	5.06	1769	4.81	23	0.10	-	-	49	0.15	22	5	5	17
							(96.09)	(95.06)	(1.25)	(1.98)	-	-	(2.66)	(2.96)	(44.90)	(10.20)	(10.20)	(34.69)
बजाज अलायंस	350	3.53	4558	38.42	4908	41.95	4339	39.38	23	0.48	-	-	546	2.10	194	185	71	96
							(88.41)	(93.86)	(0.47)	(1.14)	-	-	(11.12)	(5.00)	(35.53)	(33.88)	(13.00)	(17.58)
भारती एक्सा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बिरला सन लाइफ	0	0.00	278	18.00	278	18.00	270	17.63	8	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-
							(97.12)	(97.94)	(2.88)	(2.06)	-	-	-	-	-	-	-	-
फ्यूचर जनरली	0	0.00	16	0.53	16	0.53	2	0.14	1	0.02	-	-	13	0.37	13	-	-	-
							(12.50)	(26.42)	(6.25)	(3.77)	-	-	(81.25)	(69.81)	(100.00)	-	-	-
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	6	0.19	176	1.97	182	2.15	174	1.84	-	-	-	-	8	0.31	-	3	-	5
							(95.60)	(85.70)	-	-	-	-	(4.40)	(14.30)	-	(37.50)	-	(62.50)
आईसीआईसीआई प्रू	10	0.25	280	7.07	290	7.32	276	6.89	2	0.02	-	-	12	0.41	12	-	-	-
							(95.17)	(94.13)	(0.69)	(0.27)	-	-	(4.14)	(5.60)	(100.00)	-	-	-
आईडीबीआई फोर्टिस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आईएनजी वैश्य	2	0.08	251	2.43	253	2.51	217	2.36	24	0.02	-	-	12	0.12	12	-	-	-
							(85.77)	(94.08)	(9.49)	(0.99)	-	-	(4.74)	(4.94)	(100.00)	-	-	-
कोटक महिन्द्रा	70	1.90	805	16.63	875	18.53	619	13.35	148	2.57	-	-	108	2.61	65	31	9	3
							(70.74)	(72.05)	(16.91)	(13.87)	-	-	(12.34)	(14.09)	(60.19)	(28.70)	(8.33)	(2.78)
मैक्स न्यूयार्क लाइफ	13	0.54	554	4.01	567	4.55	557	4.32	10	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-
							(98.24)	(94.95)	(1.76)	(5.05)	-	-	-	-	-	-	-	-
मैट लाइफ	212	4.01	481	14.60	693	18.61	466	12.94	66	0.60	-	-	161	5.07	58	21	38	44
							(67.24)	(69.53)	(9.52)	(3.22)	-	-	(23.23)	(27.24)	(36.02)	(13.04)	(23.60)	(27.33)
रिलायंस लाइफ	37	0.38	863	53.13	900	53.51	867	52.67	26	0.63	-	-	7	0.21	7	-	-	-
							(96.33)	(98.42)	(2.89)	(1.19)	-	-	(0.78)	(0.39)	(100.00)	-	-	-
सहारा	0	0.00	17	0.07	17	0.07	17	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							(100.00)	(100.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एसबीआई लाइफ	1161	17.20	8385	143.92	9546	161.12	7949	129.05	835	11.70	34	0.58	728	19.79	367	102	98	161
							(83.27)	(80.10)	(8.75)	(7.26)	(0.36)	(0.36)	(7.63)	(12.28)	(50.41)	(14.01)	(13.46)	(22.12)
श्रीराम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
टाटा एआईजी	337	4.21	706	15.10	1043	19.30	553	8.60	66	1.40	-	-	424	9.30	115	44	77	188
							(53.02)	(44.55)	(6.33)	(7.28)	-	-	(40.65)	(48.18)	(27.12)	(10.38)	(18.16)	(44.34)
निजी योग	2256	32.38	19153	320.83	21409	353.21	18075	294.04	1232	18.15	34	0.58	2068	40.44	865	391	298	514
							(84.43)	(83.25)	(5.75)	(5.14)	(0.16)	(0.16)	(9.66)	(11.45)	(41.83)	(18.91)	(14.41)	(24.85)
एलआईसी	95	0.69	141333	760.41	141428	761.10	141258	759.82	9	0.15	-	-	161	1.13	14	100	37	10
							(99.88)	(99.83)	(0.01)	(0.02)	-	-	(0.11)	(0.15)	(8.70)	(62.11)	(22.98)	(6.21)
उद्योग योग	2351	33.07	160486	1081.24	162837	1114.31	159333	1053.86	1241	18.30	34	0.58	2229	41.57	879	491	335	524
							(97.85)	(94.58)	(0.76)	(1.64)	(0.02)	(0.05)	(1.37)	(3.73)	(39.43)	(22.03)	(15.03)	(23.51)

टिपणी : कोषक के आकड़े संगत कुल दावों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा उत्पादों की सूची*

बीमाकर्ता	उत्पाद का नाम	प्रारंभ की तिथि	उत्पाद की नाम	प्रारंभ की तिथि
	व्यक्तिगत श्रेणी		समूह श्रेणी	
अविवा	ग्रामीण सुरक्षा	12 जून 2007	क्रेडिट प्लस	1 नवम्बर 2004
बजाज अलायंज	बजाज अलायंज जन विकास योजना	7 मार्च 2007		
	बजाज अलायंज सरल सुरक्षा योजना	7 मार्च 2007		
	बजाज अलायंज अल्प निवेश योजना	7 मार्च 2007		
बिरला सनलाइफ	बीमा धन संचय	31 अगस्त 2007		
	बीमा सुरक्षा सुपर	31 अगस्त 2007		
आईएनजी वैश्य	सिक्वोरिंग लाइफ रूरल एंडोवमेंट प्लान	24 फरवरी 2003	सामाजिक क्षेत्र के लिए जेनरिक समूह सावधि बीमा	27 मार्च 2002
		(13 मार्च 08 को उत्पाद वापस ले लिया गया था)		
	सुरक्षित जीवन रूरल एंडोवमेंट प्लान	8 मार्च 2002	आईएनजी सरल सुरक्षा	30 नवम्बर 2007
		(1 अप्रैल 08 को उत्पाद वापस ले लिया गया था)		
सहारा	सहारा सहयोग	26 जून 2006	सहारा जन कल्याण	15 मार्च 2005
एसबीआई लाइफ			ग्रामीण शक्ति	1 दिसम्बर 2007
			ग्रामीण सुपर सुरक्षा	1 दिसम्बर 2007
			किसानों के लिए सुपर सुरक्षा	4 मार्च 2002
			स्वयं सहायता समूहों के लिए शक्ति (समूह स्वाधान)	10 अक्टूबर 2003
			केसीसी/जीसीसी धारकों के लिए जीवन भर पेंशन	5 जून 2003
श्रीराम			श्री सहाय एसपी	18 मार्च 2007
			श्री सहाय एसपी	15 मई 2007
टाटा एआईजी	टाटा एआईजी लाइफ आयुष्मान योजना	8 अगस्त 2006		
	टाटा एआईजी लाइफ नव कल्याण योजना	8 अगस्त 2006		
	टाटा एआईजी लाइफ संपूर्ण बीमा योजना	8 अगस्त 2006		
एलआईसी	जीवन मधुर	28 सितम्बर 2006	जय श्री बीमा योजना	10 अगस्त 2000
			आम आदमी बीमा योजना	2 अक्टूबर 2007

* सभी सुरक्षा बीमा उत्पाद और आईआरडीए (सूक्ष्म-बीमा) विनियमन, 2005 के तहत प्राचलों के अंदर आने वाले उत्पाद, किन्तु जिन्हें कथित विनियमों के पहले प्रारंभ किया गया।

भारत में काम करने वाली बीमा कंपनियाँ जीवन बीमाकर्ता

सार्वजनिक क्षेत्र

1. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)

निजी प्रतियोगी

1. बजाज अलायंज लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
2. बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (बिएसएलआई)
3. एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (एचडीएफसी स्टैंड लाइफ)
4. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (आईसीआईसीआई प्रू)
5. आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (आईएनजी वैश्य)
6. मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (एमएनवाईएल)
7. मैट लाइफ इंश्योरेंस कं. प्रा. लि. (मैटलाईफ)
8. कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युच्युअल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
9. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (एसबीआई लाइफ)
10. टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (टाटा एआईजी)
11. रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
12. अविवा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (अविवा)
13. सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (सहारा लाइफ)
14. श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (श्रीराम लाइफ)
15. भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (भारती एक्सा)
16. फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ)
17. आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
18. केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
19. ऐगॉन रेलिग्रे लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
20. डीएलएफ प्रेमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

गैर –जीवन बीमाकर्ता

सार्वजनिक क्षेत्र

निजी प्रतियोगी

1. न्यू इंडिया इश्योरेंस कं. लि. (न्यू इंडिया अलायंज)
2. नेशनल इश्योरेंस कं. लि. (नेशनल)
3. ओरिएंटल इश्योरेंस कं. लि. (ओरियंटल टोकियो)
4. यूनाईटेड इंडिया इश्योरेंस कं. लि. (यूनाईटेड)
5. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लि. (ईसीजीसी सुन्दरम)
6. भारतीय कृषि बीमा संस्थान (एआईसी एआईजी)

1. बजाज अलायंज जनरल इश्योरेंस कं. लि. (बजाज)
2. आईसीआईसीआई लॉबार्ड जनरल इश्योरेंस कं. लि. (आईसीआईसीआई लंबार्ड)
3. इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कं. लि. (इफको)
4. रिलायंस जनरल इश्योरेंस कं. लि. (रिलायंस)
5. रॉयल सुन्दरम अलायंस जनरल इश्योरेंस कं. लि. (रॉयल सुन्दरम)
6. टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कं. लि. (टाटा)
7. चोलामंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कं. लि. (चोलामंडलम)
8. एचडीएफसी जनरल इश्योरेंस कं. लि. (एचडीएफसी चब्स)
9. स्टार हैल्थ एंड एलाइड इश्योरेंस कं. लि. (स्टार हैल्थ)
10. अपोलो डीकेवी इश्योरेंस कं. लि. (अपोलो डीकेवी)
11. फ्यूचर जनरली इंडिया इश्योरेंस कं. लि. (फ्यूचर जनरली इंडिया)
12. युनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कं. लि.
13. श्रीराम जनरल इश्योरेंस कं. लि.
14. भारती एक्सा जनरल इश्योरेंस कं. लि.

पुनर्बीमाकर्ता : भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी)

आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गए विनियमन

क.सं.

अधिसूचना

- 1 आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति के सदस्य) विनियमन, 2000
- 2 आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति का चयन विनियमन) विनियमन, 2000
- 4 आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) विनियमन, 2000
- 5 आईआरडीए (बीमांकक रिपोर्ट तथा एबस्ट्रैक्ट्स) विनियमन, 2000
- 6 आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियमन, 2000
- 7 आईआरडीए (बीमाकर्ता की संपत्ति, दायित्व और सोल्वेन्सी मार्जिन्स) विनियमन, 2000
- 8 आईआरडीए (साधारण बीमा पुनर्बीमा) विनियमन, 2000
- 9 आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियमन, 2000
- 10 आईआरडीए (बीमा एडवर्टाइजमेंट तथा डिस्कलाजर्स) विनियमन, 2000
- 11 आईआरडीए (ओब्लिगेशन्स ऑफ इश्योरर्स टू रूरल सोशल सेक्टर) विनियमन, 2000
- 12 आईआरडीए (बैठक) विनियमन, 2000
- 13 आईआरडीए (प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ इश्योरेंस कम्पनीज) विनियमन, 2000
- 14 आईआरडीए (निवेश) विनियमन, 2000
- 15 आईआरडीए (अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के कार्य करने के नियम) विनियमन, 2000
- 16 आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक एवं हानि निर्धारक) (लाइसेंसींग, प्रोफेशनल रिक्वारमेंट तथा कोड ऑफ कंडक्ट) विनियमन, 2000
- 17 आईआरडीए (जीवन बीमा पुनर्बीमा) विनियमन, 2000
- 18 आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियमन, 2001
- 19 आईआरडीए (तृतीय पक्ष प्रशासक स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियमन, 2001
- 20 आईआरडीए (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियमन, 2001
- 21 आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियमन, 2002
- 22 आईआरडीए (प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ इश्योरेंस कम्पनीज) विनियमन, 2002
- 23 आईआरडीए (बीमा धारकों के हित की सुरक्षा) विनियमन 2002
- 24 आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियमन, 2002
- 25 आईआरडीए (ओब्लिगेशन्स ऑफ इश्योरर्स टू रूरल सोशल सेक्टर) (संशोधन) विनियमन, 2002
- 26 आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियमन, 2002
- 27 आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियमन, 2002
- 28 आईआरडीए (बीमा धारकों के हित की सुरक्षा) (संशोधन) विनियमन 2002
- 29 आईआरडीए (मेनर ऑफ रिसिट प्रीमियम) विनियमन, 2002
- 30 आईआरडीए (डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ सरप्लस) विनियमन, 2002
- 31 आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (संशोधन) विनियमन, 2003
- 32 आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियमन, 2004
- 33 आईआरडीए (बीमांकक की योग्यता) विनियमन, 2004
- 34 आईआरडीए (ओब्लिगेशन्स ऑफ इश्योरर्स टू रूरल सोशल सेक्टर) (संशोधन) विनियमन, 2004
- 35 आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) विनियमन 2005
- 36 आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) 2005
- 37 आईआरडीए (प्रसव छुट्टी) 2005
- 38 आईआरडीए (ओब्लिगेशन्स ऑफ इश्योरर्स टू रूरल सोशल सेक्टर) (संशोधन) विनियमन, 2005
- 39 आईआरडीए (पुनर्बीमा अध्यापण) अधिसूचना
- 40 आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियमन, 2007
- 41 आईआरडीए (कॉर्पोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियमन, 2007
- 42 आईआरडीए (बीमा दलाल) (संशोधन) विनियमन, 2007
- 43 आईआरडीए (ओब्लिगेशन्स ऑफ इश्योरर्स टू रूरल सोशल सेक्टर) (तीसरा संशोधन) (संशोधन) विनियमन, 2008
- 44 आईआरडीए (ओब्लिगेशन्स ऑफ इश्योरर्स टू रूरल सोशल सेक्टर) (चौथा संशोधन) (संशोधन) विनियमन, 2008
- 45 आईआरडीए (भारतीय बीमा कम्पनी का रजिस्ट्रेशन) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2008
- 46 आईआरडीए (अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के कार्य करने के नियम) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2008
- 47 आईआरडीए (निवेश) (चौथा संशोधन) विनियमन, 2008

**जीवन बीमा कंपनियों में नियुक्त किये गए बीमांकक
(31मार्च 2008 को)**

बजाज अलायंज लाइफ इंश्योरेन्स कं. लि.	श्री अनिल कुमार सिंह
रिलायंस लाइफ इंश्योरेन्स कं. लि.	श्रीमती पूर्णिमा गुप्ता
अविवा लाइफ इंश्योरेन्स कं. इंडिया प्रा. लि.	श्री चंदन खासनोबिस
बिरला सन लाइफ इंश्योरेन्स कं. लि.	श्री फैबिन ज्युडी
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेन्स कं. लि.	श्री डब्ल्यू. जे. मार्टिन
आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेन्स कं. लि.	श्री अविजित चैटर्जी
आईएनजी वैश्या लाइफ इंश्योरेन्स कं. लि.	श्रीमती हेमामालिनि रामाकृष्णन
लाइफ इंश्योरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	श्री जी.एन. अग्रवाल
मैक्स न्युर्याक लाइफ इंश्योरेन्स कं. लि.	श्री जॉन चार्ल्स पूल
मैटलाइफ इंडिया इंश्योरेन्स कं. प्रा. लि.	श्री एम.एस.वी.एस. फानेश
कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युच्युअल लाइफ इंश्योरेन्स लि.	श्री बी.एल. जोन्स
सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेन्स कं. लि.	श्री के.के. धरनी
एसबीआई लाइफ इंश्योरेन्स कं. लि.	श्री आई. संबाशिवा राव
टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेन्स कं. लि.	श्री हीरक बासु
श्रीराम लाइफ इंश्योरेन्स कं. लि.	श्री एन.एस. शास्त्री
भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेन्स कं. लि.	श्री जी.एल.एन. शर्मा
फयुचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेन्स कं. लि.	श्री एस.के. पुजारी
आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इंश्योरेन्स कं. लि.	श्री माईक जे. वुड

संलग्नक III (बी)

**गैर जीवन बीमा कंपनियों में नियुक्त किये गए बीमांकक
(31 मार्च 2008 को)**

भारतीय कृषि बीमा कं. लि.	श्री एस. चिदंबरम
बजाज अलायंज जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	श्रीमती आशा जे जोशी
चोलामंडलम एमएस जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री एम. वेंकटेशन
जनरल इश्योरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (जीवन पुनर्बीमा विभाग)	श्री टी. भार्गव
जनरल इश्योरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (गैर जीवन पुनर्बीमा विभाग)	श्री ए.के. गर्ग
एचडीएफसी जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री एन. लक्ष्मणन
आईसीआईसीआई लॉबार्ड जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री लियाकत खान
इफको टोकियो जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री ए.पी. पीताम्बरन
नेशनल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री बी. चैटर्जी
न्यू इंडिया एश्योरेन्स कं. लि.	श्री ए.आर. प्रभु
रिलायंस जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री एन.जी. पाई
रॉयल सुन्दरम अलायंज इश्योरेन्स कं. लि.	श्री ओ. लक्ष्मीनारायण
टाटा एआईजी जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री हनुमंत राव
ओरिएंटल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री पी.सी. गुप्ता
युनाइटेड इंडिया इश्योरेन्स कं. लि.	श्री एस. कृष्णन
स्टार हेल्थ एंड अलाइड इश्योरेन्स कं. लि.	श्री आर. सौंदराजन
अपोलो डीकेवी इश्योरेन्स कं. लि.	श्री गौतम कवकर
यूनीवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री वी. गोविंदन

संलग्नक IV (ए)

भारतीय जन्म-मृत्यु दर (1994-96) (संशोधित) निर्धारण

आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर
0	0.001630	50	0.005244
1	0.000960	51	0.005819
2	0.000670	52	0.006443
3	0.000620	53	0.007116
4	0.000470	54	0.007839
5	0.000420	55	0.008611
6	0.000380	56	0.009433
7	0.000400	57	0.010294
8	0.000400	58	0.011025
9	0.000400	59	0.011951
10	0.000380	60	0.013073
11	0.000450	61	0.014391
12	0.000530	62	0.015904
13	0.000650	63	0.017612
14	0.000713	64	0.019516
15	0.000770	65	0.021615
16	0.000823	66	0.022724
17	0.000873	67	0.025617
18	0.000919	68	0.028823
19	0.000961	69	0.032372
20	0.000999	70	0.036294
21	0.001033	71	0.040623
22	0.001063	72	0.045392
23	0.001090	73	0.050639
24	0.001113	74	0.056404
25	0.001132	75	0.062728
26	0.001147	76	0.069655
27	0.001159	77	0.077231
28	0.001166	78	0.085502
29	0.001170	79	0.094519
30	0.001170	80	0.104331
31	0.001171	81	0.114992
32	0.001201	82	0.126553
33	0.001246	83	0.139067
34	0.001308	84	0.151077
35	0.001387	85	0.162298
36	0.001482	86	0.174149
37	0.001593	87	0.186638
38	0.001721	88	0.199775
39	0.001865	89	0.213560
40	0.002053	90	0.227995
41	0.002247	91	0.243072
42	0.002418	92	0.258782
43	0.002602	93	0.275109
44	0.002832	94	0.292031
45	0.003110	95	0.309522
46	0.003438	96	0.327549
47	0.003816	97	0.346073
48	0.004243	98	0.365052
49	0.004719	99	0.384436

भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत के जन्म मृत्यु दर निर्धारण
एलआईसी ए (96-98) अंतिम

आयु	मृत्यु दर अपेक्षित	जन्म दर	आयु	मृत्यु दर अपेक्षित	जन्म दर
20	0.000919	57.45	65	0.013889	17.33
21	0.000961	56.50	66	0.015286	16.56
22	0.000999	55.56	67	0.017026	15.81
23	0.001033	54.61	68	0.019109	15.08
24	0.001063	53.67	69	0.021534	14.36
25	0.001090	52.72	70	0.024301	13.67
26	0.001113	51.78	71	0.027410	12.99
27	0.001132	50.84	72	0.030862	12.35
28	0.001147	49.89	73	0.034656	11.72
29	0.001159	48.95	74	0.038793	11.13
30	0.001166	48.01	75	0.043272	10.56
31	0.001170	47.06	76	0.048093	10.01
32	0.001170	46.12	77	0.053257	9.49
33	0.001171	45.17	78	0.058763	9.00
34	0.001201	44.22	79	0.064611	8.53
35	0.001246	43.28	80	0.070802	8.08
36	0.001308	42.33	81	0.077335	7.66
37	0.001387	41.38	82	0.084210	7.26
38	0.001482	40.44	83	0.091428	6.88
39	0.001593	39.50	84	0.098988	6.52
40	0.001721	38.56	85	0.106891	6.19
41	0.001865	37.63	86	0.115136	5.87
42	0.002053	36.70	87	0.123723	5.56
43	0.002247	35.77	88	0.132652	5.28
44	0.002418	34.85	89	0.141924	5.01
45	0.002602	33.93	90	0.151539	4.76
46	0.002832	33.02	91	0.161495	4.52
47	0.003110	32.11	92	0.171794	4.29
48	0.003438	31.21	93	0.182436	4.07
49	0.003816	30.32	94	0.193419	3.87
50	0.004243	29.43	95	0.204746	3.68
51	0.004719	28.56	96	0.216414	3.50
52	0.005386	27.69	97	0.228425	3.33
53	0.006058	26.84	98	0.240778	3.17
54	0.006730	26.00	99	0.253473	3.01
55	0.007401	25.17	100	0.266511	2.86
56	0.008069	24.35	101	0.279892	2.72
57	0.008710	23.55	102	0.293614	2.59
58	0.009397	22.75	103	0.307679	2.46
59	0.010130	21.96	104	0.322087	2.33
60	0.010907	21.18	105	0.336836	2.19
61	0.011721	20.41	106	0.351928	2.05
62	0.011750	19.64	107	0.367363	1.89
63	0.012120	18.87	108	0.383139	1.70
64	0.012833	18.10	109	0.399258	1.45
			110	0.415720	1.08

वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान पारित किये गए जीवन बीमा उत्पाद

क्र. सं.	जीवन बीमाकर्ता	उत्पाद का नाम
1	बजाज अलायंज लाइफ इंश्योरेंस क. लि.	बजाज अलायंज यूनिट गेन प्लस गोल्ड बजाज अलायंज सेंचुरी प्लस बजाज अलायंज फ्यूचर सेक्योर बजाज अलायंज यंग केयर बजाज अलायंज यंग केयर प्लस बजाज अलायंज जन विकास योजना बजाज अलायंज सरल सुरक्षा योजना बजाज अलायंज अल्प निवेश योजना बजाज अलायंज केयर फर्स्ट बजाज अलायंज गुप सेव प्लस बजाज अलायंज गुप सुरक्षा बजाज अलायंज सुपर सेवर यूएल फेमिली इन्कम बेनेफिट बजाज अलायंज यूएल वेवर ऑफ प्रीमियम बेनेफिट
2	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	रिलायंस सेक्योर चार्ड्ड प्लान रिलायंस गुप लीव एनकैशमेन्ट प्लान रिलायंस वैल्थ + हैल्थ प्लान रिलायंस टोटल इन्वेस्टमेन्ट प्लान सीरीज 1-इंश्योरेंस रिलायंस टोटल इन्वेस्टमेन्ट प्लान सीरीज 2-पेंशन क्वांटिफिकल कंडिशनस (25) राइडर मेजर सर्जिकल बेनेफिट राइडर टीम लाइफ विद एक्सीडेंटल बेनेफिट राइडर
3	अविवा लाइफ इंश्योरेंस कं. इंडिया प्रा. लि.	अविवा लिटल मास्टर अविवा गुप ग्रैच्युटी प्लान अविवा लाइफ सेवर सुपर अविवा इजी लाइफ प्लस पेंशन प्लस लाइफबांड प्लस लाइफबांड 5 अविवा लाइफ सेवर यूनिट लिंकड अविवा लिटल मास्टर अविवा गुप लीव एनकैशमेन्ट पॉलिसी अविवा फ्रीडम लाइफ प्लान अविवा लाइफ सेवर प्लस सेव गार्ड क्रेडिट सुरक्षा सेक्योर पेंशन कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ बेनेफिट (ईएचबी) राइडर सेक्योर पेंशन कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ बेनेफिट (ईएचबी) राइडर
4	बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी सेक्योरलाइफ रिटायरमेंट प्लान (एक्युमुलेशन फेज) बिरला सन लाइफ गोल्ड प्लस बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस सरल जीवन

क्र. सं.	जीवन बीमाकर्ता	उत्पाद का नाम
		बिरला सन लाइफ इश्योरेंस गोल्ड प्लस 2 बिरला सन लाइफ इश्योरेंस ग्रुप यूनिट लिंकड प्लान बिरला सन लाइफ इश्योरेंस प्लैटिनम प्लस बिरला सन लाइफ इश्योरेंस बीमा सुरक्षा सुपर बिरला सन लाइफ इश्योरेंस बीमा धन संचय एक्सीडेंटल डैथ राइडर
5	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	एचडीएफसी यूनिट लिंकड एन्वैन्स लाइफ प्रोटेक्शन 2 एचडीएफसी यूनिट लिंकड एन्डोवमेन्ट प्लस 2 एचडीएफसी यूनिट लिंकड यंगस्टार प्लस 2
6	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	लाइफस्टेज आरपी प्रीमियर लाइफ पेंशन लाइफस्टेज पेंशन आईसीआईसीआई प्रू लाइफ टाइम गोल्ड आईसीआईसीआई प्रू ग्रुप लीव एनकैशमेन्ट आईसीआईसीआई प्रू ग्रुप लीव एनकैशमेन्ट प्लस क्राइसिस कवर डाइबिटीज एश्योर डाइबिटीज केयर एक्टिव डैथ बेनेफिट राइडर डाइबिटिक एन्वैन्स बेनेफिट राइडर
7	आईएनजी वेश्य लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	आईएनजी पॉजिटिव लाइफ आईएनजी ग्यारंटीड ग्रोथ आईएनजी गोल्डन लाइफ आईएनजी क्रिएटिंग स्टार सरल सुरक्षा आईएनजी टर्म लाइफ आईएनजी टर्म लाइफ प्लस
8	भारतीय जीवन बीमा निगम	एआईसी फॉर्च्युन प्लस एआईसी प्रोफिट प्लस एआईसी हैल्थ प्लस एआईसी जीवन अमरत एआईसी अमूल्य जीवन - 1 ग्रुप क्रिटिकल इलनेस राइडर (एक्सेलरेटेड)
9	मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	लाइफ मेकर प्लैटिनम स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन कैपिटल बिल्डर स्मार्ट एश्योर मैक्स भविष्य स्मार्ट स्टेप्स स्मार्ट स्टेप्स प्लस स्मार्ट स्टेप्स सिंगल प्रीमियम लाइफलाइन वेलनेस प्लस प्लान लाइफलाइन सेफ्टीनेट प्लान मेडि कैश प्लान मेडि कैश प्लस प्लान

क्र. सं.	जीवन बीमाकर्ता	उत्पाद का नाम
10	मेट लाइफ इंडिया इश्योरेंस कं. प्रा. लि.	लाइफलाइन वेलनेस प्लान मेट ईजी मेट ग्रुप ग्रेच्युटी मेट स्मार्ट गोल्ड मेट लोन एश्योर ग्रुप क्रेडिट लाइट
11	कोटक महिंद्रा ओल्ड म्युच्युल लाइफ इश्योरेंस लि. कोटक स्मार्ट एडवांटेज	कोटक लाइफ सिक्क्योर प्लस कोटक लाइफ वैल्थ प्लस कोटक इटर्नल लाइफ क्लासिक शीलड कोटक इटर्नल लाइफ प्रीमियर शीलड कोटक सुरक्षित जीवन
12	एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	यूनिट प्लस एलिट यूनिट प्लस चाइल्ड प्लान सरल यूएलआईपी एसबीआई लाइफ धनरक्षा प्लस - एलपीपीटी एसबीआई लाइफ धनरक्षा प्लस - आरपी एसबीआई लाइफ धनरक्षा प्लस - एसपी एसबीआई लाइफ ग्रामीण शक्ति एसबीआई लाइफ ग्रामीण सुपर सुरक्षा संपूर्ण सुरक्षा ग्रुप प्लान निधी रक्षा आरपी ग्रुप लीव एनकैशमेंट ग्रुप सुपरएन्युएशन ग्रुप ग्रेच्युटी एसबीआई लाइफ-धनराशि
13	टाटा एआईजी लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	रिटायरमेंट एश्योर ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम (यूनिट लिंकड) रिटायरमेंट अश्योर ग्रुप सुपरएन्युएशन स्कीम (यूनिट लिंकड) इन्वेस्ट एश्योर एक्सट्रा इन्वेस्ट एश्योर फ्लेक्सि इन्वेस्ट एश्योर फ्यूचर इन्वेस्ट एश्योर केयर ईजी रिटायर ग्रुप इमिजिएट एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम ग्रुप हैल्थ प्लस हैल्थ इन्वेस्टर ग्रुप लाइफ प्रोटेक्टर प्लस एक्सिडेंटल डेथ बेनिफिट लिमिटेड अंडरराइटिंग राइडर
14	सहारा इंडिया लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	सहारा समूह समयोजना सहारा जमाकर्ता समूह समयोजना
15	श्रीराम लाइफ इश्योरेंस कं. लि.	श्री विकास

क्र. सं.	जीवन बीमाकर्ता	उत्पाद का नाम
		श्री विद्या प्लस श्री लाइफ प्लस श्री लाभ प्लस श्री सहाय (एपी) श्री सुरक्षा एक्सिडेंट बेनिफिट राइडर (एसपी)-फॉर गुप्स एक्सिडेंट बेनिफिट राइडर (एपी)-फॉर गुप्स
16	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	भारती एक्सा अस्पायर लाइफ भारती एक्सा ड्रीम लाइफ पेंशन प्लान भारती एक्सा लाइफ क्रेडिट शील्ड भारती एक्सा लाइफ मोर्टगेज क्रेडिट शील्ड भारती एक्सा इमिजिएट एन्युटी
17	फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	फ्यूचर एश्योर फ्यूचर केयर फ्यूचर ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान इंस्टालाइफ एक्सिडेंटल डेथ राइडर(फ्यूचर एश्योर) एक्सिडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर टर्म अश्योरेंस राइडर वैवर ऑफ प्रीमियम ऑन डिसेबिलिटी राइडर लाइफ गार्जियन राइडर क्रिटिकल इलनेस कोर राइडर एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस राइडर एक्सटेंडेड एक्सिडेंटल डेथ राइडर ग्रुप एक्सिडेंटल डेथ राइडर ग्रुप एक्सिडेंटल पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर ग्रुप एक्सिडेंट एंड सिकनेस परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर ग्रुप एक्सिडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर ग्रुप कोर क्रिटिकल इलनेस एक्सेलरेटेड राइडर ग्रुप कोर क्रिटिकल इलनेस राइडर ग्रुप एक्सटेंडेड क्रिटिकल इलनेस एक्सेलरेटेड राइडर ग्रुप एक्सटेंडेड क्रिटिकल इलनेस राइडर
18	आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	वैल्थश्योरेंस फ़ाउंडेशन प्लान होमश्योरेंस प्लान एक्सिडेंटल डेथ बेनिफिट एक्सिडेंटल डेथ एंड डिसेबलमेंट बेनिफिट हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मेजर डिजीज बेनिफिट

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान फाईल और उपयोग प्रक्रिया के तहत
बीमा कंपनियों द्वारा दायर किए गए गैर-जीवन उत्पाद

बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम
भारतीय कृषि बीमा कं. लि.	गूदा लकड़ी के पेड़ की बीमा पॉलिसी मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना रबड़ वश्रारोपण बीमा पॉलिसी
अपोलो डीकेवी जनरल	इजी हैल्थ इंडिविजुअल हैल्थ पॉलिसी इजी ट्रेवल कॉर्पोरेट इश्योरेंस पॉलिसी गुप पर्सनल एक्सीडेंट इश्योरेंस पॉलिसी
बजाज अलायंज जनरल	इंस्टा इश्योर-फैमिली हैल्थ
भारती ऐक्सा	स्मार्ट ड्राइव लाइबिलिटी केवल बीमा स्मार्ट ड्राइव टू व्हीलर्स स्मार्ट ड्राइव कार कार इश्योरेंस स्मार्ट ड्राइव कॉम. व्हीकल स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशियल पैरिल्स कॉन्सेक्वेंशियल लॉस इंडस्टीरियल ऑल रिस्क मशीनरी ब्रेकडाउन मशीनरी ब्रेकडाउन लॉस ऑफ प्रोफिट्स कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क इश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इश्योरेंस कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट और मशीनरी इश्योरेंस बॉइलर और प्रेशर प्लांट इरेक्शन ऑल रिस्क इश्योरेंस
चोलामंडलम	पीबीबीवाई
ईसीजीसी ऑफ इंडिया	एसएमई पॉलिसी डॉमेस्टिक क्रेडिट इश्योरेंस बैंक
बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम
फ्यूचर जनरली इंडिया	डॉमेस्टिक क्रेडिट इश्योरेंस ट्रेवल सुरक्षा हैल्थ सुरक्षा प्लेट ग्लास होम सिक्योर डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स लाइबिलिटी

बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम
	ऑल रिस्क पॉलिसी एक्सीडेंट सुरक्षा ग्रुप हैल्थ इश्योरेंस
एचडीएफसी एगो जनरल	परिवार सुरक्षा बीमा पॉलिसी सिग्नेचर मैनेजमेंट लाइबिलिटी इश्योरेंस वारंटी इश्योरेंस पीआई इश्योरेंस होम क्रेडिट अश्योर इश्योरेंस
आईसीआईसीआई लॉबार्ड जनरल	हैल्थकेयर प्लस टैक्स गेन हैल्थ इश्योरेंस ऑटो गार्ड फार्मा गार्ड पर्सनल प्रोटेक्ट पॉलिसी उत्पादकों के काफी, चाय, रबड़ और तंबाकू के लिए संशोधित
पर्सनल एक्सीडेंट	होटल कॉर्पोरेट कवर पेट्रोल स्टेशन पैकेज मॉल्स/मल्टीप्लेक्स कॉम्प्रेहेंसिव अम्युसमेंट पार्क इश्योरेंस पैकेज मेडिकल इस्टेबलिशमेंट कॉम्प्रेहेंसिव इश्योरेंस पॉलिसी एंटरप्राइज सिक्योर पैकेज ऑटोमोबाइल ट्रेड सिक्योर पॉलिसी ग्रुप ट्रेवल इश्योरेंस (संशोधित)
इफको टोकियो	जन हित बीमा (माइक्रोइंस) जन कल्याण बीमा पॉलिसी जनता बीमा पॉलिसी वेदर इश्योरेंस (सूक्ष्म) कॉम्प. हॉस्प. दुर्घटना पॉलिसी
नेशनल इश्योरेन्स	पहले से स्वीकृत उत्पादों के 3 सूक्ष्म उत्पाद ग्रामीण सुरक्षा बीमा ग्रामीण सुस्वास्थ्य बीमा
न्यू इंडिया एश्योरेन्स	युनिवर्सल हैल्थ इश्योरेंस स्कीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (संशोधन)
ओरिएन्टल इश्योरेन्स	युनिवर्सल हैल्थ इश्योरेंस स्कीम (संशोधन) होप-हैल्थ ऑफ प्रीविलेज्ड एल्डर (वरिष्ठ नागरिक के निर्दिष्ट रोगों का बीमा) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाय) मेडिकलैम पॉलिसी (संशोधित) युनिवर्सल हैल्थ इश्योरेंस स्कीम

बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम
रिलायन्स जनरल	ट्रेवल केयर पॉलिसी होटल एंड रेस्टोरेंट पैकेज सूक्ष्म बीमा हैल्थ प्लस पॉलिसी क्रिटिकल इलनेस हैल्थ फैमिली इश्योरेंस मेडिकल ट्यूरिज़्म बर्गलरी प्रोटेक्ट
बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम
रॉयल सुन्दरम एलाइन्स	ऑल रिस्क पॉलिसी सिल्वर सिटीजन पॉलिसी एजुकेशन प्रोटेक्ट पॉलिसी पोर्ट पैकेज क्लिनिक प्रोटेक्ट
श्रीराम जनरल	वर्कमेन्स कंपेन्सेशन सर्जिकल शील्ड इश्योरेंस एक्सीडेंटल शील्ड इश्योरेंस स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशियल पैरिल्स पॉलिसी
टाटा-एआईजी जनरल	इंजीनीयोरिंग इश्योरेंस पॉलिसी मोटर इश्योरेंस पॉलिसी वर्कमेन्स कंपेन्सेशन/एंप्लोयर्स लाइबिलिटी पॉलिसी
पॉलिसी	ट्रेवल गार्ड पॉलिसी (संशोधन) रुरल इश्योरेंस ग्रुप एक्सीडेंट एंड सिकनेस हॉस्पिटल कैश
यूनाईटेड इंडिया पॉलिसी	इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट एक्सीडेंट एंड हैल्थ-ग्रुप एक्सीडेंट एंड सिकनेस हॉस्पिटल कैश एक्सीडेंट एंड हैल्थ स्कोलर केयर पॉलिसी
युनिवर्सल सोम्पो	प्रवासी भारती बीमा योजना (संशोधित) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना युनिवर्सल हैल्थ इश्योरेंस स्कीम हैल्थ इश्योरेंस गोल्ड हैल्थ इश्योरेंस सिल्वर हैल्थ इश्योरेंस प्लेटीनम हैल्थ इश्योरेंस ग्रुप
	जनरलआपात सुरक्षा बीमा पॉलिसी मशीनरी ब्रेकडाउन फायर.कॉन्सेक्वेंशियल लॉस पॉलिसी

बीमाकर्ता का नाम

उत्पाद का नाम

बर्गलरी इश्योरेंस
 मोटर प्रा. कार पैकेज पॉलिसी
 फायर स्टैंडर्ड एंड स्पेशियल पैरिल्स पॉलिसी
 मरिन कार्गो.स्पेसिफिक ट्रांसिट पॉलिसी
 मरिन ओपन एंड एन्युअल सेल्स टर्नओवर पॉलिसी
 इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी
 ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी
 इंडिविजुअल हैल्थ इश्योरेंस पॉलिसी
 कैटल इश्योरेंस पॉलिसी
 ऑल रिस्क इश्योरेंस पॉलिसी
 फिडेलिटी गारंटी
 शॉपकीपर्स इश्योरेंस पॉलिसी
 वर्कमेन्स कंपेंसेशन पॉलिसी
 इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इश्योरेंस
 ग्रुप हैल्थ इश्योरेंस पॉलिसी
 मोटर (दुपहिया) इश्योरेंस पॉलिसी
 मोटर (यात्री वाहन) इश्योरेंस पॉलिसी
 मोटर (माल ढुलाई) इश्योरेंस पॉलिसी
 मोटर (विविध वाहन) इश्योरेंस पॉलिसी
 कॉन्ट्रेक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी
 इरेक्शन ऑल रिस्क इश्योरेंस
 ऑफिस पैकेज पॉलिसी
 ज्वेलर्स ब्लॉक इश्योरेंस पॉलिसी

जीआईसी से प्राप्त जिम्मेदार सेशन

श्रेणी	बीमाकृत राशि या पीएमएल में सेशन की सीमा	पुनर्बीमा कमीशन	लाभ कमीशन
अग्नि, आईएआर, सीएल	प्रति जोखिम रु. 100 करोड़ पीएमएल	35%	25%
वृहद जोखिम	प्रति जोखिम रु. 100 करोड़ पीएमएल	प्रमुखा शर्तें	20%
समुद्री बेड़ा, युद्ध तथा एसआरसीसी	प्रति पॉलिसी रु. 10 करोड़ की बीमाकृत राशि	25.00%	36 माह की समाप्ति पर 10%
समुद्री पोत, युद्ध तथा एसआरसीसी	प्रति जहाज रु. 16 करोड़ की बीमाकृत राशि	कुल निर्धारित जोखिम : 5% शुद्ध निर्धारित जोखिम : 17.5%	
मोटर	कोई सीमा नहीं	20%	—
कर्मकार प्रतिकर	कोई सीमा नहीं	20%	—
साधारण विमानन पोत	कोई सीमा नहीं	12.50%	—
साधारण विमानन दायित्व	कोई सीमा नहीं	12.50%	—
विमानन (हवाईसेवा)	पोत पर प्रति जोखिम रु. 120 करोड़ की बीमाकृत राशि तथा अन्य बीमों पर इसके अनुरूप प्रतिशत अंश	ओसत शर्तें	—
तेल तथा ऊर्जा	प्रति जोखिम रु. 15 करोड़ की बीमाकृत राशि	5%	36 माह की समाप्ति पर 20%
वित्तीय दायित्व को छोड़ कर सभी दायित्व संबंधी उत्पाद	अमेरिका सहित प्रति पॉलिसी रु. 5 करोड़ / अमेरिका के अलावा प्रति पॉलिसी रु. 10 करोड़	25%	—
वित्तीय, साखा तथा प्रतिभूति क्षेत्र, बंधक बीमा, विशेष आकस्मिक पॉलिसियाँ, इत्यादि	प्रति घटना रु. 10 करोड़ की बीमाकृत राशि	10%	—
फसल / मौसम बीमा	प्रति घटना रु. 10 करोड़ की बीमाकृत राशि	20%	—
अन्य विविध	कोई सीमा नहीं *	25%	—
मशीनरी का बिगड़ना, बॉयलर में विस्फोट तथा लाभ संबंधी हानि	रु. 30 करोड़ पीएमएल परन्तु जहाँ पीएमएल 33.3 % से अधिक है वहाँ प्रत्येक जोखिम, सामान की क्षति तथा लाभ की हानि पर रु. 90 करोड़ की बीमाकृत राशि।	30%	25%
ठेकेदार के सभी जोखिम, भवन के सभी जोखिम, लाभ की अग्रिम क्षति, डीएसयू	रु. 60 करोड़ पीएमएल परन्तु जहाँ पीएमएल 33.3 % से अधिक है वहाँ प्रत्येक जोखिम, सामान की क्षति तथा लाभ की हानि पर	30%	25%

संलग्नक VIII

पंजीकृत दलाल (राज्यानुसार)

क्रमांक सं.	राज्य	10.09.2008 तक पंजीकृत दलालों की संख्या		
		प्रत्यक्ष	मिश्रित	पुनर्बीमा
1.	आंध्र प्रदेश	17	2	0
2.	चंडीगढ़	5	0	0
3.	दिल्ली	49	7	0
4.	गुजरात	11	0	0
5.	हरियाणा	1	0	0
6.	कर्नाटक	11	0	0
7.	केरल	6	0	0
8.	मध्य प्रदेश	3	0	0
9.	महाराष्ट्र	63	20	5
10.	पंजाब	12	0	0
11.	राजस्थान	5	0	0
12.	तमिलनाडू	21	3	0
13.	उत्तर प्रदेश	15	0	1
14.	पश्चिम बंगाल	23	1	0
	कुल	242	33	6

10.09.2008 तक दलालों (कैलेंडर वर्ष के अनुसार) को प्रदान किए गए लाइसेंसों की संख्या

वर्ष	प्रत्यक्ष	मिश्रित	पुनर्बीमा	कुल
2003	109	24	4	137
2004	42	6	--	48
2005	33	1	--	34
2006	21	1	--	22
2007	24	1	2	27
2008	13	--	--	13
कुल	242	33	6	281

संलग्नक IX

प्राधिकरण द्वारा 2007-08 में जारी किए गए परिपत्र/आदेश/सूचनाएँ (सितम्बर 2007 तक)

क्र. सं.	संदर्भ संख्या	जारी करने की तिथि	विषय
1	आईआरडीए/एफएंडए/001/अप्रैल-07	4/16/2007	संयुक्त लिंक प्रकटीकरण मानदंड
2	आईआरडीए/एफएंडए/002/अप्रैल-07	4/16/2007	बीमा अधिनियम 1938 की धारा 49 के तहत बोनस की घोषणा
3	आईआरडीए/एफएंडए/003/अप्रैल-07	4/16/2007	सभी गैर-बीमा कंपनियों द्वारा मासिक प्रीमियम निर्धारित प्रारूप में विवरणों का प्रबन्ध
4	004/आईआरडीए/आईटी/अप्रैल-07	4/26/2007	आईआरडीए के अधिकारियों के ई-मेल आईडी में बदलाव
5	आईआरडीए/विधिक/सीआईआर/005/अप्रैल-07	4/27/2007	हैदराबाद में जनोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत
6	आईआरडीए/एफएंडए/006/अप्रैल-2007	4/30/2007	ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के दायित्वों, 2007 पर विनियमन
7	007/आईआरडीए/सीआईआर/एडीवी/मई-07	5/14/2007	बीमा कंपनियों और बीमा यूनिट मध्यस्थों द्वारा विज्ञापन, प्रमोशन तथा पब्लिसिटी पर दिशा-निर्देश
8	008/आईआरडीए/अधिनियम/यूलिप_जी/मई-2007	5/11/2007	जीवन बीमा उत्पाद-संयुक्त लिंक बीमा उत्पादों के दिशा-निर्देश
9	आईआरडीए/010/एफएंडयू/07-08	5/19/2007	उत्पादों और दरों और पदों की फाईल करना प्राधिकरण एफ/यू दिशा-निर्देश दिनांकित 28/9/2007
10	011/आईआरडीए/एफएंडए/सीआईआर/बीआरओ/मई-07	5/21/2007	कंपनी के नाम में शब्द बीमा दलाल/दलालों/दलाली का निवेशन
11	012/आईआरडीए/एनओटी/बीआरओ/मई-07	5/21/2007	कंपनी के नाम में लागू दलाल के लाइसेंस के लिए शब्द बीमा दलाल/दलालों/दलाली का निवेशन
12	014/आईआरडीए/एनओटी/बीआरओ/मई-07	5/23/2007	दलाल लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रलेखन-प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताएँ
13	015/आईआरडीए/सीआईआर/लाइफ/मई-07	5/24/2007	जीवन बीमा कंपनियों द्वारा सांख्यिकी आंकड़ों का प्रबंधन
14	017/आईआरडीए/सीआईआर/लाइफ/जून-07	6/8/2007	बीमा कंपनियों के व्यापार/दफ्तरों के स्थानों पर डेटाबेस बनाना

क्र. सं.	संदर्भ संख्या	जारी करने की तिथि	विषय
15	019/आईआरडीए/सीआईआर/लाइफ/जून-07	7/4/2007	बीमा कंपनियों के व्यापार/दपतरों के स्थानों पर मासिक रिपोर्टिंग
16	आईआरडीए/20/एफएंडयू/07-08	6/25/2007	फाईल और दिशा-निर्देशों के प्रयोग में संशोधन-अग्नि, इंजीनियरिंग तथा कर्मकारों की प्रतिकर कक्षा की प्रीमियम दरें
17	021/आईआरडीए/एसीटीएल/एफयूपी/वर्ज1.0/जुलाई 2007	7/4/2007	राइडर्स के लिए फाईल/प्रयोग प्रक्रिया-जीवन बीमा कंपनियों के लिए सामान्य निर्देश
18	022/सीआईआर/आईआरडीए/एएमएल/जुलाई-07	7/6/2007	बीमा कंपनियों के लिए धन के अनुचित उपयोग को रोकने के लिए दिशा-निर्देश
19	आईआरडीए/23/एफएंडयू/07-08	7/9/2007	फाईल और दिशा-निर्देशों के प्रयोग में संशोधन-अग्नि, इंजीनियरिंग तथा कर्मकारों की प्रतिकर कक्षा की प्रीमियम दरें
20	आईआरडीए/024/समाप्ति-एफएलओ/2007-08	7/17/2007	भारत से बाहर पंजीकृत बीमा कंपनियों के द्वारा भारत में सीमित सम्पर्क कार्यालय के प्रकटीकरण के लिए दिशा-निर्देश
21	025/आईआरडीए/अधिनियम1/एफ एंड यू प्रक्रिया/एलपी/जुलाई-2007	7/26/2007	संयुक्त लिंक उत्पादों के लिए प्रस्ताव फार्म में प्रावधानों का होना
22	026/आईआरडीए/कानूनी/सीआईआर/जुलाई-07	7/25/2007	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लि. बनाम श्रीमति सोबिना लाकाई के विवाद में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय - बीमा पोलिसी की प्रारंभिक अवधि
23	027/आईआरडीए/मोटर/सीआईआर/जुलाई-07	7/30/2007	विंटेज कारें-प्रीमियम दरें
24	028/आईआरडीए/कानूनी/सीआईआर/अगस्त-07	8/13/2007	आईआरडीए (बीमाधारकों के हितों का संरक्षण) विनियामली, 2002 - सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति
25	029/आईआरडीए/कानूनी/सीआईआर/अगस्त-07	8/13/2007	श्री जे. महापात्र, आईआरडीए में एक सलाहकार के रूप में धोखे से प्रतिनिधित्व करते हुए पाए गए
26	आईआरडीए/030/एफएंडयू/07-08	8/13/2007	गैर-जीवन बीमा - मूल्य नियन्त्रणों में आगे के लिए छूट
27	031/आईआरडीए/सीआईआर/अनुपालन/अगस्त-2007	8/23/2007	सीईओ/एमडी की नियुक्ति-बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 के तहत स्वीकृति
28	032/आईआरडीए/एसीटीएल/एफयूपी/वीईआर5.0/सितम्बर-07	9/6/2007	जीवन बीमा उत्पाद-फाईल और प्रयोग प्रक्रिया

क्र. सं.	संदर्भ संख्या	जारी करने की तिथि	विषय
29	आईआरडीए/ओआरडी/ए/033/सितम्बर-07	9/10/2007	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 105 बी के तहत दण्ड लगाना – जीवन बीमा कंपनियाँ
30	आईआरडीए/ओआरडी/ए/034/सितम्बर-07	9/10/2007	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 105 बी के तहत दण्ड लगाना – सामान्य बीमा कंपनियाँ
31	आईएनवी/सीआईआर/035/2007-08	9/10/2007	कॉर्पोरेट बांड के लेन-देन के लिए एफआईएमएमडीए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म – पंजीकृत
32	आईआरडीए/036/आईआररिटर्न/07-08	9/17/2007	आईआरडीए (सामान्य बीमा – पुनर्बीमा) नियमावली, 2000 की धारा 3(12) के तहत आरआई रिटर्नों की प्रस्तुति
33	आईआरडीए/लाइफ/डिस्ट. चैनल/037/2007-08	9/21/2007	वितरण चैनलों के मुद्दों पर गौर करने के लिए समिति का गठन
34	38/आईआरडीए/एजेंसी/सितम्बर-07	9/24/2007	बीमा कंपनियों की वेब साइट पर निजी एजेंटों के नवीनीकृत विवरण का प्रकाशन
35	40/आईआरडीए/एजेंसी/सीआईआर/अक्टूबर-07	10/9/2007	नए एजेंसी लाइसेंस के अनुदान के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-स्पष्टीकरण परिपत्र
36	42/आईआरडीए/एजेंसी/सीआईआर/अक्टूबर-07	10/15/2007	एजेंटों के प्रशिक्षण घण्टों में कटौती
37	43/आईआरडीए/एजेंसी/सीआईआर/अक्टूबर-07	11/1/2007	एजेंटों के प्रशिक्षण घण्टों में कटौती के लिए परिपत्र संबंधी स्पष्टीकरण
38		11/8/2007	तत्कालीन टैरिफ व्यापार के लिए सामान्य बीमा परिषद् ने मानक बाजार शब्दों का प्रस्ताव रखा।
39	45/आईआरडीए/एफएंडए/नवम्बर-07	11/22/2007	वित्तीय विवरणों का त्रैमासिक प्रस्तुतिकरण
40	46/आईआरडीए/एफएंडए/नवम्बर-07	11/22/2007	शोधन क्षमता मार्जिन के रखरखाव की रिपोर्टिंग
41		12/3/2007	जीवन बीमा उत्पाद-संयुक्त लिंक जीवन बीमा उत्पादों के लिए दिशा-निर्देश
42		12/7/2007	वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर समिति की रिपोर्ट
43	048/आईआरडीए/डी-टैरिफ/दिसम्बर-07	12/18/2007	सामान्य बीमा व्यापार में 1 जनवरी, 2008 के प्रभाव से जोखिमों के मूल्यां पर नियन्त्रण को हटाना
44		12/19/2007	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3 के तहत जीवन बीमा कंपनी के रूप में आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इश्योरेन्स कंपनी लि. का पंजीकरण
45		12/20/2007	बीमा पर्यवेक्षकों / हानि निर्धारकों की भारतीय संस्था की निर्वाचित परिषद
46	टीएसी/चुनाव 2007	12/27/2007	टीएसी चुनाव 2007-परिणाम की घोषणा
47		1/2/2008	आईआरडीए (बीमा दलाल) अधिनियम, 2002 –(संशोधन)
48	049/आईआरडीए/एसीटीएल/यूलिप/जनवरी-08	1/1/2008	युनिट लिंक उत्पादों के लिए लाम वर्णन
49	आईआरडीए/ओआरडी/टीएसी/050-जनवरी.08	1/3/2008	टैरिफ सलाहकार समिति का संविधान
50	आईआरडीए/एनओटी/051/एसयूआर/जनवरी-08	1/4/2008	पर्यवेक्षकों की श्रेणी में सुधार के लिए मापदण्डों पर पर्यवेक्षकों / हानि निर्धारकों पर समिति की रिपोर्ट

क्र. सं.	संदर्भ संख्या	जारी करने की तिथि	विषय
51		1/8/2008	मैसर्स लाइफलाइन ग्लोबल लि. / लाइफलाइन ईएमएस इंडिया लि. की अवैध गतिविधियों पर पब्लिक नोटिस
52	आईआरडीए/डीबी-200/03	1/11/2008	मैसर्स एसएमएस इश्योरेंस सर्विसिज प्रा. लि. के प्रत्यक्ष दलाल लाइसेंस की वैधता की समाप्ति
53	आईआरडीए/डीबी-258/04	1/11/2008	मैसर्स लॉर्ड कृष्णा इश्योरेंस प्रा. लि. के प्रत्यक्ष दलाल लाइसेंस की वैधता की समाप्ति
54	आईआरडीए/एफएंडए/053/फरवरी-08	2/1/2008	बीमाकृत राशि के विवरण की प्रस्तुति
55	320. 1/1/एफएंडए/एआर-आरएंडएसएस/257/फरवरी-08	2/8/2008	गजट अधिसूचना - आईआरडीए (ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्रों के लिए बीमा कंपनियों के दायित्व) (तीसरा/चौथा संशोधन) नियमावली, 2008
56	054/आईआरडीए/एफएंडयू/एनओटी/फरवरी-08	2/11/2008	आईआरडीए (नीतिधारकों के हितों के लिए संरक्षण) की नियमावली 4(1) और 4(4) की विनियमावली, 2002
57	055/आईआरडीए/एफएंडयू/ओआरडी/फरवरी-08	2/11/2008	पर्यवेक्षकों और हानि निर्धारकों की समिति के सदस्य के रूप में कार्यकारी निर्देशक, श्री प्रबोध चन्द्र का परिचय
58	आईआरडीए/आरईजी/3/44/2008	2/18/2008	गजट अधिसूचना - आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2008
59	059/आईआरडीए/एससीएच/मार्च-08	3/7/2008	सार्वजनिक क्षेत्र सामान्य बीमा कंपनियों की चिकित्सकीय नीतियों से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतें
60	061/आईआरडीए/अधिनियम1/मार्च-08	3/12/2008	युनिट लिंक जीवन बीमा उत्पादों के तहत न्यूनतम बीमाकृत राशि
61	आईआरडीए/एफएंडए/060/मार्च-08	3/11/2008	आईआरडीए (बीमा कंपनियों की संपत्तियाँ, दायित्व और शोधन क्षमता मार्जिन) नियमावली, 2000
62	आईआरडीए/एफएंडए/062/मार्च-08	3/12/2008	आईआरडीए (सूक्ष्म-बीमा) नियमावली, 2005 - सूक्ष्म बीमा एजेंट
63	आईआरडीए/मेमो/07-08	3/18/2008	कॉर्पोरेट सदन बीमा द्वारा कारोबार करने के अतिरिक्त कंपनियों की दलाली को बढ़ावा देना
64	064/आईआरडीए/एसीटीएल/मार्च-2008	3/18/2008	जीवन बीमा उत्पाद - फाइल और उपयोग के तहत मौजूदा श्रेणियों में सुधार
65	065/आईआरडीए/एसीएल/आरएसएम/2007-08	3/24/2008	जीवन बीमा व्यापार के तहत आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन का संकल्प
66	आईआरडीए/डीबी-009/02	3/19/2008	मैसर्स आर्मर कंसल्टेंटस प्रा. लि. के प्रत्यक्ष दलाल के लाइसेंस रद्द
67	066/आईआरडीए/एफएंडयू/मार्च-08	3/26/2008	सामान्य बीमा उत्पादों और मूल्य नियन्त्रण में छूट के लिए फाइल प्रयोग और दिशा-निर्देश
68	70/आईआरडीए/एजेंसी/मार्च-2008	3/31/2008	बीमा एजेंट की बीमा योग्यता
69	आईआरडीए/एफएंडए/सीआईआर/069/अप्रैल-08	4/2/2008	जीवन बीमा कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य प्रीमियमों की प्रस्तुति
70	आईआरडीए/डीबी-159/03	4/9/2008	मैसर्स भूमा इश्योरेंस बुकिंग सर्विसिज प्रा. लि. के प्रत्यक्ष दलाल के लाइसेंस रद्द
71	आईआरडीए/डीबी-184/03	4/17/2008	मैसर्स आईएमआरपी इश्योरेंस सर्विसिज प्रा. लि. के प्रत्यक्ष दलाल के लाइसेंस रद्द

क्र. सं.	संदर्भ संख्या	जारी करने की तिथि	विषय
72		4/25/2008	तृतीय पक्ष के प्रशासकों की सूची 24.4.2008 पर नवीनीकृत
73		4/30/2008	दलालों की सूची 30.4.2008 पर नवीनीकृत
74		5/8/2008	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3 के तहत जीवन बीमा कंपनियों के रूप में कैनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. का पंजीकरण
75		5/13/2008	वितरण चैनलों पर समिति की रिपोर्ट
76	आईआरडीए/डीबी-040/02	5/29/2008	मैसर्स पिगासस इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. का प्रत्यक्ष दलाल लाइसेंस रद्द
77		6/27/2008	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3 के तहत बीमा कंपनी के रूप में एगॉन रैलीग्रे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. तथा सामान्य जीवन बीमा कंपनी के रूप में भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. का पंजीकरण
78	006/आईआरडीए/ओआरडी/जीवन परिषद्/जुलाई, 2008	बीमा 7/4/2008	जीवन बीमा परिषद् की कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में श्री सी आर मुरलीधरन के स्थान पर श्री कुन्नेल प्रेम का परिचय
79	006/आईआरडीए/ओआरडी/जीवन बीमा परिषद्/जुलाई, 2008	7/25/2008	भारतीय बीमा संस्थान, मुम्बई द्वारा आयोजित प्रशिक्षार्थी पर्यवेक्षकों के लिए परीक्षा की सूचना
80	आईआरडीए/डीबी-200/03	8/7/2008	मैसर्स एस एम एस इंश्योरेंस सर्विसिज प्रा. लि. के प्रत्यक्ष दलाल के लाइसेंस रद्द
81	009/आईआरडीए/एफएंडए/अगस्त-08	8/13/2008	आईआरडीए (बीमा कंपनियों की संपत्तियाँ, दायित्व और शोधन क्षमता मार्जिन) नियमावली, 2000
82		8/20/2008	विभिन्न नीतिगत उपायों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुपालन की स्थिति पर गौर करने के लिए एक समिति का संविधान
83		8/21/2008	पब्लिक नोटिस – मैसर्स रिलायंट मनी बीमा दलालों और वित्तीय सेवाओं को आईआरडीए को लाइसेंस न होने की सूचना तथा वे अवैध रूप से काम कर रहे हैं।
84		8/22/2008	बीमा कंपनियों के निवेश पर विनियमों में संशोधन की सूचना
85	आईएनवी/सीआईआर/008/2008-09	8/22/2008	आईआरडीए (निवेश) (चौथा संशोधन) नियमावली, 2008
86	011/आईआरडीए/दलाल-संस्था/अगस्त-08	8/25/2008	सामान्य बीमा कारोबार पर 1 अक्टूबर, 2008 के प्रभाव से दलाली और कमीशन के भुगतान पर सीमायें
87		9/16/2008	अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए मैसर्स टाटा संस और एआईजी द्वारा प्रोत्साहित दोनों जीवन तथा सामान्य बीमा कंपनियों के शोधन क्षमता मार्जिनों की संतोषजनक स्थिति

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष
के लिए लेखाओं के वार्षिक विवरण

प्रपत्र ए
बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च 2008 को तुलन पत्र

पूर्व वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	दायित्व	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	पूर्व वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	परिसंपत्तियाँ	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
सामान्य कोष					
i) आईआरडीए कोष (टिप्पणी 4 देखें)					
893,244	-वर्ष के प्रारंभ में	893,244	30,220,890	संलग्नक 1 के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 1 देखें)	32,999,688
-	-वर्ष में प्राप्तियाँ	-	17,639,842	परिसंपत्तियों का शुद्ध ब्लॉक	21,884,468
893,244	-वर्ष के अन्त में शेष	893,244	12,581,048	घटाएँ : अकमलून	11,115,220
ii) पूंजी निधि					
-	-पूँजी अनुदान	-	-	परिसंपत्तियों का कुल ब्लॉक	-
-	-वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	-	निवेश (टिप्पणी 2 देखें)	-
-	जोड़े : वर्ष के दौरान अनुदान के रूप में प्राप्त स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्य	-	-	(मूल्यविक्रय की विधि-लागत पर)	-
iii) अतिशेष तथा कोष					
1,295,133,873	-पिछले तुलन पत्र के अनुसार जमा	1,968,280,808	-	- i) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	-
673,146,935	जोड़े : आय तथा व्यय खाते के अनुसार व्यय से अधिक आय - संलग्न	947,895,389	-	- ii) इकाईयाँ	-
-	घटाएँ : आय तथा व्यय खाते के अनुसार आय से अधिक व्यय - संलग्न	2,916,176,197	2,337,834,143	iii) अनुसूचित बैंक के साथ स्थायी जमाएँ	3,375,387,177
1,968,280,808	- वर्ष के अन्त में शेष	-	-	iv) अन्य	-
-	iv) उपहार तथा दान	-	-	वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम (नोट 3 देखें)	-
-	v) अन्य जमाएँ	-	-	981,154 i) अभिकरणों के पास जमाएँ	880,306
			25,607,257 ii) स्टॉक को ऋण तथा अग्रिम	25,607,257	38,873,030
			69,100 iii) बीमा कंपनियों तथा अन्य से देय राशियाँ	69,100	106,500
			98,753,216 iv) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	98,753,216	114,871,246
			v) नकद तथा बैंक जमाएँ	-	-
			45,000 क) हाथ रोकड़ (हस्त में बैंक तथा व्यवहारित नकद राशि सहित)	45,000	55,000

प्रपत्र ए
बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च 2008 को तुलन पत्र

पूर्व वर्ष के लिए आंकड़े (रु)	दायित्व	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु)	पूर्व वर्ष के लिए आंकड़े (रु)	परिसंपत्तियाँ
	ऋण		6,083,017	ख) बैंक शेष
- i)	सुरक्षित (प्रयोजन के लिए प्रस्तुत सुरक्षा बताएँ)	-	-	
- ii)	असुरक्षित	-	-	
- iii)	भारत सरकार से प्राप्त ऋण	-	-	
- iv)	अन्य ऋण	-	-	
	वर्तमान दायित्व तथा प्रावधान			
	टिप्पणी 5 देखें			
	i) विशिष्ट लेनदार			
51,336	- पूंजीगत मदों के लिए	58,676		
56,885,314	- अन्य मदों के लिए	24,827,208		
	ii) प्रावधान			
106,500	- संदिग्ध कर्ज और अग्रिमों के लिए प्रावधान	106,500		
-	- निवेश के मान में गिरावट के लिए प्रावधान	-		
	iii) अन्य दायित्व			
-	1. अव्ययित अनुदान	-		
-	2. शासकीय/अन्य ऋणों पर भुगतान योग्य ब्याज	-		
	3. भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति तथा अन्य कल्याणकारी कोष के भविष्य निधि			
-	ख अन्य कल्याणकारी कोष	550,574.00		
7,549,089	ग सेवा निवृत्ति कोष तथा स्टॉक कल्याण कोष	9,997,247		
	4 अन्य (निर्दिष्ट करें)			
1,210,790	- अन्य दायित्व (स्लेट पर कर कटौती)	766,533		
446,884,106	- पैशगी प्राप्त स्वीकृत नवीनीकरण शुल्क	594,071,311		
92,747	- संयुक्त फर्निशिंग रिकवरी	119,077		
2,481,953,934		3,547,566,567	2,481,953,934	

महत्वपूर्ण लेखा को तैयार करने वाले हिस्सों की पोलिसियाँ तथा टिप्पणियाँ - सलमक IX टिप्पणियाँ

1. स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित सूचनाएँ सलमक 1 में दी गई हैं।
2. निष्पक्ष से संबंधित सूचना सलमक 2 में दी गई हैं।
3. वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम से संबंधित जानकारी सलमक 3 में दी गई है।
4. आईएफडीए कोष के विवरण सलमक 4 में दिए गए हैं। (कोष में अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, अन्य स्माटन तथा निकायों से प्राप्त अनुदान शामिल हैं)
5. आकाशिक दायित्वों के विवरण सलमक 5 में दिए गए हैं।
6. महत्वपूर्ण लेखा पोलिसियों तथा लेखों के भागों को तैयार करने वाली टिप्पणियों से संबंधित सूचनाएँ सलमक 9 में दी गई हैं।
7. व्यवसाय के विवरण तथा टिप्पणियाँ/लेखाओं के भागों को बनाने वाली लेखा पोलिसियों से संबंधित सूचनाओं के समस्त सलमक।

(आर के शर्मा)	(जी प्रभाकर)	(आर कन्नन)
मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य	सदस्य
(के के श्रीनिवासन)	(सी आर मुरलीधरन)	(जे हरि नारायण)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

प्रपत्र ब
बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाता

पूर्व वर्ष के लिए आंकड़े (₹)	व्यय	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (₹)	पूर्व वर्ष के लिए आंकड़े (₹)	आय
2,508,804 अध्यक्ष और सदस्यों को भुगतान		4,322,264		अनुदान
39,967,022 स्टॉक सदस्यों को भुगतान तथा प्रबंधन (टिप्पणी 1 देखें)		52,298,640		- प्राप्त
98,117,694 रूपायना व्यय (टिप्पणी 2 देखें)		58,976,488		- प्राप्ति योग्य
1,527,943 भाड़ा		1,657,283		- घटाएँ : पूँजी निधि में हस्तान्तरित
- अनुसंधान तथा परामर्श शुल्क		-		शुल्क :
- सेमिनार, अधिवेशन, प्रकाशन आदि (प्रतिदरश देखें)		-		पंजीकरण शुल्क
- ब्याज		-		संशोधक शुल्क
3,493,508 अवभूतन		4,244,625		बीमाकर्ता शुल्क
बटटे खाते में डाली गई पूंजीगत परिसंपत्तियाँ				
परिसंपत्तियों के बट्टे खाते अदले जाने पर हानि				
- संदिग्ध ऋण तथा अभिर्गों के लिए प्रावधान				
विकास व्यय				
2,327,621 विज्ञापन संबंधी व्यय		2,268,079		
40,883 अन्य व्यय		242,143		
2,112,969 अनुषंगी लाभ कर		1,307,936		
673,146,935 वर्ष के लिए अग्रणीत की गई व्यय से अधिक आय		947,895,389		
				नवीनीकरण शुल्क
				अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण - बीमाकर्ता
				अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण - अभिकर्ता
				अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण - दलाल
				अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण - टीपीए
				60,000
				- अन्य
				2,000,000
				शास्त्रियाँ, अर्द्धवृद्ध आदि
				सैमिनार, अधिवेशन तथा प्रकाशन आदि
				निकष से आय - अनुसूचित बैंकों में जमा राशियों पर ब्याज
				160,715,567
				जमाओं पर ब्याज
				अभिर्गों पर ब्याज
				657,776
				I) आवसीय तथा अन्य प्राणजनों से स्टॉक सदस्यों को प्रदत्त
				305,680
				II) अन्य
				790,594
				विविध आय
823,243,378		1,073,212,847		823,243,378

महत्वपूर्ण लेखा को तैयार करने वाले हिस्सों की पोलिसियाँ तथा टिप्पणियाँ – संलग्नक IX टिप्पणियाँ

- 1 कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान से संबंधित सूचना संलग्नक 6 में दी गई है।
- 2 रूपायना व्यय से संबंधित सूचना संलग्नक 7 में दी गई है।
- 3 ब्याज राशि से संबंधित सूचना संलग्नक 8 में दी गई है।
- 4 आय तथा व्यय खातों के सभी संलग्नक तथा लेखा के हिस्सों को तैयार करने वाली महत्वपूर्ण लेखा नीतियों से संबंधित टिप्पणियाँ/सूचनाएँ

(आर.के.शर्मा)	(जी. प्रभाकर)	(आर. कन्नन)
मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य	सदस्य
(के.के.श्रीनिवासन)	(सी.आर.मुरलीधरन)	(जे.हरि नारायण)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियाँ तथा भुगतान खाता

[illegible]

(आर.के.शर्मा)
मुख्य लेखा अधिकारी

(जी. प्रभाकर)
सदस्य

सदस्य
(के के श्रीनिवासन)

(सी आर मुरलीधरन)
सदस्य

(जे हरि नारायण)
अध्यक्ष

संलग्नक I
बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च, 2008 को तुलन पत्र के संलग्नक तथा भाग के रूप में-स्थायी परिसंपत्तियों की सूची

विवरण	शुद्ध ब्लॉक				अवमूल्यन			शुद्ध ब्लॉक
	01.04.2007 को मूल्य	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान बेचा/ निपटारा गया	31.03.2008 को योग	01.04.2007 को	वर्ष के लिए समायोजन	31.03.2008 तक	31.03.2008 को को
कार्यालय परिसर								
	(क) भूमि	-	-	-	-	-	-	-
(ख) भवन	-	-	-	-	-	-	-	-
आवासीय प्लेट्स								
(क) भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) भवन	-	-	-	-	-	-	-	-
वाहन	577,255	-	-	577,255	445,960	33,993	479,953	97,302
उपकरण	5,663,376	709,525	-	6,372,901	2,272,673	692,947	2,965,620	3,407,281
फर्नीचर तथा उपस्कर	6,179,139	736,038	-	6,915,177	2,817,361	710,340	3,527,701	3,387,476
कम्प्यूटर	17,267,864	1,149,888	(67,435)	18,350,317	11,570,592	2,547,828	14,118,421	4,231,896
पुस्तकें	533,256	259,517	(8,735)	784,038	533,256	259,517	792,773	(8,735)
योग	30,220,890	2,854,968	(76,170)	32,999,688	17,639,842	4,244,625	21,884,468	11,115,220
आर के शर्मा मुख्य लेखा अधिकारी	(के के श्रीनिवासन) सदस्य				(जी. प्रभाकर) सदस्य			(जे हरि नारायण) अध्यक्ष

संलग्नक-II
बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च, 2008 को तुलन पत्र के संलग्नक तथा भाग के रूप में
निवेश

इसमें जमा	प्रारंभिक तिथि	एफडीआर संख्या	जमा धनराशि	ब्याज का %	परिपक्वता तिथि	अवधि	उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं
आन्ध्र बैंक	30 जून, 2005	924548	50,000,000	6.50%	30 जून, 08	1,006	9,872,717
			50,000,000				9,872,717
बैंक ऑफ इण्डिया, बशीरबाग	24 जून, 2003	7914959	5,000,000	6.00%	24 जून, 08	1,743	1,671,245
बैंक ऑफ इण्डिया, बशीरबाग	30 जून, 2003	7914972	5,000,000	6.00%	27 जून, 08	1,737	1,664,610
बैंक ऑफ इण्डिया, बशीरबाग	17 जुलाई, 2007	7313307	40,000,000	9.50%	17 जुलाई, 08	259	2,796,531
बैंक ऑफ इण्डिया, बशीरबाग	20 जुलाई, 2007	7313312	20,000,000	9.50%	20 जुलाई, 08	256	1,381,671
बैंक ऑफ इण्डिया, बशीरबाग	18 अगस्त, 2007	7313348	8,000,000	9.00%	18 अगस्त, 08	227	462,328
बैंक ऑफ इण्डिया, बशीरबाग	26 अक्टूबर, 2007	9467009	7,000,000	9.00%	26 अक्टूबर, 08	158	279,178
बैंक ऑफ इण्डिया, बशीरबाग	10 अक्टूबर, 2007	7313384	15,000,000	9.00%	10 अक्टूबर, 08	174	659,588
बैंक ऑफ इण्डिया, बशीरबाग	1 नवंबर, 2007	9467021	5,000,000	9.00%	1 नवंबर, 08	152	191,744
बैंक ऑफ इण्डिया, बशीरबाग	1 नवंबर, 2007	9467019	17,500,000	9.00%	1 नवंबर, 08	152	671,103
बैंक ऑफ इण्डिया, बशीरबाग	7 नवंबर, 2007	9467026	6,000,000	9.00%	7 नवंबर, 08	146	220,890
बैंक ऑफ इण्डिया, बशीरबाग	17 दिसंबर, 2007	9467067	15,000,000	9.01%	17 दिसंबर, 08	106	399,295
बैंक ऑफ इण्डिया, बशीरबाग	17 दिसंबर, 2007	9467066	45,000,000	9.01%	17 दिसंबर, 08	106	1,197,884
बैंक ऑफ इण्डिया, बशीरबाग	24 दिसंबर, 2007	9467068	108,000,000	9.25%	24 दिसंबर, 08	99	2,753,025
बैंक ऑफ इण्डिया, बशीरबाग	28 दिसंबर, 2007	9467073	160,000,000	9.02%	28 दिसंबर, 08	95	3,812,964
			456,500,000				18,162,056
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	7 नवंबर, 2007	675510	7,603,058	9.45%	11 जुलाई, 08	146	294,028
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	22 सितंबर, 2007	675468	10,866,832	9.50%	22 सितंबर, 08	192	558,370
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	6 अक्टूबर, 2007	675479	10,000,000	9.50%	6 अक्टूबर, 08	178	475,238
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3 अक्टूबर, 2007	675477	10,000,000	9.50%	3 अक्टूबर, 08	181	483,406
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	11 जनवरी, 2008	675584	6,000,000	9.00%	11 जनवरी, 09	81	121,500
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	11 जनवरी, 2008	675583	5,563,625	9.00%	11 जनवरी, 09	81	112,663
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	14 जनवरी, 2008	675586	16,436,375	9.00%	13 जनवरी, 09	78	320,509
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	4 मार्च, 2008	576031	17,500,000	9.95%	3 मार्च, 09	28	135,431
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	11 मार्च, 2008	576039	30,000,000	9.85%	11 मार्च, 09	21	172,375
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	23 मार्च, 2008	576087	13,394,992	9.98%	23 मार्च, 09	9	33,421
			127,364,882				2,706,940
एचडीएफसी बैंक	2 अगस्त, 2007	214540000607	27,500,000	9.50%	5 अगस्त, 08	243	1,800,924
			27,500,000				1,800,924
आईसीआईसीआई बैंक, हिमायतनगर	23 अगस्त, 2007	4327181	17,000,000	9.25%	22 अगस्त, 08	222	987,382
आईसीआईसीआई बैंक, हिमायतनगर	18 सितंबर, 2007	4325756	17,000,000	9.50%	18 सितंबर, 08	196	892,317
आईसीआईसीआई बैंक, हिमायतनगर	20 सितंबर, 2007	4752778	55,058,764	9.12%	20 दिसंबर, 08	103	1,440,801
आईसीआईसीआई बैंक, हिमायतनगर	22 सितंबर, 2007	4752779	43,552,539	9.12%	22 दिसंबर, 2007	101	1,117,131
आईसीआईसीआई बैंक, हिमायतनगर	24 सितंबर, 2007	4752831	76,388,697	9.12%	24 दिसंबर, 08	99	1,919,800
आईसीआईसीआई बैंक, हिमायतनगर	31 मार्च, 2008	5019378	125,000,000	9.25%	30 मार्च, 09	1	32,118
आईसीआईसीआई बैंक, हिमायतनगर	31 मार्च, 2008	5019379	125,000,000	9.25%	30 मार्च, 09	1	32,118
			459,000,000				6,421,667

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08

इसमें जमा	प्रारम्भिक तिथि	एफडीआर संख्या	जमा धनराशि	ब्याज का %	परिपक्वता तिथि	अवधि	उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं
आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड	22 जनवरी 2008	323092100811	8,000,000	9.50%	22 जनवरी 09	70	147,778
आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड	24 जनवरी 2008	323092100855	6,500,000	9.50%	24 जनवरी 09	68	116,639
आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड	31 जनवरी 2008	323092101095	7,296,100	9.50%	31 जनवरी 09	61	117,447
आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड	2 फरवरी, 2008	323092101149	9,500,000	9.50%	2 फरवरी, 09	59	147,910
आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड	2 फरवरी, 2008	323092101150	9,703,900	9.50%	2 फरवरी, 09	59	151,084
आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड	31 मार्च, 2008	323092102862	5,000,000	9.50%	31 मार्च, 09	1	1,319
आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड	31 मार्च, 2008	323092102873	5,000,000	9.50%	31 मार्च, 09	1	1,319
आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड	31 मार्च, 2008	323092102884	5,000,000	9.50%	31 मार्च, 09	1	1,319
आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड	31 मार्च, 2008	323092102895	5,000,000	9.50%	31 मार्च, 09	1	1,319
आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड	31 मार्च, 2008	323092102905	5,000,000	9.50%	31 मार्च, 09	1	1,319
आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड	31 मार्च, 2008	323092102916	5,000,000	9.50%	31 मार्च, 09	1	1,319
आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड	31 मार्च, 2008	323092102927	5,000,000	9.50%	31 मार्च, 09	1	1,319
आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड	31 मार्च, 2008	323092102938	5,000,000	9.50%	31 मार्च, 09	1	1,319
आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड	31 मार्च, 2008	323092102949	5,000,000	9.50%	31 मार्च, 09	1	1,319
आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड	31 मार्च, 2008	323092102972	5,000,000	9.50%	31 मार्च, 09	1	1,319
आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड	31 मार्च, 2008	323092102983	5,000,000	9.50%	31 मार्च, 09	1	1,319
आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड	31 मार्च, 2008	323092102994	5,000,000	9.50%	31 मार्च, 09	1	1,319
			101,000,000				696,691
करूर वैश्य बैंक, आर पी रोड	20 जून, 2007	141055400000045	30,000,000	10.50%	20 जून, 08	286	2,576,375
करूर वैश्य बैंक, आर पी रोड	26 जून, 2007	141055400000066	5,000,000	10.50%	26 जून, 08	280	419,939
करूर वैश्य बैंक, आर पी रोड	27 जून, 2007	141055400000074	5,000,000	10.50%	27 जून, 08	279	418,362
			40,000,000				3,414,676
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	3 अप्रैल, 2007	10743091000012	35,000,000	10.50%	3 मई, 2007	364	3,867,545
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	29 मई 2007	10743091000029	15,000,000	10.25%	29 मई 08	308	1,358,016
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	31 अगस्त, 2007	10743091000036	17,500,000	9.31%	31 अगस्त, 08	214	985,225
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	5 सितंबर, 2007	10743091000043	20,000,000	9.50%	5 सितंबर, 08	209	1,121,693
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	27 सितंबर, 2007	10743091000081	12,000,000	9.53%	27 सितंबर, 08	187	601,920
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	12 अक्टूबर, 2007	10743031011467	8,000,000	9.00%	12 अक्टूबर, 08	172	347,690
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	22 नवंबर, 2007	10583031010288	11,000,000	8.75%	22 नवंबर, 08	131	352,641
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	23 नवंबर, 2007	10583031010295	7,500,000	8.75%	23 नवंबर, 08	130	238,574
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	5 दिसंबर, 2007	10583031010462	15,000,000	8.75%	5 दिसंबर, 08	118	432,441
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	12 दिसंबर, 2007	10583091000021	55,000,000	9.00%	12 दिसंबर, 08	111	1,532,747
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	28 दिसंबर, 2007	10583091000052	9,522,295	9.02%	28 दिसंबर, 08	95	226,926
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	28 दिसंबर, 2007	10583091000045	50,000,000	9.02%	28 दिसंबर, 08	95	1,191,551
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	28 दिसंबर, 2007	10583091000038	50,000,000	9.02%	28 दिसंबर, 08	95	1,191,551
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	31 दिसंबर, 2007	10583091000076	35,000,000	9.02%	31 दिसंबर, 08	92	807,184
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	31 दिसंबर, 2007	10583091000069	50,000,000	9.02%	31 दिसंबर, 08	92	1,153,121
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	3 जनवरी, 2008	10583091000083	50,000,000	9.02%	3 जनवरी, 09	89	1,114,972
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	3 जनवरी, 2008	10583091000090	17,000,000	9.02%	3 जनवरी, 09	89	379,091
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	31 मार्च, 2008	11113091000098	50,000,000	9.25%	31 मार्च, 09	1	12,847
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	31 मार्च, 2008	10773091000750	50,000,000	9.25%	31 मार्च, 09	1	12,847
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	31 मार्च, 2008	10813091000012	50,000,000	9.25%	31 मार्च, 09	1	12,847
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	31 मार्च, 2008	10413091000632	50,000,000	9.25%	31 मार्च, 09	1	12,847

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08

इसमें जमा	प्रारम्भिक तिथि	एफडीआर संख्या	जमा धनराशि	ब्याज का %	परिपक्वता तिथि	अवधि	उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	31 मार्च, 2008	10583091000137	50,000,000	9.25%	31 मार्च, 09	1	12,847
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	31 मार्च, 2008	01293091000687	50,000,000	9.25%	31 मार्च, 09	1	12,847
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	31 मार्च, 2008	9243091000288	50,000,000	9.25%	31 मार्च, 09	1	12,847
			807,522,295				16,992,820
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	20 अप्रैल, 2007	62030784259	80,000,000	10.75%	20 अप्रैल, 08	347	8,616,668
			80,000,000				8,616,668
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया – पीबी	12 अप्रैल, 2007	30359029916	30,000,000	10.50%	12 अप्रैल, 08	355	3,228,929
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया – पीबी	31 मार्च, 2008	888935	330,000,000	9.00%	31 मार्च, 09	1	82,500
			360,000,000				3,311,429
सिंडिकेट बैंक	30 जून, 2007	67183	10,000,000	10.02%	3 जून, 08	276	788,469
सिंडिकेट बैंक	3 जुलाई, 2007	67186	18,000,000	10.02%	3 जुलाई, 08	273	1,403,056
सिंडिकेट बैंक	20 दिसंबर, 2007	67375	50,000,000	8.76%	20 दिसंबर, 08	103	1,256,631
सिंडिकेट बैंक	22 दिसंबर, 2007	67376	15,000,000	8.76%	22 दिसंबर, 08	101	369,529
सिंडिकेट बैंक	26 दिसंबर, 2007	67378	70,000,000	8.76%	26 दिसंबर, 08	97	1,654,845
सिंडिकेट बैंक	27 दिसंबर, 2007	67380	205,000,000	8.76%	27 दिसंबर, 08	96	4,795,355
सिंडिकेट बैंक	31 मार्च, 2008	67503	400,000,000	9.01%	31 मार्च, 09	1	100,111
			768,000,000				10,367,995
विजया बैंक	16 फरवरी, 2008	134084	17,500,000	9.00%	16 फरवरी, 09	45	196,875
विजया बैंक	5 मार्च, 2008	134109	30,000,000	9.80%	5 मार्च, 09	27	220,500
विजया बैंक	5 मार्च, 2008	134110	20,000,000	9.80%	5 मार्च, 09	27	147,000
विजया बैंक	19 मार्च, 2008	134131	10,000,000	9.55%	19 मार्च, 09	13	34,486
विजया बैंक	27 मार्च, 2008	134143	21,000,000	9.95%	27 मार्च, 09	5	29,021
			98,500,000				627,882
महायोग			3,375,387,177				82,992,466

(आर.के.शर्मा)
मुख्य लेखा अधिकारी

(जी. प्रभाकर)
सदस्य

(आर. कन्नन)
सदस्य

(के के श्रीनिवासन)
सदस्य

(सी आर मुरलीधरन)
सदस्य

(जे हरि नारायण)
अध्यक्ष

संलग्नक III

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च, 2008 को तुलन पत्र के संलग्नक तथा भाग के रूप में
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम

विवरण	वर्तमान वर्ष के लिए आंकड़े (₹)	पिछले वर्ष के लिए आंकड़े (₹)
जमा		
– परिसर के लिए	545,825	811,001
– एमटीएनएल – अन्य से	67,730	38,030
– विद्युत के लिए	259,101	128,123
– ईंधन के लिए	7,650	4,000
	880,306	981,154
स्टॉफ़ को ऋण तथा अग्रिम		
– स्टॉफ़ को आवासीय ऋण	15,257,911	15,437,045
– दूसरे प्रयोजनों के लिए स्टॉफ़ को ऋण	6,846,850	7,528,503
– अन्य अग्रिम – तयौहार	395,734	319,170
– वसूली योग्य ब्याज	3,125,993	2,137,088
– अग्रिम – अन्य	13,246,542	185,451
योग	38,873,030	25,607,257
बीमा कंपनियों तथा दूसरों से देय राशियाँ		
– बीमा कंपनियों (राज्य बीमा कंपनियों से देय राशियाँ दिखाता है)	69,100	69,100
– अभिकर्ता (पूर्व में अभिकर्ताओं से प्राप्त हस्ते बैंक की राशियाँ दिखाता है)	37,400	-
योग	106,500	69,100
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
– वसूली योग्य व्यय	-	-
– पूर्वदत्त व्यय	1,082,624	731,766
– उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं – बैंक जमाएँ	82,992,467	75,771,058
– वसूली योग्य राशि – अन्य	59,947	302,443
– पूंजी खातों पर अग्रिम – (सॉफ्टवेयर विकास के लिए)	204,120	-
– बीमा तथा जोखिम प्रबंधन संस्थान को अग्रिम	27,562,520	21,736,133
– पीएफआरडीए को अग्रिम	-	-
– अन्य – यात्रा के लिए अग्रिम	620,745	211,816
– आईआरडीए अधिवाषिता ट्रस्ट को अग्रिम	-	-
– तेरुवे वित्त आयोग को अग्रिम	2,348,823	-
योग	114,871,246	98,753,216
नगद तथा बैंक शेष		
– हाथ रोकड़	55,000	45,000
– हस्ते बैंक	-	-
– पारगमन में नगद/बैंक	-	-
– अनुसूचित बैंकों में शेष		
(क) चालु खाते में	5,793,500	5,993,730
(ख) जमा खाते में	-	-
(ग) बचत खाते में	484,588	89,287
योग	6,278,088	6,083,017
गैर अनुसूचित बैंकों में शेष		
(क) चालु खाते में	-	-
(ख) जमा खाते में	-	-
योग	-	-

(आर के शर्मा)
मुख्य लेखा अधिकारी

(जी प्रमाकर)
सदस्य

(आर कन्नन)
सदस्य

(के के श्रीनिवासन)

(सी आर मुरलीधरन)

(जे हरि नारायण)

संलग्नक IV

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च, 2008 को तुलन पत्र के संलग्नक तथा भाग के रूप में

विवरण	वर्तमान वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	पिछले वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	-	-
योग	-	-

(आर.के.शर्मा)
मुख्य लेखा अधिकारी

(जी. प्रभाकर)
सदस्य

(आर. कन्नन)
सदस्य

(के के श्रीनिवासन)
सदस्य

(सी आर मुरलीधरन)
सदस्य

(जे हरि नारायण)
अध्यक्ष

संलग्नक V

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च, 2008 को आय तथा व्यय खाते का हिस्सा तथा उसका संलग्नक

आकस्मिक देयताएँ

विवरण	वर्तमान वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	पिछले वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
	-	-

(आर.के.शर्मा)
मुख्य लेखा अधिकारी

(जी. प्रभाकर)
सदस्य

(आर. कन्नन)
सदस्य

(के के श्रीनिवासन)
सदस्य

(सी आर मुरलीधरन)
सदस्य

(जे हरि नारायण)
अध्यक्ष

संलग्नक VI

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाते का हिस्सा तथा उसका संलग्नक
कर्मचारियों को भुगतान तथा प्रावधान

विवरण	वर्तमान वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	पिछले वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
i) वेतन, भत्ते मजदूरी तथा बोनस	46,225,902	30,711,088
ii) भविष्य निधि आदि में अंशदान (अधिवर्षिता निधि में रु. 14,05,288 का अंशदान)	2,044,786	4,648,498
iii) उपदान	1,014,480	850,059
iv) स्टॉफ कल्याण व्यय	373,065	143,776
v) अन्य		
– पुस्तक अनुदान	-	-
– छुट्टी यात्रा रियायत	750,608	994,951
– बीमा	-	-
– केन्टीन व्यय	-	-
– आर्थिक पुरस्कार – अध्ययन	-	-
– समूह बीमा योजना में अंशदान	881,273	776,421
– स्टॉफ के द्वारा वहन किए गए व्ययों का भुगतान	1,008,526	776,848
– अवकाश वेतन	0	1,065,381
योग	52,298,640	39,967,022

(आर.के.शर्मा)
मुख्य लेखा अधिकारी

(जी. प्रभाकर)
सदस्य

(आर. कन्नन)
सदस्य

(के के श्रीनिवासन)
सदस्य

(सी आर मुरलीधरन)
सदस्य

(जे हरि नारायण)
अध्यक्ष

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाते का हिस्सा तथा उसका संलग्नक

स्थापन व्यय

विवरण	वर्तमान वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	पिछले वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
भवन तथा परिसर की मरम्मत तथा रखरखाव	1,466,045	1,311,543
गृह व्यवस्था – कार्यालय रखरखाव	549,200	748,994
उपकरणों की मरम्मत तथा रखरखाव	-	-
मरम्मत तथा रखरखाव – अन्य	-	-
विद्युत तथा जल व्यय	1,362,091	1,295,324
बीमा व्यय	224,002	18,424
दरें तथा कर	-	-
छपाई तथा स्टेशनरी	1,244,546	1,303,212
बुक्स/जर्नल्स आदि	45,025	33,488
डाक, तार, टेलिफोन आदि	4,802,957	2,738,735
यात्रा तथा परिवहन आन्तरिक	15,639,819	11,674,239
परिवहन – विदेशी	11,199,186	6,966,707
विधिक तथा व्यावसायिक शुल्क	5,847,443	17,886,533
शिक्षा/प्रशिक्षण/शोध तथा अध्ययन/शिकायत समाधान व्यय	-	-
ऑडिट व्यय	260,360	225,000
सॉफ्टवेयर	-	-
प्रचार तथा विज्ञापन	8,643,932	47,280,351
भर्ती	-	-
प्राधिकरण तथा सलाहकार समिति की बैठक के व्यय तथा अन्य बैठकों के व्यय सहित		
समिति के सदस्यों को भुगतान किए गए दैनिक भत्ते	2,198,714	3,188,934
सदस्यता तथा चन्दा	1,991,994	1,507,392
सुरक्षा सेवाएँ	445,106	426,349
वेब पोर्टल विकास व्यय	-	0
केन्टीन व्यय	2,344,583	980,918
कार मरम्मत तथा रखरखाव व्यय	161,318	38,670
अन्य व्यय	550,168	492,883
योग	58,976,488	98,117,694

(आर.के.शर्मा)
मुख्य लेखा अधिकारी

(जी. प्रभाकर)
सदस्य

(आर. कन्नन)
सदस्य

(के के श्रीनिवासन)
सदस्य

(सी आर मुरलीधरन)
सदस्य

(जे हरि नारायण)
अध्यक्ष

संलग्नक VIII

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद

31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाते का हिस्सा तथा उसका संलग्नक

विवरण	वर्तमान वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	पिछले वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
सरकारी	-	-
बैंक	-	-
अन्य	-	-
योग	-	-

(आर के शर्मा)
मुख्य लेखा अधिकारी

(जी प्रभाकर)
सदस्य

(आर. कन्नन)
सदस्य

(के के श्रीनिवासन)
सदस्य

(सी आर मुरलीधरन)
सदस्य

(जे हरि नारायण)
अध्यक्ष

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण

वर्ष 2007-08 के लिए लेखाओं के वार्षिक विवरण पर नोट्स
जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, सभी धनराशियाँ रुपयों में

1 पृष्ठभूमि

एक संसदीय अधिनियम, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (अधिनियम) द्वारा बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) की स्थापना हुई तथा भारत के राजपत्र में जारी एक अधिसूचना द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 2000 को यह बनाया गया। बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा तथा बीमा उद्योग के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने तथा इसके नियमितीकरण तथा वृद्धि के लिए तथा इससे संबद्ध मुद्दों के लिए, आवेदक को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने, नवीकृत, संशोधित, वापस लेने, निलंबित या पंजीयन रद्द करने, और अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शुल्क तथा अन्य दरों को वसूलने के उद्देश्य से प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, प्राधिकरण को अस्थायी बीमा विनियामक प्राधिकरण की ऐसी परिसंपत्तियाँ और दायित्व सौंपे गए हैं जो इसकी स्थापना दिनांक, अर्थात् 19 अप्रैल, 2000 को उपलब्ध थे। अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, "बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण कोष" नामक एक कोष स्थापित किया जाएगा। यह कोष सरकारी अनुदान, प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किए जाने वाले शुल्क और दरों, केन्द्र सरकार द्वारा निर्णित अन्य स्रोतों से प्राधिकरण को प्राप्त धनराशियाँ तथा बीमाकर्ताओं से प्राप्त निर्धारित प्रीमियम आय का प्रतिशत आदि से स्थापित किया जाएगा। इस कोष का प्रयोग प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य परिश्रमिकों तथा अधिनियम के उद्देश्यों के लिए अपने कार्यों के निष्पादन में प्राधिकरण के अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाएगा। 2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार जैसा कि यहां वर्णित किया गया है, नगद आधार पर राजस्व मान्यताओं के समान लेखाओं के उपग्रह आधार पर ऐतिहासिक मूल्य परंपराओं के अन्तर्गत तथा भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा लेखाओं पर जारी मान्य

मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ इस प्रकार हैं:

(ए) स्थायी संपत्तियाँ तथा अवमूल्यन

स्थायी संपत्तियों को मूल्य रहित संचित अवमूल्यन पर वर्णित किया गया है। स्थायी परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में वर्णित दरों के आधार पर घटती जमा विधि की अवधि के प्रयोग की अवधि के अनुपात में प्रस्तुत किया गया है। रु. 5000 से कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों को खरीदी वर्ष में 100 प्रति अवमूल्यित कर दिया गया है बशर्ते परिसंपत्तियाँ संबद्ध ब्लॉक की 10 प्रतिशत से अधिक की नहीं हो, इस मामले में परिसंपत्तियों को अनुसूची ग्ट में वर्णित दरों पर अवमूल्यित किया गया है।

(बी) निवेश बैंकों में स्थायी जमाओं की प्रकृति वाले निवेशों को मूल्य के रूप में वर्णित किया गया है।

(सी) राजस्व

(i) पंजीयन शुल्क (क) भारत में किसी भी श्रेणी का बीमा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए पहली बार पंजीयन कराने वाले बीमाकर्ता से प्राप्त राशि को प्राप्ति वर्ष की आय समझा जाता है।

(ख) पंजीकरण के नवीकरण के लिए बीमाकर्ताओं से अग्रिम के रूप में प्राप्त धनराशि को उस वर्ष की आय समझा जाता है जिससे वह संबद्ध है।

(ii) अनुज्ञप्ति शुल्क अभिकर्ताओं, निरीक्षक, दलालों और अन्य बीमा मध्यस्थों से प्राप्त अनुज्ञप्ति शुल्क को प्राप्ति वर्ष की आय समझा जाता है। बीमा अभिकर्ताओं, निरीक्षकों, ब्रोकर्स और अन्य बीमा मध्यस्थों को जारी अनुज्ञप्तियाँ जारी होने की तिथि से संबद्ध वर्षों के लिए और समाप्ति पर नवीकृत होने की तिथि तक चालू रहती हैं। अनुज्ञप्ति शुल्क

को उनसे संबद्ध वर्षों में विभाजित करना व्यावहारिक नहीं है।

(iii) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान प्राप्त प्रारंभिक अनुदान को उस वर्ष की आय माना गया है जिसमें वह प्राप्त की गई है।

;डीद्वि विदेशी मुद्रा के व्यवहार अमौद्रिक विदेशी मुद्रा के सौदों को सौदों की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। मौद्रिक विदेशी मुद्रा वाली परिसंपत्तियों तथा दायित्वों को बेलेन्स शीट की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर रूपयों में रूपान्तरित किया जाता है। अस्थायी परिसंपत्तियों से संबद्ध विदेशी मुद्रा दायित्वों के रूपान्तरित अन्तर को स्थायी परिसंपत्तियों के प्रभारित मान में समायोजित कर लिया गया है। अन्य रूपान्तरित अन्तरों को आय तथा व्यय खाते में प्रदर्शित किया गया है।

(इ) वेब पोर्टल का विकास तथा रखरखाव वेब पोर्टल के विकास तथा रखरखाव पर आने वाले व्ययों को भारित वर्ष के आय तथा व्यय खाते में प्रभारित किया गया है।

;एफद्वि सेवानिवृत्ति लाभ कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों में भविष्य निधि, उपदान निधि, अधिवार्षिता निधि तथा अवकाश नकदीकरण के प्रावधान सम्मिलित हैं जिन्हें अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रदान किया जाना है। अवकाश नकदीकरण, समूचे शेष अप्रयोक्त अवकाश के लिए वर्तमान भुनाने योग्य वेतन के आधार पर प्रदान किया जाता है। प्राधिकरण, आईआरडीए कर्मचारी भविष्य निधि तथा आईआरडीए अधिवार्षिता कोष न्यास में अंशदान देता है। उपदान के दायित्व का आंकलन, प्राधिकरण द्वारा निर्मित उपदान योजना के अनुसार वास्तविक मूल्यांकन आधार पर किया जाता है। 3. आयकर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 बीबीई) के अन्तर्गत छूट दिए जाने के फलस्वरूप प्राधिकरण की आय पर आयकर का कोई प्रावधान नहीं है।

4 पंजीकरण/नवीकरण शुल्क

(क) बीमाकर्ताओं पर पंजीकरण के नवीकरण शुल्क की वसूली को कुल प्रीमियम के 0.2 प्रतिशत से कुल प्रीमियम के 0.1 प्रतिशत तक कम करने संबंधी प्राधिकरण के निर्णय अनुसार, 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी वित्तीय वर्षों के लिए

वार्षिक आय की गणना तदनुसार भूतलक्षी प्रभाव से की गई है।

(ख) कुल बीमा प्रीमियम की जानकारी के अभाव में कुछ राज्य बीमा अभिकरणों से प्राप्त नवीकरण शुल्क की गणना नहीं की गई है।

5^ण प्राधिकरण के कोषों को भारत के सार्वजनिक खातों में जमा करना पिछले वर्षों में दिनांक 17 जुलाई, 2002, 9 जुलाई, 2005, 18 जुलाई तथा 13 सितंबर, 2006 तथा 28 फरवरी, 2008 को प्राधिकरण को वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग से पत्र प्राप्त हुए जिनमें प्राधिकरण को इस प्रकार संग्रहित धनराशियों को भारतीय लोक निधि में बिना ब्याज प्राप्त होने वाले खातों में जमा करने के निर्देश तथा प्राधिकरण को यह अनुमति दी गई कि वह प्रत्येक वर्ष अपने खर्चों की पूर्ति के लिए कथित भारतीय लोक निधि एक निर्दिष्ट राशि वापस निकाल सकेगा। प्राधिकरण द्वारा प्राप्त एक विधिक परामर्श के अनुसार, प्राधिकरण ने प्राप्त निर्देशों की समीक्षा के लिए निवेदन किया है क्योंकि इसके दृष्टिकोण से इसके द्वारा बीमादारों और मध्यस्थों से प्राप्त धनराशियाँ शासकीय राजस्व की तरह नहीं हैं और भारतीय लोक निधि का हिस्सा नहीं हैं। इस मुद्दे पर अभी भी पत्र व्यवहार चल रहा है।

6^ण प्राधिकरण का मुख्यालय प्राधिकरण के मुख्यालय को नई दिल्ली से हैदराबाद स्थानान्तरित किए जाने विषयक नवंबर 2001 के भारत सरकार के निर्णय के परिपालन में, प्राधिकरण ने अपने बीमांकन विभाग को अप्रैल 2002 में, अन्य विभागों को अगस्त, 2002 तथा पर्यवेक्षक विभाग को अक्टूबर, 2005 में स्थानान्तरित कर दिया है। प्राधिकरण का कार्यालय परिश्रम भवन में स्थित है जहां आन्ध्रप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एपीआईडीसी) द्वारा प्राधिकरण को तीसरा तल तथा पांचवे तल का एक हिस्सा किराये पर दिया गया है। आन्ध्रप्रदेश सरकार ने ए.पी. औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड (एपीआईआयसी) के माध्यम से ग्राम नानकरामगुड़ा, सेरीलिंगमपल्ली मण्डल, आरआर डिस्ट्रीक्ट, हैदराबाद के आर्थिक महत्व वाले जिले में पांच एकड़ का एक भूखण्ड निःशुल्क आवंटित किया है जिसकी विधिक आधिपत्य अक्टूबर, 2008 में हस्तान्तरित किया गया।

7 परिचालित पट्टे कोई गैर-निरस्तीयोग्य पट्टा व्यवस्थाएँ नहीं हैं। पट्टा भुगतान, पट्टा विलेख के अनुसार किए जा रहे हैं। हैदराबाद में परिसर का हिस्सा प्राधिकरण के स्वामित्व में बिना किसी किराये के हैं परन्तु इसे खाली किए जाने पर यह इस परिसर को 'जैसा है, जहां है' आधार पर आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को वापस

लौटाने के लिए बाध्य है। आय तथा व्यय खाते में मान्य अन्य परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतानों का आंकलन रु. 16,57,283/- है, जिनमें दिल्ली में लिया गया परिसर शामिल है। (पूर्व वर्ष में यह रु. 15,27,943/- था)

8 प्रारंभिक जमा - रु. 14,71,955 के ओवर ड्राट लिखना प्राधिकरण का बैंक ऑफ इण्डिया, बशीर बाग में एक बैंक खाता है। 31.03.2007 को रु. 14,71,955 का ओवर ड्राट लिखा गया था। इसे 31.03.2007 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्तियाँ तथा भुगतान खाते में "स्टॉफ को अग्रिम तथा अन्य यात्रा अग्रिम" शीर्ष में शामिल किया गया था। इसे अग्रणीत किया जाकर प्राप्तियाँ तथा भुगतान खाते में भुगतान पक्ष में नकद शेष के रूप में जाहिर कर दिया गया है।

9 31.03.2008 को बैंक जमाएँ . बैंक ऑफ इण्डिया, बशीर बाग के बैंक जमा में रु. 137614/- का अन्तर है। इस

अन्तर को ब्याज से प्राप्त आय में प्रभारित किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक लि., हिमायत नगर शाखा द्वारा प्रमाणित जमा में रु. 11264/- का अन्तर है। इस अन्तर को ब्याज से प्राप्त आय में समायोजित किया गया है। इन अन्तरों का समाधान वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान किया जाएगा। इन अन्तरों के फलस्वरूप, जमा पर ब्याज की आय रु. 1,26,350 अधिक बताई गई है।

10. पूर्व वर्ष से तुलना जहां पूर्व वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक बनाना आवश्यक समझा गया है, वहां उन्हें पुनः समूहबद्ध किया गया है।

(आर के शर्मा)
मुख्य लेखा अधिकारी

(जी प्रभाकर)
सदस्य

(आर. कन्नन)
सदस्य

(के के श्रीनिवासन)
सदस्य

(सी आर मुरलीधरन)
सदस्य

(जे. हरि नारायण)
Chairman

बीमाकर्ताओं और लोकपालों के पते

जीवन बीमाकर्ता

क्र. सं.	बीमाकर्ता	मुख्य अधिकारी	डाक पता	सम्पर्क विवरण
1	रिलायंस लाईफ इश्योरेन्स कम्पनी लि.	श्री पी नन्दगोपाल	पहली मंजिल, मिडास, साहार प्लाजा कॉम्प्लेक्स, कोहिनूर होटल के पास, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई 400 059	टेली: 022-30479600 / 30479784 फैक्स: 022-30479650
2	अविवा लाईफ इश्योरेन्स कं. प्रा. लि.	श्री बर्ट पेटरसन	पॉचवी मंजिल, जे.एम.डी रीजेन्ट्स स्क्वेयर बिल्डिंग, गुडगाँव-महाराली रोड, गुडगाँव 122 001	टेली: 0124-270 9000 / 01, फैक्स: 0124-270 9007.
3	बजाज अलायंज लाईफ इश्योरेन्स कं. लि.	श्री शाम घोष	जी.ई. प्लाजा, एयरपोर्ट रोड, येरावाड़ा, पुणे, 411 006, मरोल नाका के पास, अंधेरी पूर्व, मुम्बई, 400 059	टेली: 020-4026666 फैक्स: 020-4026789
4	बिरला सन लाईफ इश्योरेन्स कं. लि.	श्री विक्रम मेहमी	छठी मंजिल, वामन केन्द्र, मखवाना रोड, दफतर अंधेरी-कुर्ला रोड, मरोल नाका के पास, अंधेरी पूर्व, मुम्बई, 400 059	टेली: 022 5678 3333 फैक्स: 022 5678 3232
5	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाईफ इश्योरेन्स कं. लि.	श्री डी एम सतवालेकर	दूसरी मंजिल, 'ए' विंग, ट्रेड स्टार बिल्डिंग, कोहिनूर कोन्टिनेंटल होटल के पास, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुम्बई, 400 059	टेली: 022-67516666 फैक्स: 022-2822 8844
6	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इश्योरेन्स कं. लि.	सुश्री शिखा शर्मा	आईसीआईसीआई प्रूलाइफ टावर्स, 1089 अप्पासाहेब मराठे मार्ग, मुम्बई, 400 025	टेली: 022-56621996 फैक्स: 022-56622031
7	आईएनजी वेश्या लाइफ इश्योरेन्स कं. लि.	श्री क्षितिज जैन	पॉचवी मंजिल, आईएनजी वेश्या हाउस, 22 एम.जी. रोड, बैंगलोर 560 001	टेली: 080-25328000 फैक्स: 080-25559764
8	कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इश्योरेन्स कं. लि.	श्री गोरंग शाह	नवी मंजिल, गोदरेज कोलेजियम, एवरड नगर के पीछे, सियन पूर्व, मुम्बई 400 022	टेली: 022-6621 5999 फैक्स: 022-6621 5757, 6621 5858
9	भारतीय जीवन बीमा निगम	श्री टी.एस. विजयन	योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं. 19953, मुम्बई 400 021	फोन: 56598701, 56598702 फैक्स: 22824386 ई-मेल: chairman@licindia.com

क्र. सं.	बीमाकर्ता	मुख्य अधिकारी	डाक पता	सम्पर्क विवरण
10	मैक्स न्यूयार्क लाइफ इश्योरेन्स कं. लि.	श्री गेरी आर. बेनेट	ग्यारहवीं मंजिल, डीएलएफ स्क्वेयर, जकारान्दा मार्ग, डीएलएफ सिटी, फेस 2 गुंडागॉव 122 002	टेली: 0124-2561717 फैक्स: 0124-2561764
11	मैट लाइफ इण्डिया इश्योरेन्स कं. प्रा. लि.	श्री राजेश रेलन	ब्रिगेड शेषमहल, नम्बर 5 वाणी विलास रोड बासवानागुडी, बैंगलोर 560 004	टेली: 080-26438638 फैक्स: 080-26521970 टोल मुक्त नं.: 1-600-44-6969
12	सहारा इण्डिया लाइफ इश्योरेन्स कं. लि.	श्री एन.सी. शर्मा	सहारा इण्डिया भवन, 1, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ, 226 024	टेली: 0522-2337777 फैक्स: 0522-2378200
13	एसबीआई लाइफ इश्योरेन्स कं. लि.	श्री उदय शंकर रॉय	तुर्नर मोरीसन बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 16, बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई 400 023	टेली: 022-56392000 फैक्स: 022-56621471
14	श्री राम लाइफ इश्योरेन्स कं. लि.	श्री आर. दुरुवासन	पंजीकृत कार्यालय: 3-6-478, तीसरी मंजिल, आनन्द एस्टेट, लिबर्टी रोड, हिमायत नगर, हैदराबाद-500 029	टेली: 040-23434466-72 फैक्स: 040-23434488
15	टाटा एआईजी लाइफ इश्योरेन्स कं. लि.	श्री तरेवोर बुल	पेनीसुला टावर पेनीसुला कोरपोरेट पार्क, गनपत्रो कदम मार्ग, लोअर पेरल, मुम्बई 400 013	टेली: 022-66516000 फैक्स: 022-66550711
16	भारती एक्सा लाइफ इश्योरेन्स कं. लि.	श्री नितिन चौपड़ा	61/62, कालपटूरु साइनर्जी, वाकोला, ग्रैंड हयात होटल के सामने, सांताक्रूज़ (ई) मुम्बई - 400 055	टेली: 022 - 40306300/6301 फैक्स: 022 - 40306347
17	पयूचर जनरली इण्डिया लाइफ इश्योरेन्स कं. लि.	डॉ. किम चाई ओई	001, ट्रेड प्लाजा, भूतल, 414, वीर सावरकर मार्ग, प्रभा देवी मुम्बई-400 025	
18	आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इश्योरेन्स कं. लि.	श्री जी. वी. नागेश्वर राव	ट्रेड व्यू, ओएसिस कॉम्प्लेक्स, कमला सिटी, पी.बी. मार्ग, लोअर पेरल, पश्चिम, मुम्बई 400 013	

क्र. सं.	बीमाकर्ता	मुख्य अधिकारी	डाक पता	सम्पर्क विवरण
19	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ	श्री हरपाल एस कालकट	के/ऑ एमसोट सिस्टम, यूनीटेक ट्रेड सेन्टर, सेक्टर-43, सुशान्त लोक-1, पार्क प्लाजा होटल के सामने, गुडगाँव 122 001	
20	डीएलएफ प्रमेरिका लाइफ	श्री कपिल मेहता	डीएलएफ सेन्टर, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110 001	
21	एगॉन रेलिग्रे लाइफ	श्री राजीव झामखेडकर	45 मेकर चेम्बर्स नरीमन पॉइंट, मुम्बई 400 021	

गैर जीवन-बीमा कर्ता

क्रम संख्या	बीमाकर्ता	मुख्य अधिकारी	डाक पता	सम्पर्क विवरण
1	भारतीय कृषि जीवन बीमा कं. लि.	श्री एम प्रसाद	तेरहवीं मंजिल, अम्बादीप ब्लेज 14, के जी मार्ग, कर्नाट प्लेस नई दिल्ली – 110 001	फोन: 011-41081991-4, फैक्स: 011-41081995 ई मेल: aicho@aicofindia.org वेब साईट: www.aicofindia.org
2	बजाज अलायंस जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री कालेश गोयल	जी ई प्लाजा एयरपोर्ट रोड, येरावाड़ा पूने- 411 006	फोन: 020-6602 6666 फैक्स: 020-6602 6667
3	चोलामण्डलम जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री एम आनन्दन	डेयर हाउस, दूसरी मंजिल नया नं. 2, पुराना न. 234 एन.एस.सी बोस रोड चेन्नई 600001	फोन: 044-42166000 फैक्स: 044-42166001
4	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारण्टी कॉर्पोरेशन लि.	श्री क्रिस्टी फर्नान्डिज	दसवीं मंजिल, एक्सप्रेस टॉवर्स नरीमन पॉइंट मुम्बई – 400021.	फोन: 022-56590512-515 फैक्स: 022-56590517 022-56590530
5	एचडीएफसी-ईआरजीए 7 जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री सुरेश मेनन	छठी मंजिल, लीला बिजनेस पार्क, अन्धेरी-कुर्ला रोड अन्धेरी पूर्व मुम्बई – 400059	फोन: 022-6638 3600 फैक्स: 022-6638 3699
6	आईसीआईसीआई लॉबार्ड जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री सन्दीप बख्शी	जेनिथ हाउस, महालक्ष्मी केशवराव खाडे मार्ग मुम्बई – 400 034	फोन: 022-24906999 फैक्स: 022-24927624
7	इफको टोकिओ जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री अजीत नारायण	चौथी और पाँचवी मंजिल, इफको टावर प्लॉट नं 3, सेक्टर 29, गुडगाँव – 122001 (हरियाणा)	फोन: 0124-2850100 फैक्स: 0124-2577923-2577924
8	नेशनल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री वी रामास्वामी	3, मिडलटन गली, पोस्ट बॉक्स न. 9229, कोलकाता 700 071	फोन: 033-22831705 to 9 फैक्स: 033-22831712
9	रिलायन्स जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री के. ए. सोमशेखरन	570, नायगॉम क्रॉस रोड रॉयल औद्योगिक एस्टेट के पास,	फोन: 022-30479602 बोर्ड नं.: 022-30479600
10	रॉयल सुन्दरम अलायंस इश्योरेन्स कं. लि.	श्री अजय बिम्भेत	वडाला पश्चिम, मुम्बई – 400 031 "सुन्दरम टावर्स", 45-46, व्हाइट्स रोड, रोयापीटाह चेन्नई- 600 014	फैक्स: 022-330479650 फोन: 044-42227373 फैक्स: 044-28517376 ई मेल: ajay.bimbhet@in.royalsun.com वेब साईट: www.royalsundaram.com

क्रम संख्या	बीमाकर्ता	मुख्य अधिकारी	डाक पता	सम्पर्क विवरण
11	टाटा एआईजी जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री दिलिप वर्मा	पेनीसुला कोरपोरेट पार्क, निकोलस पिरामल टावर, नौवी मंजिल गनपत्रो कदम मार्ग लोअर पेरल, मुम्बई 400 013	फोन: 022-66699696 फैक्स: 022-56546464 ई मेल: gaurav.garg@tata-aig.com वेब साईट: www.tata-aiggeneral.com
12	दी न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कं. लि.	श्री बी चक्रवर्ती	न्यू इण्डिया एश्योरेन्स बिल्डिंग 87, एम.जी.रोड, फोर्ट, मुम्बई- 400 001	फोन: 022-22674617 - 22, फैक्स: 022-22652811 ई मेल: cmd.nia@newindia.co.in वेब साईट: www.newindia.co.in
13	दी ओरिएन्टल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री एम रामादोस	A-25/27, आसफ अली रोड नई दिल्ली 110 002	फोन: 011-23279221-25 प्रत्यक्ष: 23265024 फैक्स: 23287192,23287193, 23283971
14	युनाइटेड इण्डिया इश्योरेन्स कं. लि.	श्री जी श्रीनिवासन	24, व्हाइट्स रोड चेन्नई - 600 014	फोन: 044-28520161 फैक्स: 044-28523825
15	स्टार हेल्थ एण्ड अलाइड इश्योरेन्स कं. लि.	श्री वी जगन्नाथन	न. 1 न्यू टैंक स्ट्रीट वालुवर्कोट्टम हाई रोड नंगमबक्कम चेन्नई - 600 034	फोन: 044-28260053 फैक्स: 044-28260062
16	फ्यूचर जनरली इण्डिया इश्योरेन्स कं. लि.	श्री दीपक सूक	001, ट्रेड प्लाजा, भूतल 414, वीर सावरकर मार्ग प्रभादेवी मुम्बई 400 025	
17	अपोलो डीकेवी इश्योरेन्स कं. लि.	डॉ. एक्सेल मुनारेटो	दी मास्टरपीस गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर - 54 गुडगाँव - 122002	
18	युनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री ओ एन सिंह	201-208, ए विंग क्रिस्टल प्लाजा इन्फिनिटी मॉल के सामने, लिंक रोड अन्धेरी पश्चिम मुम्बई 400 058	
19	भारती एक्सा जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री मिलिन्द चालीसगाँवकर	आर एम जेड इन्फिनिटी, बी टावर दूसरी मंजिल, नम्बर 3 पुरानी मद्रास रोड बैंगलोर - 560 016	
20	श्री राम जनरल इश्योरेन्स कं. लि.	श्री जे एस गुजराल	ई-8, ईपीआईपी, रिको सीतापुरा जयपुर - 302 022	

पुनर्बीमाकर्ता

1	जनरल इश्योरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया	श्री योगेश लोहिया	सुरक्षा छठी मंजिल, 170, जे टाटा रोड चर्च गेट मुम्बई – 400 020.	फोन: 022-22833046 फैक्स: 022-22833209, 2282233 ई मेल: info@gicofindia.com वेबसाईट : www.gicindia.com
---	--	-------------------	--	--

बीमा लोकपाल

क्र.सं.	केन्द्र	लेकपाल	डाक पता	सम्पर्क विवरण
1.	अहमदाबाद	श्री अमिताभ	दूसरी मंजिल, अम्बिका हाउस, सी.यू. शाह कॉलेज के पास, 5 नवयुग कॉलोनी, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 014	फोन: 079-27546150, 27546139 फैक्स: 079-27546142 ई-मेल: insombahd@rediffmail.com
2.	भोपाल	श्री एन.एन. खान	जनक विहार कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल-462 011	फोन: 0755-2769201, 2769202, फैक्स: 0755-2769203 ई-मेल: bimalokpalbhopal@airtelbroadband.in
3.	भुवनेश्वर	श्री एस.के. ढल	62, फॉरेस्ट पार्क, भुवनेश्वर-751 009	फोन: 0674- 2596461 (direct) फैक्स: 0674-2596429 ई-मेल: ioobbsr@dataone.in
4.	चण्डीगढ़	श्री के.एम. चड्ढा	एस.सी.ओ संख्या 101-103, दूसरी मंजिल, बतरा बिल्डिंग, सेक्शन 17-डी चण्डीगढ़- 160017	फोन: 0172 - 2706196 फैक्स: 0172-2708274 ई-मेल: ombchd@yahoo.co.in
5.	चेन्नई	श्री के. श्रीधर	फातिमा अख्तर कोर्ट, चौथी मंजिल, 453 , पुराना 312, अन्ना सलई, तेनामपेट, चेन्नई- 600 018	फोन: 044 - 24333678 फैक्स: 044-24333664 ई-मेल: insombud@md4.vsnl.net.in
6.	दिल्ली	श्री आर. बेरी	2/2 ए, पहली मंजिल, यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110 002	फोन: 011-23239611 फैक्स: 011-23230858 ई-मेल: iobdelraj@rediffmail.com
7.	गुवाहाटी	श्री शरत चन्द्र शर्मा	जीवन निवेश, पॉचवी मंजिल, पानबाजार ओवरब्रिज के पास, एस.आर. रोड, गुवाहाटी - 781 001	फोन: 0361-2131307 फैक्स: 0361-2732937 ई-मेल: omb_ghy@sify.com
8.	हैदराबाद	श्री पी.ऐ. चौधरी	6-2-46, पहली मंजिल, 'मुख्य कोर्ट' गली, सलीम फंक्शन पैलेस के सामने, ए.सी. गार्डस, लकड़ी का पुल, हैदराबाद- 500 004	फोन: 040-23325325 फैक्स: 040-23376599 ई-मेल: hyd2_insombud@sancharnet.ir
9.	अर्नाकुलम	श्री जेम्स मुरीकेन	दूसरी मंजिल, सीसी 27 / 2603, पुलीनत बिल्डिंग, कोच्ची शिपयार्ड के सामने, एम.जी. रोड, अर्नाकुलम- 682 015	फोन: 0484-2358734 फैक्स: 0484-2359336 ई-मेल: iokochi@asianetglobal.com
10.	कोलकाता	श्री के. के. रंगभाष्यम	नोर्थ ब्रिटिश बिल्डिंग, 29, एन.एस. रोड, तीसरी मंजिल, कोलकाता - 700 001	फोन: 033-22134869 फैक्स: 033-22134868 ई-मेल: iombkol@vsnl.net

NOTES